लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
Digitized
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए
PRICE TWO RUPEES

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9—गुरुवार, 1 अगस्त, 1974/श्रावण 10, 1896 (शक)

No. 9—Thursday, August 1, 1971/Sravana 10. 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
161	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के उत्पादों का मानकीकरण	Standardisation of Products of BHEL	1–2
167	इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नया अभियान	New campaign to raise Steel Output	3–7
168	उत्तर प्रदेश के ललितपूर जिलें में तांब का खनन	Mining of Copper in Lalitpur District of U.P. . . .	7–8
169	पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना	Workers Rendered Jobless due to power shortage in West Bengal	8–12
170	चीन-भारत संबंध . .	Sino Indian Relations .	12–13
172	भविष्य निधि प्रशासन में सुधार	Streamlining of Provident Fund Administration . . .	14–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
141	स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विश्राम गृह और उनके बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां	Rest Houses for Freedom Fighters and Scholarships to their Children	15–16
142	अखबारी कागज का संकट बना रहना	Continuance of Newsprint Crisis	16
143	चार नदी बेसिन आयोगों का गठन	Setting up of Four River Basin Commission	16
144	संतालडीह बिजली घर में दोष पाया जाना	Faults detected at Santaldih Power Station . .	17

*किसी नाम प अंकित यह इस + बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
145	विद्युत की अंतर्राज्यीय बिक्री की दरें निर्धारित करने के लिये राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines to States for Fixing Rates for Inter State Sale of Power	17
146	ग्रामीण औद्योगीकीकरण विषयक वार्ताएं प्रसारित करने की योजना	Scheme for Broadcasting Talks on Rural Industrialisation .	18
147	पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान के गांवों में बिजली लगाया जाना	Electrification of Villages in Rajasthan in Fifth Plan .	18–19
148	इन्दिरा ब्रिगेड पर प्रतिबन्ध	Ban on Indira Brigade	19
149	विद्युत संयंत्रों का पुनर्गठन करने तथा उनमें सुधार करने की योजना बनाना	Formulation of a Scheme to Reorganise and Improve power Plants	20
150	लुधियाना में सीमेंट की कमी और चोरबाजारी	Scarcity and Black Marketing of Cement in Ludhiana .	21
151	केशोराम सीमेंट इण्डस्ट्रीज का विस्तार	Expansion of Kesoram Cement Industries	21–22
152	तकनीकी जानकारी के लिए करार	Agreements for Technical Know How	22–23
153	आसाम और अरूणाचल प्रदेश के बीच सीमांकन	Demarcation of Boundary between Assam and Arunachal Pradesh	24
154	जमींदारों द्वारा हरिजनों को परेशान किया जाना	Harassment of Harijans by Landlords	24–25
155	ब्रह्मपुत्र में बाढ	Floods in Brahmaputra .	25–26
156	पांचवीं योजना में केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं	Centrally sponsored schemes during Fifth Plan . .	26
157	जमाखोरी तथा कलाबाजारी करने वालों की गिरफ्तारियां	Arrests of Hoarders and Black Marketeers . . .	26
158	औद्योगिक प्रगति की दर	Industrial Growth Rate .	27
159	जुलाई, 1974 में राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers of Irrigation and Power in July, 1974	27–29
160	केरल डाक और तार सर्किल के प्रशासनिक ढ़ांचे में परिवर्तन	Changes in Administrative Set up of Kerala P & T Circle .	29
162	इस्पात की बचत के लिये नई योजनाओं संबंधी समितियां	Committee on New Schemes for Saving Steel . . .	29–30

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
163	दिल्ली में बेसन के नमूनों का जांच	Testing of Besan Samples in Delhi	30
164	आयुध कारखानों की फालतू क्षमता का असैनिक आवश्यकताओं के लिये उपयोग	Utilisation of spare Capacity of Ordnance Factories for Civilian Requirements	30
165	कोयले के खनन के लिये जापानी फर्म को अनुमति देना	Japanese Firm permitted to Mine Coal	31
166	आसाम की कोयला खानों में उत्पादित कोयला	Coal produced in Assam Coal Mines	1
171	श्रम ब्यूरो संपरिवर्तन-गुणक सम्बन्धी वर्ष में परिवर्तन	Change in year regarding Labour Bureau Conversion Factor	32
173	राजधानी में आंत्रशोथ रोग का फैलना	Spreading of Gastroenterities in the Capital	32
174	सेना में युवा व्यक्तियों की भर्ती के लिए, भर्ती केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय छात्र सेना दल	N.C.C. as Recruitment Centre for Young people in the Army	32
175	वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय भूमि	Indian Territory Still Occupied by Pakistan as a Result of Indo-Pak War 1971	32
176	दुर्गापूर इस्पात संयंत्र में श्रमिक स्थिति	Labour Situation at Durgapur Steel Plants	33
177	भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	33
179	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA	34
180	हिन्द महासागर के 'रियूनियन' द्वीप में दिक्चालन साधन स्टेशन के लिये फ्रांस अमरीकी करार	French American Agreement for Navigational Aid Station on Indian Ocean Island of Reunion	34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1102	हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र की जनता से अभ्यावेदन	Representation from Fazilka and Abohar Area for Provision of Hindi as Medium of Instructions	34
1103	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा 27 औषधियों पर अनुसंधान	Research on 27 Drugs by Central Drug Research Institute, Lucknow	35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1104	हिन्दुस्तान. फोटो फिल्मस मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को हुआ घाटा	Loss incurred by Hindustan Photo Films manufacturing Company Ltd. . .	35–36
1105	पांच लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for half-a- Million jobs for Educated unemployed . . .	36
1106	रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के. अन्तर्गत उत्पन्न किये गये रोजगार के अवसर	Jobs created under crash programmes for Employment . .	36–37
1107	राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Office on National Textile Corporation . .	37–38
1108	रिफ्रैक्ट्री उद्योग और उड़ीसा सीमेंट का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Refractory Industry and Orissa Cements	38
1109	अयोध्या टेक्सटाइल मिल के श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the workers of the Ayodhya Textile Mills	38
1110	केरल सरकार द्वारा काजू फैक्ट-रियों को अधिकार में लेना	Taking over of Cashew Factories by Kerala Government	39
1111	परमाणु खनिज डिवीजन, बिहार के लापता वैज्ञानिक श्री स्वप्न सरकार का पता लगाने के बारे में जांच	Investigations made to trace out Shri Swapan Sarkar Missing Scientist from Atomic Minerals Division, Bihar	39
1112	नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Probe into Coir Board's Operations	39
1113	सोवियत संघ से संगणकों का आयात	Import of Computers from Soviet Union	40
114	राजस्थान में भील और मेगवाल जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Landless Persons of Bhil and Magwal Caste in Rajasthan . .	40
1115	जून 1974 में नये न्यायालय भवन में आग लगने की घटना	Fire in New Court Building in June, 1974 . . .	40–41
1116	तापीय बिजलीघरों में ईंधन तेल की खपत	Consumption of Fuel Oil in Thermal Power Stations .	41–42
1117	लद्दाख में सिंचाई चैनलों का निर्माण	Construction of Irrigation Channels in Ladakh . . .	43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1118	रेलवे डाक सेवा के 'एन०बी० डिवीजन के कर्मचारियों को 'पी०टी०' डिवीजन में स्थानान्तरण करना	Transfer of Employees of R.M.S. 'N.B. Division' to P.T. Division	43
1119	पश्चिम कोसी नहर परियोजना के उद्घाटन पर जनवरी, 1974 में किया गया व्यय	Expenditure incurred on Inauguration of Western Kosi Canal Project in January, 1974 .	43–44
1120	सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिये सामुदायिक विकास खंड मुख्यालय को 'कैटेगरी स्टेशन' के रूप में मानना	Treatment of C. D. Headquarters as category Stations for providing P.C.O.	44
1121	ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Opening of P.C. O.s in Rural Areas	45
1122	ऊना टेलीफोन एक्सचेंज को डेहरा गोपीपुर एक्सचेंज से सम्बद्ध करना	Linking of Una Telephone Exchange with Dehra Gopipur Exchange	45
1124	सरकारी क्षेत्र में कागज और अखबारी कागज संबंधी परियोजनाओं की प्रगति	Progress of paper and newsprint projects in Public Sector .	45–46
1125	इलैक्ट्रोनिक्स निगम को नई बम्बई में स्थानान्तरित करना	Shifting of Electronics corporation to New Bombay . .	6 47
1126	विज्ञान और प्रौद्योगिक योजना	Science and Technology Plan .	47
1127	उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of Installed capacity in Industries . . .	47–48
1128	भारत द्वारा छोड़ा गया उपग्रह	Satellite launched by India .	48
1129	जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) को जल की सप्लाई करने के हेतु घाघरा नदी पर बांध में 'स्लूइस'	Sluices in barrage over river Gharga for supply of water to District Bahraich (U.P.) .	48
1130	बहराइच जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in District Bahraich	48–49
1131	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परेशान करने की घटनाओं को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नेताओं द्वारा प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध	Request by Central Government Employees leaders for P.M.'s intervention in stopping Victimization of Central Government employees	49

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1132	उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी	Power shortage in Northern Region	49–50
1133	समुद्री केबल प्रणाली का हिन्द महासागर में विस्तार	Extension of Submarine Cable System into Indian Ocean .	50–51
1134	बिजली की कमी को दूर करने के लिये बिजली की परियोजनाओं को चालू करना	Commissioning of power projects to Ease Power Shortage .	51
1135	छोटे जाली कारखानों को समाप्त करना	Elimination of Fake Small Units	52
1136	संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुये महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सैक्टर) में काट छांट करना	Pruning in core sector in view of shortage of Resources .	52
1137	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किश्तें वसूल किया जाना	Recovery of Instalments by NSIC	52–53
1138	उद्योगों की स्थापना के लिये नये उद्यमियों को रियायतें देना	Concession to Entrepreneurs for setting up industries . .	53
1139	पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of funds for development of Backward Areas .	53–54
1140	पिछड़े हुये क्षेत्रों में सीमेंट उद्योगों की स्थापना के लिये स्थानीय उद्यमियों को सहायता	Assistance to local entrepreneures forsetting up cement industries in Backward Areas . .	54
1141	पांचवीं योजना को कृषि प्रधान बनाने की योजना	Scheme to make Fifth Plan Agriculture oriented . .	55
1142	पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्र	Growth Centres in Backward Areas	55
1143	संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sick Textile Mills	55–56
1144	पिछड़े राज्यों में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in Backward States	56–57
1145	अनुसंधान एवं विकास के लिये औद्योगिक एककों पर उपकर लगाया जाना	Raising of Cess on Industrial Units for Research and Development . . .	57
1146	इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज को वाणिज्यिक परीक्षण के लिये चालू करना	Commissioning of Electronic Telephone Exchange for Commercial Trial . . .	57–58
1147	नेफा में अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Newsprint in NEFA	58

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1148	कागज की कमी	Shortage of Paper . .	58-59
1149	कर्नाटक में काली परियोजना में मलयालम भाषा विरोधी भावना	Anti Malayalee Feeling at the Kali Project in Karnataka .	59
1150	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Coir Board	59-60
1151	केरल में रिफ्रेक्ट्री यूनिट का स्थापित किया जाना	Setting up of Refractory Union in Kerala	60
1152	इदिक्की बांध का निर्माण	Construction of Indikki Dam .	60-61
1153	सिंचाई सुविधाओं के लिये राज सहायता	Subsidy for Irrigation Facilities	61
1154	बेरोजगार इंजीनियरों का खपाया जाना	Absorption of Unemployed Engineers	61-62
1155	अखबारी कागज में कटौती किये जाने पर भी इकानामिक टाइम्स का दिल्ली संस्करण निकालना	Bringing out a Delhi Edition of 'Economic Times' in spite of further cut in Newsprints .	62
1156	भारत रक्षा नियमों के अधीन जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों की गिरफ्तारियां	Arrests of Hoarders and Black Marketeers under DIR .	62
1157	डाक सूचकांक के बारे में ग्रामीण जनता को शिक्षित करना	Educating Rural Masses in Postal Index Number . . .	63
1158	पिछड़े क्षेत्रों के लिये गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat for Backward Areas . . .	63-64
1159	फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन	Production in Philips India Limited beyond its capacity .	64
1160	पूना के निकट खड़क बासला नहर पर शक्तिशाली बम बरामद होना	Recovery of powerful Bomb at Kharak Basala Canal near Poona	65
1161	दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum Submitted by Delhi Police Officers . .	65
1162	चौथी और पांचवीं योजना में समुद्र से भूमि कटाव रोकने संबंधी केरल की योजनायें	Anti Sea Erosion Scheme of Kerala in Fourth and Fifth Plans	65-66
1163	केरल में सीमेंट कारखानों की स्थापना	Setting up of Cement Factories in Kerala	66

तारांकित प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1164	गत तीन वर्षों में बाढ़ नियंत्रण के लिये केरल को दी गई धन-राशि	Funds to Kerala for Flood Control during last three years	66
1165	उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई	Power Supply in U.P. . .	67
1166	वर्ष 1973-74 में दिल्ली में-धोखाधड़ी और लूटमार की घटनायें	Cases of Cheating and Robbery in Delhi during 1973-74 .	67–68
1167	अखबारों की रद्दी कागज से पल्प बनाने हेतु स्याही मिटाने संबंधी परियोजना	De-linking project to make pulp from waste newspaper	68
1168	मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य	Relief works in flood affected districts of M.P. . .	68
1169	रेशम उद्योग का विकास करने के लिये निगमों की स्थापना करना	Setting up of Corporation to develop Silk Industry . .	69
1170	जिला भडौच (गुजरात) के गांव ऊंडी में आदिवासियों द्वारा भूखहड़ताल	Hunger Strike by Adivasis in Village Undi, District Broach (Gujarat)	69
1171	सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ और एक अमरीकी फर्म के बीच सहयोग करार	Collaboration Arrangement between Central Drug Research Institute, Lucknow and an American Firm . . .	69
1172	इलैक्ट्रानिक्स टेलिफोन एक्सचेंज	Electronic Telephone Exchange	70
1173	संसाधन जुटाने के लिये रोजगार कर और स्वर्ण नियंत्रण लागू करना	Imposition of Employment Tax and Gold Control to raise resources . . .	70
1174	कैल्शियम कार्बाइड की कमी	Shortage of Calcium Carbide	70
1175	राष्ट्र विरोधी और कट्टर प्रान्तीयतावादी समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापनों का दिया जाना	Government Advertisements to Anti National and Regional Fanatical Papers . . .	71
1176	श्री जे० एन० गौड़ की आत्महत्या के कारणों की न्यायिक जांच के लिये मांग	Demand for a Judicial Inquiry into the causes of Shri J. N Gaur's Suicide . . .	71
1177	प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी में पूर्णता प्राप्त करना	Perfection in know how in the field of Technology	71
1178	भारत और श्रीलंका के बीच सूक्ष्म तरंगों संबंध	Microwave link between India and Sri Lanka . . .	71–72

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1179	इलैक्ट्रोनिक संस्थान के विकास में सहायता देने के लिये बंगला देश सरकार का अनुरोध	Request by Bangladesh for assistance in the development of an Electronic Institute . .	72
1180	आन्ध्र प्रदेश में शक्तिशाली तापीय बिजली घर की स्थापना करना	Setting up of Super Thermal Power Station in Andhra Pradesh .	72
1181	बिहार सेंसस एम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Bihar Census Employees Association	72–73
1182	फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरणों का निर्माण	Manufacturing of Electro Medical Equipment by Philips India Ltd.	73
1183	आशय-पत्र जारी करना और लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Issue of Letters of Intent and Pending Applications for Licences	74–75
1184	श्री फिजों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव	Proposal to have discussions with Mr. Phizo . . .	75
1185	छापने के काम आने वाले सफेद कागज़ का मूल्य	Price of white printing paper .	75–76
1186	समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज़ की आवश्यकता	Requirement of Newsprint by Newspapers, periodicals and Dailies	76
1187	उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक प्रसारणों का निर्धारित कार्यक्रम	Schedule of Educational Broadcasts via Satellite . .	76
1188	डाक-तार विभाग के बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of dismissed P & T Employees . . .	76–77
1189	गुजरात में पैकिंग उद्योग में संकट	Crisis in packing industry in Gujarat	77
1190	गुजरात में उच्च पदासीन अधिकारियों को मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Top Officials in Gujarat . . .	77
1191	उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters of Hamirpur District of Uttar Pradesh . . .	78
1192	समय से पूर्वरिहा किये गये स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Sanction of pension to freedom fighters who were prematurely released	78–89
1193	राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात् गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firing in Gujarat after proclamation of President's Rule	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1194	भारतीय डाक-टिकटों की विदेशों में बिक्री	Sale of Indian Stamps abroad	79–80
1195	ट्राम्बे में एक तापीय रिएक्टर की स्थापना	Installation of a Thermal Reactor at Trombay . .	80
1196	उपग्रह द्वारा किये जाने वाले प्रयोग	Experiments to be carried out through Satellite . . .	80
1197	"लिक्विड प्रोपैलेन्टस्" और "लीक्विड राकेट" इंजिनों का निर्माण	Manufacture of liquid propellants and Liquid Rocket Engines	81
1198	स्कूटरों के टायरों और ट्यूबों की चोरबाजारी	Black marketing of Scooter Tyres and Tubes . . .	81
1199	दिल्ली में पोस्टबाक्स का खुला पाया जाना	Post Box found open in Delhi	82
1200	ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को नियंत्रण में लेने संबंधी ड्राफ्ट विधेयक में संशोधन	Revision of Draft Bill regarding take over of Brah maputra Flood Control Board . .	82
1202	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग के लिये एक कार्यालय की स्थापना	Setting up of an office for waste utilisation under Department of Science and Technology	82–83
1204	नेशनल कैमिकल लैबेरेटरी पूना, द्वारा रबड़ के निर्माण के लिये विकसित प्रक्रिया	Process developed by National Chemical Laboratory, Poona for Manufacture of rubber .	83
1205	लद्दाख का विकास	Development of Ladakh	83–84
1206	भट्ट समिति की सिफारिशें	Recommendations of Bhatt Committee	84
1207	जनजाति क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए योजना	Plan for Integrated Development of Tribal Areas . . .	84
1208	केरल के पालघाट में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० के कारखाने का निर्माण	Construction of Unit of Instrumentation Limited at Palghat in Kerala	84–85
1209	पश्चिम बंगाल में डिगहा समुद्री दर्शनीय स्थान के समुद्र द्वारा कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to prevent Sea Erosion of Digha Sea Resort in West Bengal	85
1210	विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बालयोगेश्वर के विरुद्ध जांच	Enquiry against Balyogeshwar by Foreign Exchange Enforcement Directorate . .	86

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1211	हीलियम परियोजना का शिक्षा विभाग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानान्तरण	Transfer of Helium project from Department of Education to Science and Technology .	86
1212	गंगा नदि का जल हुगली नदी में डाला जाना	Release of Ganga Water to River Hooghly	87
1213	पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली परियोजना की स्थापना	Setting up of an Atomic Power Project in West Bengal .	87
1214	टेलीविजन सैटों और रेडियो सैटों का उत्पादन	Production of T.V. Sets and Radio Sets	87–88
1215	राजस्थान में हरिजनों के परिवारों को रिहायशी प्लाट आबंटित करना	Allotment of Residential Plots to Harijan Families in Rajasthan	88
1216	दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफोन मैकेनिकों की संख्या	Telephone Mechanics in Delhi Telephone District . .	88
1217	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting List for Telephone Connections in Delhi . .	88–89
1218	केन्द्रीय मंत्रियों के चुनाव अभियान के लिये उत्तर प्रदेश के दौरे	Tours of Union Ministers for Election Campaign in U.P. .	89
1219	टायर के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Tyers .	89–90
1220	यू० एन० डी० पी० की सहायता से कम्प्यूटर केंद्रों की स्थापना	Establishment of Computer Centres with U.N.D.P. Assistance	90
1221	शिमला टेलीफोन केंद्र का विस्तार	Expansion of Telephone Exchange at Simla	91
1222	केरल में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई	Major and Medium Irrigation Projects in Kerala . .	91–92
1223	गुजरात में तेल की खोज के लिये परमाणु	Use of Automic Energy for Oil Exploration in Gujarat .	92
1224	केरल डाक और तार सर्किल में कर्मचारियों के लिये कल्याण कार्य	Welfare Scheme for Employees in in Kerala P & T Circle . .	92–93
1225	पिछडा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of backward Development Authority . . .	93
1226	सहारसपाली, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) के सवर्ग हिन्दुओं द्वारा हरिजनों के घरों में आग लगाना	Setting Fire to Harijan Houses by Caste Hindus of Saharaspali, District Ballia (U.P.)	93
1227	दिल्ली में टेलीफोन के बढ़े चढ़े बिलों के बारे में शिकायतें	Inflated Telephone Bills in Delhi	94–95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1228	दिल्ली तथा अन्य नगरों के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क (एस०टी०डी० लिंक)	S.T.D. Link between Delhi and other Cities . . .	95–96
1229	अखबारी कागज के जाली कोटे के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry into Bogus newsprint Quota . .	96
1230	ईरान और भारत में औद्योगिक सहयोग	Industrial Cooperation between Iran and India . . .	96
1232	विजयवाड़ा में 'आटोनगर' की स्थापना	Establishment of Autonagar at Vijayawada . . .	96–97
1233	दिल्ली में कागज की चोरबाजारी के विरुद्ध पुस्तकविक्रेताओं द्वारा विरोध-प्रदर्शन	Protest against black marketing of Paper by Book Sellers in Delhi	97
1234	सीमेंट के निर्यात की योजना	Scheme to Export Cement .	97–98
1235	आकाशवाणी, पूना द्वारा श्री एस० एम० जोशी की वार्ता का प्रसारण	Broadcast of Talk of Shri S.M. Joshi by A.I.R., Poona . .	98
1236	पंजाब की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति	Clearance of Power Projects in Punjab	98
1237	नकली औषधियों संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on Spurious Drugs .	98–99
1238	अभ्रक कागज का निर्माण	Manufacture of Mica paper	99
1239	दिल्ली छावनी स्थित आर्डिनेंस स्टोर बेस वर्कशाप में पिस्टनों की चोरी	Theft of Pistons at Ordnace Store, Base Workshop, Delhi Cantonment	99–100
1240	नई दिल्ली में भारत-हंगरी वार्ता	Indo-Hungarian talks in New Delhi	100
1241	डिएगो गार्सिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे के बारे में ब्रिटेन के साथ पत्रव्यवहार	Correspondence with U.K. re. U.S. Naval Base at Diego Garcia	100
1242	भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में वार्ता	Talks on Economic Cooperation between India and Sri Lanka	100–101
1243	कपड़ा मशीन उद्योग के लिये विकास परिषद् की सलाह	Advice of Development Council for Textile Machinery Industry	101
1244	आन्ध्र प्रदेश के एम० बी० बी० एस० तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों के ज्ञान के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट	UPSC's Report on knowledge of MBBS and post Graduate Medical Students in A.P	101–102

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1245	दुबाई और मध्यपूर्व में भारतीय पासपोर्टों की बिक्री	Sale of Indian Passports in Dubai and Middle East	102
1246	घड़ियों के पुर्जों के निर्माण के लिये स्विटरजरलैंड से सहयोग	Swiss Collaboration for manufacture of Watch Components	102–103
1247	अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के लिये अर्हताओं और क्षमताओं को प्राप्त करने में जवानों को समर्थ बनाने के लिये कार्यवाही करना	Steps to enable Jawans to acquire qualifications and capabilities for Promotion to Officers Rank	103–104
1248	टायरों, चैसियों तथा मोटरगाड़ियों की कालाबाजारी	Black marketing in Tyres, Chassis and Vehicles . . .	104–105
1249	उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of High Grade Manganese Ore . .	105
1250	राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	105–106
1251	इस्पात के लिये कोककर कोयले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना	Self Sufficiency in Coking Coal for Steel Plants . .	106
1252	देश में गैर-सरकारी मैडिकल कालेजो को सहायता	Help to Private Medical Colleges in Country	106
1253	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विशेष अध्ययन	Special Study of Durgapur Steel Plan	107
1254	दिल्ली, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मेडिकल अधीक्षकों की वित्तीय और अनुशासनात्मक शक्तियां	Financial and Disciplinary Powers of Medical Supt. of Central Government Hospitals in Delhi/New Delhi .	107–108
1255	दिल्ली तथा नई दिल्ली में हड़ताली डाक्टरों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary Action against striking Doctors in Delhi/New Delhi	108
1256	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur . .	108–109
1257	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर को हुई हानि	Losses incurred by Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	109
1258	टायरों के मूल्य में वृद्धि के लिये वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं को अलग बिल बनाने की अनुमति	Permission to Commercial Vehicle Manufacturers to Bill separately for increase in price of tyres . . .	109–110
1259	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत में परिवार नियोजन परियोजनाओं के लिये धनराशि देना	Grant of Funds by U.N.O. for Family Planning Projects in India	110

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1260	इंधन संबंधी नीति समिति का प्रतिवेदन	Fuel Policy Committee Report	111
1261	पूर्वी डिवीजन की कोयला खानों के उत्पादों की अबाध बिक्री के संबंध में कोयला खान प्राधिकरण की नई प्रणाली	C.M.A. System of Free sale of products of Eastern Division Collieries	111
1262	उड़ीसा में स्पन्ज लौह क्षमता संयंत्र और फेरो वानडियम संयंत्र	Sponage Iron Capacity Plant and ferro Vanadium plant in Orissa	112
1263	युद्ध में हुई विधवाओं, जो प्रशिक्षित हैं, को रोजगार	Jobs to trained war widows .	112
1264	रानीगंज में कोयला गैसीकरण संयंत्र	Coal Gasification plant in Raniganj	112–113
1265	आई० एन० एस० खुकरी के डूबने के बारे में जांच समिति बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up an Enquiry Committee re. sinking of I.N.S. Khukri	113
1266	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी से अधिकारियों और श्रमिकों की भर्ती	Induction of Officers and Workers into IISCO .	113–114
1267	'टिस्को' के विस्तार में अंतर्निहित सरकारी वित्त	TISCO expansion involving public Finance . . .	114
1268	विदेशी सहयोग के साथ टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का विस्तार	TISCO Expansion with Foreign Collaboration . . .	114
1269	एक विदेशी फर्म द्वारा 'टिस्को' के विस्तार का व्यवहार्यता अध्ययन	Feasibility Study of Expansion of TISCO by a Foreign Firm	115
1270	'टिस्को' के विस्तार की अनुमति दिया जाना और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार की उपेक्षा किया जाना	TISCO Expansion allowed while expansion of Public Sector Steel Plants neglected .	115
1271	हड़तालों की रोकथाम के लिये श्रम नियमों में परिवर्तन	Changes in Labour Laws to check Strikes	116
1272	सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों को उत्तम प्रकार के कोयले की सप्लाई	Supply of Quality coal to Public Sector Steel Plants . .	116
1273	मजूरी आयोग	Wage Commission . . .	116–117
1274	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सुपेला मार्किट का वार्षिक ठेका देना	Award of Annual Contract of Supela Market by Bhilai Steel Plant	117
1275	इस्पात विस्तार योजनायें	Steel Expansion Plants . .	117

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1276	कोयला खनन प्राधिकरण द्वारा सरकारी क्षत्र के इस्पात संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई	Low Quality Coke Supply to Public Sector Steel Plants by C.M.A.	118
1277	हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programmes of Hindustan Copper Ltd. . .	118–119
1278	हथियार व्यवस्था (वेपन सिस्टम) के लिये राडारों का निर्यात	Export of Radars for Weapons System	119
1279	अमरीका को जाने वाले भारतीय अप्रवासियों में वृद्धि होना	Increase in Indian Immigrants to USA	119–120
1280	उपदान अधिनियम में संशोधन	Amendment of Gratuity Act .	120
1281	देश के विभिन्न अस्पतालों में नकली दवाओं के उपयोग करने से मौतें	Deaths by using Spurious Drugs in various Hospitals in the Country	120
1282	अस्पतालों में पलंगों, डाक्टरों, सर्जनों और नर्सों की देश की जनसंख्या की तुलना में प्रतिशतता	Ratio of Beds, Doctors Surgeons and Nurses in Hospitals in relation to Population the the country	121
1283	केरल में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये धनराशियां	Funds for Health Centres and Family Planning Centres in Kerala	121–122
1284	उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 और 1972 में बिजली की कमी के कारण कर्मचारियों की जबरन छुट्टी	Workers Laid off due to Power Shortage in U.P. in 1971 and 1972	122
1285	कृषि श्रमिकों का कल्याण	Welfare of Agricultural Labour .	122–124
1286	केरल में कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme in Textile Mills in Kerala . . .	124–125
1287	बंगलादेश के प्रधानमंत्री के भारत के दौरे के दौरान नये समझौते पर हस्ताक्षर	Fresh Deals Signed during Visit to India by Bangladesh Prime Minister	125
1288	वेतन ढांचे पर केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ बैठक	Meeting with Central Trade Unions on Wage Structure .	125
1289	मोती नगर, दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय में दवाइयां देना	Issue of Medicines by CGHS Dispensary at Moti Nagar, Delhi	125–126
1290	भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली	Realisation of Arreras of Provident Fund	126
1291	ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees of Indian High Commission in Britain . . .	127

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1292	"चायनीज प्लान टू डिप्लाय वार-शिप्स टू अरेबियन सी" शीर्षक से समाचार	Reported Chinese Plan to Deploy Warships to Arabian Sea	127
1293	आयुध डिपुओं में गैर-कारीगर श्रमिकों के लिए पदोन्नति के अवसर और उन्हें जोखिम तथा खतरा भत्ता (रिस्क एण्ड हेजार्डस आलाउंस) दिया जाना	Channel of Promotion and payment of Risky and Hazardous Allowance to Unskilled Labour in Ordnance Depots . .	127–128
1294	दिल्ली हवाई अड्डे पर साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत	Discussions with President of Cyprus at Delhi Airport .	128
1295	अनुसंधान और विकास खंड द्वारा आधुनिकतम 'बेटल टैंक' का डिजाइन बनाना	Designing of Sophisticated Battle Tank by Research and Development Wing . .	128
1296	उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक पुनरुत्थान के लिये श्रम नियमों का पन: परीक्षण	Re-examination of Labour Laws to Increase Production and Economic Revival . .	128–129
1297	शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार	Educational and uneducated Unemployed	129–13
1298	निर्यात प्रधान उद्योगों की इस्पात संबंधी आवश्यकताएं	Steel Requirements of Export Industries	130–131
1299	बिहार-पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाएं	Fire incidents in Bihar and West Bengal Coal Fields .	131
1300	ईरान और ईराक के बीच विवादों को सुलझाने के लिये भारत की मध्यस्थता	India's Mediation to solve Disputes between Iran and Iraq	132
1301	सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स के शेयरों का खरीदा जाना	Purchase of Shares by Government in Hindustan Motors .	132
1302	'टिस्को' के बिस्तार के बारे में व्यवहार्यता प्रतिवेदन	Feasibility report on expansion of TISCO	132
1303	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा पश्चिम बंगाल खानों के अधिकारियों का कथित निलंबन	Alleged suspension of officers of West Bengal Mines by Coal Mines Authority . .	133
1304	मैसर्स चम्पारन सा मिल्स को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Coverage of Messrs Champaran Saw Mills under E.P.F. Act. .	133–134
1305	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाये गये औद्योगिक श्रमिक	Coverage under ESI Scheme .	134–135

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1306	आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री, शहाजहांपुर में 'औजार न उठाओ' हड़ताल	Tool down strike in Ordnance Clothing Factory, Shajahanpur	135
1307	पांचवीं योजना के लिये कोयले के उत्पादन का लक्ष्य	Coal production Target for Fifth plan	136
1308	श्रीलंका के विदेश और रक्षा सचिवों द्वारा भारत का दौरा	Visit to India by Foreign and Defence Secretaries of Sri Lanka	136
1309	लघु इस्पात संयंत्रों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending Applications for Mini Steel Plants	137
1310	केन्द्रीय जांच ब्यरो के खाद्य अपराध विंग को फिर से बनाने का अनुरोध	Request for reviving Food Offence Wing of C.B.I. .	137
1311	स्कूटरों के साथ 'स्टेपनी' सप्लाई न किया जाना	Non Supply of Stepney with Scooters	137–138
1312	इस्पात की बार और रौड के निर्यात के लिये छोटे इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants to Export Steel Bars and Rods . .	138
1313	सैनिक स्कूल खोलना	Opening of Sainik Schools	138–139
1314	पाकिस्तान द्वारा सैनिक तयारी	Military Preparation by Pakistan	139
1315	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Ceasefire Violations by Pakistan	139–140
1316	देश में हरिजनों की जबरदस्ती नसबंदी	Forcible Sterilisation of Harijans in the Country . . .	140
1317	चीन के अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र	ICBM of China . . .	141
1318	मैसर्स क्रिस्टीन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड हजारीबाग के मुख्य कार्यालय का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2ए के अन्तर्गत लाया जाना	Coverage of Head Office of M/s Christien Mica Industries Ltd., Hazaribagh U/s 2A of E.P.F. Act, 1952	141
1319	क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त, बिहार द्वारा कतिपय उपक्रमों को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अस्थायी रूप से लाने के लिये आदेश जारी करना	Issue of orders of provisional coverages under E.P.F. and F.P.F. Act, 1952 in Bihar .	141–142
1320	बिहार में भविष्य निधि तथा अन्य अंशदानों की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund and other Contributions in Bihar	142–143
1321	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Birth Control programme in States and Central Assitsance therefor	143

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1322	यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ करार	Agreement with United Arab Emirates	144
1323	गिरिनगर, नई दिल्ली के निवासियों से ज्ञापन	Memorandum from residents of Giri Nagar, New Delhi .	144
1324	खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अधीन अधिकतम दंड दिया जाना	Award of maximum punishment under Prevention of Food Adulteration Act . .	145
1325	भारत हैवी प्लेटस एंड वैसल्स लिमिटेड द्वारा मल्टी-लेयर हैवी वैसल्स का निर्माण	Production of Multy layer heavy vessel by Bharat Heavy Plates and Vessels Limited . .	145
1326	अल्यूमिनियम उद्योग का लक्ष्य	Target for Aluminium Industry	145–146
1327	भारतीय छात्रों के अमरीका में दीर्घावधि तक रहते रहने को रोकने के लिये बीजा विनियमों में परिवर्तन	Change in visa regulations to check prolonged stay of Indian students in U.S.A. .	146
1328	इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन औद्योगिक एककों में लगाये गये विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts engaged in industrial units under Ministry of Steel and Mines . .	146–147
1329	विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of Foreign Exchange .	147–148
1330	विश्वस्वास्थ्य संगठन का भारत में परिवार नियोजन संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम	Research Programme of W.H.O. in Family Planning in India	148–149
1331	बर्मा से भारतियों का स्वदेश प्रत्यावर्तन	Repatriation of Indians from Burma	149–150
1332	कर्नाटक के बेल्लारी होस्पेट क्षेत्र में लोह अयस्क के निक्षेपों का समेकित विकास	Integrated development of Iron Ore deposits in Bellary Hospet area in Karnataka . .	150–152
1333	ताम्बा कांस्टेंटों का अभाव	Scarcity of copper concentrates	152
1334	कानपुर अस्पताल में प्रयुक्त ग्लुकोस सेलाईन के नमनों के रसायनिक परीक्षण के निष्कर्ष	Findings of Chemical Examination of samples of Glucose Saline used in Kanpur Hospi t	
1335	देश में नकली और घटिया प्रकार की औषधियों में वृद्धि	Increase in Spurious and Sub-Standard Drugs in the country	153
1336	कोरबेट युद्ध पोत घोटाला	Corbette Warship Scandal	153
1337	भारत द्वारा फ्रांसीसी कोरबेट युद्ध पोत की खरीद	Purchase of French Corbette Warship by India . .	153–154

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1338	नकली/घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी योजना	Scheme for taking action against persons manufacuring Spurious Sub-standard Drugs	154–155
1339	स्कूटरों के आबंटन के लिये बनाई गई प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों को स्कूटरों का आबंटन	Coverage of Waiting List for allotment of Scooters	155–156
1340	सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को स्कूटरों का आबंटन	Allotment of Scooters to Social Workers	157
1341	माना कैम्प के शरणार्थियों द्वारा भूख हड़ताल	Fast by Mana Camp Refugees	157
1342	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का पुनर्वास करने संबंधी योजना	Schemes for Rehabilitation of former East Pakistan Refugees in Andaman and Nicobar Islands	158
1343	भारत द्वारा हथियारों का निर्यात	Export of Arms by India	158–159
1344	बिहार में हैजे और मस्तिष्क शोथ से मृत्यु	Deaths in Bihar due to Cholera and Brain Swelling	159
1345	नर्सों का विदेशी जाना ;	Migration of Nurses to Foreign Countries	159
1346	कारों तथा स्कूटरों का उत्पादन	Production of cars and scooters	160
1347	औषध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन	Amendment of Drug Control Act	160–161
1348	भारत द्वारा मिस को परिवार नियोजन संबंधी सहायता की पेशकश	Family planning Aid offered to Egypt by India	161
1349	भारत-अमरीका संयुक्त आयोग का प्रस्ताव	Proposal for Joint Commission between India and USA	161
1351	केरल में पासपोर्ट जारी करने के लिये पृथक कार्यालय का स्थापित किया जाना	Setting up of Separate Passport Issuing Office in Kerala	162
1352	चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिये केरल द्वारा भेजी गई योजना	Scheme for Improvement of Medical Facilities submitted by Kerala	162
1353	आल इंडिया स्पाइसिस एंड फडग्रेन ट्रेडर्स एसोसियेशन का मसाला उत्पादन केन्द्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना	Setting of Laboratories at Spice producing Centres by All India Spices and Food Grain Traders Association	162–163
1354	राष्ट्रीय मजूरी परिषद	National Wage Council	163

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1355	कामगारों को मुआवजे के लिये केन्द्रीय निधि	Central Fund for Workmen and Compensation	163–164
1356	भूतपूर्व मालिकों द्वारा कोयला खानों का विकास	Erstwhile Owners to Develop Coal Mines	164
1357	मूल्य वृद्धि का कृषि श्रमिकों पर प्रभाव	Impact of Price Rise on Agricultural Labour	164
1358	मेघालय में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर खर्च	Expenditure on Former East Pakistan Refugees in Meghalaya	164–165
1359	दिल्ली प्रशासन द्वारा भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यवाही	Action Against Bhagwan Das Memorial Trust by Delhi Administration	165
1360	जनरल मोटर्स आफ अमरीका और हिन्दुस्तान मोटर्स के बीच सहयोग	Collaboration between General Motors of America and Hindustan Motors	165–166
1361	बोकारो इस्पात कारखाने का 100-टन कन्वर्टर	100 Tonne Converter of Bokaro Steel Plant	166
1362	बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी कोक भट्टी बैटरी	Second Coke oven Battery of Bokaro Steel Plant	166–167
1363	बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी धमन भट्टी	Second Blast Furnance of Bokaro Steel Plant	167
1364	बोकारो इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी से उत्पादन	Production from First Blast Furnace of Bokaro Steel Plant	167
1365	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	168
1366	उड़ीसा के क्योंझर जिले में सोना पाया जाना	Gold found in Keonjhar District of Orissa	168
1367	आगरा में स्काई डाइविंग एंड फ्री फाल पेराशूटिंग इन्स्टीटचूट	Institute for Skydiving and free Fall parachuting in Agra	168–169
1368	देश में महामारी पर नियंत्रण	Control of Epidemics in country	169
1370	पुनर्वास संगठन (सेटलमेंट आरगनाइजेशन) में फील्ड इन्सपैक्टरों के वेतन-मान	Pay Scales of Field Inspectors in Settlement Organisation	169
1371	दिल्ली में मिलावट वाले खाद्य तलों की बिक्री	Sale of Adulterated Edible Oils in Delhi	170
1372	दिल्ली में खाद्य-चूर्ण पदार्थों में मिलावट के मामले	Adulteration cases of powered Foodstuffs in Delhi	170

विषय	Subject	पृष्ठ Page
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Reg. Question of Privilege	170–174
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	174–176
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भूमिगत नागाओं द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर कथित आक्रमण—	Reported attack by underground Nagas on Police personnel—	
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	176–177
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dixit	176–177 178–179 180–181
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधि समिति—	Committee on Private Member's Bills and Resolutions—	
43वां प्रतिवेदन	Forty Third Report	181
बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में दिनांक 14 मई, 1973 को किये गये तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर में वृद्धि करने वाला वक्तव्य—	Correction of Answer to S.Q. No. 332 dated 14-5-73 re. setting up of Industries in Bihar Public Sector	182
सिमेंट उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य—	Statement re. decision of the Government on the recommendations of the Tariff Commission on the Cement Industry—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	182–183
कार्य मंत्रणा समिती—	Business Advisory Committee—	
45वां प्रतिवेदन	Forty Fifth Report	183
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
राष्ट्रपतीय चुनाव के बारे में संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन	Violation of Constitutional Provisions in regard to the Presidential Election	183–185
दिल्ली विक्रय कर विधेयक—	Delhi Sales Tax Bill—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव (चर्चा स्थगित)	Motion to consider (Debate adjourned)	185–186
प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक—	Direst Taxes (Amendment) Bill—	
विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as reported by Select Committee—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	186–1888, 196–197
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	188–189
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	189–190
श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक	Shri B. V. Naik	190
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	190–191

विषय	Subject	पृष्ठ Page
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	191–192
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan . .	192
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Naval Kishore Sinha	192–193
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	193
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	193–194
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	194
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	194
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	195
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikrishna Modi .	195
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	196
खंड 2 से 24 और 1	Clauses 2 to 24 and 1 . .	197–201
विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as reported by Select Committee— . .	
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar .	202
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	202
कम्पनी संशोधन विधेयक—	Companies (Amendment) Bill—	
विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as reported by Joint Committee—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	202

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 1 अगस्त, 1974/10 श्रावण, 1896 (शक)
Thursday, August 1, 1974/Sravana 10, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उत्पादों का मानकीकरण

*161. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उत्पादों में सुधार करने तथा उनका मानकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसे एक कुशल संगठन बनाने के लिये क्या आवश्यक परिवर्तन करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : प्रत्येक एकक में अधिकतम कुशलता, उत्पादन के परिभाग के अनुरूप बचत और दक्षता का विशिष्टीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड अपने विभिन्न एककों के निर्माण कार्यक्रमों को युक्ति-पूर्ण बनाने की योजना तैयार कर रहा है। टर्बो सेटों, हाइड्रो सेटो, विद्युत मोटरों और सर्किट ब्रेकारों का निर्माण जो अब तक दो या तीन स्थानों, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जा रहा है, वह आर्थिक उत्पादन और इंजीनियरी दक्षता के विकास के हित में युक्तिपूर्ण बनाया जायगा। इस युक्तिपूर्ण कार्यक्रम में अधिकतम देशीकरण के लिए सहायक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ अतिरिक्त निर्माण और सेवा (सर्विस) एककों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। यद्यपि इस युक्तिपूर्ण कार्यक्रम से उत्पादिता और कुल उत्पादन में सुधार होगा लेकिन इससे प्रत्येक एकक में रोजगार क्षमताओं में कोई कमी आये, ऐसा इरादा नहीं है।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : अगले 10 वर्षों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य 38,000 मेगावाट रखा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को आगामी 10 वर्षों (1974-1984) में इतने उपकरण सप्लाई करने होंगे जिससे विद्युत उत्पादन तिगुना हो जाये। यदि सरकार भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के उत्पादों में सुधार करना चाहती

है तो विद्युत उत्पादन को 19,000 मेगावाट से बढ़ाकर इससे तिगुना करने का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? उत्पादन कार्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने के नाम पर कितने केन्द्र बन्द होंगे इस नीति से कितने श्रमिक प्रभावित होंगे और सरकार को कितनी हानि होगी ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स पांच वर्षों तक देश की आवश्यकता के अनुरूप उपकरण सप्लाई करने की स्थिति में है। वर्ष 1972–73 में हमने 11 लाख किलो वाट विद्युत–उत्पादन के बराबर जनरेटर बनाये थे, वर्ष 1973–74 में 22 लाख किलोवाट के लिए बनाये और इस वर्ष 33 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर बनाने का कार्यक्रम है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 35 लाख किलोवाट का औसत रहने का अनुमान है। वर्ष 1980 तक युक्तियुक्त कार्यक्रम और संतुलन उपकरणों के आधार पर विद्युत का उत्पादन बढ़कर 50 लाख किलोवाट हो जायेगा। वर्ष 1980 तक हम न केवल अपनी देश की आवश्यकता पूरी करेंगे बल्कि 160 करोड़ रुपये के निर्यात की भी आशा करते हैं।

पुनर्गठन कार्यक्रम के परिणामस्वरुप रोजगार के अवसरों में कमी नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रोजगार 45,000 से बढ़कर 60,000 हो जायेगा।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : मंत्री महोदय कहते है कि रोजगार क्षमता में कमी नहीं होगी जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का भोपाल स्थित एकक का एक भाग बंद करन का सरकार का विचार है और वहां से हजारों कर्मचारियों को इसी के भोपाल स्थित एकक या अन्य एककों को स्थानान्तरित किया जा रहा है। मंत्री महोदय का उत्तर इससे मेल नहीं खाता।

श्री टी० ए० पाई : युक्तियुक्त बनाने की प्रक्रिया में कुछ उत्पादों को अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरित किया जा रहा है परन्तु उनके स्थानों पर कुछ नये उत्पादों का उत्पादन शुरू किया जायेगा। उदाहरण के लिए भोपाल में अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक उपकरणों का उत्पादन होगा और उसी स्थान और कर्मचारियों से नये उपकरणों का उत्पादन किया जायेगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरुप बेरोजगारी पैदा नहीं होगी, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा और छटनी का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की स्थापना विद्युत उत्पादन उपकरणों के आयात का रोकने और उनका अपने देश में ही उत्पादन करने के लिए की गई थी इस उद्देश्य की प्राप्ति कब तक होगी ?

श्री टी० ए० पाई : रुस से उपकरणों का केवल एक पुर्जा ही मंगाये जाता है। मुझे आशा है कि इस दिशा में आत्म निर्भरता पांच वर्ष में प्राप्त कर ली जायेगी। हम रुस से अपेक्षित डिजाइल आदि लेने और अपना निजी तकनीक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पूर्णत: आत्म-निर्भर हो जायें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार युक्तिकरण कार्यक्रम पर जिसके विभिन्न परिणाम होंगे विचार करने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक बुलायेगी ताकि समस्याएं मैत्रीपूर्ण ढंग से हल हो जायें।

श्री टी० ए० पाई : यह सचमुच एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा कि इस बारे में श्रमिकों से विचार विमर्श किया जाये ताकि उनमें पुनर्गठन कार्यक्रम के बारे में कोई गलत धारणा पैदा न हों। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का उत्पादन मूल्य की दष्टि से गतवर्ष 228 करोड़ रुपये का हुआ, इस वर्ष 281 करोड़ रुपये का हुआ और वर्ष 1980 में यह 900 करोड़ रुपये का होगा। उत्पादन में वद्धि के साथ कुछ पुनर्गठण करना अनिवार्य हो जाता है। इस बारे में मैं अपने कर्मचारियों से बातचीत अवश्य करूंगा।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नया अभियान

*167. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री० पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक नया अभियान शुरु करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अभियान की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) चार इस्पात संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । फिर भी, सर्वतोमुखी कारखानों से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा विद्युत चाप भट्टियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के पांच मुख्य इस्पात कारखानों की इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता नीचे दी गई है :-

(हजार टन)

कारखाना	अधिष्ठापित क्षमता	
	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
सरकारी क्षेत्र के कारखाने		
भिलाई इस्पात कारखाना . .	2500	1965
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	1600	1239
राउरकेला इस्पात कारखाना	1800	1225
गैर सरकारी क्षेत्र के कारखाने		
टिस्को .	2000	1500
इस्को	1000	800

बोकारो इस्पात कारखाना सरकारी क्षेत्र में है और इसका निर्माण/स्थापना कार्य अभी चल रहा है प्रथम चरण मे, इस कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता 17 लाख टन और विक्रेय इस्पात की क्षमता 13.55 लाख टन होगी । चार कन्वर्टरों में से अब तक केवल दो कन्वर्टरों ने उत्पादन करना आरम्भ किया है ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : गोआ में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की बहुतायत है और हम उसका निर्यात करते हैं। प्रतिवर्ष इनके निर्यात में वृद्धि की बात कही जाती है। विदेशों में इससे सोना कमाया जा रहा है। हमारे देश में इन अयस्कों से केवल पैलट (गुटके) बनाये जाते है। और तैयार माल आयात किया जाता है, उस पर दुगुना भाड़ा कर, निर्यात और आयात शुल्क आदि अन्य देशों को देना पड़ता है। उनके श्रम के लिए भी हमें देना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहुंगा कि क्या इन अयस्कों से गोआ में ही कम से कम साधारण माल, आधुनिक उत्पादन सही, बनाया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य ने कई अयस्कों के परिष्कारण की बात कही है। यदि वह केवल लौह अयस्क और उसे इस्पात में परिवर्तित किये जाने की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कई एकीकृत इस्पात संयंत्र निर्माणाधीन हैं जैसा कि सभा पहले से ही जानती है। जहां तक गोवा में नये इस्पात संयंत्र लगाने की बात है, हम नहीं चाहते कि हमारे कंधों पर जो भार पहले से ही है, उसे और अधिक बढाया जाय।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या सरकार का विचार एक 'आर्क फर्नेस' या लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है।

श्री के० डी० मालवीय : यहां आर्क फर्नेस या लघु इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है उनके लिए विद्युत और स्क्रेप की आवश्यकता होती है दुर्भाग्य से तीन वर्ष पूर्व तक हम अपने यहां 'स्पंज लोहा बनाने में समर्थ नहीं थे। जहां तक स्क्रेप का सम्बन्ध है, वह देश में उपलब्ध नहीं है और पूरे विश्व मे उसकी कमी है। अतः स्क्रेप का आयात करके उसे इस्पात में बदलना और फिर उसे काम में लाना या बेचना लाभप्रद नहीं होगा। हमारे देश में बहुत से लघु इस्पात संयंत्र हैं जो विद्युत और स्क्रेप के अभाव में पूर्व क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम पर्याप्त मात्रा में स्पंज लोहा बनाने या स्क्रेप आयात करने की क्षमता में होंगे हम लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या में वृद्धि अवश्य करेंगे।

Shri Madhu Limaye : As regards the increase in the production of steel, this question is related to Question No. 162 also. In the context of the necessity of saving of steel, I would like to point out that skyscrappers in large number are coming in Bombay and steel and cement in huge quantity is consumed in these 12-14 and 20 storeyed buildings. I would like to know whether Government will put a total ban on construction of such skyscrappers in order to save steel and cement during the current crisis. Recently about 16 plots of land under the sea were sold there and bribe amounting to Rs. 15 lakhs to 20 lakhs was accepted in this deal and the builder is going to reap a profi of Rs. 75 lakhs.

Shri K. D. Malaviya : As regards the land and profit on it, hon. Member knows more about it. If I come to know of it, I will have a talk with him on this subject and form opinion on individual level. As regards the construction of skycrappers is concerned the policy of Government is against such constructions, because steel and cement both the items required for construction are in short supply. We are going to review the supply position of these things in two to four weeks' time and then we will see as to how much reduction can be effected in it.

श्री बी० बी० नायक : इस्पात उत्पादन में वृद्धि की चर्चा के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लमिटेड के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया जबकि एक वर्ष पूर्व इस्पात उत्पादन में वृद्धि का युक्तिकरण के संदर्भ में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया था। क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्यकरण संतोषजनक नहीं हो पा रहा है क्योंकि सचिव–समिति भारत सरकार उसमें बाधक सिद्ध हो रही है, जैसी कि अफवाह है ? उक्त प्राधिकरण कर्नाटक राज्य में राज्य सरकार के भद्रावती आयरन एण्ड स्टील जैसे उपक्रमों के बारे में क्या कर रहा है ? क्या इस बारे में कुछ शिकायतें मिली है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण का सम्बन्ध है, इसका गठन एक वर्ष पूर्व किया गया था और अभी यह देखना है कि यह अपने कृत्यों को कहां तक पूरा कर पाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तकनीक में सुधार आदि अपेक्षित है। प्राधिकरण के बारे में अभी से यह कहना उचित नहीं है कि वह अपने काम में विफल हो गया है। वैसे सरकार प्राधिकरण के कार्यों पर निगरानी रखती है और समन्वय पहलू पर ध्यान रखती है। प्राधिकरण का कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रहा है। कभी कभी विद्युत, अपेक्षित किस्म के कोयले आदि की कमी से कार्य कठिन अवश्य हो जाता है। ढुलाई की समस्या और कोयले की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उच्च प्राधिकरण के कार्यों में समन्वय के परिणामस्वरूप दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन मे वृद्धि हुई है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : माननीय मंत्री ने वर्तमान आर्थिक संकट में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के अभियान की लम्बी चर्चा की है परन्तु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में उन्होंने एकबात नहीं बताई है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता आदि के बारे में प्रबन्धक और कर्मचारी दोनों ही शिकायत करते आ रहे हैं। इस संयंत्र का कार्यकरण अपेक्षित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है। क्या सरकार इस संयंत्र है कार्यकरण की जांच संसदीय समिति द्वारा कराने के लिए तैयार हैं और क्या इसका विस्तार घटाने और उत्पादन में कमी करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : गत तीन महीनों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काफी सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, इसमें मई में 27,000 टन इस्पात पिंड का उत्पादन हुआ जून में 65,000 टन और जुलाई में 78,000 टन का उत्पादन हुआ। अत: माननीय सदस्य देखेंगे कि इस्पात पिंड का उत्पादन जो अन्य माल बनाने में मूलत: काम आता है, 27,000 टन से बढकर लगभग 80,000 टन हो गया। इसके लिए वहां के श्रमिक प्रशंसा के पात्र है। अब श्रमिक और प्रबन्धक परस्पर विचार विमर्श करके और मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। हां, कभी कभी तकनीकी गड़बड़ी और विद्युत आदि का अभाव आड़े अवश्य आता है। यदि दुर्गापुर इस्पात को पर्याप्त मात्रा में विद्युत मिले, तो उसका उत्पादन और भी बढ़ सकता है। जहां तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रश्न है, मेरे विचार से वह अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। जब उसका उत्पादन 13 लाख टन तक पहुंच जायेगा, तब उसके विस्तार के बारे में सोचा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन वृद्ध सज्जन को, जो बार-बार उठने का प्रयास कर रहे है, भी अपनी बात कह लेने दो।

Shri Achal Singh : We have four big steel plants in our country and they all are suffering loss. I would like to know whether now they have reached a break-even stage and if so, the amount of profit they will earn.

Shri K. D. Malaviya : All the steel plants put together are still suffering loss. But big steel plants take longer time to reach a stage of profit, as it is the experience world over that big plants require longer period for gestation. But I hope that with the cooperation of workers and management, the Government will be soon able to increase production in steel plants to earn profit.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether Government take it to be necessary to seek cooperation of workers for increasing steel production ?

Shri K. D. Malaviya : Yes, Sir.

Shri Ramavatar Shastri : If he considers it necessary then what action has been taken or proposed to be taken to obtain the cooperation from trade union organisations?

Shri K. D. Malaviya : I have already replied this question. I repeat it again, the Government do feel that no industry can operate without the cooperation from the labour. We have been getting it to the maximum extent. We have been regularly consulting the leaders of recognised as well as of unrecognised trade unions.

Shri G. P. Yadav : May I know the plan the Government propose to evolve to increase the capacity of Bokaro steel plant? Bokaro is producing more to its rated capacity ? Why the second blast furnace is being proposed ! Is it a fact that the Managing Director Shri Khanna is interfering in internal set up of the Plant which may adversely affect plants production ?

Shri K. D. Malaviya : As regards the last question I may submit that the General Manager Shri Khanna is working intelligently and honestly and the Government intend to have him there as he is making improvement with the cooperation of all.

An Hon. Member : Is he being given a certificate ?

Shri K. D. Malaviya : I think such a certificate should be given because I am personally satisfied with his performance. If the hon. member has got any thing objectionable aginst his working, he may specifically mention it. I will look into it and ask Shri Khanna to go into the matter.

So far as an increase in Production of Bokaro Steel Plant is concerned, it is well known that the target of production for the first stage is 17 lakh tonnes and we are satisfactorily advancing towards that end. The production of Pig iron is also upto satisfaction. If we are able to maintain this speed, the performance of Bokaro will be satisfactory. After that we propose to achieve 25 lakh tonnes and later on 40 lakh tonnes of production target. We have got substantial assistance from Russian Government and their experts.

Shri M. C. Daga : The public sector units have failed to achieve the steel production targets. May I know whether in view of this failure of Public Sector units the Government propose to encourage the private sector to obtain steel production licenses so that a new more of steel production is stared in the country?

Shri K. D. Malaviya : Such big units can not be run by private sector because the funds have to be arranged from the Government, from the Banks or at international level. Under changed the present circumstances such big units should be run in public sector and not in private sector. So far as the question of mini steel plant is concerned, such plants exist in large numbers but they are not producing steel according to their capacity. If they produce in full capacity we may have 18 lakh tonnes of steel from these plants but we are getting only 9 or 10 lakh tonnes or even less than that. It is not wothwhile investing money in order to have more such plants until we have a dditional power and scrap resources. The time we have additional power and scrap resources we may establish many mini steel plants in Rajasthan.

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय का ध्यान बोकारो इस्पात कारखाने में कार्य कर रहे किसी विशेषज्ञों के प्रेस में प्रकाशित हुये इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बोकारो इस्पात कारखाने में पर्याप्त प्रगति न होने तक विस्तार का समयबाबत कार्यक्रम प्राप्त न कर पाने का कारण रुस से पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई में कमी नहीं अपितु भारत सरकार द्वारा पूरा सहयोग न देना है। यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री के० डी० मालवीय : रुस के आर्थिक परामर्श दाता ने प्रेस को जो कुछ बताया उसका पूरा विवरण मैंने दूसरी सभा में दिया था और उसे सभापटल पर रखने का भी प्रस्ताव किया था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो माननीय सदस्य के कथन से मेल खाती हो। उन्होंने सरकार

की ओर से सहयोग प्राप्त करने के प्रति कोई आपत्ति नहीं उठायी है। यह अवश्य कहा गया है कि कुछ तकनीकी विलम्बों के कारण विलम्ब हो सकता है और विषय पर दोनों ओर से विचार किया जा रहा है।

श्री कार्तिक उराव : सामान्यतया प्रत्येक इस्पात संयंत्र से तीन वर्ष के उत्पादन के पश्चात पूंजीपरिका पर 10 प्रतिशत लाभांश देने की आशा की जाती है। तकनीकी ज्ञान के कमी के तर्क पर हम विदेशी सहयोग को, उदाहरणार्थ ब्रिटेन से, जर्मनी से, रुस से निम्न आमंत्रित कर रहे हैं। हम घाटे में जाने की स्थिति में हैं। इन विदेशी सहयोगों को आमंत्रण उत्तम तकनीकी ज्ञान से अपने संरक्षण के लिये दे रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद भी कि बड़े इस्पात संयत्रों में बहुत बड़ा घाटा हो रहा है सरकार चुप क्यों है। इन इस्पात कारखानों के प्रबन्ध के प्रति निश्पक्ष भाव रखते हुय मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात की जांच कराये कि क्या ये कारखाने घाटे में चल रहे हैं।

श्री के० डी० मालवीय : इस्पात कारखानों के कार्य की जांच का कोई प्रश्न ही नही है क्योंकि हम इन कारखानों के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत हैं। यह सच है कि हमने अभी तक लाभांश का वितरण नही किया है। किसी भी इस्पात कारखाने में लाभ नही हुआ है क्योंकि प्रत क देश में आरम्भिक स्थिति की अवधि बहुत बड़ी होती है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में भी आरम्भ में लाभ नही हुआ। इस्पात उत्पादन कार्य मे लगे हमें अभी पांच, छः अथवा स वर्ष हुये हैं फिर भी हम निरन्तर प्रगति कर रहे हैं। कुछ इस्पात कारखानों में थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है परन्तु कुछ में लाभ नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुये यही कहां जा सकता है कि इस्पात कारखानों में प्रगति है और अभी हमें विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी है।

Shri Jharkhande Rai : In view of raising steel production the Government had proposed to set up, in cooperative or in Public Sector, a mini steel plant in Balia district of Uttar Pradesh. The site for the same was selected and the survey had been completed. May I know whether the plan has been postponed or and if not, by what time the Government Propose to start the said plant?

Mr. Speaker : You have asked a very specific question.

Shri K. D. Malaviya : I have no details regarding Balia mini Steel Plant but I have pointed out the difficulties that come in the way of setting up of new steel plants. I have said that unless we have additionat power and scrap resourcess there is a difficulty in setting up of new plants. There will be delay due to shortage of power and we are helpless in his regard.

Mining of Copper in Lalitpur District of U.P.

*168. **Dr. Govind Das Richariay:** With the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the latest progress in respect of digging copper mines in Mahroni Tehsil of Lalitpur District of U.P.;

(b) whether there is likelihood of finding deposits of other metals also in addition to copper ; if so, the names thereof; and

(c) the time by which the initial digging/test work is likely to be completed and since when regular mining is likely to start ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व तथा खनन निदेशालय द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप ललितपुर जिले में महरोनी तहसील के पिसनारी तथा सोनराई गांवोंके निकट अब तक निम्न ग्रेड के तांबा भण्डारों का पता चला है। विस्तृत मानचित्रण, भूकेदन भु-भौतिकीय तथा भू-रासायनिक सर्वेक्षणों के माध्यम से इस क्षेत्र में अन्वेषण का काम जारी है।

(ख) अब तक किए गए खोज-कार्यों से इस क्षेत्र में सीसा-जस्ता खनिजों की संभावना का पता भी चला है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस काम के 1976 तक पूरा हो जाने की आशा है। अब तक किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर उपर्युक्त भण्डारों की विस्तार से जांच की जा रही है और इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि इन भंडारों में धातु-खुदाई का काम शुरू किया जा सकता है अथवा नहीं।

Dr. Gobind Das Richhariya : I would like to know from the hon. Minister whether this work will be expedited by employing more people and scientists so that metals like copper or zinc could be utilized ?

Shri Sukhdev Prasad : So far as the question of employing more people is concerned, there are no two opinions about it. Geological Survey of India is working very efficiently. There are certain layers of soil on such deposits and it is very difficult to assess the exact percentage of deposits. Even then, Survey is in rapid progress and I hope that it will be completed by 1976.

पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना

*169. **श्री एस० एन० सिंह देव** †:

डा० सरदीश राय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में पश्चिम बंगाल राज्य में बिजली की कमी के कारण एक लाख श्रमिक बेरोजगार हो गये थे;

(ख) क्या राज्य की मिलों और कारखानों में ताला बन्दी जारी है और श्रमिकों को जबरन छुट्टी भेजा जा रहा है

(ग) यदि हां, तो राज्य में श्रमिक असन्तोष की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) इस संबंध में राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक सहमत हो गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण सदन की मज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अनन्तिम सूचना के अनुसार, कुछ समय पहले 1973 और 1974 (मई, 1974 तक) के वर्षों के दौरान मामलों की संख्या और बिजली की कमी के कारण जबरी छुट्टी पर भेजे गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में स्थिति इस प्रकार थी :—

वर्ष	मामलों की संख्या	जबरी छुट्टी पर भेजे गए व्यक्तियों की संख्या
1973(अ)*	122	5,53,799
1974(अ)* (मई, 1974 तक)	52	2,70,547

अ*=अनन्तिम

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर औद्योगिक संबंध तंत्र वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन आवश्यकतानुसार अनौपचारिक विचार-विमर्शों, संराधन, न्यायनिर्णयन या विवाचन के द्वारा श्रमिक अशांति से पैदा होने वाले काम-रोधों को कम करने के लिए प्रयास करता रहता है। बिजली के संकट से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार भी सभी संभव कदम उठाती रही है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायो, जिनकी घोषणा सिंचाई और बिजली मंत्री ने 28-2-1973 को बिजली संकट से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में लोक सभा में की थी, में निम्नलिखित शामिल थे :

(क) वर्तमान थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली का उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) मुख्य थर्मल स्टेशनों को कोयले के संभरण और परिवहन का सतत रूप से संचारेक्षण किया जा रहा है ताकि पर्याप्त आपूर्तियां सुनिश्चित हो जायं।

(ग) जिन थर्मल एककों की मरम्मत की जा रही है, उनके लिए अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

(घ) डीज़ल सेटों के "कैप्टिव" प्लोटों का निजी उद्योगों द्वारा संस्थापन करने दिया जा रहा है।

(ङ) विभिन्न बिजली उत्पादन योजनाओं को, जो निर्माण की उन्नत अवस्था में है; चालू करने में शीघ्रता की जा रही है।

(च) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं की प्रगति का ध्यान रखने और अड़चनों पर काबू पाने के लिए कार्यान्वियन सेलों की स्थापना करें।

श्री एस० एम० सिंह देव : प्रश्न के भाग (क) में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बिजली की कमी के कारण वर्ष 1973 तथा 1974 में कई मजदूरों की जबरी छुट्टी कर दी गई। अब भी राज्य में बिजली की कमी बनी हुई है और सरकारी प्रयत्नों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या सरकार ऐसे लोगों को तब तक रोजगार देने की कोई व्यवस्था करेगी जब तक बिजली का संकट समाप्त नहीं हो जाता ?

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मजदूरों के झगड़ों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण बहुत समय लगा देता है, क्या सरकार इन विवादो के शीघ्र हल की प्रणाली निकालेगी और वर्तमान व्यवस्था को इस प्रकार बनाएगी कि श्रमिक असंतोष को समाप्त किया जा सके ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य चाहते है कि जबरी छुट्टी किए गए लोगों को वैकल्पिक नौकरी दी जाए। वह जानते हैं कि यह एक अस्थायी मामला है। इन लोगों की बहुत थोडे समय के लिए जबरी छुट्टी की गई है। अतः उन्हे वैकल्पिक नौकरी देना सम्भव नहीं है। सरकार प्रयत्न कर रही हैं कि ऐसी कठिनाईयां उपस्थित न हों। राज्य में बिजली की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए की जा रही कार्यवाही के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है और वह राज्य को हर सम्भव सहायता देगी।

श्री एस० एन० सिंह देव : प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने इस दिशा में की जा रही कार्यवाही के बारे में बताया। बडे खेद की बात है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद सरकारी एककों में 50 प्रतिशत से कम काम होता है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र जैसे टाटा, हिंडालको आदि में 80-90 प्रतिशत काम होता है।

मंत्री महोदय ने विभिन्न कार्यवाहियों का उल्लेख किया। परन्तु मेरा निजी अनुभव है कि इन बिजली उत्पादन केन्द्रों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है और इसी कारण ये केन्द्र अधिकतम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों का रख रखाव भी संतोषजनक नहीं है, जिसके कारण कभी कभी रुकावटे आ जाती हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बालगोविंद वर्मा : प्रश्न जबरी छुट्टी के बारे में है न कि बिजली उत्पादन के बारे में।

श्री एस० एन० सिंह देव : प्रश्न श्रमिक असंतोष से सम्बन्धित है।

श्री बालगोविंद वर्मा : प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बन्धित है। उन्होंने हमें बताया है कि वह बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। इस मामले में यही कुछ कहा जा सकता है।

श्री एस० एन० सिंह देव : क्या वे स्वयं एक सप्ताह कलकत्ता में ठहर कर स्थिति का पता लगायेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह कलकत्ता में एक सप्ताह ठहर कर स्वयं देखेंगे कि वहां स्थिति कितनी कठिन है ?

श्री बालगोविंद वर्मा : इसके लिये वह अपना प्रश्न सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को सम्बोधित करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो संयुक्त दायित्व है।

श्री बालगोविंद वर्मा : संयुक्त जिम्मेवारी तो है। जैसाकि मने पहले ही कहा है हमने पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान राज्य में विद्युत प्रजनन में कमी की ओर दिलाया है और उन्होंने हमें बताया है कि वे स्थापित क्षमतानुसार विद्युत प्रजनन का सुनिश्चय करने के लिये हर सम्भव उपाय करेंगे। इस संबंध में वे भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे सभी निर्माणाधीन संयंत्रों की ओर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्युत-वितरण व्यवस्था को न्यायसंगत कर दिया है ताकि किसी क्षेत्र विशेष में सप्लाई की कमी न पड़े।

डा० सरदीश राय : प्रश्न का (ग) भाग राज्य में श्रमिक असन्तोष की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का जिक्र है अतः यह प्रश्न श्रमिक असन्तोष के बारे में है और मंत्री महोदय उत्तर से बचने के लिये हमें यूहीं टाल रहे हैं। विवरण से स्पष्ट है कि गत औसतन जबरन छुट्टियां 46,000 प्रतिमास रहीं जबकि इस वर्ष यह संख्या 54,000 प्रतिमास रही है। केवल अप्रैल मास में पटसन उद्योग में उत्पादन 112,000 टन से घटकर 78,000 टन रह गया अर्थात् लगभग 25 प्रतिशत कम हो गया केवल एक सप्ताह में ही तीस प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की जबरन छुट्टी हुई। गत मास ही बिजली की कमी के कारण हिन्दुस्थान मोटर्स में कर्मचारियों की जबरन छुट्टी हुई। अतः श्रम मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ताकि कर्मचारियों को बिजली के कमी के कारण, जोकि उसका अपना कसुर नहीं है, कम मजूरी न मिले ? मंत्री महोदय कहते हैं कि वह विद्युत वितरण को न्यायसंगत करने जा रहे हैं, ऐसा अभी तक किया नहीं गया है। भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत बिजली का शमन किया जा रहा है। एक प्रस्ताव यह भी है कि भविष्य में बिजली की कमी के कारण मजदूरों की एक सप्ताह में एक दिन की जबरन छुट्टी की जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय मजदूरों के हितों की रक्षा करेगा ताकि उन्हें अपनी मजूरी की हानि न हो ? विद्युत की कमी के फलस्वरूप जबरन छुट्टी के कारण गत पांच महीनों में मजदूरों की कितनी राशि की हानि हुई ?

श्री बालगोविंद वर्मा : मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को चुनौती नहीं देता हूं। यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण जबरन छुट्टी हुई हैं और इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और बार बार जबरन छुट्टी को रोकने के लिये उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम में ही संशोधन कर डाला है। अब यह अधिनियम सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कार्यवाही कर दी है। भारत सरकार भी इस तथ्य से परिचित है। इस बारे में वर्ष 1973 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ था और उन्होंने यह भी सिफारीश की थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाये और जबरन छुट्टी के मुआवजे को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत किया जाये। हम इस संबंध में कार्यवाही कर रहे है, यह मामला अभी विचाराधीन है। बिजली की कमी को दूर करना हमारे हाथ में नहीं है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बिजली की कमी न रहे।

डा० सरदीश राय : मजदूरों को कितनी धनराशि की हानि हुई ?

श्री बालगोविंद वर्मा : इस प्रश्न के उत्तर के लिये तो सूचना की जरूरत होगी।

श्रीमती माया रे : बिजली का मामला तो है परन्तु हम तो इसका मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय सभा को यह बतायेंगे कि वह श्रमिकों को आज की आत्मिक स्थिति में इस भयावह दशा से बचाने को लिये तुरन्त ही क्या उपाय कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें वही उत्तर दे दीजिये जो कि आपने इनके पति के पास भेजा है।

श्री बालगोविंद वर्मा : सरकार बारबार होने वाली जबरन छुट्टियों को रोकने के लिये प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया है। हम एक संशोधन द्वारा जबरन छुट्टी के मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर रहे हैं जैसाकि मैंने कहा है कि राज्य सरकार विद्युत प्रजनन को तेज करने के लिये और प्रत्येक बिजलीघर पर स्थापित क्षमतानुसार विद्युत-प्रजनन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एवम यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्माणाधीन नये संयंत्रों का कार्य ठीक ही पूरा हो, इन सबके लिये सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही है। श्रमिकों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिए भविष्य निधि की राशि से ऋण देना स्वीकार किया गया है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि जबरन छुट्टी करने को बाध्य मजदूरों की संख्या वर्ष 1973 में लगभग 46,000 से बढ़कर 1974 में लगभग 51,000 प्रतिमास हो गई, इस प्रकार स्थिति अधिक खराब हो गई। मंत्री महोदय ने इस संबंध में ठीक से उत्तर नहीं दिया है कि भारत सरकार का श्रम मंत्रालय इस प्रकार जबरन छुट्टियों को रोकने के लिये क्या कदम उठा रहा है। यह कहा गया है कि फरवारी, 1973 में कुछ कदम उठाये गये थे। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय बिजली की स्थिति में सुधार होने के विषय में कोई अध्ययन किया है ? जबरन छुट्टी को बाध्य मजदूरों को समय समय पर राहत देने से कुछ हल नही निकलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ऐसे क्या उपाय किये हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रति मास इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को जबरन छुट्टी न करनी पड़े ? क्या मंत्रालय ने विस्तार से इस स्थिति का अध्ययन किया है, और यदि नही तो इस समय सरकार और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इस प्रश्न के दो पहलू है—विद्युत प्रजनन तथा जबरन छुट्टी जो कि विद्युत प्रजनन में कमी के कारण होती हैं। प्रश्न यह है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जबरन छुट्टी के प्रभावों से मजदूरों को बचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं। कानून के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल सरकार ने यही उचित समझा है कि जबरन छुट्टी के दिन भी मजदूरो को समय समय पर राहत देने के लिये कानून बनाया जाये। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

3—23 L S S(ND)/74

अब ऐसे मामलों में, औद्योगिक विवाद अधिनियम में नियोक्ता के नियंत्रण से बाहर अनदेखी परिस्थितियों में जबरन छुट्टियों के लिये मुआवजा देने की व्यवस्था है। यह कोई अभूतपूर्व या नई बात नहीं है। परन्तु यह बड़े दुर्गाग्य की बात है विद्युत प्रजनन के ऐसे स्तर तक नहीं ले जाया जा सका जिससे कि पूरा रोजगार मिल पाता और जबरन छुट्टी न करनी पड़ती। जबरन छुट्टियां बिजली के उत्पादन मै कमी के कारण हो रही हैं। भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार दोनोंही इस मुसीबत से बचन के उपाय ढूंढने का भरसक उपाय कर रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : बनर्जी साहेब आप तो बंगाली नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं एक भारतीय हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। मैं पश्चिम बंगाल के सदस्यों को मौक दे रहा हूं। अब मुझे एकबार में ही बता दीजिये कि आप उत्तर प्रदेश के हैं या बंगाल के ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी पत्नी कलकत्ता में है।

श्री सोमनाथ चतर्जी : जहां तक उस हानि का संबंध है जो कि बिजली के प्रजनन में कमी के कारण हुई है तथा जिसके लिए कि स्वयं सरकार उत्तरदायी है तो भारत सरकार के विचार से इस हानि को कौन वहन करे-श्रमिक करे याकि उद्योग करे जो कि वस्तुत: आर्थिक दृष्टि यह हानि उठाने में ममर्थ है? यदि भारत सरकार की यही नीति है कि ऐसी हानियों को श्रमिक नही बाल्कि उद्योग वहन करे, तो इस संबंध में समुचित कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है ? यदि यही नीति है तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है सिंचाई तथा विद्युत मंत्री द्वारा लोकसभा में कही गई बात को दोहराने के अतिरिक्त क्या इस मंत्रालय का कोई कर्तव्य नहीं है कि वह श्रमिक संबंधी समस्याओं के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों से समन्वय स्थापित करे ताकि अन्य मंत्रालय की अकुशलता का इन मजदूर पर बुरा प्रभाव न पड़ने पाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक हानि को सहन करने के दायित्व की बात है वर्तमान कानून में कुछ परिस्थितियों में जबरन छुट्टी के लिये 50 प्रतिशत तक मुआवजा देने की व्यवस्था है। प्रश्न का शेष भाग विचार करने हेतु सुझाव रूप में हैं। प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में मैं कहुंगा कि भारत सरकार विद्युत प्रजनन को बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रही है। श्रम मंत्रालय ने निश्चय ही इस संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित किया है। समन्वय के बारे में माननीय सदस्य को कोई सन्देह नहीं होना चाहिये ?

चीन-भारत संबंध

*170. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटनीस स्मारक समिति के सदस्यों ने, जिन्होंने हाल ही में चीन की यात्रा की थी सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है अथवा भारत चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के बारे, में चीन के लोगों और वहां की सरकार के विचारों के बारे में अपने मत व्यक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) उस बार में सरकार के क्या विचार हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) गैर सरकारी यात्रा होने के कारण सरकार को कोटनिस स्मारक समिति के सदस्यों द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं थी। लेकिन अलग अलग सदस्यों ने स्वर्गीय डा० कोटनिस की स्मृति तथा भारतीय जनता के प्रति चीनी जनता द्वारा प्रदर्शित मैत्री-भाव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

(ग) ऐसे मैत्री-प्रदशन का स्वागत है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने कहा है कि सदस्यों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर दिये हैं। केवल एक ही संसदसदस्य राज्य सभा के सदस्य डा० व्यास इस दल में थे। मैं नहीं जानता कि सरकार ने चीन की यात्रा के दौरान उनके विचार जानने के लिये उनसे सम्पर्क क्यों नहीं किया?

तथापि यह अच्छी बात है कि हम चीन के साथ मित्रता करने के संबंध में कोई अत्याधिक उत्साहपूर्ण रवैया प्रदशित नहीं करना चाहते और न ही चीन की उपेक्षा करना चाहते हैं। क्या यह सच है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को अत्यन्त उत्साहपूर्ण रूप में दिये गये वायदे और रूस विरोधी प्रचार और इसी संदर्भ में भारत-सोवियत मैत्री को बढ़ने से चीन में उत्पन्न भय-क्या यही दो कारण है जिनके आधार पर चीन भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण रवैया अपनाये हुआ है और क्या चीन ने हमारे देश द्वारा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक अथवा अन्य मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़ने के प्रस्तावों के प्रति कोई स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति की है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पहली बात तो यह है कि चीन का भारत के प्रति मूल रवैया पहले जसा ही है इसमें कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत के साथ सांस्कृतिक तथा अन्य संबंध बनाने की दिशा में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। तथापि हमें आज प्रातः यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उनकी पिंग पांग की टीम अगले वर्ष भारत में होनेवाली विश्वप्रतियोगिता में भाग लेने आ रही है। भारत के साथ संबंधों को सामान्य न बताने के जो अन्य कारण हैं उन में से सभी बातें भारत के प्रति अपनी नीति बनाने में उनके लिये महत्वपूर्ण हैं।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि तन्जानिया, सैनेगल तथा गिनी विसाउ के राष्ट्रपति चीन का दोरा करने के पश्चात भारत आये और उन्होंने प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री से बातचीत कर ली, और हाल ही में मलेशिया के प्रधान मंत्री ने चीन का दौरा करने के पश्चात चीन के बारे में अपनी विचार धारा का ब्यौरा देने के लिये अपना एक बूत भारत भेजा था, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों भारत के प्रति चीन की आधारभूत नीति का कोई अनुमान लगाया है और उस देश द्वारा भारत के प्रति निरन्तर अमैत्री का रवैया अपनाने के कारणों का पता लगाया है?

अध्यक्ष महोदय : कोटनीस स्मारक समिति संबंधी प्रश्न से इस का क्या संबंध है?

श्री समर गुह : प्रश्न तो भारत तथा चीन के बीच मैत्री के संबंध बनाने के बारे में ह। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी राजनयिक स्त्रोत से जिनका मैंने जिक्र किया है कोई संकेत मिला है कि चीन को भारत के प्रति क्या नीति है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं कह चुका हूं कि भारत के प्रति चीन की नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है?

भविष्य निधि प्रशासन में सुधार

*172. **श्री धामनकर :**

श्री वसंत साठे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि प्रशासन में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इसका कार्यकरण अधिक प्रभावी एवं कुशल हो सके ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या भविष्य निधि के निदेश संबंधी निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त पुराने पड़ गये हैं और भविष्य निधि का अधिक लाभदायक प्रयोजन हेतु निवेश करने के लिए इनका पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) सदस्यों को बेहतर सेवा देने की दृष्टि से संगठन प्रक्रियाओं और प्रवर्तन संबंधी दक्षता की सतत रूप से पुनरीक्षक कर रहा है।

(ख) संगठन द्वारा किए गए या किए जा रहे महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(i) इस बात का पता लगाने के लिये कि कहाँ-कहाँ सुधार किए जा सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(ii) दावों के निपटान, अग्रिमों की स्वीकृति आदि में हुए विलम्ब के बारे में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय कार्यालय में उपचार अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(iii) बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत वापस न किए जाने वाले अग्रिमों की स्वीकृत से संबंधित उपबन्धो के सरलीकरण की सिफारिश की है।

(iv) सदस्यों को लेखों के वार्षिक विवरण शीघ्रता से देने के लिए नियोजकों के सहयोग से एक समुचित योजना उद्भूत करने का प्रस्ताव है।

(v) प्रधान कार्यालय में एक आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक स्थापित करने और उसे कार्य पद्धतियों को दोष रहित बनाने, प्रपत्र के सरलीकरण आदि का कार्य देने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भविष्य निधि को धन राशियों के निवेश के पैटर्न का, अंशदाताओं के लिए बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने हेतु, जो कि निवेश की गई निधियों की सुरक्षा के अनुरुप हो, आवधिक रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

श्री धामनकर : क्या यह सच है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ते तथा बढ़ी हुई मजूरी में से अनिवार्य रूप से जमा कराई जाने वाली धनराशि का लेखा-जोखा भविष्य निधि प्रशासन रखेगा और इस प्रकार इसपर काम का अधिक भार पड़ेगा। तो क्या सरकार भविष्य निधि व्यवस्था का अधिक युक्तिसंगत करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आप इस प्रश्न से समझे हैं आप उत्तर दें दे क्योंकि अब अधिक समय नहीं रह गया है।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इस पर सरकार विचार कर रही है। इस कार्य को भविष्य निधि संगठन को सौंपने के बारे में विचार किया जा रहा है और कार्य को अधिक कुशलता के लिए युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता पडी तो हम अवश्य ही ऐसा करेंगे।

श्री वसंत साठे : मैं तो यही जानना चाहूंगा कि क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा और व्यापक क्षेत्र है और लम्बी दूरी का हिसाब लगाने में कठिनाई तथा खर्च होता है क्या वह नागपुर जैसे स्थानों को उपक्षेत्रीय केन्द्र बनाने का विचार करेंगे ताकि मजदूरों के दावों तथा उनकी शिकायतों का वहीं पर सुगमता से निपटान किया जा सके? अब उनको काफी दूर 500 मील तक जाना पड़ता है। मैं इस मामले के बारें में अनेक वर्षों से कह रहा हूँ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य के कथन मे काफी जोर है। इस मामले की जांच की जा रही है।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए विश्राम गृह और उनके बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां

*141. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) स्वतंत्रता सेनानियों के लिये विश्राम गृहों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार ने उन वृद्ध तथा दुर्बल स्वतंत्रता सेनानियों के लिये, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, 2 गृह स्थापित करने का निर्णय किया है। ये गृह स्थापित होने तक दिल्ली में लगभग 25 स्वतंत्रता सेनानियों के लिये अस्थायी गृह स्थापित करने का विचार है। उपर्युक्त आवास प्राप्ति होने तथा अन्य प्रशासन प्रबन्ध पूरे हो जाने के बाद अस्थायी गृह में प्रवेश के लिये पद्धति को अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ग) और (घ) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के निम्न आय के वर्गों (माता पिता की आय 300 रुपये मासिक से अधिक न हो) के बच्चों के लिये 1959–60 से 1973–74 तक छात्र-वृत्तियां तथा अन्य शैक्षणिक सुविधायें देने की एक योजना चलाई थी। पात्र बालकों को निशुल्कत होस्टलों में निःशुल्क सीटों और सीमित संख्या में छात्रवृत्तियों तथा स्कूल तथा कालिज स्तर पर पुस्तक अनुदानों के रूप में रियायत दी गई थी। राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने योजना

की व्यवस्था को थी। केन्द्रीय सरकार ने व्यय के 50 प्रतिशत के तुल्य अनुदान दिया था पर अलग अलग राज्यों के लिए सीमा निर्धारित की थी। योजना का 1-4-74 से विकेन्द्रीकरण कर दिया गया तथा राज्यों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है।

अखबारी कागज का संकट बन रहना

*142. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 को उन्होंने एक सम्वाददाता सम्मेलन में यह बताया था कि अखबारी कागज का संकट बना रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) अखबारी कागज की अनुपलब्धता के कारण, राज्य वार, कितने छोटे अखबार अब तक बन्द हो चुके हैं ; और

(घ) छोटे एवं मध्यम दर्जे के अखबार मालिकों को अखबारी कागज के संकट का सामना करने में सहायता देने हेतु क्या दीर्घावधि और अल्पावधि उपाय किये जा रहे हैं और अखबारी कागज के संकट के कब तक दूर होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1974-75 के लिए अखबारी कागज आवण्टन नीति को घोषित करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री ने एक सम्वाददाता सम्मेलन बुलाया था।

(ख) घोषित अखबारी कागज आवण्टन नीति की एक प्रति 24 जुलाई, 1974 को सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(ग) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, अखबारी कागज की कमी के कारण कोई छोटा समाचार पत्र बन्द नहीं हुआ है, परन्तु कुछ पत्रों का थोड़े समय के लिए प्रकाशन न होने की सूचना मिली है।

(घ) विदेशों से अखबारी कागज प्राप्त करने तथा देश में कागज अधिक बनाने के लिए सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। देश में अखबारी कागज का नया प्लांट स्थापित करने के प्रयत्न भी जारी हैं।

चार नदी बेसिन आयोगों का गठन

*143. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चार नदी बेसिन आयोग गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये आयोग किन स्थानों पर गठित किए जाएंगे ; और

(ग) इन आयोगों के कृत्य क्या होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) सिंचाई आयोग ने प्रारंभ में चार नदी बेसिन आयोगों की स्थापना करने की सिफारिश की है। इस पर विचार किया जा रहा है।

संतालडीह बिजली घर में दोष पाया जाना

*144. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में संतालडीह बिजली घर में बहुत से दोष पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे दोष किस प्रकार के हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) संतालडीह ताप-विद्युत् केन्द्र में 120 मै० वा० की प्रथम यूनिट चालू करने के उपरांत प्रचालन संबंधी कई समस्याएँ सामने आई और उनको हल किया गया। ये वे कठिनाइयाँ थी जिनका सामना किसी भी नई यूनिट को प्रायः शुरु में करना पड़ता है। बहरहाल, बायलर पोषक पम्पों में अभिकल्प संबंधी एक और अधिक गम्भीर त्रुटि का भी पता लगा था। इस त्रुटि के कारण केन्द्र अपनी पूर्ण क्षमता में विद्युत् का उत्पादन नहीं कर सका है। इस त्रुटि को दूर किया जा रहा है और इस कार्य के लगभग 2 माहे से पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

विद्युत् की अन्तर्राज्यीय बिक्री की दरें निर्धारित करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

*145. **श्री नरेन्द्र सिंह** :

[श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत् की अन्तर्राज्यीय बिक्री की दरें निर्धारित करने के लिए राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बताए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हाँ।

(ख) विद्युत् मितव्ययिता समिति की सिफारिशों और उन पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा राज्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के आधार पर वे सिद्धान्त राज्यों को सूचित कर दिये गये हैं जिन पर अंतर्राज्यीय टैरिफ तय किए जा सकते हैं। ये बिजली के अंतर्राज्यीय विक्रय हेतु दरों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन करते हैं :—

(1) स्थायी सप्लाई – दीर्घ कालीन।
(2) स्थायी सप्लाई – लघु कालीन।
(3) मितव्ययी अंतः–परिवर्तन।
(4) अपातकालिन अंतः–परिवर्तन।
(5) अनेभिप्रत अंतः– परिवर्तन।
(6) स्पिनिंग रिजर्व की लागत।
(7) आवृत्ति नियमन सर्वेक्षण।
(8) सहभागिता समझौते।

Scheme for broadcasting talks on rural industrialization

***146. Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be plesed to state :

(a) whether Government propose to introduce a scheme for broadcasting talks on information relating to rural industrialisation on the lines of talks already bracastfrom A.I.R. on subjects relating to agriculture so as to encourage rural industrialization ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be done ?

The Minister of Information and Broadcasting Shri I. K. Gujral : (a) and (b) All India Radio is already broadcasting programmes from 19 of its stations , on small-scale, cottage and agro-industries for the benefit of rural and semi-urban entrepreneurs and artisans.

Electrification of Villages in Rajasthan in Fifth Plan

***147. Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the additional number of villages in Rajasthan proposed to be electrifie during the Fifth Five Year Plan ;

(b) the number of villages in Rajsthan which will be electrified during the first year of the fifth Five Year Plan ; and

(c) whether some of the villages in the District of Pali will be electrified during the first year of the Plan and if so, the names thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a) The tentative V Plan proposal is to electrify 6,000 villages.

(b) It is proposed to electrify 1,000 villages during 1974-75.

(c) The Rajasthan State Electricity Board proposes to electrify 40 villages in Pali district during 1974-75. A statement giving the names of the villages is laid on the Table of the House.

Statement

Names of the villages proposed to be electrified in Pali District (Rajasthan) during 1974-75.

Sl. No.	*Name of Village*
1	Kanawas
2	Malpuria Khurd
3	Malpuria Kalan
4	Basni Surayata
5	Khamal
6	Basni Anant
7	Bijpur
8	Morawas
9	Sandarda
10	Moothan
11	Basni Narseeng
12	Seesarwada
13	Chetariya
14	Parchura Khurd

Sl. No.	*Name of village*
15	Roondiya
16	Nethal Kundi
17	Udeshi Kuwan
18	Dornari
19	Karmawas
20	Murdawa
21	Gura Bachraj
22	Peeplad
23	Sarangwas
24	Hariyamali
25	Gura Kallan
26	Gura Chutran
27	Gura Ramsingh
28	Ker Khara
29	Gura Bhadawatan
30	Gura Shama
31	Khera Nabra
32	Ehotnda Lombodi
33	Heerawas
34	Kelwad
35	Doli Rullan
36	Ladpura
37	Gura Beejan
38	Raira Kalan and Khurd
39	Singpura
40	Gojnai.

इन्दिरा ब्रिगेड पर प्रतिबन्ध

*148. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस सहित विभिन्न पक्षों द्वारा यह मांग की गई है कि देश भर में और विशेष कर बिहार में इंदिरा ब्रिगेड पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) सरकार के पास इस संकेत की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इन्दिरा ब्रिगेड के नाम से अखिल भारतीय चरित्र का कोई स्वैच्छिक संगठन है। किन्तु इस नाम से देश के कुछ भागों में कार्य कर रहे कुछ निजी स्वैच्छिक संगठन ध्यान में आये हैं। सरकार कुछ क्षेत्रों में दिये गये सुझावों को उन रिपोर्टों से अवगत है कि ऐसे संगठनों की गतिविधियां दबा दी जाय अथवा उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। जबकि कानून ऐसे संगठनों के कार्य करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है, किन्तु इन संगठनों के ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कानूनी उपबन्ध हैं जो लोक शान्ति तथा व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त है।

विद्युत् संयंत्रों का पुनर्गठन करने तथा उनमें सुधार करने की योजना बनाना

*149. **श्री एस० आर० दामणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों का पुनर्गठन करने तथा कार्य-कुशलता मे सुधार करने के लिए एक योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या केन्द्र और राज्यों में इन संयंत्र में उत्पन्न बिजली के पूरे उपयोग और आपस में उचित वितरण के बारे में कोई समझौता हो गया है और यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विद्युत उद्योग के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं ताकि विद्युत संयंत्रों की प्रचालन-दक्षता तथा नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किये जा सके। इस स्कीम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) बिजली बोर्ड का सुदृढ़ीकरण तथा उनकी प्रबंध-सुयोग्यता में सुधार करना। बिजली बोर्ड के सदस्यो के व्यावसायिक होने तक कार्य-निष्पादन के अनुसार बोर्डों का संगठन करने के सुझाव दिए गए ।

(2) विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा विद्युत उत्पादन के लिए अधिक विशेषज्ञता लाने तथा प्रबंधकों में उत्साह जगाने के उद्देश्य से, दो पृथक संगठन बनाकर, निर्माण तथा उत्पादन को वितरण से अलग करना।

(3) उत्पादन केन्द्रों में नियुक्त तकनीकी कार्मिकों के काडर को विद्युत्-वितरण प्रणाली में लगे कार्मिकों से पृथक करके, राज्य बिजली बोर्डो के में कार्योमे सुधार करना अपेक्षित है। बिजली बोर्डों की प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि तथा सुधार करने तथा सामग्री की व्यवस्था में आधुनिक तकनीकों को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

(4) तापीय केन्द्रों को कोयले की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कोयला खानों के साथ सम्पर्क की उत्तम व्यवस्था के साथ कोटि नियंत्रण की स्कीम को लागू किया जाना है।

(5) संयंत्रों तथा उपस्कर की मरम्मत और नवीकरण के लिए संगठित प्रयत्न किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में "सेवा तथा कल पुर्जे यूनिट" की स्थापना की गई है।

(6) राज्य लोड़ की मांग में घट-बढ़ को कम करने के प्रयास करेंगे, ताकि पीकिंग आवश्यकताओं को कम किया जा सके, जिससे तापीय केन्द्र उच्च लोड़ फैक्टर पर कार्य कर सकें। अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण-कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। तथा विद्युत् के अंतर्राज्यीय विक्रम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(7) उत्पादन तथा पारेषण दोनों के लिए तीन-चरण निदेशन प्रणाली लागू की जा रही है ताकि प्रबंध संबंधी निर्णय समय पर लेने में सहायता दी जा सके तथा आवश्यक सुधार लागू किए जा सकें।

(ख) ताप केन्द्रों के उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य रखने तथा प्रतिष्ठापित क्षमता के 6000 यूनिट / कि० वा० उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्ति के उपायों में से एक उपाय, कमी वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत् का अन्तर्राज्यीय पारेषण होगा। विद्युत के राशन तथा प्राथमिकता प्राप्त समुपयोजनों के लिए उसके आबंटन करने के संबंध में केन्द्र द्वारा जारी किए गए मार्ग निदेश सिद्धान्त सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं। राज्यों के मध्य पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण सहायता गा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को, जोकि प्रत्येक क्षेत्र मे प्रणाली के समेकित प्रचालन के लिए उत्तरदायी हैं, सुदृढ़ किया जाएगा तथा क्षेत्रीय लोड़-प्रेषण सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

लुधियाना में सीमेंट की कमी और चोरबाजारी

*150. **श्री भान सिंह भौरा :** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लुधियाना में सीमेंट की एक बोरी 30 रुपये में बिक रही है जब कि इसका नियन्त्रित मूल्य 13 रुपये प्रति बोरी हैं ; और

(ख) सीमेंट की सप्लाई और इसकी नियन्त्रित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उत्पादनसंबंधी विभिन्न बाधाओं, जैसे बिजली की कटौती कोयला तथा बन्द वैगनों आदि की अपर्याप्त उपलब्धि, जो उद्योग के नियंत्रण से बाहर हैं, के परिणामस्वरुप सीमेंट की वर्तमान उपलब्धि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: पंजाब में सीमेंट की कमी, देश भर में सीमेंट की समग्र रूप से व्याप्त कमी का भाग है सरकार को भाव, जिसपर सरकार द्वारा नियत मुल्य स्तर से अधिक भाव पर किसी खास शहर में सीमेंट बेचा जाता है, के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, और यह असंभव नहीं है कि कुछ असामाजिक तत्व स्थिति का नाजायज लाभ उठा रहे हों।

सरकार द्वारा नियत मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध कराने के विचार से, सभी राज्य सरकारों को परमिट / लाइसेंस देकर सीमेंट की विक्री का नियमन करने के बारे में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए कहा गया था। पंजाब सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी कर दिया है परन्तु हाल ही में 31 मई, 1974 से 31 जुलाई, 1974 तक दो महीने की अवधि के लिए प्रायोगिक अभ्युपाय के रूप में विक्रेताओं द्वारा प्राप्त आपूर्ति की 50 प्रतिशत मात्रा का वितरण करने के बारे में नियंत्रण को ढीला कर दिया है। फिर भी, सीमेंट के विक्री मूल्य पर नियंत्रण लागू है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन, राज्य सरकारों को अनैतिक व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्वो के साथ निपटने के लिए उपयुक्त अधिकार प्राप्त हैं।

सीमेंट को उपलब्ध मात्रा का समान रूप से वितरण करने हेतु, प्रत्येक राज्य के लिए उनके पिछले पांच वर्षों की औसत खपत के आधार पर 1 जुलाई, 1973 से 30 जन, 1974 तक की अवधि के लिए कोटि निर्धारित किये गये थे। ये कोटे केन्द्रीय सरकार के निर्माण कार्यों और बड़े एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं के अलावा हैं जिन्हे केन्द्र द्वारा अलग से पूरा किया जाता है। नियत भारी कोटों नें से सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए भी कुछ विशिष्ट मात्रा निर्धारित की गई है। आगामी तिमाही की अवधि में कारखानों से सीमेंट की सम्भावित उपलब्धि के आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिए आबंटन किया जाता है।

केशोराम सीमेंट इण्डस्ट्रीज का विस्तार

*151. **श्री भोगेन्द्र झा :** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धकात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की गम्भीर आपत्तियों के बावजूद केशोराम सीमेंट इन्डस्ट्रीज की विस्तार परियोजना के लिये धन देने की बिड़ला बन्धुओं को योजना को स्वीकृति दे दी हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मे० केसोराम सीमेंट को राजस्थान के सीकर जिले में पाटन में 3 लाख सी० टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट संयत्र लगाने के लिये 6 मार्च 1974 को एक आशय पत्र स्वीकार किया गया था। एकाधिकार प्रतिद्वनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग (एम०आर० टी० पी० आयोग) ने एस प्रस्ताव पर एतराज नही किया है अपितु इसे प्रशंसनीय माना है क्योंकि देश में सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त क्षमता आवश्यक है तथा संयत्र उत्तरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह इस क्षेत्र के लिये जिसमें सीमेंट की भारी कमी रहती है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। पिछड़े जिले में उपक्रम की प्रस्तावित स्थापना से उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल का सदुपयोग हो सकेगा, अनुन्नत क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को कम करने में इससे उल्लेखनीय सहायता मिलेगी। जैसा कि आयोग का विचार है परियोजना की पूंजीगत आवश्यकता पूरी करने के लिये आन्तरिक रूप से लगाई जाने वाली धन-राशि का आकलन भविष्य की लाभ सीमा के अवास्तविक और आशावादी अनुमानों के आधार पर किया गया था अत: आयोग की राय है कि आवश्यक राशि का कम से कम एक भाग सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को नई इक्विटी जारी करके पूरी किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार आयोग ने प्रस्ताव को योजना में निवेश संम्वधी कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लेने की सिफारिश की है।

चूंकि शर्तें पार्टी को स्वीकार्य नहीं थी और उसका विश्वास था कि परियोजना की समुची लागत की राशि की व्यवस्था अपने आन्तरिक साधनों से कर सकेगी। अत: ऊपर बताये गये परिप्रेक्षा में योजना को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिये जाने का निश्चय किया गया कि प्रार्थी कम्पनी 3 वर्षों की अवधि में अपनी आन्तरिक अर्थ व्यवस्था परियोजना को पूर्ण रुपेण कार्यान्वित करेंगी। ऐसा न कर सकने की स्थिति में किसी भी शर्त पर ऋण लेने के पहले वित्त की संशोधित योजना के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा और उस स्थिति में सरकार एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा, सुझाई गई शर्तों को लागू करेंगी। आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति 23 अप्रैल, 1974 को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

तकनीकी जानकारी के लिए करार

*152. **श्री सरजू पांडे :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'अंकटाड" के अध्ययन के अनुसार गरीब देश विकसित देशों में तकनीकी जानकारी का आयात करके अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं ;

(ख) विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जनवरी, 1973 से जुलाई 1974 तक कितने करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ग) ऐसी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने वाली भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार को अंकटाड सचिवालय द्वारा किए गए 'मेजर ईशूज एराइजिंग फ्राम द ट्रांसफर आफ टैक्नोलॉजी टु डेवलपिंग कंट्रीज' शीर्षक अध्ययन के बारे में पता है जिसमें उचित और उपयुक्त शर्तों पर प्रोद्योगिकी प्राप्त करने में विकासशील देशों को जिन समस्याओं का सामना करना पडता है उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर संस्थागत प्रबंधों एवं नीति संबंधी कार्यवाही करने के बारे में सुझाव दिया गया है।

(ख) जनवरी, 1973 से 30 जुन, 1974 की अवधि में सरकार ने विदेशी सहयोग के 491 विदेशी सहयोग प्रस्तावों के लिए सहमति दी थी। इनमें से 70 प्रस्तावों में विदेशी इक्विटी पुंजी साझेदारी सम्मिलित थी। इन स्वीकृतियों के देशवार आंकडे विवरण में दिए हुए हैं।

(ग) 30 जून, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि में सरकार द्वारा विदेशी सहयोग के लिए सहमत प्रस्तावों के तिमाही विवरण संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसमें भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोग का नाम, निर्माण की जाने वाली वस्तुएं और क्या सहयोग में विदेशी पुंजी की साझेदारी भी होगी आदि जानकारी दी गई है।

विवरण

वर्ष 1973-74 (जनवरी से जून) में प्राप्त विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की सहमति के देशवार आंकड़े बताने वाला विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	1973–74 (जनवरी से जून) योग	वित्तीय
1	आस्ट्रेलिया	2	..
2	आस्ट्रिया	2	..
3	बेल्जियम	5	
4	कनाडा	3	
5	चेकोस्लोवाकिया	10	
6	डेनमार्क	3	..
7	फ्रांस	27	4
8	फिनलैंड	1	
9	जी० डी० आर०	5	..
10	जर्मनी का संघीय गणराज्य	108	14
11	हंगरी	2	..
12	हालैंड/नीदरलैंड	3	2
13	इटली	15	2
14	जापान	62	7
15	नार्वे	1	
16	पौलण्ड	1	..
17	स्वीडन	14	1
18	स्विटजरलैण्ड	30	6
19	यू० के०	84	7
20	यू० एस० ए०	101	25
21	यू० एस० एस० आर०	1	..
22	यूगोस्लाविया	1	..
23	अन्य	10	..
	योग	491	70

आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमांकन

*153. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर जिले की सीमा के साथ आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमांकन कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या अरुणाचल प्रदेश ने डिकरांग नदी के पश्चिम में स्थित लखीमपुर जिले में कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है जो परम्परागत रूप से आसाम के लोगों के अधिकार में रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) असम के जिला दारंग तथा अरुणाचल प्रदेश के जिला कामेंग की सीमा के साथ लगने वाले तारासों क्षेत्र में 27.3 किलोमीटर से अधिक एक भूभाग को छोडकर असम के जिले दारंग तथा लखीमपुर और अरुणाचल प्रदेश के जिले कामेंड तथा सुबनसिरि से उस स्थान तक जहां सीमा गांव दोइमुख ने नजदीक दिक ग नदी को पार करती है, 270.5 किलोमीटर का सीमांकन कार्य पूरा हो गया है। जिला लखीमपुर के साथ की शेष सीमा का सीमांकन कार्य अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जमीदारों द्वारा हरिजनों को परेशान किया जाना

*154. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दिनों में जमींदारों द्वारा हरिजनो और उनकी बस्तियों पर हमले अथवा उन्हें परेशान किये जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं ;

(ख) अप्रैल, 1974 से जुलाई, 1974 तक हरिजनों पर कितनी बार हमले किये गये ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जमीदारों के एक दल ने 4 जुलाई 1974 को कुड्डापा जिले में एक हरिजन बस्ती में आग लगा दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने जमींदारो को सजा देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री उमशंकर दीक्षित): (क) से (घ) हरिजनों को तंग करने की हाल की घटनाओं के झुकाव के बारे में राज्यों से मांगी गई सूचना, अभी आनी है। हरियाणा, पंजाब तथा पांडिचेरी से अप्रैल से जून, 1974 तक प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

हरियाणा	आक्रमण के 4 मामले
पंजाब	आक्रमण के 2 मामले
पांडिचेरी . .	तंग करने के 6 साधारण मामले

अन्य राज्यों की सूचना अभी आनी है

2. आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुड्डापा जिले के रामनपल्ली गांव के के हरिजनों तथा रयतों में कृषि मजदूरी के बाबत झगडे के कारण बताया जाता है कि 4 जुलाई, 1974 को एक रेयोत ने दो हरिजनों को पीटा है। जब गांव के हरिजनों ने आक्रमण के बारे में रैयोत से पूछा तो रेयोत ने अपने आदमी, जो लगभग 500 की संख्या में थे एकत्रित किए जो लाठियो, कुल्हाडे इत्यादि लिए लैस थे और कुछ महिलाओं समेत कुछ व्यक्तियों पर आक्रमण किया और हरिजनवाडा में पथराव किया तथा हरिजनों की 98 झोपड़ियो को आग लगा दी। परन्तु उसमें किसी मनुष्य अथवा जानवर की मृत्यु नहीं हुई थी। 25 घायल व्यक्तियों को चिकित्सा के लिए भेजा गया था तथा सभी को डिसचार्ज कर दिया था। कुड्डापा नगरीय क्षेत्र के चेन्नूर पुलिस थाने में 69 व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था और जांच हो रही है। 40 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष अभियुक्त को गिरफ्तार करने के प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। हरिजनों में विश्वास पैदा करने तथा विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए गांव में पुलिस बल नियुक्त किया गया है। बताया जाता है कि गांव की स्थिति शांतिपूर्ण है।

ब्रह्मपुत्र में बाढ

*155. **श्री वरके जार्ज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई, 1974 के एक अंग्रेजी समाचारपत्र के अनुसार सम्पूर्ण आसाम राज्य में ब्रम्हपुत्र नदी के जल का स्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर पहुंच जाने के कारण लगभग एक लाख व्यक्ति बेघर हो गए हैं और सैकडों मवेशी मर गए हैं ;

(ख) क्या अनेक पुल बह गए हैं और बहुत सी भत्तियो (डाईक) और तटबंधों में दरारें पडने के परिणामस्वरूप खेती वाली भूमि को भारी क्षति पहुंची है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उस राज्य में लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ; और

(घ) सरकार ने धन तथा चिकित्सा संबंधी कितनी सहायता दी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) असम की राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, जून के दौरान असम की नदियों में आई बाढ़ों से 14,800 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 600 पशु मारे गए। 9.8 लाख जनसंख्या तथा 72000 हेक्टर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ। ब्रम्हपुत्र और इसकी सहायक नदियां में आई बाढ़ो के कारण हुई क्षीत के अलग आंकड़ों की सूचना राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

ब्रम्हपुत्र ओर इसकी सहायक नदियां की बाढ़ों से सुरक्षात्मक तटबंधों में 18 दरारें पड़ गई। 15 अर्ध–स्थायी सड़क पुल बह गए।

(ग) असम की राज्य सरकार ने, जो ब्रम्हपुत्र और इसकी सहायक नदियों पर बाढ़–नियंत्रण संबंधी उपायों के आयोजन और कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार है, चौथी योजना के अन्त तक की योजनाओ के दौरान 3000 किलोमीटर तटबंधो और 44 नगर बचाव स्कीमों को कार्यान्वित किया है। इनके द्वारा लगभग 7 लाख हैक्टर बाढ़–प्रवण क्षेत्र की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हुई है। ऐसे उपाय असुरक्षित क्षेत्रों में धन की उपलब्धता के अनुसार जारी रखे जा रहे हैं। पगलादिया पर एक डिटेन्शन बांध के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई हैं। ब्रम्हपुत्र बेसिन में मानस, सुबनसिरी तथा दिहांग नदियो पर संचयन जलाशयों के निर्माण के बारे में राज्य सरकार के ब्रम्हपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किए गए हैं।

ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ सहायक नदियों की बाढ़ो के संबंध में पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान यूनिट पिछले पांच वर्षों के दौरान गौहाटी में कार्य कर रहा है। ये पूर्वानुमान राज्य के प्राधिकारियो को भेजे जाते हैं, जो इनका उपयोग बाढ़ों से प्रभावित होने वाले लोगो को सावधान करने तथा बचाव और राहत कार्यों की व्यवस्था करने के लिए भी करते हैं। यह यूनिट पांचवीं योजना के दौरान भी बनाए रखा जाएगा।

(घ) बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत संबंधी उपाय राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। असम राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो के लिए अबतक 8.23 लाख रुपये की धनराशि मुक्त सहायता के रूप में तथा 73,000 रुपये जाँच-सहायता के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा बाढ़-प्रभावित क्षेत्रो में पौंध लगाने के लिए, बाढ़ से प्रभावित होने वाले किसानो में वितरण हेतु 4 लाख रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

पांचवी योजना में केंद्र-प्रायोजित योजनाएं

*156. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजनावधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 70 योजनाओं को शुरु करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र प्रायोजित इन योजनाओ का राज्यवार नियतन क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की अन्तिम सूची तथा तभी प्राप्त होगी जब पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों की गिरफ्तारियां

*157 **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महिनो में अब तक देश के विभिन्न भागों में जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वाले कितने व्यक्ति भारत रक्षा नियमों तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति रिहा किये गये अथवा जमानत पर छोडे गये; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) उड़ीसा, हरयाणा तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-4-74 से 30-6-74 तक की तीन मास की अवधि के दौरान भारत रक्षा नियम के अधीन 89 व्यक्ति और अन्य अधिनियमों के अधीन 464 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जबकि अन्दमान तथा निकोबार और दादरा तथा नागर हवेली. लक्षद्वीप अरूणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोराम संघ राज्य क्षेत्रों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। गिरफ्तार व्यक्तियों में से 366 व्यक्तियों को कानून के उपबन्धों के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया था। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रो से सूचना आनी है।

औद्योगिक प्रगति की दर

*158. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आशा है कि गत वर्ष की तुलना में चालु वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति दर में वृद्धि होगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि अनेक कारणो के संबंध में कार्य अनिश्चियतता फिर भी, आशा की जाती है कि इस वर्ष कोयले के उत्पादन और विद्युत जनित्रण में सुधार होगा और मांग के अनुपात में इस्पात (आयातित तथा देशी दोनो) की कुल उपलब्धि की स्थिति भी सुधारेगी। कृषि पर आधारित कच्चे माल की आपूर्ति में प्रत्याशित सुधार हो जाने की स्थिति को मिलाकर उपर्युक्त कारणो से चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में अधिक वृद्धि होनी चाहिए।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और परियोजनाओ का प्रबोधन करने रेल द्वारा लाने-लेजाने, कोयले का उत्पादन करने तथा बिजली जनित्र करने, दुर्लभ कच्चे माल (जैसे भट्टी का तेल) के युक्ति संगत आवंटन का सुनिश्चय करने औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों पर विचार करने की प्रणाली को सुप्रवाही बनाने, पूंजीगत माल का आयात करने और विदेशी सहयोग की शर्तों को स्वीकृति देने जैसे अनेक कदम उठाये हैं।

जुलाई, 1974 में राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन

*159. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवें दशक को विद्युत दशक घोषित करने का है ;

(ख) क्या इस बारे में 12 जुलाई, 1974 को राज्यो के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें किए गए निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1970 के दशाब्द को "विद्युत दशाब्द" घोषित करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विद्युत कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्यो के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन 12 और 13 जुलाई, 1974 को हुआ था।

(ग) इस सम्मेलन द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. तापीय केन्द्रों में औसत उत्पादन को बढ़ाकर 6000 यूनिट/किलोवाट किया जाना चाहिए। पहले ही उच्च स्तर पर कार्य कर रहे केन्द्रों को छोडकर 1974–75 में प्रत्येक केन्द्र के उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए।

2. तापीय केन्द्रों की उपलब्धता में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए और उन्हें 90 प्रतिशत लोड गुणक पर कार्य करना चाहिए।

3. विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) तथा केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० आर० आई०) की सहायता से क्वालिटि नियंत्रण उपाय लागू किए जाने चाहिएं। भविष्य में सप्लाई संविदाओं में उपयुक्त बोनस दण्ड धाराएं होनी चाहिये।

4. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड द्वारा 6 महीने के अन्दर धीमी गति के अतिरिक्त पुर्जों के केन्द्रीय पूल स्थापित किए जाने चाहिएं। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड की लगभग 20 प्रतिशत क्षमता का उपयोग अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।

5. तापीय केन्द्रो के आपरेटरो को लाइसेंस देने की स्कीम बहुत जल्दी लागू की जानी चाहिए। केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए और राज्य इन संस्थानो के प्रचालन व्यय को वहन करेंगे तथा उनके प्रबंध में भागीदार भी होगे।

6. प्रत्येक राज्य को अपनी प्रणाली पर लोड के पैटर्न के बारे में विचार करना चाहिए और जहां आवश्यक हो, बिजली बारी बारी से देने और छुट्टियां करने की व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि मांग की अधिकता में कमी की जा सके। जहां सम्भव होगा विद्युत की अन्तर्राज्य बिक्री और पड़ौसी प्रणालियों के साथ समेकित प्रचालन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी ताकि ऐसी स्थिति हो जाए कि 24 घंटे एकसमान लोड रहे जिससे तापीय केन्द्र 90 प्रतिशत लोड गुणक पर कार्य कर सकें।

7. समेकित प्रचालन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को सहायता करनी चाहिए।

8. अन्तर्राज्य लाइनों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भविष्य में केन्द्रीय सरकार जहां संभव हो राज्य सरकार की एजेंसी के उपयोग द्वारा ऐसी लाइनों का निर्माण करें।

9. विशेषज्ञ दल को वर्तमान रख–रखाव प्रक्रियाओं की जांच करनी चाहिए ताकि निरोधक रख–रखाव के मानकों में सुधार किया जा सके और ऐसे उपायों का सुझाव दे सके जिनसे कि बायलर के नेमी ओवरहाल में लगने वाले समय को कम करके 4 सप्ताह किया जा सके। टर्बाइन के रख–रखाव में लगने वाले समय को भी कम किया जाना चाहिए।

10. विशेषज्ञ दल को कहा जाए कि वे तापीय केन्द्रों में अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने की एक स्कीम तैयार करें।

11. राज्य बिजली बोर्डों में उत्पादन कार्मिको के काडर को पारेषण तथा वितरण काडर से अलग करके विशेषज्ञता के उच्चतर स्तरो कों प्रदत्त किया जाना चाहिए।

12. बायलरो और टरबाइनो के ओवरहाल करने में विशेषज्ञता प्राप्त दलो की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि नेमी रख–रखाव के समय को कम करने तथा कार्य की क्वालिटि में सुधार करने में सहायता मिले।

13. पारेषण में होने वाले हानि को कम करने के संबंधित उपायो को जोरदार ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और सभी राज्यों द्वारा इस उददेश्य के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिएं।

14. सभी राज्य, जिनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां इस समय अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हैं, बिजली के व्यर्थ और आडम्बरपूर्ण उपयोग को कम करने पर सहमत हो गए थे। विद्युत का राशन लागू करने की केन्द्रीय स्कीम सभी राज्यो में कार्यान्वित की जाएगी।

केरल डाक और तार सर्किल के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन

*160. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के केरल सर्किल के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) डाक–तार सर्किल के क्षेत्रीय स्तर पर डाक और दूरसंचार सेवाओं का पुनर्गठन करने को कुछ प्रस्तावों पर डाक–तार बोर्ड में जांच की जा रही है। इन प्रस्तावों में केरल सर्किल भी शामिल है। यह जांच इस समय प्रारम्भिक अवस्था में है।

इस्पात की बचत के लिये नई योजनाओं सम्बन्धी समितियां

*162. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अनेक समितियां नियुक्त की हैं जो इस्पात के उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करके और बाद में उनका प्रयोग करके इस्पात की बचत करने की नइ योजनाए तैयार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस संबंध में कहां तक सफलता मिली है ; और

(ग) कितनी योजनाए क्रियान्वित की गई है और उससे कितने इस्पात की बचत की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) देश में इस्पात की कमी को दखते हुए इस्पात की खपत में कमी करने की आवश्यकता का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है।

वर्ष 1965 में जारी किये गये एक आदेश द्वारा उन सभी संरचनात्मकों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था जिन के साइज भारतीय मानकों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। देश के इस्पात कारखाने केवल मध्यम श्रेणियों के संरचनात्मकों का उत्पादन करते रहे हैं क्योंकि वर्तमान कारखानों में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट हलकी श्रेणियों का उत्पादन नहीं हो सकता है। मानकीकृत साइजों के संरचनात्मकों के उत्पादन के फलस्वरुप संरचनात्मक इस्पात की खपत में अनुमानत: लगभग $12\frac{1}{2}$ की बचत हुई है।

सरकार ठण्डी मुड़ी हुइ छड़ों के उत्पादन और इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन देती रही है जिसका वर्ष 1968–69 से लेकर कुल उत्पादन लगभग 10 लाख टन हुआ है। अनुमान है ठण्डी मुड़ी हुई छड़ों के इस्तेमाल से कंक्रीट पुनर्वेलन के लिए इस्पात में लगभग 20% अर्थात् 2 लाख टन की बचत हुई है।

इस्पात के इस्तेमाल में बचत के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिती भी बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों को कार्यरुप देने के लिए विचार किया जा रहा है।

Testing of Besan Samples in Delhi

***163. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether 166 samples of Besan were tested in Delhi in December, 1973 and out of them 86 samples were found adulterated , and

(b) if so, the action taken against the adulterators uptil now and the steps proposed to be taken in future ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) Twenty samples of besan were tested in Delhi in December 1973 and non was found adulterated.

(b) A bill is being introduced in the current session of Parliament to amend the Prevention of Food Adulteration Act making the penalties more severe.

आयुध कारखानों की फालतू क्षमता का असैनिक आवश्यकताओं के लिये उपयोग

***164. श्री विक्रम महाजन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शांति काल के दौरान हमारे आयध कारखानों की अप्रयुक्त या फालतू क्षमताओं का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या रक्षा तैयारी को प्रभावित किये बिना आयुध कारखानों की इस फालतू क्षमता का असैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पादित करने के लिए उपयोग करना संभव है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन। समय समय पर मूल्यांकन किये जाते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमन्। आर्डनेंस कारखानों में फालतू क्षमता को रक्षा तत्परता कम किये बिना सम्भव सीमा तक असैनिक व्यापार की मदों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के खान के लिये जापानी फर्म को अनुमति देना

*165. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की एक फर्म को भारत में कोयले का खनन आरम्भ करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) खनन के लिए विदेशी फर्म को अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम की कोयला खानों में उत्पादित कोयला

*166. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) आसाम की कोयला खानों से प्रति तिमाही कितनी मात्रा में कोयला निकाला जाता है ;

(ख) किस किस्म का कोयला निकाला जाता है और राज्य में तथा उस राज्य से बाहर उसे किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है ; और

(ग) क्या उसमें से कुछ प्रतिशत कोयला व्यापार समझौते के अन्तर्गत बंगलादेश को निर्यात किया जा सकता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) आसाम की खानों से कोयले का वर्तमान तिमाही उत्पादन लगभग 1.2 लाख टन है। यह कोयला अकोककर, कम राख-वाला और बिना ग्रेड का है किंतु उसमें अपेक्षाकृत सल्फर की मात्रा अधिक है जिसका उपयोग अधिकतर रेलों, स्थानीय चाय-बागानों, तथा छोटे उद्योगों आदि में किया जाता है। इस क्षेत्र से कुछ कोयला ईंट-भट्टों और लघु उद्योगों में उपयोग के लिए त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को भी भेजा जाता है।

(ग) बढ़ी हुई स्थानीय मांग को देखते हुए, फिलहाल इन खानों से बंगलादेश को निर्यात के लिए कोयला देना संभव नहीं है।

श्रम ब्यूरो संपरिवर्तन-गुणक संबंधी वर्ष में परिवर्तन

*171. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल की विशेषज्ञ समिति द्वारा श्रम ब्यूरों संपरिवर्तन गुणक आधा-वर्ष 1939 को 1944 में बदलने संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) शिमला श्रम ब्यूरों द्वारा की गई गलत गणना से श्रमिकों को कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या इसे ध्यान में रखे हुए सरकार का विचार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने संबंधी फार्मूले को संशोधित करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह भारत सरकार को अवलोकन व टीका–टिप्पणी हेतु भेजी गई थी। आधार 1939 और 1944 पर कलकत्ता के सूचकांकों की सीरीज राज्य सरकार द्वारा संकलित और प्रकाशित की जाती हैं। ये मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्दर आते हैं।

राजधानी में आंत्रशीथ रोग का फैलना

*173. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि आंत्रशीथ रोग राजधानी में फिर से फैल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी हाल में दिल्ली में आन्त्रशीथ की घटनाओं में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सेना में युवा व्यक्तियों की भर्ती के लिए भर्ती केन्द्र के रुप में राष्ट्रीय छात्र सेना दल

*174. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय राष्ट्रीय छात्र सेना दल को सेना में युवा व्यक्तियों की भर्ती केन्द्र के रूप में मानता है और यह कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर आरम्भ होना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Indian Territory still occupied by Pakistan as a result of Indo-Pak War 1971

*175. **Shri Madhavrao Scindia** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the Indian territory still occupied by Pakistan as a result of the Indo-Pak war of 1971, and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government for its vacation ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) As the House is aware troop withdrawals along the international border were effected from territories occupied during the 1971 conflict and in Jammu and Kashmir a Line of control in terms of the Simla Agreement was delineated by agreement between the two sides, by minor adjustment of their conflicting claims. However, Pakistan continues to be in illegal occupation of a part of the State of Jammu and Kashmir since 1947.

(b) It is Government's policy to settle the issue arising out of Pakistan's occupation of a part of Jammu & Kashmir peacefully through belateral negotiations.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में श्रमिक स्थिति

*176. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दुर्गापूर इस्पात संयंत्र में बिगडती हुई श्रमिक स्थिति पर बातचीत करने के लिये जुलाई 1974 में मजदूर नेताओं की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय किये गये; और

(ग) दुर्गापूर में अनुशासनहीनता को किस सीमा तक रोका गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :(क) मैंने ऐसी कोई विशेष बैठक नहीं बुलाई थी। फिर भी, मैं मजदूर नेताओं से प्राय: मिलता रहता हुं और उनके साथ इस मंत्रालय के अधीन विशेषत: दुर्गापूर के इस्पात कारखाने और मिश्र इस्पात कारखाने के बारे में सार्वजनिक उपक्रमों में मालिक मजदूर सम्बधों के बारे में सामान्य रुप से विचार विमर्श करता रहता हूं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

*177. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र की 25 लाख टन की वर्तमान क्षमता को दिसम्बर, 1976 तक 40 लाख टन तक बढ़ाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) क्या भिलाई इस्पात के संयंत्र के विस्तार में सरकार की सहायता रुसी विशेषज्ञों द्वारा की जायगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां। फिर भी ऐसी सम्भावना है कि इसको पूर्ण करने की तारीख आगे बढ़ जायगी । फिर भी इस बात की हर कोशिश की जा रही है कि समूचे कार्यक्रम में कमसे कम विलम्ब हो ।

(ख) प्रस्तावित विस्तार के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। प्लेट रिल और निरन्तर ढलाई कारखाने के लिए तकनीकी प्रायोजना की स्वीकृति के लिए अप्रैल 1974 में सोवियत खत्र बी/ओ त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के साथ संलेखों पर हस्ताक्षर किए गए थे। देशीय उपकरणों प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। (1) स्थल तैयार करने (2) जल प्रदाय और (3) रेल मार्गों को मोडने आदि प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) 300 मिलियन रुबल के ऋण सें पूरी की जाने वाली मदों मे भिलाई का 40 लख टन विस्तार सम्मिलित है । भारतीय तथा रुसी दोनों पक्ष आपस में सतत सम्पर्क बनये हुए है जिससें सोवियत संघ से सभी आवश्यक सहयोग और सहायता मिल सके।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

*179. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 10 जुलाई 1974 को 'भुटटो आस्क्स यू० एस० ए० टु रिज्यूम आर्म्स सप्लाई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या अमरीका सरकार का ध्यान इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और क्या उन्हें यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा हथियारों की सप्लाई की कार्यवाही को अमैत्रीपूर्ण व्यवहार समझा जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी सरकार ने हमें पुन: संकेत दिया है कि पाकिस्तान अथवा भारत को घातक शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबंध संबंधी उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हिंदी महासागर के 'रियूनियन' द्वीप में दिक्चालन साधन स्टेशन के लिये फ्रांस-अमरीका करार

*180. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के 'रियूनियनक द्वीप में दिक्चालन साधन केन्द्र स्थापित करने के लिये फ्रांस के मंत्री मंडल ने 17 अप्रैल 1974 को फ्रांस अमरीकी करार का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। फ्रांस की सरकार ने हमें सूचना दी है कि वह करार राडार उपकरण खरीदने के बारे में एक वाणिज्यिक करार है जिससे कि हवाई और समुद्री जहाज संचालन के यंत्रों की व्यवस्था हो सके। उन सभी के लिए सुलभ होंगे जो उन्हें मंगाना चाहेंगे।

(ख) हमने इस स्थिति को नोट कर लिया है।

हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र की जनता से अभ्यावेदन

1102. **श्री विरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाजिल्का और अबोहर क्षेत्रों के प्रमुख समाज सेवियों से अपने बच्चों के लिये स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस विषय में फाजिल्का और अबोहर के निवासियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा सत्ताइस औषधियों पर अनुसंधान

1103. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण 27 औषधियों की एक सूची अनुसंधान के लिये दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान को इन औषधियों के संबंध में अनुसंधान करने के बारे में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा अपने प्रयत्नों से 31 प्रक्रियाओं के स्वीकृत और मानकीकृत किया गया है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय समिति (एन० सी० एस० टी० पैनल-दल-चार (ओरगेनिक फाइल—कैमीकल्स फार म्युटिकल्स आदि) जिसके चेयरमैन सी० डी० आर० आई० के निदेशक और औषध रसायन प्रभाग के अध्यक्ष—संयोजक थे। उनके द्वारा संस्थान की पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये तेरह परियोजनाओं का एक सूची का भी सुझाव दिया है । उनमें से दस परियोजनाओं को पहिले ही संस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में अपने प्रयत्नों से शामिल कर लिया गया है। इन्हें या तो नवीन परियोजना माना जाये या चौथी पंचवर्षीय योजना के क्रम में माना जाये।

(ग) पंद्रह परियोजनाएं औषधि निर्माण करने वाली फर्मों को वाणिज्यिकरण करने के लिये हस्तांतरित की गई है । कतिपय परियोजनाओं की प्रगति जारी है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को हुआ घाटा

1104. **श्री स्वर्ण सिंह सोलंकी** : **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम), जिसमें 6 करोड़ 32 लाख रुपये की पुंजी लगी हुई है, में अब तक 14 करोड़ 83 लाख रुपये का घाटा हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक घाटा होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक, विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं० लिमिटेड जिसकी चुकता पूंजी 6.32 करोड़ रुपये है, में 31 मार्च, 1973 तक कुल 14.86 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

(ख) इस प्रकार की भारी हानियों के निम्नलिखित कारण बताये गये है :—

(1) क्षमता का कम उपयोग

(2) कीमतों की अल्प वसूली

(3) स्क्रैप अधिक बनाना (अधिक छीजल)

(4) बेकार सामग्री से कम रिकवरी

(5) ब्याज का भारी भार

(ग) मशीनों के उपयोग को बढ़ाने के लिये सभी 6 बेंस कास्टिंग मशीनों में देशी सेल्युसोडा मिससोटेट के उपयोग करने हेतु सुधार किया गया था। कंपनी अब मशीन का पूर्णतम उपयोग लेना चाहती है । कंपनी ने एक्स रे फिल्मों रोल फिल्मों तथा कसर पोजिटिव फिल्मों लिये बनाया गया जम्बो रोल कनवरशन प्रोग्राम भी स्वीकार कर लिया है तथा इस प्रोग्राम के कार्यान्वित होने से मशीनों का उपयोग करने की दर में पर्याप्त सुधार होगा।

कंपनी अब अपने यहां हुए उत्पादन की पूरी पूरी लागत वसूल करने की दृष्टि से, बिक्री प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने में लगी हुई है । वस्तुतः 1 मार्च, 1974 से उन्होंने अपने कतिपय उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिये है ।

स्क्रैप स्तर में कमी करने हेतु कंपनी द्वारा उपकरणों तथा प्रक्रिया में सुधार करने जैसे अनेक कदम उठाए गये हैं। काफी विस्तृत रूप से अतिरिक्त इन्स्ट्रुमेंटेशन तथा नियंत्रण की सुविधाएं प्रदान की गयी है । सालवेन्ट हानि घटाने की दृष्टि से एक सालवेन्ट रिकवरी प्लान अधिष्ठापित किया गया है । छीजन के स्तर को कम करने के लिये भारतीय मानक संस्था की किस्म नियंत्रण यूनिट की सहायता से अब प्रति सप्ताह कारण वार विश्लेषण तथा रिजेक्शन किया जाता है ।

कंपनी के कार्य में सुधार करने के लिये उठाए गये विभिन्न कदमों से विश्वास होता है कि निकट भविष्य में लाभ हानि रहित स्थिति को पहुंचा जा सकता है ।

पांच लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार करने का द्रुत कार्यक्रम

1105. श्री एच० एन० मुखर्जी :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 लाख के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के द्रुत कार्यक्रम को बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में सफलता नहीं मिली है, यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ख) इन कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और परिणामतः रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक आर्थिक विकास दर से सम्बधित है । पांच लाख शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी विशिष्ट कार्यक्रम वर्ष 1973–74 के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस कायक्रम के अधीन स्व-नियोजन योजनाओं ने निश्चित रूप से प्रगति की है और इससे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नवयुवकों में आत्म विश्वास उत्पन हुआ है तथा अन्य व्क्तियों को भी रोजगार उपलब्ध हुआ है । इस कार्यक्रम के अधीन मार्च 1974 के अन्त तक लगभग 54 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता जारी की गई और लगभग 3 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न किये गये ।

रोजगार के लिये द्रुत कार्य-क्रम के अन्तर्गत उत्पन्न किये गये रोजगार के अवसर

1106. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम की प्रत्येक योजना जब से चालू की गयी है तब से लेकर अब तक देश में रोजगार के लिए कितने अवसर उत्पन्न किये गये हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिये गये है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की गति को तीव्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से योजना के दौरान विभिन्न विशेष स्कीमों के अन्तर्गत सर्जित रोजगारों की राज्यवार संख्या अनुबन्ध 1 में दी गई है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8098/74**]

(ख) विभिन्न स्कीमों के उद्देश्य बताये गये थे परन्तु कितनी संस्था में लोगों को रोजगार मिलेगा इसके लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का कार्यक्रम, जो 100 करोड रुपए की बजट व्यवस्था से 1973–74 में आरम्भ किया गया था, का उद्देश्य पांच लाख रोजगार के अवसर पैदा करना था। बहरहाल, अर्थ व्यवस्था की मंदी, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर रोक, 30 करोड रुपए की बचत करना आदि कतिपय कठिनाइयों के कारण कार्यक्रम के आकार और स्वरूप को स्वाभाविक रूप से सीमित रखा गया । इन कठिनाइयों के बावजूद, 1973–74 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना संभव हो सका। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई कुछ स्कीमें पीछे से चली आ रही है और उन्हें इस वर्ष कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना रोजगार उपलब्ध होगा, इसका पता पीछे से चली आ रही स्कीमों के पूरा होने पर लगेगा।

(ग) पांचवी योजना के दौरान, अधिकांश रोजगार क्षेत्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1974–75 के दौरान 40 करोड रुपए की केन्द्रीय बजट व्यवस्था से एक रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा जिसमें स्व रोजगार पर विशेष बल दिया गया है ।

रोजगार का समस्त आर्थिक विकास की दर से काफी गहरा संबंध है । इसलिए पांचवीं योजना में विकास की गति में तीव्रता लाने पर बल दिया गया है और यह आशा की गई है कि पांचवीं योजना के दौरान शिक्षित तथा अन्य लोगों के लिए रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कार्यालय का स्थानान्तरण

1107. श्री झारखंडे राय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कपडा निगम का कार्यालय कस्तुरबा गांधी मार्ग , सूर्य किरण' भवन में स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके कब्जे में कितना स्थान है और उसका किराया क्या है ?

(ग) यदि कोई अग्रिम किराया अदा किया गया है तो कितना; और

(घ) कार्यालय को नये स्थान पर ले जाने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिक तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणम) : (क) जी, हां। निगम का कुछ भाग निकटवर्ती वंदना भवन में भी है।

(ख) "सूर्य किरण" भवन तथा 'वंदना भवन' में निगम के अधिकार में क्रमश: 10, 340 वर्ग फीट और 6914.52 वर्ग फीट तल क्षेत्र है और जिसका किराया 26,884.00 रुपये और 18,275.72 रुपये मासिक है।

(ग) सूर्य किरण भवन की जगह के लिए 1,61,304.00 रुपये अग्रिम धन दिया गया है जो छः महीने में किराये के बराबर है, और जो पूर्णरूपेण पूरा हो चुका है। वंदना भवन की जगह के लिए 1,09,654.32 रुपये अग्रिम धन के रूप में दिये गये थे जो 6 महीने के किराये के बराबर है। इस राशि में से, पांच महीने के किराये के बराबर 91,378.60 रुपये की राशि का समंजन किया जा चुका है और एक महीने का किराया अर्थात् 18,275.72 रुपये की राशि की किराये पर उठाने वाले ने जमानत के रूपमें रख लिया गया है।

(घ) उपयुक्त स्थान की खोज करने तक, निगम का मुख्यालय अस्थायी रूप से कुछ उद्योग भवन के कमरों में तथा कुछ राउज एवेन्यु के अहाते में था। उद्योग भवन में निगम के अधिकार वाले कमरों की सरकार को अपने प्रयोग के लिए जरूरत थी अत: निगम को उन्हें खाली करना पडा। परिणामत: इस समय इस अस्थायी व्यवस्था के स्थान पर इसे अधिक उपयुक्त स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया।

रिफैक्ट्री उद्योग और उड़ीसा सीमेंट का राष्ट्रीयकरण

1108. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सामान्यत: रिफ्रैक्टरी उद्योग और विशेषकर सीमेन्ट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ताकि इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अयोध्या टेक्सटाइल मिल के श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन

1109. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या टैक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों ने 14 जून, 1974 को नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, नई दिल्ली के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या है, और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों की प्रमुख मांगें 9 कर्मचारियों के पदच्युति के आदेशों का वापिस लेना, अधिकारियों द्वारा अभिकथित गबन के प्रकरणों की जांच, उत्पादन बढाने हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जों, कोयले आदि की सप्लाई के कारणों की जांच के संबंध में थी।

(ग) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन विभिन्न मांगों की जांच कर रहा है।

केरल सरकार द्वारा काजू फैक्टरियों को अधिकार में लेना

1110. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने मांग की है कि राज्य सरकार को उन फैक्टरियों को, जो फैक्टरियां कच्चे काजू का कोटा तोले रही है परन्तु इस शर्त का उल्लंघन कर रही है कि श्रमिकों को निर्धारित वेतन दिय जायें और आबंटन को कहीं अन्य परिवर्तित न किया जाय, अपन अधिकार में लेने की शक्तियां देने संबंधी उनके अध्यादेश को स्वीकृति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है और सरकार का उसपर क्या निर्णय है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रस्तावित अध्यादेश में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार उन काजू फैक्टरियों को अधिकार में ले सकती है, जो कच्चे काजुओं की प्रक्रिया के बारे में फैक्टरी अधिनियम और श्रम नियमों का पालन नहीं करती है अथवा भारतीय काजू निगम द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करती है अथवा श्रमिकों को काम पर न लगाने अथवा छंटनी के अतिरिक्त बड पमानपर बरोजगारी की स्थिति पदा करती है । अध्यादेश की उद्घोषणा के लिए राष्ट्रपति के अनुदेश 24 जून, 1974 को भेज दिये गये थे।

परमाणु खनिज डिवीजन, बिहार के लापता वैज्ञानिक श्री स्वप्न सरकार का पता लगाने के बारे में जांच

1111. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

डा० कर्णी सिंह :

क्या परमाणु उर्जा मंत्री परमाणु खनिज डिवीजन, बिहार से लापता वैज्ञानिक के बारे में 17 अप्रैल 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री स्वप्न सरकार का पता लगाने के लिये की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : पुलिस की जोरदार कोशिशों के बावजूद भी श्री स्वप्न कुमार सरकार के बारे मे अब तक कोई सुराग नहीं मिला है । उनका पता लगाने की कोशिश जारी है ।

नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों के बारे मे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1112. **श्री भोला मांझी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों के कुछ पहलुओं के बारे में जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों से कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और जांच पडताल कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोवियत संघ से संगणकों का आयात

1113. **श्री एम० कतामुतू :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से संगणकों को आयात करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) सोवियत संघ से कुछ संगणकों का आयात 1959 से किया गया है । इस प्रकार का आयातित संगणक सर्वप्रथम भारतीय सांख्यकी संस्थान, कलकत्ता में प्रतिष्ठापित किया गया था, अन्य संगणक आई० आई० टी०, बम्बई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, थुंबा, और भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में लगाए गये । सोवियत संघ से आर० जे० ए० डी० श्रंखला के तृतिय "जनरेशन" संगणकों को आयात करने के प्रबंध किए जा रहे हैं, जिससे संगर्णकों की तत्काल मांग पूरी हो सके। इन में से पहला संगणक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में प्रतिष्ठापित होने के लिए तैयार है । आयात की जाने वाली कुछ प्रणालियों का भुगतान उन प्रणालियों से उत्पन्न सौफ्ट वेअर का सोवियत संघ को निर्यात करके किया जायगा ।

Allotment of Land to Landless Persons of Bhil and Magwal Caste in Rajasthan

1114. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some land was allotted to landless persons of Bhil and Magwa castes to provide them means of livelihood in some bordering villages of Rajasthan by Government as per page 25, para 3 of a book published by the Tribe Research Institute, Udaipur ;

(b) whether efforts were made by interested parties of the area to see that land is not allotted to them by Government ?

(c) if so, the facts in this regard ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (d) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

जून, 1974 में नये न्यायालय भवन में आग लगाने की घटना

1115. **श्री वीरेन्द्र हिसराव :**

श्री मुख्तियार हिसमलिक :

श्री रामावतार शास्त्री :

मौलाना इहसाक सम्भली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये न्यायालय भवन में जून, 1974 में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां तो उसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति को अनुमानत : कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिये कोईराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तीस हजारी न्यायालय भवन की तीसरी मंजिल पर (पश्चिमी स्कन्ध) रिकार्ड कक्ष (फौजदारी) में, जहां मजिस्ट्रेटी न्यायालय के निर्णीत मामले रखे थे, 13 जून, 1974 को अपरान्ह में आग लग गई थी ।

(ख) भवन तथा विद्युत संयंत्र इत्यादि को कुछ क्षति पहुंचने के अतिरिक्त 14 कुर्सियां, 5 मेज, तथा 18 रैंक क्षतिग्रस्त हुए जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती आग से अनेक फाइल भी नष्ट हो गई थीं।

(ग) दिल्ली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 के अन्तर्गत एक मामला बर्ज किया है तथा आग के कारणों का पता लगाने के लिए तफतीश की जा रही है । दिल्ली के डिस्ट्रीक्ट जज ने भी रिकार्ड कक्ष में तैनात छः कर्मचारीयों के विरुद्ध लापरवाही तथा अत्यधिक कदाचार के लिए विभागीय जांच का आदेश दिया है ।

तापीय बिजली घरों में ईंधन तेल की खपत

1116. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री मधु दण्डवते :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 के पश्चात देश के बडे तापीय बिजली घरों में कितने-कितने ईंधन तेल की खपत हुई; और

(ख) तापीय बिजली घरों में ईंधन तेल की कितनी बचत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जनवरी, 1974 से मुख्य तापीय विद्युत केन्द्रों में ईंधन तेल की औसतन मासिक खपत संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) गौण ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने वाले केन्द्रों की तेल खपत में कुल मिलाकर लगभग 20 प्रतिशत कमी लाना संभव हो पाया है ।

तेल को मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले ताप केन्द्रों में कुल मामूली सी बचत ही हुई है ।

विवरण

जनवरी, 1974 से मुख्य ताप विद्युत केन्द्रों की औसतन मासिक खपत का विवरण

क्रम सं०	विद्युत केन्द्र का नाम	जनवरी, 1974 से औसतन मासिक खपत
		(टनों में)
(क)	गौण ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने वाले ताप केन्द्र :	
1.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	3688
2.	बदरपुर	756
3.	हरदुआगंज 'क'	151

क्रम सं०	विद्युत केन्द्र का नाम	जनवरी 1974 से औसतन मासिक खपत
4.	हरदुआगंज 'ख'	919
5.	के० ई० एस० ए०	23
6.	बंकी	272
7.	ओब्रा (350 मेगावाट)	1460
8.	कोठागुडाम	1402
9.	रामगुडम	600
10.	एन्नोर	3334
11.	बेसिन ब्रिज	981
12.	भुसावल	106
13.	पारली	150
14.	पारस	100
15.	नासिक	386
16.	सतपुडा	663
17.	कोर्बा	466
18.	अमरकंटक	55
19.	पतरातू	3147
20.	बोकारो	134
21.	चन्द्रपुरा	665
22.	दुर्गापूर (दामोदर घाटी निगम)	1706
23.	बंदेल	182
24.	दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल)	3318
25.	संतालडीह	570
26.	नेवेली	441

(ख) मुख्य इंधन के रुप में तेल उपयोग करने वाले ताप केन्द्र :

1.	अहमदाबाद	14406
2.	बरौनी	6766
3.	धुवरन	66693
4.	ट्राम्बे	32927
5.	कांडला	1480
6.	सिक्का	1093

लद्दाख में सिंचाई नहरों का निर्माण

1117. **श्री कुशोक बाकुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में सभी कृषि योग्य भूमि के हेतु सिंचाई नहरों का निर्माण करने तथा उस सभी भूमि को सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि भूमि की तह कुछ इंच से अधिक मोटी नहीं है और सघन सिंचाई के बिना, वहां किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो सकता है

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चार सिंचाई स्कीमें प्रारंभ की है । दो स्कीमों पर कार्य पूर्ण होने वाला है और अन्य दो पर कार्य प्रगति कर रहा है । राज्य ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए 17 स्कीमें प्रस्तावित की है जिनमें से दो मध्यम तथा शेष लघु है । इनसे संबंधित अन्वेषण कार्य किया जा रहा है ।

रेलवे डाक सेवा के 'एन० बी०' डिवीजन के कर्मचारियों को 'पी० टी०' डिवीजन में स्थानान्तरण करना

1118. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार** मंत्री 8 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा के 'एन बी' डिवीजन के कर्मचारी अब भी समस्तीपुर कटिहार सेक्शनों को 'एन० बी०' डिवीजन के अन्तर्गत रखने और यू–29 (बरौनी–इलाहाबाद) रेलवे डाक सेवा सक्शन को एन० बी० डिवीजन से सम्बद्ध करने पर जोर दे रहे है और उन्होंने इस बारे में अभ्यावेदन दिये है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सेक्शनों को 'एन० बी०' डिवीजन में रखने और सम्बद्ध करने का विचार है विशेष रूप से इसलिये क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र उत्तर बिहार में पडता है तथा पटना इस क्षेत्र के बाहर है, जिसके लिये दूरस्थ नियंत्रण की आवश्यकता है जो पूर्वी रलवे डाक सेवा को पी० टी० डिवीजन बनाने के लिये अधिक उपयुक्त है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं । समस्तीपुर और कटिहार के बीच गस्त वाला कोई सेक्शन नहीं है । 'एन० बी०' डिवीजन के रेल डाक सेवा कर्मचारियों से 8–5–1974 के बाद यू–25 (बरौनी–गोरखपुर) और यू–29 (बरौनी–इलाहाबाद) सेक्शनों का 'एन० बी०' डिवीजन से संबद्ध करने के लिए कोई मांग नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना के उद्घाटन पर जनवरी, 1974 में किया गया व्यय

1119. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री जनवरी, 1974 में पश्चिम कोसी नहर परियोजना के उद्घाटन पर किये गये व्यय के बारे में 16 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6889 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर परियोजना का उद्घाटन सरकारी तौर पर चार बार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या 30 जनवरी, 1974 को उद्घाटन एक ऐसे उम्मीदवार द्वारा किया गया जिसने अपना नामांकन-पत्र एक दिन पूर्व अर्थात् 29 जनवरी, 1974 को दाखिल किया था; और

(घ) यदि हां, तो चौथा उद्घाटन जो प्रत्याशी के निर्वाचन हित में किया गया उसका व्यय कोसी परियोजना को क्यों वहन करना पड़े, प्रत्याशी को क्यों नहीं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पश्चिमी कोसी नहर का प्रथम 22 मील लम्बा भाग नेपाल में तथा शेष 48 मील भारत में पड़ता है। नहर के भारतीय भाग की दो बार उद्घाटन किया गया था। प्रथम उद्घाटन 9 फरवरी 1968 को किया गया था। नेपाल सरकार से भूमि न मिलने के कारण उस समय कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। नेपाल सरकार के साथ करार होने के उपरान्त, भारतीय भाग का उद्घाटन दसरी बार खोकापूर गांव में 30 जनवरी, 1974 को करके प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए थे।

(ग) 30 जनवरी, 1974 को उद्घाटन बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने नामांकन कागजात 29 जनवरी, 1974 को दर्ज कराए थे।

(घ) बिहार सरकार ने कहा है कि क्यों कि यह एक सरकारी उद्घाटन था, अतः इसके व्यय का वहन कोसी परियोजना द्वारा किया गया था और उदघाटन से चुनाव का कोई संबंध नहीं था।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए सामुदायिक विकास खंड मुख्यालय को कैटगरी स्टेशन के रूप में बनाना

1120. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पचवर्षीय योजना में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिये सामुदायिक विकास खण्ड मुख्यालय को 'कैटेगरी स्टेशन के रूप में घोषित करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये गये थे;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो कोई निर्णय किया गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्री की व्यवस्था करने हेतु सामुदायिक विकास खंड मख्यालय का 'कैटगरी स्टेशन' बनान के बारे में सरकार को कब अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह फैसला किया गया है कि घाटा कर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए खंड मुख्यालय वाले स्थानों का कैटगरी स्टेशन माना जाय। न्युनतम अनुमानित आय संबंधी मौजूदा शर्तें लागू होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

1121. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तार तथा टेलीफोन संचार व्यवस्था के बारे में 3 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 में शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शनों के लिये आवंटित की गई निधि की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : टेलीफोन सेवा के बारे में बजट में शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए निधि का आवंटन विशेष रूप से अलग नहीं किया जाता। स्विचिंग प्रणालियों सहित स्थानीय और लम्बी दूरी की दूरसंचार प्रणालियों के लिए वर्ष 1974-75 के बजट में लगभग 117 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त रकम में से लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने पर ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगा । जिनमें से अधिकतर पी० सी० ओ० ग्रामीण इलाकों में खोले जाएंगे ।

ऊना टेलीफोन एक्सचेंज को डहरा गोपीपुर एक्सचेंज से सम्बद्ध करना

1122. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊना टेलीफोन एक्सचेंज की हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिला के डेहरा गोपीपुर एक्सचेंज के साथ सम्बद्ध करने का प्रस्ताव को डाक तार विभाग ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई और यदि नहीं, तो इसकी मंजूरी कब तक दी जायगी; और

(ग) यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) ऊना टेलीफोन एक्सचेंज का देहरा गोपीपुर के साथ जोड़ने और इस क्षेत्र के अन्य एक्सचेंजों का विस्तार करने की एक संयुक्त परियोजना की जांच पंजाब सर्किल कर रहा है । इस पर शीघ्रता से कारवाई की जाएगी ।

(ग) चूंकि इस कार्य का पूरा होना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कल-पुर्जों के तखमीनों की मंजूरी, स्टोर और अन्य उपस्कर की प्राप्ति, इसलिए फिलहाल कोई नियत तिथी निर्धारित नहीं की जा सकती ।

सरकारी क्षेत्र में कागज और अखबारी कागज सम्बन्धी परियोजनाओं की प्रगति

1124. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रत्रक कागज तथा अखबारी कागज परियोजना की कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) देश में इन वस्तुओं की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए उनको शीघ्र पूरा करने और चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) नागालैन्ड लुगदी और कागज परियोजना (वार्षिक क्षमता 30.000 मी० टन)

परियोजना का कार्यान्वियन किया जा रहा है । सिविल कार्य चल रहा है अधिकांश मशीनों के क्रयादेश दिये जा चुके है । बाकी मशीनों के क्रयादेशों भी शीघ्र ही दिये जाने वाल है । परियोजना के 1976-77 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

केरल अखबारी कागज की परियोजना (वार्षिक क्षमता 80.000 मी० टन)

भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । संयंत्र और उपकरणों के लिये निविदा आमंत्रित की जा चूकी है । उसकी जांच कर ली गई है तथा निर्णय भी हो चुका है । शीघ्र ही मशीनों के लिये क्रयादेश दे दिये जाने की आशा है ।

नौगांग और कछार परियोजना (80.000 मी० टन० कागज प्रत्येक की)

भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और कुछ भाग का अधिग्रहण किया जा चुका है । निगम द्वारा मशीन और संयंत्र सप्लाई करने वालों का दिये जाने के लिये क्रयादेश प्रस्ताव तैयार कर लिये गये है । विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जा रही है और इन परियोजनाओं पर पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय शीघ्र ले लिये जाने की आशा है ।

मान्डया नेशनल पेपर मिल (प्रथम अवस्था में विस्तार 35 से 60 मी० टन प्रति दिन)

परियोजना का कार्यान्वियन हो रहा है ।

(ख) ऊपर लिखी परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वियन करने के लिये प्रयास किए जा रहे है । परियोजनाओं में केवल पर्याप्त पूंजी विनियोजन ही नही किया जाना है अपितु इस में पर्याप्त उपकरणों का आयात और अन्य व्यवस्थाएं भी सम्मिलित है जिनकी पूर्ति में प्रारम्भ में अधिक समय लगना स्वाभाविक है ।

इलैक्ट्रोनिक्स निगम को नई बम्बई में स्थानान्तरित करना

1125. श्री एस० आर० दामाणी :

श्री राजा कुलकर्णी :

क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिकी निगम को नई बम्बई में स्थानांतरित करने तथा उसके कार्यों के लिये पांचवीं योजना में बहुत बडी धन राशि का पूंजी निवेश करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किये गये कार्यों संबंधी मुख्य बातें क्या है तथा उनकी क्रमवस्था क्या है; और

(ग) क्या किसी कार्य के लिये विदेशी सहयोग के बारे में बात-चीत करली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग) भारतीय इलक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड को जो सम्प्रति हैदराबाद में अवस्थित है; बंबई स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने पांचवी योजना अवधि में तकनीकी रूप से परिष्कृत क्षेत्रों जैसे संगणक, सूक्ष्म तरंग उप प्रणालियों एवं घटक (विशेष इलैक्ट्रोनिक ट्यूबों को शामिल करते हुए) के अंतर्गत अनेक नयें कार्य का प्रस्ताव किया है, जिससे अनुसंधान एवं विकास कार्य जो अब विभिन्न संस्थानों में चलाए जा रहे है, अर्ध व्यापारिक उत्पादन में एकत्र हो सकें। नई बंबई में एक पृथक समूह के अंतर्गत ऐसे कार्यों को अवस्थित करने की संभावना पर विभाग विचार कर रहा है । फिर भी, इसके स्थान अथवा क्रमावस्था पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न इनमें से किसी कार्य हेतु सहयोग के विषय में ही बातचीत की गयी हैं ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना

1126. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी योजना में सम्मिलित की जाने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना तैयार कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है, और इस उद्देश्य के लिये कितना नियतन किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का एक भाग है ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना (1974–79) के प्रारूप के प्रथम तथा द्वितीय खंडों को, जिनमें उसकी मुख्य बातों तथा नियतन का विवरण है, सदन के पटल पर 26 मार्च 1974 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

1127. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) वर्ष 1973 के दौरान उर्वरकों, कपड़ों, वाणिज्यिक वाहनों, सीमेन्ट और कागज के मामले में अधिष्ठापित क्षमता का किस सीमा तक पूरा उपयोग किया गया है;

(ख) कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) :1973 के दौरान उर्वरक, सीमेंट, कागज तथा गत्ता तथा वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन, अधिष्ठापित क्षमता, क्षमता के उपयोग का प्रतिशत तथा क्षमता के कम उपयोग के कारण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल0 टी0 8099/74]**

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों में अधिष्टापित क्षमता के इष्टतम उपयोग की प्रभावित करने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के

कार्यकरण को उकसाने के लिए विशेष कर रेल यातायात, कोयले का उत्पादन तथा विद्युत प्रजनन, आयात प्रतिस्थापना को प्रोत्साहन, दुर्लभ औद्योगिक कच्ची सामग्री का संरक्षण, फरनेस आयल आबंटन करने में 33 प्रमुख उद्योगों को अधिमानता देना, प्राथमिकता तथा गैर प्राथमिकता के बीच और अधिक युक्तिसंगत उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा का आबंटन तथा सरकार द्वारा मंजूरी देने हेतु विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये विभिन्न प्रक्रियाओं को सप्रवाही बनाना आदि कई अभ्युपाय अपनाये गये हैं।

भारत द्वारा छोड़ा गया उपग्रह

1128. **श्री बी० आर० शुक्ल** : : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 में भारत ने कोई उपग्रह छोड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपग्रह कितनी उंचाई तक गया और उसका परिक्रम पथ क्या था; और

(ग) इसमें लगाये गये उपकरणों से क्या वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त हुये ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) को जल की सप्लाई करने के हेतु घाघरा नदी पर बांध में 'स्लूहस'

1129. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बहराइच को जल की सप्लाई करने के हेतु कैलाशपुर, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर पुल में (स्लूहस) की व्यवस्था की गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्लूहस को जोड़ने के लिए कोई नहर बनायी जाएगी; और

(ग) कब ऐसी नहर का निर्माण किया जाएगा।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) बहराइच, गोण्डा और बस्ती जिलों के घागरा-राप्ती दोआब में सिंचाई के लिए एक नहर के निर्माण की संभावना को ध्यान में रखते हुए घागरा-बराज के वाम पार्श्व पर एक नियामक का निर्माण किया गया है ।

(ग) इस नहर का निर्माण प्रस्तावित घागरा वाम तट नहर परियोजना को प्रारम्भ करते समय किया जाएगा ?

बहराइच जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

1130. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के उन ग्रामों में, जिनमें थारूस नामक अनुसूचीत जन जनजाति के लोग रहते हैं, बिजली पहुंचाई गई है, और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के ऐसे ग्रामों में, जहां अनुसूचित जाति के लोग रहते है, बिजली नहीं पहुंचाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बहराइच जिले में 12 ऐसे गांव है जिनमें प्रमुख रूप से थारू जनजाति के लोग निवास करत है । व सभी छोटे छोट गांव है तथा इनमें से प्रत्यक की जनसंख्या 76 से 676 के बीच में है। अभी तक इनमें से किसी भी गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई है ।

(ख) बहराइच जिले के कुल 1873 गांवों में से 31-3-74 तक 313 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था । विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या 24 थी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परेशान करने की घटनाओं को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नेताओं द्वारा प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करन का अनुरोध

1131. **श्री एम० कतामतु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मई, 1974 को हड़ताल में जिन कर्मचारियों ने भाग लिया था, उन्हें परेशान करने की कार्यवाहियां को समाप्त करने और प्रधान मंत्री से हस्तक्षप करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कमचारी नेताओं ने अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) कन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऐसोसिएशनों/यूनियनों (रेल कर्मचारियों को छोड़कर) की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिनमें अनुरोध किया गया है कि 10 मई, 1974 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा हड़ताल में भाग लेने पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। आचरण नियमों अथवा अन्य सेवा विनियमों अथवा इस देश के किसी अन्य कानून, जो उन पर भी समान रूप से लागू है, के उल्लंघन पर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई किया जाना उन्हें परेशान करना नहीं माना जा सकता । ऐसे मामलों में, केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि कानून को अपनी कार्रवाई करने दी जाये ।

उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी

1132. **श्री एम० कतामतु** :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इसका कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है,; और

(ग) इस क्षेत्र को बिजली की निरंतर कमी से बचाने के लिए क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उत्तरी क्षेत्र में कुछ राज्य नामश: पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यधिक कमी है ।

(ख) इन कमियों के मुख्य कारण ये है :—

1. बिजली की मांग का सप्लाई से बहुत तेजी से बढ़ना;

2. उपस्करों की सप्लाई मेंविलम्ब,सिविल कार्यों को पूरा करने में विलम्ब, सीमेंट, इस्पात, गैसों जैसी दुर्लभ सामग्री की कमी आदि के कारण परियोजनाओं को चालू करने में हुई देरी;

3. मानसून का देर से आना ।

(ग) इस विद्युत् कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे है:—

(1) उत्पादन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का नियंत्रण करके तथा कोयले और ईंधन तेल, कल-पूर्जों इत्यादि की सप्लाई तथा ढुलाई की व्यवस्था करके वर्तमान विद्युत् प्रतिष्ठापनों के समुपयोजन को अधिकतम करना ।

(2) जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा होने वाला है, उन्हें पूरा करने में तेजी लाई जा रही है जिसस उत्पादन यूनिटों के शीघ्र प्रचालन को सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे पड़ोसी राज्य अतिरिक्त बिजली का पारेषण करके बिजली की कमी वाले राज्यों को सहायता दे रहे है ।

(4) प्रत्येक राज्य से उपलब्ध ऊर्जा का युक्तिसंगत समुपयोजन करने की प्रणाली अपनाने की सिफारिश की है ताकि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम किया जा सके तथा विद्युत् अभाव के कारण आए संकट न्यूनतम किया जा सके ।

(5) बिजली के दिखावटी तथा अनावश्यक समुपयोजन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे है ।

समुद्री केबल प्रणाली का हिन्द महासागर में विस्तार

1133. **श्री एम० ए० पुरती :**

श्री के० मालन्ना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापी समुद्री टेलीफोन केबल मानचित्र में हिन्द महासागर क्षेत्र म सिंगापुर और स्वेज के बीच बहुत अधिक अन्तर है जबकि शेष विश्व को आजकल अच्छी से अच्छी समुद्री टेलीफोन केबल मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने मलयेशिया को भारत और श्रीलंका से सम्बद्ध करके राष्ट्र मण्डलीय विस्तृत बेंक समुद्री केबल प्रणाली का हिन्द महासागर क्षेत्र में विस्तार करने के लिये विशेष प्रयास किये है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। हिन्द महासागर क्षेत्र में सिंगापुर और स्वेज के बीच समुद्री टेलीफोन केबल प्रणाली नहीं है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रमण्डल समुदी टेलीफोन केबल प्रणाली को भारत तथा हिन्द महासागर के अन्य देशों तक बढ़ाने की योजना पर विचार करने के लिए 21 से 30 मई, 1974 तक बम्बई में राष्ट्रमण्डल देशों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत और नौ अन्य राष्ट्रमण्डल देशों ने भाग लिया । सम्मेलन स्वरूप में क्षेत्रीय-योजना-अध्ययन के समान था। इसका उद्देश्य परियात और प्रणाली के अध्ययन के साथ-साथ संभावित विकल्प का वित्तिय मूल्यांकन और राष्ट्रमण्डलीय दूरसंचार साझेदारी की लम्बे समय की आयोजना सम्बन्धी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना था।

बिजली की कमी को दूर करने के लिए बिजली की परियोजनाओं को चालू करना

1134. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली की कमी को दूर करने के लिए लगभग आठ परियोजनाओं को, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, चालू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1974-75 के दौरान 8 अन्य परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त 9 नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को चालू करने का प्रस्ताव है ।

नई परियोजनाओं की मुख्य मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी जाती है

विवरण

1974-75 के दौरान चालू की जाने वाली परियोजनाओं का विवरण

क्रम० सं०	परियोजना	राज्य	कुल क्षमता मैगावाट	इस वर्ष में क्षमता मैगावाट
1.	गुरुनानक	पंजाब	2×110	110
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	2×55	110
3.	यमुना चरण दो	उत्तर प्रदेश	3×60	180
4.	यमुना चरण चार	उत्तर प्रदेश	2×10	10
5.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश	3×60	60
6.	कोराडी	महाराष्ट्र	4×120	240
7.	उकाई (ताप) प्रथम यूनिट	गुजरात	2×120	120
8.	उकई जल विद्युत	गुजरात	4×75	150
9.	कोठागुडम	आंध्र प्रदेश	2×110	220

छोटे जाली कारखानों को समाप्त करना

1135. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास आयुक्त ने घोषणा की है कि सरकार वास्तविक निर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये उन छोटे कारखानों को दृढता से समाप्त करेगी जो केवल कागजों में ही स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश भर के लघु उद्योगों की गणना की जा रही है । वे 1974 के अंत तक गणना के परिणाम उपलब्ध हो जाने की संभावना है । संगत प्राधिकारियों को निदेश जारी कर दिए गए हैं कि उन एककों को जों केवल कागज पर ही दर्ज हैं उन्हें सहायता न दी जाये इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करे ।

संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सेंटर) में काट छांट करना

1136. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों की कमी के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर-सेन्टर) की बिजली, कोयला उर्वरक तथा इस्पात परियोजनायें पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष से ही निष्क्रिय होने लगेगी;

(ख) क्या वित्त मंत्री ने योजना आयोग की पिछली बैठक में वर्ष के दौरान कई अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की संभावना से इंकार किया था; और

(ग) क्या उक्त संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर-सेन्टर) में काट छांट करना अनिवार्य हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि संसाधनों की कमी के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्र की परियोजनायें पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष से ही निष्क्रीय हो जायेगी । वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति के कारण, योजनागत तथा गैर योजना व्यय में कमी करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए सरकार ने दो समितियां गठित की हैं। आशय यह है कि महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं की अधिकतम सीमा तक रक्षा की जाए ।

(ख) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किश्तें वसूल किया जाना

1137. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे दोषियों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को दय किश्तों का भुगतान नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धन को कारगर ढंग से वसूल करने के लिये एक ब्योरे-वार योजना बनाने हेतु एक टास्क फोर्स बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उचित गारन्टी या प्रतिभू सुनिश्चित करने के लिये, जिस पर आवेदकों को धन दिया जायेगा, कोई कार्यवाही की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जीं, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को देय किस्तों को प्रभावी रूप में वसूल करने के लिए, प्रत्येक राज्य संघ के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य संघ क्षेत्र के अभिकरणों के प्रतिनिधियों सहित एक कृतिक दल का गठन करने के बारे में कार्यवाही की गई है।

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम नकद ऋण नहीं देता है । इसकी किराया खरीद योजना के अधीन दी गई मशीनों का स्वामित्व किराया खरीदार द्वारा पुरा भुगतान करने तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का होता है । अन्य कोई गारंटी अथवा जमानत लेने की व्यवस्था नहीं है ।

उद्योगों की स्थापना के लिए नये उद्यमियों को रियायतें देना

1138. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नये उद्यमी अपने को स्थायी आधार पर स्थापित करना तथा सुस्थापित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा लेना कठिन पाते है;

(ख) क्या सरकार ने नये उद्यमियों को कुछ रियायतें देने की वांछनीयता पर विचार किया है जिससे कि अपने को स्थायी आधार पर स्थापित कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इन उपायों से उन्हें नये उद्योग स्थापित करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) से (ग) लघु और मध्यम उद्यमकर्ता विकास समिति ने अपने प्रतिवेदन में उद्यमिता के विशेषकर नये और मध्यम उद्यमकर्ताओं के विकास पथ में आने वाली कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है तथा नये उद्यमियों की सहायता के लिए कुछ अभ्युपाय सुझाए है । सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है तथा रिपोर्ट पर सरकारी निर्णय के संबंध में 25–7–74 को एक संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न है) जारी किया है । **[ग्रंथालय म रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8100/74]**

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि का नियतन

1139. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन राशि का नियतन करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के विशेष सन्दर्भ में इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा धन के आबंटन के बारे में केन्द्र का दृष्टिकोण, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के भाग 2 अध्याय 14 में बताया गया है । इन क्षेत्रों के उत्थान के लिए प्रस्तावित मुख्य उपाय संक्षेप में नीचे दिए जा रहे है :—

(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र ने निर्दिष्ट जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था की है तथा राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए समेकित क्षेत्र विकास योजनाएं तथा जन जातीय क्षेत्रों के लिए उप योजनाएं बनाएं ।

(2) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति, पोषाहार, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजलीकरण तथा बेघर लोगो के लिए घरों की व्यवस्था से सम्बन्धित कमियों को कुछ निम्नतम सीमा तक दूर किया जा सकगा । यह कार्यक्रम विशष स्थान से सम्बन्धित है तथा मानक अभिमुख है और इनसे विशेष रुप से पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ।

(3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए केन्द्रीय धन राशि के आबंटन से उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना करना ।

(4) समेकित जिला योजनाएं बनाने के लिए अनेक उपाय अपनाना तथा इस दौरान जिलों में राज्यों की योजनाओं के विभाज्य परिव्ययों को बांटना ।

(5) राज्य स्तर पर आयोजन क्षमताओं को सुदृढ़ करना ।

(6) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए जो उपाय अपनाये जा रहे है उनमें वृद्धि करना तथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रमों का जारी रखना ।

(7) लघु कृषक विकास एजेंसी । नाममात्र के कृषक कृषि श्रमिक क्षेत्रों को जारी रखना तथा उन्हें सुदृढ करना ।

विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी शामिल है की पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, संसाधनों की उपलब्धता के मामले में क्या स्थिति होगी इसका उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के बारे में तभी पता चलेगा जब राष्ट्रीय विकास परिषद केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए एक सूत्र तैयार कर लगा तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना योजना को अंतिम रूप दे देगा ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में सीमेंट उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय उद्यमियों को सहायता

1140. **श्री वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछडे हुए क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग जो पुंजी प्रधान है, चलने के लिए स्थानीय उद्यमियों को कोई विशेष सहायता देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस प्रकार की सहायता के लिए पिछड़े घोषित किए जा चुके जिलों/क्षेत्रों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देने के अलावा, पिछड़े क्षेत्रों के स्थानीय उद्यमकर्ताओं को सीमेंट कारखाने प्रारंभ करने हेतु जो कि पुंजी प्रधान होते है कोई विशेष सहायता देने का विचार नहीं है ।

पांचवी योजना को कृषि प्रधान बनाने की योजना

1141. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग नें पांचवीं योजना को और अधिक कृषि प्रधान बनान की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण योजना प्रारूप के दस्तावेज में बताया गया है ।

पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्र

1142. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछडे क्षेत्रों में विकास केन्द्रों को चिन्हित करने और उद्योग प्रारंभ करने के लिए इन विकास केन्द्रों में आधार ढाचे की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख (भाग 11) के प्रारूप में पिछडे क्षेत्रों के चुनिंदा विकास केन्द्रों में अवस्थापन सुविधाओं के विकास करने की चर्चा की गई है।

पिछडे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में इस मंत्रालय की वार्षिक योजना 1974-75 के प्रस्तावों में पिछडे जिलों में चुने हुए विकास केन्द्रो में अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजनाएं तथा इस उद्देश्य के लिये एक पिछडा क्षेत्र विकास निगम बनाने की योजनाए भी सम्मिलित है । पिछडे क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने हेतु उचित नीति निर्धारण करने हेतु स्थापित की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर इन प्रस्तावों पर और भी विचार किया जायेगा ।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

1143. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री डी० पी० चन्द्रगौडा :

श्री के० मालन्ना :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उन कपडा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी प्रस्ताव का, जिनका प्रबंध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, विरोध किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) सरकार ने जब से उनको अपने हाथ में लिया है, इन मिलों को कितना लाभ हुआ है और संबंधित राज्य सरकारों नें उनमें कितनी अतिरिक्त पुंजी लगाई है और इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने पर कुल कितना मुआवजा देना पडेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 103 वस्त्र उपक्रमों में से जिनका प्रबन्ध केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है। 6 उपक्रमों को न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण अधिकार में नहीं किया गया है। एक उपक्रम में अभीतक पुन: कार्य आरम्भ नहीं हुआ है तथा दूसरे में फरवरी 1974 मे ही काम शुरू हो गया था । शेष 95 उपक्रमों का प्रबन्ध हाथ में लिये जाने के बाहर से हुये शुद्ध लाभ / हानि बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध 1) संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 8101/74**] कार्यकारी पुंजी के लिये इन मिलो को दिये जाने वाले ऋण की स्थिति तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जून, 1974 तक किये जाने वाले आधुनिकीकरण की जानकारी संलग्न विवरण (अनुबन्ध 2) में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 8101/74**) शीघ्र ही उन वस्त्र उपक्रमों के बारे में जिनका प्रबन्ध केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है, विधान बनाने का विचार है जिसमें इन उपक्रमो के मालिकों को उपयुक्त राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करना सम्मिलित है ।

पिछड़े राज्यों में ग्राम्य विद्युतीकरण

1144. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघु नन्दन लाल भाटिया :

श्री अनादिचरण दास :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण के मामले में पिछडे राज्यो को प्राथमिकता देने के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या देश में सभी ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगायी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों / राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित किया जाता है बहरहाल ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक वित्तीय सहायता ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा दी जाती है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी उपक्रम है । पर्वतीय, जनजाती तथा आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए, इस निगम द्वारा आसन शर्तों पर ऋण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त पिछडे राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कि इस अवधि में ग्रामीण जनता को कम से कम 30 से 40 प्रतिशत भाग की बिजली की सुविधा पहुंचा दी जाएगी, पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के महत्वपूर्ण संघटक के रूप में ग्राम विद्युतीकरण आरंभ किया जा रहा है । इस कार्यक्रम को तैयार करने तथा राज्यों के संसाधनों का आबंटन के लिए मोटे तौर पर सिद्धांत निम्नलिखित है :–

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की अंतर्गत आबंटन के लिए सामान्यत: वही राज्य हकदार होंगे जिनमें चौथी योजना के अंत तक 40 प्रतिशत तक का विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ होगा । बहरहाल, विशेष मामलों में, इस कार्यक्रम के

अंतर्गत कुछ प्रावधान किए जा रहे है ताकि राज्य ऐसे जनजातीय तथा पिछड़ क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धन दे सकें जो कि इस मामले में पीछे रहे गए है, यद्यपि वहां औसतन विद्युतीकरण 30 से 40 प्रतिशत तक हो चुका है ।

(ख) इस कार्यक्रम में केवल इतनी ही वित्तीय व्यवस्था की जाएगी जिससे कि ऐसे राज्यों में विद्युतीकरण 30–40 प्रतिशत पर नियत औसतन राष्ट्रीय स्तर तक हो सके ।

(ग) देश के समस्त गांवों के लिए अभी तक कोई ग्राम विद्युतीकरण का समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । यह एक विराट कार्य है, तथा इसका पूर्ण होना आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्कीमों के तैयार करने के साथ-साथ धन की उपलब्धता तथा विद्युत विकास और विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत मांग पर भी निर्भर करेगा।

अनुसंधान एवं विकास के लिए औद्योगिक एककों पर उपकर लगाया जाना

1145. श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान एवं विकास के लिये औद्योगिक एककों पर उपकर लगाने का है, यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई नया कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या उपकर कम्पनी के कुल व्यापार के आधार पर लगाया जायगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और क्या कुछ उद्योगों को उपकर से छूट दी जायेगी

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढावा देने के लिए एक साधन के रूप में उपकर लगाने का सुझाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया गया है। समिति इस समय सुझाव के ब्यौरे तैयार कर रही है जिन्हें सरकार के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

इलैक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज को वाणिज्यक परीक्षण के लिए चालू करना

1146. श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार अनुसन्धान केन्द्र वाणिज्यिक परीक्षण के लिए 1,000 लाइनो वाला एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू कर रहा है;

(ख) क्या यह नया टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन कालों की गणना के लिए डिजिटल काम्प्युटर का उपयोग करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित टेलीफोन नम्बर, को काम्प्युटर अपनी स्मृति में रख लेता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी, हां । 1000 लाईनो वाले एक इलैक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज को वाणिज्यिक परीक्षण के लिए चालू करन का प्रस्ताव है । इसका निर्माण दूर संचार अनुसन्धान केन्द्र में विकसित डिजाइन के आधार पर किया गया है ।

(ख) वाणिज्यक परिक्षण एक्सचेंज में टेलिफोन कालें लगाने के लिए डिजिटल काम्प्यूटर का उपयोग किया जाएगा ।

(ग) इस डिजिटल काम्प्यूटर का दूर संचार केन्द्र अनुसंधान केन्द्र में देशी विकास किया गया है और इससे विशेष रूप से यह आशा की जाती है कि भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत टेलीफोन कालें कुशलता से लगाई जा सकेंगी । इस डिजाइन में देशी कल पुर्जो के उपयोग पर जोर दिया गया है ।

(घ) जी हां । काम्प्युटर के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ता ने जो नम्बर मांगा है उसे लगाने के लिए टेलीफोन नम्बर को अपनी स्मृति में रखें ।

नेपा में अखबारी कागज का उत्पादन

1147. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में वर्ष 1974 में अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या अखबारी कागज की किस्म में सुधार होने की संभावना है ;

(ग) क्या नेफा अखबारी कागज के मूल्य में पुनरीक्षण किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो (क), (ख) और (ग) का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां । 1973 के अंत में उत्पादन में सुधार होने लगा था । 3,542 मी० टन मासिक के निर्धारित उत्पादन की तुलना में दिसम्बर 1973 में 5,160 मी० टन उत्पादन हुआ था । 1974 का प्रस्थापित उत्पादन 55,000 मी० टन से अधिक होने की आशा है, जबकि उसकी तुलना में 1973 में 43,847 मी० टन उत्पादन हुआ था ।

(ख) और (ग) केवल गुण प्रकार को बनाये रखने के लिए ही लगातार कोशिश नहीं की जा रही है अपितु अखबारी कागज की चमक में वृद्धि करके इसमें अग्रेसर सुधार करने की कोशिश की जा रही है । फिर भी इन प्रयत्नों की सफलता मिल को उपलब्ध होने वाले कच्चे माल की किस्म पर निर्भर करेगी । अखबारी कागज के मूल्य का पुनरीक्षण करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

कागज की कमी

1148. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सभी प्रकार के कागज की भारी कमी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या कागज उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974 में कितना उत्पादन होने की संभावना है

(घ) क्या कागज निर्माताओं को मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ; और

(ङ) क्या उस कागज के मूल्यों में कमी करने की ओर जिसका प्रयोग छात्रों की कापियों के लिए किया जाता है और जो पाठ्य पुस्तकों के काम आता है विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 8 लाख मी० टन के लगभग ।

(घ) और (ङ) कागज के मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । निर्माताओं ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न किस्मों के कागज के भाव बढ़ा दिये हैं । सरकार को संभरण किये जाने के संबंध में उद्योग कुछ निर्धारित कटौति पर 2750 रु० प्रति मीट्रिक टन के भाव से विद्यार्थियों और सरकार की आवश्यकता पूरी करने के लिये दो लाख मी० टन छपाई को सफेद कागज देने पर सहमत हो गया है । विभिन्न राज्यों को इस कागज का नियतन किया जा रहा है ।

कर्नाटक में काली परियोजना में मलयालम भाषा विरोधी भावना

1149. श्री मधु लिमये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि कर्नाटक के उत्तर कनारा जिले में काली परियोजना में मलयालम भाषा विरोधी भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है ;

(ख) क्या कारवाड के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन भेदभाव पूर्ण आदेश जारी किये हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने काली परियोजना में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले ग्रुपों से संबंधित श्रमिकों के बीच पुनः भ्रातृ भाव पैदा करने के लिये कर्नाटक सरकार से कार्यवाही करने के लिये कहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत न किये जाने के क्या क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि काली परियोजना के मजदुरों की अंतर यूनियनों में स्पर्धा के कारण कुछ तनाव था ।

(ख) कर्नाटक सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, कारवाड़ द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया गया था ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, जो राज्य सरकार को भेजी गई थी, विभिन्न भाषाई मजदूरों के बीच भाईचारे के संबंध स्थापित करने के लिए राज्य में ताल्लुका तथा थाना एकता परिषदें बनाई गई हैं । राज्य सरकार सामान्य स्थिति बनाये रखने और विभिन्न भाषाई वर्गों के बीच तेजी से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पूरी तरह तत्पर है ।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

1150. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा बोर्ड के इस निर्णय की सूचना दी गई है कि नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी जाये

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से मामले की जाँच की जा रही है।

केरल में रिफ्रेक्ट्री यूनिट का स्थापित किया जाना

1151. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केरल में एक रिफ्रेक्ट्री यूनिट स्थापित करने में सहायता देने के लिए रूस और भारत में कोई समझौता हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ग) यह युनिट कब तक तैयार हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० त्रिवेंद्रम को 31,000 मी० टन वार्षिक कुल क्षमता के लिए विशिष्ट रिफ्रक्ट्रीज की विभिन्न किस्मों का निर्माण करने हेतु केरल राज्यों में एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए एक आशय-पत्र, पूंजीगत माल तथा विदेशी सहयोग का आयात करने पर यदि आवश्यक हो, तो सरकार संतुष्टि के अनुसार निर्णय के अधीन दिनाक 31 अक्तूबर, 1972 को को दिया गया है । हाल ही में 'आशय-पत्र' की अवधि को 31 दिसम्बर, 1974 तक पुनर्वैध कर दिया गया है । निगम तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न विदेशी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहा है और मे० त्याज प्रोम एक्सपोर्ट, मास्को, सोवियत रून इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए निगम को आवश्यक तकनीकी जानकारी और सहायता देने के लिए सहमत हो गये हैं । सरकार ने विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तथा तकनीकी विशेषज्ञों की उनकी टीम द्वारा परियोजना की स्थापना करने के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम से मे० त्याजप्रोमो ऐक्सपोर्ट द्वारा अपेक्षित शुल्क के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है । इस तथ्य को सुनिश्चय किया जा रहा है कि निगम ने वास्तव में सोवियत संगठन के साथ ठेका किया है ।

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना 1978-79 तक क्रियान्वित हो जायेगी ।

इदिक्की बांध का निर्माण

1152. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इदिक्की में मुख्य बांध का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मुख्य इड्डिकी बांध मई, 1974 में पूर्ण हुआ था । अन्य दो बांधों नामशः चेसथोनी तथा कुलामावु पर निर्माण-कार्य अपनी प्रौढावस्था में है ।

इद्दिकी विद्युत परियोजना चरण-एक में जून, 1975 तक उत्पादन आरम्भ होना प्रत्याशित है तथा समस्त चरण-एक (3× 130 मै० वा०) मार्च, 1976 तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।

इद्दिकी चरण-दो, जिसमें 3× 130 मै० वा के और उत्पादन सेटों का प्रतिष्ठापन निहित है, 1978-79 तक पूर्ण होना अनुसूचित है ।

सिचाई सुविधाओं के लिये राज सहायता

1153. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां गत एक दशक में कृषि उत्पादन से आय में तीन गुना वृद्धि हुई है, वहां सिचाई सुविधाओं को अभी भी भारी राज सहायता का दिया जाना जारी है और केन्द्रीय सरकार को इस राज सहायता का बड़ा भाग वहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस स्रोत के द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिये और केंद्रीय राज सहायता पर अपनी आत्म निर्भरता की क्रमश: कम करने के लिये कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति संबंधित राज्यों की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) और (ख) सिचाई राज्यों का विषय है और सिचाई स्कीमे राज्य सरकारों द्वारा अपनी सम्पूर्ण विकास योजनाओं के अन्दर ही कार्यान्वित की जाती है । सिचाई स्कीमों से सामान्य तथा सरकारी कोष को कम लाभ प्राप्त होता है और राज्य सरकारों द्वारा सिचाई सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाती रही है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार पर प्राय: इस बात की आवश्यकता के लिए जोर दिया है कि वे राज्य के साधनों को बढ़ाने के लिए जहाँ उचित हो वहाँ खुशहाली कर इकठ्ठा करे तथा जल प्रभार बढ़ाएं । सिचाई स्कीमों द्वारा कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है, जिससे देश की खाद्यान्न और वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं की अनुपूर्ति होती है । अन्य निवेशों द्वारा, सिचाई सुविधा की व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वर्षा-पोषित स्थितियों की अपेक्षा लगभग दो से तीन गुणा तक वृद्धि की जा सकती है । बहरहाल, यह वृद्धि जल की उपलब्धता, भूमि की उर्वरता, अन्य निवेशों, शस्य पद्धति, आदि समेत स्थानीय स्थितियों पर निर्भर करेगी ।

(ग) अभी तक केरल, महाराष्ट्र, उड़िसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों ने 1974-75 के दौरान सिचाई से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में घोषणा की है ।

बेरोजगार इंजीनियरों का खपाया जाना

1154. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से सरकारी सेवाओं में इंजीनियरों तथा उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को खपाने को प्राथमिकता देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और इन श्रेणियों के कितने व्यक्तियों को खपाने का विचार है ; और

(ग) क्या केन्द्र शासित क्षेत्रों को भी ऐसे ही अनुदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो उनके क्षेत्रों से विशेषकर दिल्ली से, क्या प्रतिक्रिया मिली ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सदैव ही सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि बेरोजगार इंजीनियरों और उच्च शिक्षण प्राप्त प्रौद्योगिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। हाल ही में रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसे

1974-75 में 40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय बजट राशि से आरम्भ किया गया है, योजना आयोग ने राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों को यह सलाह देते हुए लिखा है कि इंजीनियरों और उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीशियनों, जिनका नाम 31-12-72 को रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर था और जो अब भी बेरोजगार ह, को खपाने की स्कीमों पर उच्च प्राथमिकता दी जाय। फिर भी रोजगार संवर्धन कार्यालय का अधिक जोर स्वनियोजन कार्योंपर दिया जा रहा है, यद्यपि उनमें से कुछ को सरकारी नौकरियों या निजीक्षेत्र के उपक्रमों में खपाया जा सकता है ।

(ख) रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत आजकल राज्य सरकारें प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। इंजीनियरों और दूसरे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को खपाने के लिए बनाई गई स्कीमों की पूरी जानकारी तभी मिलेगी, जब सभी राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में विवरण प्राप्त हो जाय ।

(ग) केन्द्र शासित क्षेत्रों को जिनमें दिल्ली भी शामिल है, यही सलाह दी गई है और रोजगार संवधन कार्यक्रम के अन्तर्गत वे प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन ने इन स्कीमों में अधिक दिलचस्पी दिखाई है ।

अखबारी कागज में कटौती किये जाने पर भी इकानामिक टाइम्स का दिल्ली संस्करण निकालना

1155. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज के कोटे में और कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इकानामिक टाईम्स ने एक दिल्ली संस्करण निकालने का निर्णय किया है; और

(ग) वे अखबारी कागज की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार ने 1974-75 के लिए अखबारी कागज आवण्टन नीति के अन्तर्गत, समाचार पत्रों के कोटे में 40 प्रतिशत की कटौती की है जब की 1973-74 में यह कटौती 30 प्रतिशत थी तथापि, दैनिक समाचार पत्र, आवेदन करने पर अखबारी कागज के अपने कोटे में वृद्धी करने के लिए अपनी हकदारी के 7 प्रतिशत के बराबर छपाई तथा लिखाई का कागज प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 'इकानामिक टाइम्स' के दिल्ली संस्करण के लिए 1973-74 के लिए कोई अलग कोटा अलाट नहीं किया गया है ।

भारत रक्षा नियमों के अधीन जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों की गिरफ्तारियां

1156. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 से जून, 1974 तक कितने व्यापारियों को भारत रक्षा नियमों तथा आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : बिहार, मणिपुर, पंजाब और तमिलनाडु राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ व दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 297 व्यक्ति भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे और 12 व्यक्ति आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नज़रबन्द किये गये थे। दादरा व नागर हवेली, अण्डमान व निकोबार, गोवा, दमन व दीव, लक्षद्वीप और मिज़ोराम संघ राज्य क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए कोई गिरफ्तारियां अथवा नजरबन्दी नहीं की गई थी। शेष राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है ।

डाक सूचकांक के बारे में ग्रामीण जनता को शिक्षित करना

1157. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एन० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1972 से चलाये गये डाक सूचकांक से ग्रामीण जनता भलीभांति परिचित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली के बारे में उनको शिक्षित करने के लिये क्या नये प्रयत्न किये गये है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रचार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जैसे---

सिनेमा घरों में स्लाइड दिखाना, आकाशवाणी के विविध-भारती कार्यक्रमों में ऐलान करना, स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना आदि । 95,500 से ज्यादा शाखा पोस्टमास्टरों के जरिए ग्रामिण जनता को डाक सूचकांक के बारे में जानकारी देने के लिए भी कदम उठाए गए है । पिनकाड के बारे में क्षत्रीय भाषाओं में डाक में डालने से पहले पिन-कोड लिखिए यह नाम से एक डाक्युमेंटरी फिल्म भी तैयार की गई है और पूरे देश में दिखाने के लिए हाल ही में फिल्म डिवीजन के माध्यम से वितरित की गई है ।जब तक ग्रामीण जनता पिन कोड से परिचित नहीं हो जाती, इस तरह के उपाय जारी रखे जाएंगे ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए गुजरात को सहायता

1158. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी; और

(ख) वर्ष 1974-75 के लए राज्य ने किस प्रकार की सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र सरकार गुजरात राज्य सहित भिन्न राज्यों के चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रकार की सहायता देती है :--

(1) पंचमहल, भड़ौच तथा सुरेन्द्र नगर के तीन जिलों में स्थित औद्योगिक एककों के अचल पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत का सीधा अनुदान/राजसहायता 11 मार्च, 1973 को अथवा उसके बाद स्थापित किए जा रहे एककों के लिये राजसहायता की दर 15 प्रतिशत कर दी गई है ।

(2) दस जिलों जैसे पंचमहल, कच्छ, अमरेली, भड़ौच, साबरकंठा, बांसकंठा, भावनगर, मेहसाना, सुरेन्द्र नगर तथा जुनागढ को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता,

(3) तीन राजसहायता प्राप्त जिलों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुऐं बनाने वाले एककों के लिए उदार शर्तों पर मशीनों तथा कच्चे माल का आयात करना ;

(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद पर मशीनों की प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई ;

राज्य सरकार ने 1972-73 की अवधि में 77,000 रुपय तथा 1973-74 की अवधि में 98,000 रुपये राजसहायता के रूप में वितरित किए है। इसके साथ ही 1973-74 में गुजरात राज्य वित्तीय निगम ने भी 9.23 लाख रुपए वितरित किए हैं।

(ख) 1974-75 के वर्ष में भी केन्द्र सरकार द्वारा क(1) से क(4) में उल्लिखित सहायता निरंतर दी जाती रहेगी। 1974-75 की अवधि में राज्य सरकार को आशा है कि वह 20 लाख रुपये वितरित करेगी तथा गुजरात राज्य वित्तिय निगम 15 प्रतिशत पूंजीगत राजसहायता के रूप में 40 लाख रुपए वितरित कर सकेगा।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन

1159. श्री रानेन सेन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने पश्चिम बंगाल संयंत्र में अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) क्या विदेशी साम्यपूंजी वाली इस कंपनी को अनुज्ञप्त क्षमता का दुरुपयोग करने के लिए कोई सजा दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कंपनी से तकनीकी विकास के महानिदेशालय में प्राप्त उत्पादन विवरणी के अनुसार मे० फिलिप्स इंडिया लिमिटड, कलकत्ता ने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक रेडियो रिसीवर्स, आई० एफ० कोयल्स तथा लाइटिंग फिटिंग्स का उत्पादन किया है जिसे निम्न आंकड़ों से देखा जा सकता है :--

क्र० सं०	वस्तु	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	1973 में उत्पादन
		नगों में	नगों में
1	रिडियो रिसिवर्स . . .	60,000	274,544
2	रिडियो प्लेअर्स	30,000	32,656
3	आई० एफ० कोयल्स . .	0.366 भिन्ति	0.493 मि०
4	लाइट फिटिंग्स	120,000	750,000

(ग) उद्योग के अनधिकृत विस्तार को रोकने के लिए सरकार ने इस आशय के सामान्य निर्देश जारी किए है कि अधिकृत क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए कच्चा माल और अन्य सहायता न दी जाय।

(घ) लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के कुछ मामले सरकार आयोग को भेजे गए हैं। अतिरिक्त उत्पादन के मामलों में सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Recovery of Powerful Bombs at Kharak Barula Canal near Poona

1160. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some powerful bombs were recovered at Kharak Barula Canal near Poona during the last week of April, 1974; and

(b) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) According to the information received from the Government of Maharashtra 13 pieces of Gun Shells were recovered from the Mutha Right Bank Canal near Khadak Vasla under Haveli Police Station on 29th April, 1974. The expert of the Institute of Armament Technology Khadakvasla examined the articles and reported that these items were old gun shell heads without explosives and were harmless. Copper & Brass coverings were found to have been removed and the scrap seemed to have been thrown in the Canal Water. Since the articles were recovered in rusted condition, no identity marks could be deciphered.

Memorandum submitted by Delhi Police Officers

1161. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some officers of Delhi Police have submitted a memorandum against their senior officers to the Delhi Administration and Union Home Ministry; and

(b) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri I. H. Mohsin) : (a) and (b) An Assistant Inspector-General of Police in the Delhi Police had submitted a representation against the behaviour of a Deputy Inspector-General of Police of the Delhi Police towards him. The complaint was of a trivial nature and hence no action has been taken in the matter.

A Deputy Superintendent of Police of the Delhi Police had represented against some remarks of the Inspector-General of Police, Delhi, regarding the turn-out of the Deputy Superintendent of Police when the Inspector-General of Police had gone to inspect a police station. No action was considered necessary on the representation of the Deputy Superintendent of Police.

चौथी और पांचवी योजना में समुद्र से भूमि कटाव रोकने संबंधी केरल की योजनायें

1162. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में समुद्र से भूमि कटाव रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या योजनायें बनाई थी तथा उनके लिये वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) उनमें प्रत्येक योजना पर केन्द्रीय सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य में पांचवीं योजना अवधि में समुद्र से भूमि कटाव रोकने के लिये क्या योजनायें प्रायोजित की जायेंगी तथा किन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जायेगी तथा कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र ने चतुर्थ योजनावधि में न तो कोई समुद्र कटाव-रोधी स्कीम प्रायोजित की है और न ही किसी विशेष समुद्र कटाव रोधी स्कीम के लिए वित्तीय सहायता दी है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की राज्य योजना

में शामिल की गई स्वीकृत समुद्र कटाव-रोधी स्कीमों में तेजी लाने के लिए निम्न प्रकार से विशेष ऋण सहायता स्वीकृत की :—

1970–71	20 लाख रुपये
1972–73	200 लाख रुपये
1973–74	239 लाख रुपये

(ग) पांचवी योजना के दौरान केरल में किसी समुद्र कटाव-रोधी स्कीम को आयोजित करने अथवा वित्तीय सहायता देने का इस समय केन्द्र का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में सीमेंट कारखानों की स्थापना

1163. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ; और

(ग) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) केरल में सीमेंट फैक्टरियां लगाने के लिए कोई आवेदन सरकार को नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गत तीन वर्षों में बाढ नियंत्रण के लिये केरल को दी गई धनराशि

1164. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिये केरल को 1972, 1973 और 1974 से कितनी-कितनी धनराशि दी गई, उसका आधार क्या है तथा क्या कार्य पूरे हो गये हैं ; और

(ख) क्विलोन जिले में बाढ़ नियंत्रण संबंधी उन विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम क्या हैं जिनके लिये गत तिन वर्षों में धनराशि दी गई थी तथा क्या वे सभी निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बाढ़ नियंत्रण राज्य योजनाओं में शामिल है, जिसके लिए वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम या विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है । अतः बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए कोई विशेष पृथग् रक्षित सहायता नहीं है ।

केरल राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी योजना में बाढ़ नियंत्रण पर निम्न प्रकार से व्यय किया है :—

1971–72	42.06 लाख रुपये ।
1972–73	39.49 लाख रुपये ।
1973–74 (प्रत्याशित)	32.85 लाख रुपये ।

राज्य सरकार ने केन्द्र को व्यय का स्कीम-वार ब्यौरा नहीं भेजा है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई

1165. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई की स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह राज्य वहां कि मांग का पूरी करने में समर्थ है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह कमी बनी रहेगी और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 25.63 मिलियन यूनिट दैनिक प्रत्याशित मांग के प्रति दैनिक उपलब्धता लगभग 18.55 मिलियन यूनिट है। इस प्रकार दैनिक कमी लगभग 7 मिलियन यूनिट है। इस कमी के एक भाग को पड़ौसी राज्यों और दिल्ली से विद्युत् लेकर पूरा किया जा रहा है। मांग के साथ सप्लाई का सामंजस्य बिठाने के लिए विद्युत् पर कतिपय कटौतिया/पाबंदिया लगाई जा रही है।

(ग) पाचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में 2408 मैगावट अतिरिक्त विद्युत् जनन क्षमता चालू करनी अनुसूचित है। कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न यूनिटें चालू हो जाने और मानसून के सामान्य रहने पर 1977 तक उर्जा की कमी पर काबू पा लेने की आशा है, यद्यपि पांचवीं योजना के शेष दो वर्षों के दौरान पीकिंग क्षमता में थोडी कमी बनी रहेगी। उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड के समेकित प्रचालन से भी उत्तर प्रदेश को राहत देन में सहाता मिलेगी।

वर्ष 1973–74 में दिल्ली में धोखाधड़ी और लूटमार की घटनायें

1166. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1973–74 में धोखाधड़ी और लुटमार के कितने मामले हुये ; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क)

	धोखाधड़ी	लूटमार
1973	782	418
1974 (1-1-74 से 30-6-74 तक) . .	391	185

(ख) ऐसे अपराधों की घटनाएं कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाऐं गए हैं --

(i) गश्त बढ़ा दी गई है।

(ii) सशस्त्र पैदल गश्ती दल तथा घुड़ सवार दल के अतिरिक्त वायर लेस युक्त मोटर साइकलों पर गश्त आरंभ की गई है।

(iii) यदा कदा गश्त गहन कर दी जाती है तथा नाका बंदी की जाती है।

(iv) तीन पहिये वाले स्कूटर रिक्शा चालकों की जांच पड़ताल की जाती है।

(v) बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 56 तथा 57 के अधीन कुख्यात बदमाशों तथा गुंडों को दिल्ली से निकालने के लिये कार्यवाही तेज कर दी गई है।

(vi) बदमाशों पर निगरानी तेज कर दी गयी है ।

(vii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 के साथ पठित धारा 107 के अधीन निरोधात्मक उपाय किये जा रहे ह ।

(viii) न्यायालयों में दायर किये गये आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिये पैरवी की जा रही है ।

(ix) जनता की सुविधा के लिए पूलिस सहायता बूथ स्थापित किये गये हैं ।

इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) धोखाधड़ी करने वालों की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है तथा जनता को उससे सावधान किया जाता है ।

(ii) अपराधी रिकार्ड कार्यालय धोखाड़ी करने वालों तथा धोखाधड़ी के मामलों के रिकार्ड रखता है और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने वाले पूलिस अधिकारी अपने जांच कार्य के संबंध में सहायता के लिये सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

अखबारों की रद्दी कागज से पल्प बनाने हेतु स्याही मिटाने सम्बन्धी परियोजना

1167. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज की कमी को ध्यान में रखते हुये अखबारों के रद्दी कागज से पल्प बनाने हेतु स्याही मिटाने सम्बन्धी एक परियोजना के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस परियोजना के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) रद्दी अखबारों कागज को पुनः काम में लेने की संभावना संबंधी तकनीकी आर्थिक बातों तथा स्याही मिटाने की आपेक्षिक लाभ हानि का पता लगाने का संयंत्र स्थापित करने पर विचार करने हेतु एक समिति बनाई गई है । समिति का प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है जिसका अध्ययन किया जा रहा है ।

Relief works in Flood Affected Districts of M.P.

1168. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7077 on the 17th April, 1974 regarding Central assistance for flood relief in M.P. and state :

(a) whether his Ministry has since decided to undertake relief works in the 11 additional flood-affected districts of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Certain clarifications in regard to relief works in the 11 additional flood affected districts were sought from the Government of Madhya pradesh which are still awaited from them. As and when such clarifications are received, a final view will be taken.

(b) Does not arise.

रेशम उद्योग का विकास करने के लिए निगमों की स्थापना करना

1169. **श्री राशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री वी० मायावन :

श्री रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेशम उद्योग का विकास करने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने दो निगमों की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला भडोच (गुजरात) के गांव ऊंडी में आदिवासियों द्वारा भूख हड़ताल

1170. **श्री झारखंडे राय :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव ऊंडी जिला भडोच (गुजरात) में दो स्त्रियों सहित 15 आदिवासियों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये अनिश्चित काल की भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे है ।

सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ और एक अमरीका फर्म के बीच सहयोग करार

1171 **श्री झारखण्ड राय :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और एक अमरीकी फर्म के बीच कोई सहयोग करार हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त इंस्टीट्यूट द्वारा खोजी गई कुछ औषधियों को एक स्विस फर्म तथा अन्य फर्मों ने पेटैन्ट करा लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीकन फर्म के साथ हुए करार में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा किसी भी अमरीकी फर्म के मध्य कोई सहयोग समझौता नहीं है । औषधि विज्ञान और प्रयोगशाला परीक्षणों के लिये एक समझौता सी० ए० स० आई० आर० और रिकर विश्वविद्यालय यू० एस० ए० के मध्य हुआ था जो 1 मे समाप्त हो गया । वर्तमान में औषधविज्ञान और प्रयोगशाला घटकों का आवरणक करने के लिये एक समझौता सी० एस० आई० आर० और इटैलीयन फर्म के मध्य है । फर्म भारत में अप्राप्त उपकरणों और रसायनों को प्रदान करता है ।

(ख) इटली की फर्म ने सी० डी० और आई० योगिकों के कतिपय पेटेन्ट अपने नाम से विभिन्न देशों में फाईल किये हैं । समझौते की शर्तों के अनुसार उस फर्म के पेटेन्ट संबंधी आवेदन पत्र सी० एस० आई० आर० में निर्दिष्ट करने के लिये कहा गया है । अपने नाम से फाइल किये गये समस्त आवेदनपत्र वापस लेने के लिये फर्म ने मान लिया है ।

इलैक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज

1172. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलैक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज बन जाने से क्रासबार प्रणाली को बदल दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : डाक-तार विभाग की अनुसधान प्रयोग शाला में जो इलैक्ट्रानिक्स टेलिफोन एक्सचेंज का विकास हो रहा है, उसका उपयोग देश के बड़े महानगरों में एक स्थानीय एक्सचेंज के तौर पर किया जाना है। सफल व्यापारिक परीक्षण और तकनीकी आर्थिक संभाव्यता देख लेने के बाद, इस प्रकार के इलैक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज उत्तरोत्तर नई संस्थापनाओं के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्रासबार प्रणाली को बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसाधन जुटाने के लिए रोजगार कर और स्वर्ण नियंत्रण लागू करना

1173. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के लिये अधिक संसाधन जुटाने के लिये रोजगार कर और स्वर्ण नियंत्रण लागू करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ; और

(ग) क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने इस प्रकार के कोई सुझाव नहीं दिए हैं। परन्तु पांचवीं योजना के लिए संसाधन जुटाने के बारे में योजना राज्य मंत्री ने यह सुझाव दिए हैं।

(ख) और (ग) यह मामला विचाराधीन है।

केल्शियम कार्बाइड की कमी

1174. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैल्शियम कार्बाइड की बहुत कमी है जैसा कि 4 जून, 1974 के दिल्ली के एक समाचार पत्र में समाचार छपा है ;

(ख) क्या इस कमी का अनेक उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) देश में कैल्शियम कार्बाइड की कमी है। 1973-74 में देश में 62,000 मी० टन कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन हुआ जबकि इसकी अनुमानित मांग 70,000 मी० टन थी। 1973-74 में कुल 3809 मी० टन का आयात किया गया है। कमी के कारण प्रमुख रूप से कैल्शियम कार्बाइड माध्यम से उत्पादित घुलनशील एसिटिसी गैस और पी० वी० सी० के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समय कैल्शियम का उत्पादन करने वाले पांच संयंत्र है जिनकी वार्षिक अधिस्थापित क्षमता 73,700 मी० टन है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,15,000 मी० टन प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों द्वारा कुल 3,59,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता के लिए स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्र विरोधी और कट्टर प्रान्तीयवादी समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापनों का दिया जाना

1175. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी और कट्टर प्रान्तीयता वादी समाचारपत्रों को भी विज्ञापन दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) ऐसे समाचारपत्रों तथा नियतकालिक पत्रों को विज्ञापन नहीं दिए जाते जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने में जहरीला प्रचार करते हैं या हिंसा का प्रचार करते हैं या सार्वजनिक शालीनता तथा नैतिकता को सामाजिक रूप से स्वीकृत परम्पराओं का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार मूलभूत राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हैं ।

श्री जे० एन० गौड़ की आत्म हत्या के कारणों की न्यायिक जांच के लिए मांग

1176. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्र कर्मचारी संघ ने श्री जे० एन० गौड़ की आत्म हत्या के कारणों की न्यायिक जांच की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । हाल में प्राप्त पुलिस रिपोर्ट के अनुसार श्री गौड़ द्वारा आत्म हत्या की बात सिद्ध हो गई है । अगली कार्रवाई विचाराधीन है ।

प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी में पूर्णता प्राप्त करना

1177. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रौद्योगिकी की कौनसी शाखा है जिसकी तकनीकी जानकारी में भारत ने पूर्णता प्राप्त कर ली है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विगत वर्षों में, देश में कृषि आनुवांशकी, रेलवे, वस्त्र उद्योग प्राद्योगिकी, निर्माण प्रोद्योगिकी, नाभिकीय आय-सोटोप के उत्पादन, मशीनी औजारों आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिक क्षमता का कुछ मात्रा में विकास हुआ है । विकासशील देशों को अनेक प्रकार के उत्पादों की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करने में सहायता देने के लिए भारतीय इंजीनियरी उद्योग प्रौद्योगिक रूप से उन्नत स्तर पर पहुंच गया है । क्योंकि विकासमान प्रौद्योगिकी एक सतत प्रक्रिया है, और प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर लेने जैसी कोई चीज नहीं है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करके उपलब्धियों को उत्कृष्ट बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भारत और श्रीलंका के बीच सूक्ष्म तरंगी सम्बन्ध

1178. **श्री वीरभद्र सिंह** :

श्री बनमाली बाबू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच सूक्ष्म तरंगी संबंध स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : प्रस्तावित भारत-श्रीलंका चौड़ी पट्टी की माइक्रोवेव योजना का सर्वेक्षण-कार्य और इंजीनियरी कार्य दोनों देशों में पूरा हो चुका है। यह सर्वेक्षण-कार्य भारतीय और श्रीलंका दोनों देनों के इंजीनियरों ने मिल कर किया है और विभिन्न वैकल्पित मार्गों पर विचार करने के पश्चात् यह बात स्वीकार की गई है कि सम्पर्क का मार्ग कोलम्बो-अनुराधापुर-मन्नार-रामेश्वरम-मदुरै मार्ग होगा। दोनों देशों के बीच आगामी कुछ महीनों में समझौते के एक औपचारिक ज्ञापन का निष्पादन किया जाना है।

इलैक्ट्रानिक संस्थान के विकास में सहायता देने के लिये बंगला देश सरकार का अनुरोध

1179. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री बनमाली बाबू :

क्या **इलैक्ट्रानिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक संस्थान के विकास में सहायता देने के लिये बंगलादेश सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इन अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) उदय नहीं होता ।

आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली तापीय बिजली घर की स्थापना करना

1180. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली तापीय बिजलीघर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत और क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) एक वृहद ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव की सम्भाव्यताओं पर भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्रों में वृहद् ताप विद्युत् केन्द्रों के लिए गठित स्थल चयन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है। रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद ही विद्युत् केन्द्रों के ठीक स्थान का पता लगेगा।

Memorandum Submitted by Bihar Census Employees Association

1181. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Census Employees Association submitted a memorandum to him in the month of May, 1974;

(b) if so, the main points thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes Sir.

(b) The main points were, (i) deputationists should be repatriated, (ii) the registration of births and deaths in rural and urban areas may be entrusted to the census staff, (iii) District census offices should be opened and (iv) funds should be found for continuing the staff by economy on expenditure on hiring of buildings, use of staff car and tours by gazetted officers.

(c) The policy of the department is to repatriate deputationists at the earliest opportunity. Since the receipt of the memorandum eight more deputationists have been repatriated leaving a balance of eleven deputationists against the present total strength of 216. Progressive repatriation will continue as the state of work permits.

The registration of births and deaths is now being done by the State administrative agencies including local bodies and it is not financially and administratively feasible for the Central Government to take over this work.

There is no work at district level which may justify the opening of the district census offices to provide employment to surplus temporary census staff.

The utmost economy in expenditure is already being observed and there is no scope to retain the surplus staff out of savings as a result of further economy, more so, when there is no work for them to do.

फिलिप्स इंडिया, लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रोमेडीकल उपकरणों का निर्माण

1182. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को देश में इलैक्ट्रोमेडीकल उपकरणों का निर्माण करने की अनुमति दी है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं,

(ग) क्या सरकार को पता है कि अनुसंधान निकायों ने विभिन्न इलैक्ट्रोमेडीकल उपकरणों के लिये स्वदेशी जानकारी का विकास किया है, और

(घ) यदि हाँ, तो उन विकास कार्यों को नजरअन्दाज करके फिलिप्स इंडिया को अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) मैं० फिलिप्स (इंडिया) लि० ने सितंबर, 1970 में "पेशेंट मानीटरींग सिस्टमस्" आदि जैसे मेडिकल इलैक्ट्रोनिकी साजसामानों के निर्माण के लिए आवेदन किया था । एकाधिकार और निर्बंधनात्मक व्यापार वृत्ति अधिनियम के अंतर्गत निकासी लम्बित होने के कारण अभी तक कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है ।

(ग) सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में अर्थपूर्ण स्वदेशी विकास कार्य भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बंबई, इलैक्ट्रोनिकी एवं रडार विकास प्रतिष्ठान, बंगलोर केन्द्रीय वैज्ञानीक उपकरण संगठन, चण्डीगढ, ई० सी० आई० एल० हैदराबाद तथा अनेक निजी पार्टियों द्वारा किया गया है ।

(घ) मैं० फिलिप्स (इंडिया) लि० का प्रस्ताव अब एकाधिकार और निर्बंधात्मक व्यापार वृत्ति आयोग के सामने है । इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न पहलुओं पर, जिनमें संगठित तथा लघु दोनों क्षेत्रों में स्वदेशी जानकारी की उपलब्धि तथा स्वदेशी उद्योग पर उसका प्रभाव शामिल है, विचार किया जाएगा ।

आशय पत्र जारी करना और लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

1183. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में उद्योगों के लिए आशय-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार के पास औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जनवरी से जून 1974 की अवधि में विभिन्न पार्टियों का (राज्य वार) जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1-7-1974 को औद्योगिक लाइसेंस के 2921 आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े थे ।

विवरण

1-7-1974 से 30-6-1974 (अनन्तिम) की अवधि में राज्यवार जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या बताने वाला विवरण ।

राज्य	योग
1. आन्ध्र प्रदेश	39
2. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	..
3. अरुणाचल प्रदेश	..
4. आसाम	8
5. बिहार	21
6. चण्डीगढ़	1
7. दादरा और नगर हवेली	1
8. दिल्ली	7
9. गोवा, दमन और दिव	5
10. गुजरात	74
11. हरियाणा	46
12. हिमाचल प्रदेश	9
13. जम्मू और काश्मीर	4
14. केरल	21
15. कर्नाटक	43
16. लक्ष्यद्वीप समूह	..
17. मध्य प्रदेश	22
18. महाराष्ट्र	167

राज्य	योग
19. मणिपुर	—
20. मेघालय	3
21. मिजोराम	—
22. नगालैण्ड	—
23. उड़ीसा	11
24. पंजाब	20
25. पांडिचेरी	2
26. राजस्थान	26
27. तमिलनाडु	47
28. त्रिपूरा	1
29. उत्तर प्रदेश	64
30. पश्चिम बंगाल	49
31. जिन राज्यों के नाम नहीं दिए गए हैं	6
योग	697

श्री फिजो के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव

184. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के लड़ाई-झगड़ों के स्थायी समाधान के लिये सरकार का विचार निकत भविष्य में श्री फिजो के साथ बातचीत करने का है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की मोटी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) बात-चीत कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छापने के काम आनेवाले सफेद कागज का मूल्य

1185. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छापने के काम आने वाले सफेद कागज के खुले बाजार के मूल्य में हाल ही में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) हाल के महीनों में छपाई के सफेद कागज सहित कागज की सभी किस्मों के मूल्यों में वृद्धि

हुई है । फिर भी, सरकार को संभरण किये जाने के संबंध में उद्योग कुछ निर्धारित कटौती पर 2,750 रु० प्रति मी० टन के भाव से विद्यार्थीयों और सरकार की आवश्यकता पूरी करने के लिये दो लाख मी० टन छपाई के सफेद कागज देने पर सहमत हो गया है । कागज के भावो और उपभोक्ताओं पर उसका क्या असर पड़ा है, इसका अध्ययन शुरू कर दिया गया है ।

समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचारपत्रों को अखबारी कागज कि आवश्यकता

1186. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अप्रैल, 1974 में समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, तथा दैनिकों को अखबारी कागज की कुल कितनी आवश्यकता थी ; और

(ख) उस तिथि तक अखबारी कागज की वास्तविक उपलब्धता कितनी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1974 को देश के समाचारपत्रों, दैनिकों और नियतकालिक पत्रों की कुल आवश्यकता 2,16,835 मीटरी टन की थी ।

(ख) अखबारी कागज की वास्तविक उपलब्धता 1,32,950 मीटरी टन थी ।

उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक प्रसारणों का निर्धारित कार्यक्रम

1187. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह के माध्यम से छः राज्यों के कम से कम 2,400 गांवों में प्रसारित किये जाने वाले शैक्षिक प्रसारणों के निर्धारित कार्यक्रम में और विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक-तार विभाग के बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली

1188. **श्री एस० एम० बनर्जी :** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के कुछ कर्मचारियों को 10 मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या क्या है ;

(ग) क्या केवल हड़ताल में भाग लेने के कारण ही उन्हें सेवा से निकाल दिया गया है ; और

(घ) क्या उन्हें बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं और यदि हां तो कब ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) किसी सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई अपनाने के बाद ही कोई नियुक्ति-प्राधिकारी सेवा से बरखास्त कर सकता है । अपेक्षित सूचना संबंधित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है । प्राप्त होने पर यह सूचना दे दी जाएगी ।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के अन्तर्गत कुछ अस्थायी डाक तार कर्मचारीयों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं ।

(घ) जिन अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई थीं उन्हें बहाल करने का अधिकार डाक-तार महानिदेशक को है। इस प्रकार के पूर्ववर्ती कर्मचारियों की याचिकाएं जब भी प्राप्त होती हैं उन पर डाक तार महानिदेशक द्वारा विचार किया जा रहा है/किया जाएगा ।

गुजरात में पैकिंग उद्योग में संकट

1189. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पैकिंग उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय निकाय के निर्णय के कारण पेपर पल्प एण्ड एलाइट इंडस्ट्रीज की विकास परिषद प्रत्येक उपभोक्ता यूनिट के लिये कोटा प्रणाली आरम्भ करेंगी ;

(ग) क्या गुजरात कारूगेटिड बोक्स मैन्युफेक्चरिग ऐसोसिएशन ने कमेटी के निर्णय का तुरन्त पुनरीक्षण करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (घ) हाल ही के कुछ महीनों में कागज उत्पादन में कमी होने के कारण पेकिंग उद्योग सहित सभी कागज उपभोक्ताओं को कठिनाई का अनुभव हुआ है । पेकिंग उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने हतु इस समय कोई कोटा पद्धति लागू करने का विचार नही है। कागज के सम्बन्ध में बनायी गयी विकास परिषद का मत है कि खादी तथा अन्य पेकिंग के कागज की पेकिंग उद्योगों के उपभोक्ताओं को की जाने वाली सप्लाई पांच वर्षों की औसत खपत के आधार पर करनी होगी । इस सिद्धान्त के विरोध में गुजरात के कोरोगेटेड बाक्स मेन्युफेकचरस् एसोशियेशन सहित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इस विषय में पेपर उद्योग तथा पैकिंग उद्योग के उपभोक्ताओं के बीच समझौता हो गया है तथा उपरोक्त अवधि पांच वर्षों से 3 वष कर दी गयी है ।

गुजरात उच्च पदासीन अधिकारियों को मुअत्तिल किया जाना

1199. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च पदासीन अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया है अथवा सेवा से निकाला गया है अथवा छुट्टी पर जाने के लिये विवश किया गया है ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप है ; और

(घ) क्या उनके विरुद्ध कोई जांच कराई गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) से (घ) राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान गुजरात के भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) के किसी भी अधिकारी को न तो मुअत्तिल किया गया है और न सेवा से निकाला गया है और न ही छुट्टी पर जाने के लिए विवश किया गया है । फिर भी, भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) के दो अधिकारी, जिनके विरुद्ध राज्य सरकार यात्रा भत्ते (टी० ए०) के झुठे दावों से सम्बन्धित आरोपों पर विभागीय कारवाई कर रही है, स्वेच्छा से छुट्टी पर रहे हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाहियां चल रहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

1191. स्वामी ब्रह्मानन्द : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है उनके तहसील-वार नाम, पते तथा पेंशन की राशि क्या है ;

(ख) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एवं पते क्या हैं जिनको केन्द्र ने पेंशन मना कर दी है और पेंशन मना करने के प्रत्येक मामले का कारण क्या है ;

(ग) उनके नाम एवं पते क्या हैं जिनके मामले कैद की अवधि और अन्य शर्तों के संबंध में, जिनके कारण वे पेंशन के हकदार बनें, जानकारी और प्रमाण को निर्धारित अवधि में न दिये जाने के कारण फाइल कर दिये गये थे ; और

(घ) जिनके मामलों का अभी तक निर्णय नहीं हुआ, उनके नाम एवं पते क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियां से प्राप्त हुए तथा निपटाये गये आवेदन पत्रों के बारे में सहज उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है । प्रत्येक मामले में नाम, पता तथा राशि देना संभव नहीं है ।

सामान्यत: आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत किये जाते हैं कि व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं है अर्थात उसकी वार्षिक आय 5000 रुपये से अधिक है, आश्रितों की विशिष्ट श्रेणी का नही है अथवा निर्धारित यातना नहीं सही है अर्थात छ: माह से कम सजा रही है इत्यादि ।

यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसको इन गलतियों की सूचना देने के बाद उसका आवेदन पत्र फाइल कर दिया जाता है । ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है यदि उनकी गलतियां दूर कर दी जाऐं ।

विवरण

हमीरपूर जिले (उत्तर प्रदेश) के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वीकृत किये गये, अस्वीकृत किये गये, फाइल किये गये/अपूर्ण /निपटान किये जाने वाले आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण ।

स्वीकृत किये गये मामलों की संख्या . .	257
अस्वीकृत किये गये मामलों की संख्या . . .	87
लम्बित/फाइल किये गये मामलो की संख्या	62

समय से पूर्व रिहा किये गये स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

1192. स्वामी ब्रह्मानन्द :

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में तथा कई अन्य राज्यों में जेलों में उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्हें 6 मास के कठोर कारावास की सजा की गई थी, एक मास की माफी दे दी गई थी जिसके कारण वे पांच महीने के बाद ही रिहा कर दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गांधी-इर्विन समझौते के अन्तर्गत रिहा किये गये लोगों पेंशन देने के निर्णय के फलस्वरूप उन स्वतंत्रता सेनानी यों को पेंशन का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय पेंशन योजना के अधीन किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जल में व्यतीत की गई अवधि का हिसाब लगाते समय सामान्य माफी का लाभ एक महीने में 4 दिन का दिया जाता है । चूंकी सामान्य माफी की यह अवधि प्रत्येक राज्य में अलग अलग है अत: इस प्रश्न पर , कितनी अवधि को सामान्य माफी के रुप में माना जाय, विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात् गुजरात में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

1193. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात 30 जन, 1974 तक पूलिस ने किन किन स्थानों पर कितनी बार गोली चलाई ;

(ख) गोली चलाये जाने के परिणामस्वरुप कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ0 एच0 मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 फरवरी तथा 30 जन, 1974 के बीच राज्य में 38 स्थानों पर 194 बार गोली चलानी पड़ी । इन गोलीबारियों के परिणाम स्वरुप 51 व्यक्ति मारें गये तथा 202 व्यक्ति घायल हुये गोलीबारियों में मारे गये तथा स्थायी रुप से अपंग हुये व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 5000 रुपये तथा 2500 रु० के अनुग्रहीत अनुदान स्वीकृत किये गये है ।

भारतीय डाक टिकोट की विदेशों में बिक्री

1194. श्री एस० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक टिकटों की बाहर के कुछ देशों में बहुत अधिक मांग है;

(ख) भारतीय डाक टिकटों की विदेशी में बिक्री से गत तीन वर्षों में वर्षवार विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ग) भारतीय डाक टिकटों की बाहर के देशों में बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारने क्या उपाय किए है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कुछ विदेशों में भारतीय डाक टिकटों की मांग है ।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) (i) उत्तरी अमेरीका में भारतीय डाक टिकटों की बिक्री के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्टूबर , 1973 में एक एजेंट की नियुक्ति की गई थी ।

(ii) उत्तरी अमेरिका में एजेंट की नियुक्ति के अलावा जापान और आस्ट्रेलिया में भारतीय डाक टिकटों की बिक्री के लिए अप्रैल 1974 में एजेंट नियुक्त कर दिए है । इस साल के दौरान पश्चिम जर्मनी, यु० के० और अन्य युरोपिय देशों में भी एजेंट नियुक्त किए जाने की संभावना है ।

(iii) डाक-तार विभाग अन्तर्राष्ट्रीय फिलाटली प्रदर्शनीयों में भाग ले रहा है। वर्ष 1974 के दौरान डाक-तार विभाग स्वीटजरलैंड और बुलगारिया में होने वाली दो अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनीयों में भाग लेगा ।

(vi) प्रचारार्थ समय-समय पर जारी किए जाने वाले नए डाक-टिकटों के फोटो प्रिंट और तकनिकी आंकड़ नियमित रुप से विदेशी फिलाटेलिक जर्नलों को सप्लाई किए जाते है ।

(v) भारतीय डाक टिकटों का विस्तृत प्रचार करने के लिए भारतीय मिशनों को प्रचार -फोल्डर्स सप्लाई किए जाते हैं।

(vi) नए जारी किए गए डाक टिकटों के बारे में प्रमुख विदेशी फिलाटेलीक जर्नलों में नवम्बर 1973 से विज्ञापन दिए गए है।

(vii) विदेशी फिलाटेलिस्ट्रस/डाक टिकट संग्रहकर्ताओं भारतीय फिलाटेली के बारे में जानकारी देने वाला भारतीय फिलाटेलीस्ट नामक एक सूचना-पत्र सप्लाई किया जा रहा है ।

ट्राम्बे में एक तापीय रिएक्टर की स्थापना

1195. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक यूरेनियम तथा भारी पानी का प्रयोग करते हुए 100 मैगावाट के एक तापीय रिएक्टर अर्थात् आर-5 परियोजना की स्थापना ट्राम्बे में की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसकी धन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या प्रयोग किये जाने वाला ईंधन द्विपक्षीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण से मुक्त होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस रिएक्टर में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्राकृतिक यूरेनियम से तैयार की गई ईंधन-छड़ों को काम में लाया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपग्रह द्वारा किये जाने वाले प्रयोग

1196. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**: क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों के साथ इस वर्ष के अन्त तक छोड़े जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग का सामंजस्य किस सीमा तक स्थापित होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अन्तरिक्ष विभाग के कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिस में उपग्रह भी शामिल हैं, के लिए जरूरी सूक्ष्मतम लोह कल-पुर्जों के डिजाइन बनाने और उनका निर्माण करने के कार्य में स्वदेशी क्षमता का विकास किया जाए । प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह से, जिसका सम्पूर्ण डिजाइन और निर्माण भारत में ही हुआ है, हमें ऐसा अनुभव प्राप्त होगा, जो कि इस प्रकार की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक है ।

जब उपग्रह कक्षा में होगा, तो उस समय तीन प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण करने का प्रस्ताव है, जिनमें से एक एक्स-रे खगोल-विज्ञान में अनुसंधान के लिए होगा, दूसरा सौर-न्यूट्रोन और गामा किरणों के मापन के लिए और तीसरा आयनोमंडलीय पैरामीटरों के मापन के लिए होगा । इन परीक्षणों के द्वारा जो आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, वे अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत महत्व के हैं ।

"लीक्विड प्रोपैलेन्टस" और "लीक्विड राकेट" इंजिनों का निर्माण

1197. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में भविष्य में लागू करने के विशेष संदर्भ में "लोक्विड प्रोपैलेन्टस" और "लोक्विड राकेट" इंजिनों के निर्माण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): लोक्विड प्रोपैलेन्टस और लोक्विड राकेट इंजिनों पर किया जाने वाला कार्य इस समय टेक्नोलोजिकल विकास और प्रमाणन अवस्था में है । अब तक हुई प्रगति संक्षेप में निम्नलिखित है :

(1) **लीक्विड प्रोपैलन्टस :** प्रक्रिया के प्रमाणन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणोदकों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है । उनके उत्पादन के लिए पाइलट संयन्त्रों की योजना बनाई जा रही है ।

(2) **लीक्विड राकेट इंजिन :** 250 किलो ग्राम तक के दबाव वाले, कम दबाव के नियंत्रण राकेटों का विकास हो रहा है । उनमें से अधिकतर घरती पर प्रमाणित हो चुके हैं और उड़ान के लिए उनकी योग्यता का परीक्षण चल रहा है । प्रस्तावित उपग्रह प्रक्षेपण राकेट (एस० एल० वी०-3) में उनका सीधा उपयोग किया जाएगा ।

अपेक्षाकृत अधिक दबाव के राकेट इंजिनों से संबंधित श्रेणी में से, 600 किलोग्राम के दबाव वाले दो राकेट श्रीहरिकोट से सफलतापूर्वक छोड़े गये और 3 टन के दो लीक्विड राकेटों का स्थैतिक-परीक्षण थुम्बा में सफलतापूर्वक किया गया । 1975 के प्रारम्भ में श्रीहरिकोट से एक 3 टन वाले राकेट की उडान के परीक्षण की योजना बनाई गई है । यह आशा कि जाती है 3 टन वाले लीक्विड इंजिन का समूचित रुपान्तर, उपग्रह प्रक्षेपण राकेट (एस० एल० वी०-3) के आशोधित और संशोधित रुपान्तर के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।

स्कूटरों के टायरों और ट्यूबों की चोरबाजारी

1198. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटरों के टायरों और ट्यूबों की भारी कमी है ;

(ख) क्या इनकी बिक्री चोर बाजार में 70 प्रतिशत आधक मूल्य पर की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार टायरों और ट्यूबों को पर्याप्त संख्या में नियंत्रित मूल्य पर सप्लाई करने की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जहां स्कूटर टायरों की मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक है वहीं केवल एक साइज उदाहरणार्थ 3.50 गुण 8 के स्कूटर टायरों की ही मुख्य रूप से कमी है ।

(ख) ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि स्कूटर टायर और ट्यूबें बाजार में कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेची जा रही हैं ।

(ग) टायर कम्पनियों से विद्यमान कमी को पूरा करने के लिये स्कूटर टायरों और ट्यूबों का अधिकतम उत्पादन करने को कहा गया है ।

दिल्ली में पोस्ट बाक्स का खुला पाया जाना

1199. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यों सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि 'के' ब्लाक, कनाट सरकस, नई दिल्ली में हाल ही में एक पिलर पोस्ट बाक्स खुला पाया गया था, जिसमें पत्र पड़े हुए थे, और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना के बारे में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी: तथ्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, लेकिन शरारत करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चला है ।

ब्रह्मपुत्र बाढ नियंत्रण बोर्ड को नियंत्रण में लेने संबंधी ड्राफ्ट विधेयक में संशोधन

1200. **श्री एन० ई होरो :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ब्रह्मपुत्र बाढ नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय नियंत्रण में लेने संबंधी विधेयक के मसोदे पर पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किये गये संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केंद्रीय सेक्टर में ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड के निर्माण के लिए बिल के संशोधित प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग के लिये एक कार्यालय की स्थापना

1202. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति को सहयोग देने के लिये व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक कार्यालय स्थापित करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने इस समय भारी मात्रा में व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग न किये जाने के बारे में अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुमान के क्या परिणाम निकले और पांचवी योजना में व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग के लिये अनुसंधान करने के लिये तैयार की गई योजना की रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग हेतु एक कार्यालय की स्थापना करने का सुझाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया गया है । इस पर अनुसंधान, संस्थानों, इंजीनियरी अभिकल्प संगठनों तथा अन्य अधिकरणों के निकटतम सम्पर्क में काम करके व्यर्थ जाने वाले पदार्थों तथा उत्पोत्पादों के कुशल उपयोग संबंधी समन्वय करने का दायित्व होगा । इस सुझाव के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और उन्हें सरकर के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) और (ग) व्यर्थ जाने वाले पदार्थों की विस्तृत सूची उनकी उपलब्ध अनुमानित मात्रा तथा अनुसंधान एवं विकास योजनाओं की रूप रेखा सहित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना (खंड 1 व 2) 1974-79 के प्रारूप में जिसे 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था, दी गई है ।

नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी पूना, द्वारा रबड के निर्माण के लिये विकसित प्रक्रिया

1204. **श्री के० मालन्ना:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी पूना ने पूर्णतया देश में उपलब्ध कच्ची सामग्री से रब निर्माण की नयी प्रक्रिया का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इससे टायर, इनर ट्यूब ट्रेड रबड़, वाहनों पर बिछाने वाली रबड़ की चटाई (ओटोमोबाइल फ्लोरमैन्ट) तैयार करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की प्रक्रिया (एक्सवाइएलवाईएल) सल्फाइड मिश्रित प्रकार) के प्रयोग द्वारा पुर्नप्राप्त रबड़ का प्रयोग टायर, इनरट्यूबस और वाहनों में बिछाने की चटाइयों का निर्माण करने में किया जाता है । पुर्नप्राप्त रबड़ का प्रतिशत जो रबड़ के स्टॉक के साथ प्रयोग किया जा सकता है, वह ताजी रबड़ स्टॉक के संघटन पर (प्राकृतिक संश्लेशित आदि) और उत्पाद के अंतिम विनिदेशों पर निर्भर करता है । टायर निर्माण के लिये (15%) इनर ट्यूबों के लिये (20%) और वाहनों पर बिछाने की चटाईयों में (100%) पुर्नप्राप्त रबड़ का प्रयोग कोष्टक में निर्दिष्ट सीमा तक किया जा सकता है ।

लद्दाख का विकास

1205. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने इस वर्ष जून के तीसरे सप्ताह में जम्मू और काश्मीर के अपने दौरे के दौरान श्रीनगर में एक सभा में कहा था कि वह लद्दाख के तेजी से विकास और उस क्षेत्र के लोगों की स्थिति में सुधार करने में बहुत रुचि रखती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) लद्दाख की समस्याओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं से संबंधित एक विशिष्ट कार्य नीति के माध्यम से इस क्षेत्र का तेजी से विकास करने की आवश्यकता अनुभव करते हुए और यहां की जरूरतों के सही अनुमान के आधार पर राशि आंवटन के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में लद्दाख जिले के विकास के लिए अलग से एक विकास योजना बनाने का तरीका अपनाया गया था । इसके अतिरिक्त, लद्दाख जिले के योजना परिव्ययों को उसी के लिए नियत किया गया था तथा उन्हें अपरिवर्तनशील वर्गीकृत कर दिया गया था । इसके साथ लद्दाख को सुगम शर्तों पर केन्द्रीय सहायता

देने की नीति अपनाई गई थी । जिसके अन्तर्गत लद्दाख के योजना व्यय को पूरा करने के लिए चौथी योजना अवधि में राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी गई जबकी सामान्यत: दूसरे राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण होता था । पांचवीं योजना अवधि में भी लद्दाख के योजना परिव्ययो को उसी के लिए नियत करने की विधि को तथा इन परिव्ययों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के वास्ते उदार केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति को जारी रखने का प्रस्ताव है ।

लद्दाख के लिए अलग से एक पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, जिससे कृषि तथा सम्बन्ध कार्यक्रमों परिवहन तथा संचार और बिजली स्कीमो को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया गया है ।

Recommendations of Bhatt Committee

1206. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2154 on the 6th May, 1974 regardidg implementation of recommendations of Bhatt Committee and state :

(a) whether Government have taken any decision on the recommendations of the Bhatt Committee and if so, when, and

(b) which of the recommendations of the Bhatt Committee have been accepted by Government and the reasons for rejecting the others ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) The Government have since considered the recommendations made by the Committee and have taken decision thereon. A copy of resolution dated the 25th July, 1974 announcing the decision of the Government on the recommendation of the Committee is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 8102/74]

जन-जाति क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए योजना

1207. श्री धामनकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जन-जाति क्षेत्रों के एकीकृत तथा द्रुत विकास के लिये एक विस्तृत योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं ; और

(ग) महाराष्ट्र में कौन से क्षेत्र इसके लिए चुने गये हैं और पांचवी योजना के दौरान इन क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं बनाने और 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जन संख्या वाले क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास परियोजनाएं तैयार करने का निश्चय किया गया है । तदनुसार आदिवासियों से घने बसे क्षेत्रों के लिए उपयोजना तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है । महाराष्ट्र सरकार से उपयोजना और परियोजनाएं प्रत्याशित हैं ।

केरल के पालाघाट में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० के कारखाने का निर्माण

1208. श्री वयालार रवि : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पालाघाट में इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० के एक कारखाने के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना को स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इन्स्ट्रूमन्टेशन लिमिटेड के पालघाट एकक के निर्माण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सरकार ने विनियोजन की दृष्टि से 270.00 लाख रुपये के लिए (वस्त्रों के अतिरिक्त) स्वीकृति दे रखी है ।

(2) सरकार ने कम्पनी के जापान के मेसर्स यसटाके हरनौवेल के साथ तकनीकी सहयोग करार प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है । सहयोग करार पर 17 नवम्बर, 1973 को हस्ताक्षर हुए थे ।

(3) सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आयात लाइसेंस भी जारी कर दिया है ।

13 एकक की स्थापना में सहायता के लिये जापानी विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति को सरकार द्वारा स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी गई है ।

(ख) इस परियोजना के स्थापित करने में विलम्ब नहीं है । निश्चित समय के अनुसार कार्य प्रगति पर है । सरकार द्वारा इस परियोजना के लिये 1973–74 में 66.00 लाख रुपयों उपलब्ध कराया गया तथा 1974–75 के बजेट में 180.00 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है । इसमें से वर्ष की पहली तिमाही में 50.00 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है । विकास की विद्यमान स्थिति को देखते हुए यह आशा की जाती है कि परियोजना 1975 के मध्य तक चालू हो जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में डिगहा समुद्री दर्शनीय स्थान के समुद्र द्वारा कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही

1209. **श्री समर गुह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के आगमन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में डिगहा-समुद्री दर्शनीय स्थान के समुद्र द्वारा कटाव को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार को डिगहा के संरक्षण और विकास के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने, जो समुद्री कटाव रोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यह सूचित किया है कि डिगहा पर इस समय कट रहे समुद्री तट की कुल लम्बाई लगभग 1670 मीटर है । इसमें से मुख्य डिगहा टाउनशिप के 900 मीटर लम्बे तट पर लैटराइट बोल्टर पिचिंग द्वारा चालू मानसून के प्रारम्भ होने से पहले, सुरक्षा उपाय किए गये हैं । अब तक यह व्यवस्था पूरी तरह संतोषजनक बताई गई है ।

(ख) से (घ) डिगहा क्षेत्र के लिए समुद्री रोधी स्कीम, जिसमें समुद्र तट कटाव बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर समुद्री दीवार और बालू-बांध शामिल है, की पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बाल योगेश्वर के विरुद्ध जांच

1210. **श्री शाम सुन्दर महापात्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बाल-योगेश्वर के विरुद्ध की गई जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या बाल योगेश्वर के मुख्य सहायक, श्री विहारी सिंह का पारपत्र रोक लिया गया है और क्या उन्हें क्षतिपूर्ण बन्ध (इंडिमनिटो बाण्ड) के आधार पर भी विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं सदी गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में दिनांक 8 मई, 1974 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 9560 के उत्तर और ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह बताया गया था कि जांच-पड़तालों के परिणामों के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर, श्री बिहारी सिंह को जिसे प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर का सचिव बताया जाता है, चार कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं। ये मामले न्याय-निर्णयन के लिए लंबित पड़े हुए हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री रावत को कोई कारण बताओं नोटिस जारी नही किया गया है ।

(ग) जी, नहीं श्रीमान् ।

हीलियम परियोजना का शिक्षा विभाग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानातरण

1211. **श्री समर गुह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट फार कलटीवेशन आफ साइंस), कलकत्ता द्वारा इस समय बनाई जा रही हीलियम परियोजना को शिक्षा विभाग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानान्तरित करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हीलियम अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए एक अनिवार्य पदार्थ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल और बिहार के प्राकृतिक जल-स्त्रोतों से शुद्ध हीलियम के उत्पादन की परियोजना को जो उक्त इंस्टीट्यूट के स्वर्गीय प्रो० स० न० बोस के मार्गदर्शन और डा० श्यामदास भट्टाचार्य के प्रत्यक्ष निरीक्षण में सफलतापूर्वक तैयार की गई थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्राथमिकता दी जायेगी, और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) परियोजना की तकनीकी तथा आर्थिक क्षमता के संबंध में विज्ञान और औद्योगिकी विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल मूल्यांकन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जी हां।

(घ) परियोजना की निरंतरता तथा आगे का विकास विशेषज्ञ दल के मुल्यांकन पर निर्भर होगा ।

गंगा नदी का जल हुगली नदी में डाला जाना

1212. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को जल को हुगली नदी में डाले जाने में विलम्ब के कारण कलकत्ता पत्तन के लिये विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने गंगा नदी के जल को हुगली नदी में डालने के बारे में समय निर्धारित करने हेतु कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) फरक्का बराज परियोजना को पोषक नहर, जिसके द्वारा कलकत्ता पत्तन को बना रखने के लिए, गंगा के जल को भागीरथी-हुगली प्रणाली में ले जाना है, 1974 के अंत तक पूर्ण हो जायगी ।

पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली परियोजना की स्थापना

1213. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार, विशेषकर उसके योजना विभाग ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु बिजली घर स्थापित करने पर पुन: जोर दिया है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल योजना समिति द्वारा प्रस्तुत योजना की व्यवहार्यता के बारे में उठाई गई आपत्तियों को परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भेजे गये नये ज्ञापन से पर्याप्त रूप से दूर किया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के दालान क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना की, जो पूर्वी भारत के एक बड़े भाग को बिजली की आवश्यकता पूरी करेगी अग्रेतर पुनर्विलोकन करेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निवारण पूरी तरह से नहीं किया गया है ।

(ग) राज्य योजना बोर्ड के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए योजना की व्यवहार्यता से सम्बन्धित विश्लेषण से संतुष्ट न होने की अवस्था में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से विस्तारपूवक विचार-विमर्श कर लें।

टेलीविजन सेटों और रेडियो सेटों का उत्पादन

1214. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में (30 जून, 1974 तक) देश में क्रमश : कितने टेलीविजन सैटों/रेडियो सैटों का उत्पादन हुआ ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित रेडियो और टेलीविजन सैटों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

	1971	1972	1973
रेडियो सैट* .	30 लाख	30 लाख	20 लाख 65 हजार
टेलीविजन सैट	16,007	29,965	74,502

राजस्थान में हरिजनों के परिवारों को रिहायशी प्लाट आबंटित करना

1215. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में, गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितने हरिजन परिवार को रिहायशी प्लाटों का आवंटन किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफोन मैकेनिकों की संख्या

1216. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफान मैकेनिकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें, अलग-अलग, स्थायी तथा अस्थायी पदों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसे मैकनिकों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा तीन वर्ष से अधिक हो गई है लेकिन वे अभी भी अस्थायी हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली टेलीफोन जिले में मैकेनिकों की कुल स्वीकृत संख्या 1039 है, इस में से 954 पद स्थायी हैं और 85 पद अस्थायी हैं।

(ख) 43.

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1217. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1974 को दिल्ली/नई दिल्ली में ओ० वाई० टी० तथा अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत एक्सचेंजवार टेलीफोन कनेकशनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम थे ;

(ख) अब तक एक्सचेंजवार किस तारीख तथा किस पंजीयन संख्या तक टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं ; और

*प्रस्तुत आकड़ों में संगठित क्षेत्र में हुआ उत्पादन (जिसको निश्चित उत्पादन आय० डी० जो० टी० डी० के पास उपलब्ध है) तथा लघु क्षेत्र का उत्पादन शामिल है, सके आंकड़े अनिवार्यत : प्रकलन पर आधारित हैं ।

(ग) शीघ्रातिशीघ्र यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है कि दिल्ली/नई दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन मांगने वालों को तुरन्त कनेक्शन मिल जाए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) तारिख 1-7-1974 को प्रतीक्षा सूची की जो स्थिती थी उसका एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8103/74]**

(ग) ये अड़चनें एक्सचेंज-क्षमता, भूमिगत केबुल और अन्य सामान की कमी के कारण अनिर्णीत पड़ी है। उपस्कर और सामान के जो भी सीमित साधन उपलब्ध हैं उनके भीतर ही टेलीफोन प्रणालियों के विस्तार तथा और टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली/नई दिल्ली में 77,000 अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

Tours of Union Ministers for Election Campaign in U. P.

1218. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of HOME AFFIARS be pleased to state :

(a) the number of Central Ministries of the State ahd Deputy Ministers who tookpartin the campaign for elections to Uttar Pradesh Vidhan Sabh a held in February, 1974; and

(b) the total expenditure incurred on transport and security arrangements made for he tours of the Prime Minister exclusively for participating in the said election campaign?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The State Governments make arrangements for security and maintedance of law and order when the Prime Minister visits the States. The Government have no information as to the expenditure iucurred on these items by the Government of Uttar Pradesh on Prim. Minister's visit to the State in connection with the election held there during February, 1975

The Prime Minister uses the Indian Air Force Aircrafts, for which recoveries at the prescribed rates are made from the Prime Minister for journeys performed for non-official purposes. No separate costing is done for such flights.

टायर के मूल्यों में वृद्धि

1219. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माण करने वाली कम्पनियों ने विभिन्न प्रकार के टायरों के, जिनमें स्कुटरों तथा हैवी ड्यूटी के टायर भी शामिल है, मुल्यों में और वृदिध् की है ;

(ख) क्या आटोमोटिव टायर इंडस्ट्री नामक-निर्माता संघ ने टायरों पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण समाप्त होने के बाद, दूसरी बार मूल्य वृद्धि की है, अद्यतन मूल्य-वृद्धि इस वर्ष 28 जून से लागू हुई और इस प्रकार आटोमोटिव टायर इंडस्ट्रीज ने गत अप्रैल में हुए विनियंत्रण के तुरन्त बाद नियंत्रित मूल्य से 18 से 52 प्रतिशत वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो टायर निर्माताओं द्वारा शीघ्र मनमाने ढंग से मूल्य वृद्धि किए जाने को रोकने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सर्व प्रथम स्कूटर के टायर तथा ट्रकों के टायरों की निम्नतम तथा उच्चतम मूल्य वृध्दि क्रमश 10 तथा 52 प्रतिशत थी। दूसरी मूल्य वृध्दि प्रथम मूल्य वृध्दि के पश्चात् स्कुटर टायर, रेयन ट्रक टायर तथा नायलोन ट्रक टायर के विषय में क्रमश : 12, 16 और 7 प्रतिशत थी ।

(ग) अधिकांश में कच्चे माल, जैसे रबड़, रबड़ रसायन, बोड वायर आदि के मूल्य में हुई वृध्दि के कारण टायर के मूल्य में बढोतरी हुई है। आटोमोटिव टायर तथा ट्यूबों पर कोई मूल्य नियंत्रण नही है । फिर भी सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है ।

यू० एन० डी० पी० की सहायता से कम्प्यूटर केंद्रों की स्थापना

1220. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तीन बड़े कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु यू० एन० डी० पी० की सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की रुपरेखा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं में यू० एन० डी० पी० का योगदान क्या है ; और

(घ) इन कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना के लिए कौन से स्थान चुने गए हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग) इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने 1971 मे मूल्यांकन समितियों का गठन किया था, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर और मद्रास, में संगणक संबंधी मांगों की प्रकृति एवं मात्रा का विश्लेषण हो सके । इस विश्लेषण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से तीन स्थानों के लिए सहायता मांगी गयी है, जहां संगणक प्रयोग्यताऐं विकासात्मक उत्प्रेरण एवं पर्व-निवेश प्रकृति की हैं और जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के क्षेत्र एवं इसके सहायता मानकों के अंतर्गत आती हैं ।

चुने गये केन्द्र तथा प्रस्तावित प्रमुख प्रयोज्यताऐं इस प्रकार हैं :—

(1) **बम्बई** : यह केन्द्र सोफ्टवेअर एवं संगणन तकनीकियों के विकास के लिए है, जिससे संगणक तथा सेमी-कण्डक्टर के स्वदेशी उद्योगों को समर्थन मिल सके ।

(2) **दिल्ली** : यह केन्द्र राष्ट्रीय आंकड़े आधारों के गठन में समर्थ होगा तथा निर्णय लेने की दृष्टि से इन आंकड़ों को संचालन करने के लिये ढंग प्रक्रियाओं का विकास करेगा ।

(3) **बंगलोर** : यह संगणक की सहायता से उद्योग में डिजाइन प्रयोज्यता के लिये होगा ।

इन तीन संगणक केन्द्रो के लिए 1972-79 की अवधि में यू० एन० डी० पी० से मांगी गयी कुल सहायता 9.12 मिलियन अमेरिकी डालर्स है । 1972 से 1976 की अवधि के लिए 60 लाख डालर की व्यवस्था कर ली गयी है, इसमें से 2.639 मिलियन डालर इन कार्यों के लिए तुरंत उपलब्ध किए गए हैं ; बम्बई के टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च में सोफ्टवेअर विकास तथा संगणक तकनीकियों हेतु राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए एक बड़े संगणक की व्यवस्था के लिए तथा बंगलौर केन्द्र की अपेक्षाओं का पुनर्वलोकन करने के साथ साथ दिल्ली की संगणक आश्यकताओं के गठन करने हेतु अध्ययनों के लिए ।

शिमला टेलीफोन केन्द्र का विस्तार

1221. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमला टेलीफोन केन्द्र का विस्तार कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो विस्तार का स्वरुप क्या है;

(ख) किस स्थिति तक विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(ग) शिमला में प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सिमला टेलीफोन एक्सचेंज में इस समय 2540 लाइनों की क्षमता है । इस एक्सचेंज की क्षमता में 700 लाइनों का दो चरण में विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) 300 लाइनों का पहला विस्तार – 2540 से 2840 लाइनों तक मार्च 76 तक पूरा होने की संभावना है । 400 लाइनों का दूसरा विस्तार (2840–3240) मार्च 78 तक पूरा होने की संभावना है ।

(ग) सिमला एक्सचेंज में तारीख 31-3-1974 को प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या 497 थी ।

केरल मे बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं

1222. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन सी बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्तरों पर अध्ययन और उनकी जांच कर रही है; और

(ख) इन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित 5 नई बृहत् तथा 5 नई मध्यम परियोजनाओं की जिनकी मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी जाती हैं केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में जांच की जा रही है । इनमें से 3 बृहत् तथा 5 मध्यम परियोजनाएं कावेरी बेसिन में है । इन परियोजनाओं को स्वीकृति देना कावेरी विवाद के समझौते तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । शेष दो परियोजनाओं नामशः वामनपुरम तथा इदामलाय की केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में जांच की जा रही है तथा यदि ये परियोजनाएं तकनीकी तौर पर व्यवहार्य तथा आर्थिक रुप से लाभकारी पाई गई तो धन की उपलब्धता होने पर इनकी स्वीकृति की सिफारिश कर दी जाएगी ।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (हजार है०)
कावेरी बेसिन		
बृहद		
1. बनसुरसागर	1137.10	23.87
2. तिरूनेल्ली	650.00	8.90
3. केरल भवानी टेल रेस	805.00	32.30

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाखरुपये)	लाभ (हजार है०)
मध्यम		
1. कारापुझा . .	389.00	9.37
2. अट्टपट्ठी .	476.00	7.28
3. नूलापूझा	290.00	8.50
4. मेंजाट	318.00	4.86
5. थोन्डर	299.00	6.07
अन्य बेसिन		
1. वामनपूरम (बृहद्)	747.28	8.09
2. इडामालायर (सिंचाई भाग) (बृहद्) . . .	1439.00	57.00

गुजरात में तेल की खोज के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग

1223. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में तेल की खोज के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ख) खोज-कार्य कब शुरु किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल डाक और तार सर्किल में कर्मचारियों के लिये कल्याण कार्य

1224. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के केरल सर्किल में डाक-तार कर्मचारियों को दी जाने वाली आवास सुविधाओं में सुधार करने तथा उनके कल्याण के लिए अन्य उपाय करने के लिए क्या मुख्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए निकट भविष्य में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं की रूप रेखा क्या है और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केरल सर्किल में 1-4-1974 को 21 क्वार्टर निर्माणाधीन थे । कल्याण संबंधी निम्नलिखित उपाय वहां पहले से ही किए जा रहे हैं ।

(i) जरूरतमंद कर्मचारियों को उनकी लम्बी बीमारी के मामले में और उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देना ।

(ii) कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके आश्रित बच्चों को तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां/पुस्तक-पुरस्कार देना ।

(iii) आपातिक मामलों में जैसे आग, बाढ़ आदि में कर्मचारियों को सीमित वित्तीय सहायता देना ।

(iv) पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(v) मनोरंजन क्लबों, कैन्टीनों और विश्राम-कक्षों की व्यवस्था करना ।

(vi) खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

(ख) अव्यावसायिक इमारतों का निर्माण पर लगे प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त, 1973 से किसी भी नये क्वार्टर का निर्माण-कार्य हाथ में नहीं लिया गया है । कल्याण-कार्यों के लिए निकट भविष्य में किसी नई अतिरिक्त कल्याण योजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है ।

पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

1225. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना के प्रश्न पर योजना आयोग और औद्योगिक विकास मंत्रालय में मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) चूंकि इस मंत्रालय में गठित पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने प्रस्तावित पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम के ढांचे और गठन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप दिया ही नहीं है अतः योजना आयोग के साथ मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Setting Fire to Harijan Houses by Caste Hindus of Saharaspali, District Ballia (U.P.)

1226. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item in a local Hindi daily dated the 23rd June, 1974 to the effect that Caste Hindus of Saharaspali, District Ballia, U.P. put the houses of Harijans on fire after beating them as they had refused to do begar ; and

(b) if so, the number of caste Hindus against whom action has been taken by Government and the Act under which it has been done.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) : Government have seen a news item in the Nav Bharat Times dated 23rd June, 1974, on the alleged assault on the members of a Harijan family by some caste Hindus. According to information received from the State Government, Shri Simadan, a member of scheduled caste community of village Saharaspali, district Ballia, lodged a written report on 22nd June, 1974 at P. S. Kotwali, Ballia, alleging that he and members of his family were beaten with lathis and dandas by S/Shri Ram Chandra Singh, Laxman Singh and others of the village consequent on his pleading inability to work for them due to his pre-occupation, and the altercation that ensued. It was also alleged in the report that a hut adjacent to the complaint's house was set on fire. A case under section 147/323/436 IPC was registered against seven persons immediately. All the accused persons surrendered in the court on June 27 and were enlarged on bail. Charge-sheet against the accused was filed in the court of competent jurisdiction on 12th July, 1974. The case in *sub judice*.

Inflated Telephone Bills in Delhi

1227. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the suggestions made to check the irregularities of the Telephone Department by the Committee constituted under the Chairmanship of Shri Jag Pravesh Chandra to enquire into the complaints regarding inflated telephone bills in Delhi ; and

(b) the suggestions accepted by Government and the time by which these are proposed to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) The major recommendations are listed in the Annexure.

(b) The various recommendations are under examination.

STATEMENT

Major Recommendations

1. Meter reading should be photographed so as to eliminate phonetical, human and alignment errors.

2. The changeover to computerisation of billing should be effected as early as possible.

3. Department should switch over to monthly billing at an early date.

4. Channel capacity should be increased to ensure quick and efficient STD service.

5. 5-Digit meters should be installed in the exchange for all subscribers availing STD facility.

6. Automatic message accounting (AMA) should be introduced at an early date.

7. Initial barring of STD facility should be free of charge.

8. STD barring facility should be quickly extended and widely published.

9. Automatic device like the venner time switch should be introduced in all exchanges to ensure change-over to concessional pulse rate at the correct time.

10. In every exchange there should be a special number which should receive calls from subscribers whose lines are held up on STD calls.

11. A crash programme should be undertaken to get every telephone thoroughly checked.

12. To compensate for the wrong numbers a subscriber gets, he should be granted 2% of the gross calls subject to a ceiling of 25 calls per quarter in addition to the 250 free calls per quarter allowed at present.

13. Installation of STD charge indicators should be expedited.

14. Following measures should be undertaken to minimise diversion of lines :

(a) Street distribution points should be redesigned to make them tamper proof.

(b) a group of outdoor staff should be responsible for a certain number of distribution points, pillars and cabinets.

(c) overhead wires between subscribers premises and distribution point should be replaced by cable ; overhead wires from distribution point to subscriber's premises should be dismantled.

(d) Persons found working on distribution points, pillars and cabinets without authorisation and identity card should be detailed at police station pending verification.

(e) Constant watch should be kept over external and internal equipment of those categories of subscribers who are likely to indulge in malpractices.

(f) PBX/PABX junction lines should be provided with STD charge indicators pending provision of charge indicators, meter reading of PBX/PABX junction lines should be quickly supplied to the subscribers whenever requested.

(g) Main and intermediate distribution frames inside the exchanges shoud be segregated and access to them restricted between 6 p.m. and 8 a.m.

15. Subscriber should be promptly warned about spurts noticed in the fortnightly readings.

16. Section 25 of the Indian Telegraph Act, 1885 should be amended to provide deterrent punishment to subscribers and P&T staff found guilty of diversion of lines and other malpractices.

17. A special cell headed by a Deputy General Manager should be created to deal with excessive billing complaints.

18. Divisional Engineer should be responsible for maintaining a fault-free, complaint-free and efficient service in his division. Excessive billing complaints should be one of his prime concerns.

19. No excessive billing complaint should take more than two months for its final disposal.

20. New guidelines for determining rebate should be adopted.

21. A special board of appeal should be codstituted to deal with appeals relating to excessive billing.

22. The entire Delhi Telephones should be organised into regions. Each region should be headed by an officer of the rank of Dy. General Manager.

23. The strength of casual labour should be progressively reduced. They should not be allowed to work independently inside and outside the exchanges. No casual labour should be allowed in any circumstances to work in exchanges between 8 p.m. and 7 a. m.

24. Exchange staff should be rotated every two years.

25. The existing vigilance organisation should be re-organised and strengthened

26. The headquarters of Delhi Telephones should have sufficient number of counters manned by adequate and properly trained staff to deal with all problems of subscribers effectively and promptly.

27. A trained high ranking public relations officer with necessary assistance and proper authority should oversee efficient functioning of these counters.

28. Public relations officer should study the problems of subscribers and their reaction to the service offered with a view to devising corrective measures.

29. The department should render heat coil removal service for disconnection of telephones for short periods on request by levying a nominal charge of Rs. 5·00.

S.T.D. Link between Delhi and Other Cities

1228. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Communicaitions** be pleased to state :

(a) the names of the major cities which will be connected with direct dialling system with Delhi during the next five years;

(b) the total expenditure expected to be incurred theron; and

(c) whether the instruments used in this system in the exchanges have been manufactured in India or have been imported from abroad ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) The following additional cities are likely to have direct dialling facilities to Delhi during the Vth Plan period :

Ajmer, Allahabad, Alwar, Ambala, Bangalore, Bareilly, Bikaner, Bhopal, Bhubaneshwar, Calcutta, Dehra Dun, Gwalior, Hissar, Hyderabad, Jodhpur, Karnal, Kotah, Ludhiana, Madras, Moradabad, Panipat, Pondicherry, Rohtak, Saharanpur, Trivandrum, Udaipur, Varanasi.

(b) An outlay of Rs. 344 crores has been earmarked for the equipment required to implement long distance direct dialling schemes all over the country. It is not possible to give a break up of costs for the service only to Delhi since various equipments will be common for services to a number of places.

(c) Part of the long distance transmission equipment will be imported. The balance of transmission equipment and all telephone equipment will be manufactured in India.

अखबारी कागज के जाली कोटे के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1229. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज के जाली कोटे के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चल रही है ।

(ख) सरकार की कार्रवाई निष्कर्षों के स्वरूप पर निर्भर होगी ।

ईरान और भारत में औद्योगिक सहयोग

1230. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रधान मंत्री के हाल के ईरान के दौरे के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में निहित प्रस्ताव के अनुसरण में भारत और ईरान के बीच औद्योगिक सहयोग के विकास के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : ईरान के विशेषज्ञों के एक दल ने 17 से 20 जुलाई, 1974 तक भारत का दौरा किया था भारत में अल्युमिनियम के उत्पादन के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के रूप में बातचीत की थी । इस बातचीत के फलस्वरूप कुछ मामलों को छांट लिया गया है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । उद्योग के बारे में आपसी रुचि के अन्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर भी दोनों के विशेषज्ञों दल के बीच शीघ्र ही विचार विमर्श किये जाने की आशा है ।

विजयवाड़ा में 'आटोनगर' की स्थापना

1232. **डा० के० एल० राव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विजयवाड़ा में "आटोनगर" नामक एक ऐसा औद्योगिक एकक स्थापित किया गया है जिसमें विशेषत: ट्रकों और अन्य गाड़ियों की मरम्मत की जाती है ;

(ख) क्या 'आटोनगर' का पूर्ण उपयोग करने के लिए उसमें उत्पादन एककों का जोड़ा जाना आवश्यक है; और

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों को इस समस्या का पता है और यदि हां, तो उत्पादन एककों को स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) आटोनगर विजयवाडा को एक औद्योगिक बस्ती है जिसमें मोटर के हिस्से पुर्जों सहित इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन तथा सर्विसिंग के एकक हैं ।

(ग) लघु उद्योग सेवा संस्थान हैदराबाद तथा इसका विजयवाडा स्थित विस्तार केन्द्र उद्यमियों का मार्गदर्शन करते है । सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल्स डिजायन हैदराबाद भी उद्यमियों को टूल तथा डाइयां बनाने में सहायता करता है ।

दिल्ली में कागज की चोर बाजारी के विरुद्ध पुस्तक विक्रेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन

1233. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 जुलाई, 1974 के दिल्ली के एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने चांदनी चौक और चावड़ी बाजार, दिल्ली के थोक कागज व्यापारियों की दुकानों के सामने "व्यापारियों द्वारा कागज की चोर बाजारी" के विरुद्ध प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या सरकार ने थोक व्यापारियों को कागज 2,750 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से दिया था और उन्होंने इसे चोर बाजार में 5,500 रुपये प्रति क्विन्टल बेचा; और

(ग) यदि हां, तो चोर बाजारियों को दंडित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने 2,750 रुपए प्रति मी० टन की दर से किसी थोक व्यापारी को कागज नहीं दिया है। किन्तु, शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ परिमाण में दिल्ली प्रशासन को कागज आबंटित किया गया है । राज्यस्तरीय समिति जिसमें शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय प्राधिकारी, एक्सरसाइज बुक निर्माता, पुस्तक प्रकाशक तथा कागज के व्यापारी भी शामिल है, द्वारा किए गए कागज आबंटन के अनुसार उसका वितरण किया जाना है ।

(ग) इस समय कागज के मूल्य पर कोई सांविधानिक नियंत्रण नहीं लगाया गया है । फिर भी ऐसा समझा जाता है कि दिनांक 27 जुलाई 1974 को दिल्ली प्रशासन द्वारा एक थोक कागज के व्यापारी के चावड़ी बाजार स्थित गोदाम को सील कर दिया गया है ।

सीमेंट के निर्यात की योजना

1234. **श्री मधु दंडवते** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धि स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कुल सीमेंट के उत्पादन के कुछ भाग को निर्यात करने की योजना त्याग कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विद्यमान सीमेंट के बिकट अभाव के कारण यह निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी, पूना द्वारा श्री एस० एम० जोशी की वार्ता का प्रसारण

1235. **श्री मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1974 को पूना में आकाशवाणी के प्राधिकारियों द्वारा श्री एस० एम० जोशी की वार्ता रिकार्ड की गई थी ;

(ख) क्या समाचार पत्रों में यह घोषणा कर दी गई थी कि 31 मार्च, 1974 को आकाशवाणी के पूना केन्द्र से उक्त वार्ता प्रसारित की जायेगी ; और

(ग) क्या उक्त वार्ता का प्रसार रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । उक्त वार्ता का प्रसारण रद्द नहीं किया गया था, परन्तु स्थगित किया गया था । यह वार्ता 12 मई, 1974 को आकाशवाणी, पूना से प्रसारित हुई थी ।

पंजाब की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

1236. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् परियोजनाओं को रक्षा के बाद पहली प्राथमिकता देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति संबंधि निर्णय के परिणामस्वरुप पंजाब को विचाराधीन पड़ी विद्युत् परियोजनाओं को सरकार शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करेगी?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह निर्णय किया गया है कि जहां तक आवश्यक निवेशों का संबंध है, विद्युत् परियोजनाओं को केवल प्रतिरक्षा के बाद प्राथमिकता दी जाए ।

(ख) मुकेरिया जल-विद्युत् परियोजना की जांच की जा रही है और अन्य जिन परियोजनाओं को अभी स्वीकृति दी जानी बाकी है उनके संबंध में उनके अन्तर्राज्य पहलुओं के समाधान की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नकली औषधियों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

1237. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** :
श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवा तथा औषध-उद्योग सम्बन्धी समिति ने नकली औषधियों के विरुद्ध सुझाये गये उपायों के बारे में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) इनको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा गठित औषधि एवं औषध उद्योग समिति ने देश में औषधियों के कारगर गुण नियंत्रण के संबंध में व्यापक सुझाव दिये हैं जिसमें नकली दवाइयों की रोकथाम करने के उपाय भी शामिल हैं ।

(ख) और (ग) इस समिति के सुझावों पर पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के परामर्श से इस मंत्रालय मे विचार किया जा रहा है ।

अभ्रक कागज निर्माण

1238. **श्री एम० कल्यामुत्तु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अभ्रक की कतरनों से अभ्रक कागज का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । किन्तु सरकार ने बन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विद्युत् उद्योगों के अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित पद्धति का प्रयोग करके अभ्रक की कतरनों से अभ्रक कागज का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की तीन पार्टियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है ।

दिल्ली छावनी स्थित आर्डनेन्स स्टोर बेस वर्कशाप में पिस्टनों की चोरी

1239. **श्री स्वर्ण सिंह सोंखी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल के महीनों में दिल्ली स्थित आर्डनेंस स्टोर आफ बेस वर्कशाप में रहस्यमय ढंग से चोरी हुई जिसमे ट्रक के पिस्टन चोरी गये थे और वर्कशाप मे वेल्डर के रूप में काम करने वाले एक असैनिक कर्मचारी के सहित, मुख्य द्वार पर पहरेदारों के रूप मे नियुक्त पांच सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या पुलिस ने इस वर्ष के जून महीने के प्रथम सप्ताह में 40,000 रूपयों के मुल्य के पिस्टनों को बरामद कर लिया है ;

(ग) क्या रक्षा बजट पर 26 अप्रैल , 1974 को लोक सभा मे दिये गये उस भाषण के सम्बन्ध मे सरकार ने कोई कार्यवाही की है जब यह बताया गया था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी मे मोटर पुर्जो की चोरियां हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले मे तुरन्त क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दिल्ली स्थित बेस वर्कशाप के आर्डनेंस स्टोर सैक्शन से पिस्टन सहित फालतू कल-पूर्जो की चोरी का अप्रैल, 1974 में पता लगा था । इस में लगभग 76,000 रुपये की हानि हुई । गार्ड के रूप में नियुक्त 7 सैनिक कार्मिक और एक वेल्डर सहित 2 असैनिक मई और जून 1974 के दौरान पकड़े गये जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ख) लगभग 40,000 रुपये मुल्य के फालतू कल पुर्जे पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं इस मामले मे पुलिस द्वारा आगे और जांच पड़ताल चल रही है ।

(ग) और (घ) 12,200 रुपये मूल्य के 15 पेरोपेलर शाफ्ट की चोरी के एक मामले को छोड़कर दिल्ली छावनी स्थित सेंट्रल व्होकल डिपो में मोटर के पुर्जो की किसी अन्य चोरी का पता नहीं लगा है। इस मामले की जांच-पड़ताल चल रही है। चोरी रोकने के लिए पर्याप्त उपाय निर्धारित करते हुए पहले ही अनुदेश जारी किए हुए हैं। इस सम्बन्ध में 3-5-74 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9053 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। अतः आगे कोई और कार्रवाई नहीं की गई है अथवा सोची गई है।

नई दिल्ली में भारत-हंगरी वार्ता

1240. **श्री वनमाली बाबू :**
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जून, 1974 में भारत और हंगरी के बीच वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह बातचीत अधिकारी स्तर पर हुई थी और इसमें द्विपक्षीय मामलों पर तथा आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार किया गया। विचार विमर्श में विचारित सभी मुद्दों पर भारत और हंगरी के बीच विचारों की समानता और निकटता प्रकट हुई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच बहुमुखी सहयोग के विकास पर संतोष व्यक्त किया और सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति प्रकट की।

डिएगो गार्सिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे के बारे में ब्रिटेन के साथ पत्र-व्यवहार

1241. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिएगो गार्सिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे की स्थापना के बारे में भारत सरकार ने अभी हाल ही में ब्रिटेन को कोई पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए उत्तर का सारांश क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) से (ग) दीगो गार्सिया में नौसैनिक अड्डे के प्रश्न पर यू० के० सरकार से कोई और बात नहीं हुई है ; जैसा कि मैंने सदन को 11 अप्रैल को प्रश्न सं० 6566 के उत्तर में सूचित किया था, यह मामला अभी यू० के० सरकार के विचाराधीन ही है।

भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में वार्ता

1242. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री बनमाली बाबू :
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए वार्ता जून, 1974 में नई दिल्ली मे हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) आर्थिक सहयोग से संबंधित भारत-श्रीलंका उप-समिति की पांचवीं बैठक 3 से 7 जून 1974 तक कोलम्बो में हुई थी। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसकी एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल0 टी0 8104/74]**

कपड़ा मशीन उद्योग के लिये विकास परिषद की सलाह

1243. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री वेकारिया :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कपडा मशीन उद्योग के लिये विकास परिषद से जिसे मुख्य रुप से इस उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिये स्थापित किया गया है, कितने मामलो में सलाह ली है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र को ही सलाह दी जाती है अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को भी दी जाती है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योगों ने परिषद से सलाह मांगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उद्योग के प्रतिनिधि फोरम के रूप में विकास परिषद समस्याओं को प्रकाश में लाती है और अत्यावश्यकता और वर्तमान समय से सम्बद्ध कार्यवाही योग्य मामलों पर ध्यान दिलाती है। नीति संबंधी मामलों पर निर्णय लेने में परिषद के सुझाव और विचार-विमर्श सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने किसी भी विशिष्ट मामले पर परिषद को औपचारिक सलाह नहीं मांगी है। सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग एककों को विकास परिषद सलाह नहीं देती है।

आन्ध्र प्रदेश के एम० बी० बी० एस० तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों के ज्ञान के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट

1244. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की एक गोपनीय रिपोर्ट में आन्ध्र प्रदेश के लिये यह संकेत दिया गया है कि लिये गये साक्षात्कार से यह मालूम होता है कि एम० बी० बी० एस० तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों की पुराने एल० एम० पी० छात्रों की अपेक्षा कम ज्ञान था ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के चिकित्सा छात्रों का अल्प ज्ञान पूरे देश में रोगियों के लिये मृत्यु का कारण बन सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के चिकित्सा कालेजों के शिक्षा-स्तर में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) से (ग) 3 जून 1974 के स्थानीय दैनिक पत्रों में जो समाचार छपे है उनका सम्बन्ध संघलोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के आधीन पदों पर भर्ती करने के लिए साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों के सामान्य स्तर के बारे

में 1968 में की गई आयोग की टिप्पणी से है। संघ लोक सेवा आयोग को इस रिपोर्ट में देश में चिकित्सा शिक्षा के सामान्य स्तर और साक्षात्कार कि गए उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर जिस प्रकार की योग्यता का परिचय दिया था उसके बारे में ही टिप्पणी कीए गई थी और इसमें विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के डाक्टरों के बारे में कोई उल्लेख न था। ये टिप्पणीयां सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के ध्यान में ला दी गई थी ताकि जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त सुधार किया जा सके।

भारत सरकार ने 1968 में देश की आवश्यकताओं और साधनों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्नातकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए चिकित्सक शिक्षा समिति को भी नियुक्ति की थी। इस समिति ने व्यापक सुझाव दिए थे जिनका बाद में स्वास्थ्य मंत्रियों विश्वविधायकों के कुलपतियों, मेडिकल कालेजों के डीन और प्रिन्सिपलों, आयुविज्ञान विशेषज्ञों तथा प्रशासकों आदि की चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में संशोधन कर विस्तार कर दिया था और जुलाई 1970 में हुई अगली बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारणी समिति ने इन पर विचार किया और उनका समर्थन किया। सरकार ने इन सुझाओं को संकल्पों के रूप में स्वीकार कर लिया है। और उन्हें राज्यसरकारों/विश्वविद्यालयों आदि को क्रियान्विती के लिए भेज दिया गया है। स्नातक पूर्वछात्रों के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया चिकित्सक पाठ्यचर्या निर्धारीत करती है। मेडिकल कालिजों का समय समय पर अपने निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण कराकर यह काउंसिल अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चिकित्सा शिक्षा और परीक्षाओं के स्तर को बनाए रखने के काम को सुनिश्चित करती है। यह चिकित्सा पाठ्यचर्या की समय समय पर समीक्षा करती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए उसमें उचित परिवर्तन भी करती है ताकि चिकित्सा शिक्षा के व्यापक स्तर को बनाये रखा जा सके। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का विचार है ताकि वह जहां तक चिकित्सा शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने का सम्बन्ध है और अधिक कारगर ढंग से काम कर सके।

चिकित्सा शिक्षा के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए सरकार का एक चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना करने का भी विचार है।

दुबाई और मध्यपूर्व मे भारतीय पासपोर्टों की बिक्री

1245. **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पुलिस की विशेष शाखा ने दुबाई और मध्यपूर्व में भारतीय परिपत्रों के बेचे जाने का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन अनधिकृत पारपत्रों की बिक्री को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात राज्य में विशेष रूप से दुबई में, रहने वाले ऐसे सभी भारतीय राष्ट्रिकों को जल्दी-जल्दी पासपोर्ट देने का निर्णय किया है जिनके पास इस समय वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है। आशा की जाती है कि इन पासपोर्टों के जल्दी किये जाने से पासपोर्टों की अवैध बिक्री की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ; जहां तक पासपोर्टों की तथाकथित अवैध बिक्री का सवाल है बम्बई पुलिस की विशेष शाखा से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और इन पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

घड़ियों के पुर्जों के निर्माण के लिये स्विटजरलैण्ड से सहयोग

1246. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घडियों के लिये 'मेन हेयर स्प्रिंग' जैसे सूक्ष्म उपकरणों के निर्माण के लिये स्विटजरलैण्ड की पार्टियों से बातचीत करती रही है ;

(ख) क्या जापान ने भी एच० एम० टी० घड़ियों के लिये सूक्ष्म पुर्जे बनाने हेतु हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को सक्षम बनाने के लिये भारत को तकनीकी जानकारी की सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) इन पुर्जों के उत्पादन से एच० एम० टी० घड़ियों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां, किन्तु कोई निश्चित प्रस्ताव सामने नहीं आया है ।

(ख) जी, हां, और उस आधार पर एक ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

(ग) प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन इतना होगा कि आयात नहीं करना पड़ेगा और दक्षता के विस्तार में मामूली वृद्धि होगी । दूसरे चरण में घड़ी - निर्माण-क्षमता के विस्तार के साथ-साथ हिस्से-पुर्जे के निर्माण के लिये क्षमता का तेजी से विस्तार करना संभव होगा ।

अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के लिये अर्हताओं और क्षमताओं को प्राप्त करने में जवानों को समर्थ बनाने के लिये कार्यवाही करना

1247. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रक्षा मंत्री 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के पदों में पदोन्नति के लिये अर्हतायें और क्षमतायें प्राप्त करने में जवानों को समर्थ बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि, हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) वायु, सेना, नौसेना और थल-सेना में पदोन्नति से बने अधिकारियों और सीधी भर्ती से आये अधिकारियों का वर्तमान अनुपात क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् । ब्यौरे इस प्रकार है ।

सेना

आर्मी कैडेट कालेज, पूना को यह सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि इण्डियन मिल्ट्री अकादमी देहरादून में प्रवेश से पूर्व नियमित सेना, प्रादेशिक सेना और वायु सेना के अन्य रैंक प्रारम्भिक प्रशिक्षण (तीन वर्ष के अवधि) प्राप्त करें । आर्मी कैडेट कालेज (जिसमें प्रवेश के लिये निर्धारित अर्हता उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष है) में प्रशिक्षण का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कैडेटों को स्नातक स्तर तक प्रशिक्षण देना है । आर्मी कैडेट कालेज में जो सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं उन्हें इण्डियन मिल्टी अकादमी में एक वर्ष की अवधि के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्व कि पूरा कर लेने पर उन्हें सेना में स्थायी कमीशन दिया जाता है ।

नौसेना

(i) **उच्च यार्डमेन योजना** : इस योजना के अधीन सभी जहाजों और स्थापनाओं में नाविकों के लिए नियमित कक्षाएं आयोजित की जाती हैं ताकि प्रारम्भिक चयन बोर्ड द्वारा विचार करने से पूर्व, जहां आवश्यक हो वे अपेक्षित अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो सकें । प्रारम्भिक चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन के परिणामों में जो अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें फिर सर्विस चयन बोर्ड के समक्ष जाने से पूर्व चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है, इस प्रशिक्षण का प्रयोजन व्यक्तित्व, अफसर जैसे गुण और सामान्य योग्यताएं उत्पन्न करना है । जिनका कमीशन देने के लिए अन्तिम रूप से चयन कर लिया जाता है उन्हें कमीशन देने से पहले उनको अपनी-अपनी शाखाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ii) **विशेष ड्यूटी सूची योजना :** इस योजना के अन्तर्गत भी, वरिष्ठ नौसेनाओं को जिन्हें पदोन्नत करने की सिफारिश की जाती है उन्हें उनके विशिष्टियों के लिए सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वायुसैनिकों को सेना में अल्प सेवा नियमित कमीशन के लिए, नियमित कमीशन नौसेना में प्राप्त करने के लिए तथा आर्मी कैडेट कालेज, पूना में प्रवेश पाने के लिए उन्हें भली प्रकार सुसज्जित संदर्भ तथा तकनीकी पुस्तकालय तथा सूचना कक्षों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक वायु सेना स्टेशन से शिक्षा अधिकारी तथा प्रशिक्षकों को उन वायुसैनिकों के प्रशिक्षण तथा परीक्षा के लिए तैयारी करवाने के लिए कक्षा चलाने के लिए रखा गया है, जो इस प्रकार की परीक्षा दे रही हैं।

(ख) वर्तमान सीधे भर्ती शुदा अफसरों का पदोन्नत हुए अफसरों का अनुपात निम्नलिखित है :—

सेना	सीधी भर्ती वाले अफसर	पदोन्नत किए गए अफसर
(क) थल सेना	19	1
(ख) नौ सेना	363	1
(ग) वायु सेना	8	1

टायरों, चेसिसों तथा मोटरगाड़ियों की कालाबाजारी

1248. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री टायरों, चेसिसों तथा मोटर गाड़ियों की कालाबाजारी के बारे में 2 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8865 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ियों की पुनः बिक्री के विशिष्ट मामलों के संबंध में बिहार सरकार जांच-कार्य द्वारा पूरा हो चुका है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं ने बिना सरकारी पूर्वानुमति के वाहनों के मूल्य न बढ़ाने के सरकारी परामर्श का दृढ़ता से पालन किया है और क्या नयी वितरण पद्धति से वाहनों की वास्तविक उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर बिक्री सुनिश्चित करायी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मूल्य-दर सांविधिक नियंत्रण लागू करने में क्या कठिनाई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ी (पुनः बिक्री कर प्रतिबंध) आदेश 11-1-74 को लागू किया था, जिसके अन्तर्गत नई वाणिज्यिक गाड़ियों की पुनः बिक्रीकर उसके खरीदे गये मूल्य दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया था। आदेश के उपबन्धों की व्याख्या करने वाला एक प्रेस नोट भी 11-1-74 को जारी किया गया था। इसके पश्चात् 17-1-74 को आदेश की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी। बिहार सरकार से तार द्वारा किये गये निवेदन पर 16-3-74 को उन्हें आदेश

की एक प्रति भेजी गई थी । बिहार सरकार के अनुसार 16-3-74 को भेजी गई आदेश की प्रति उन्हें वस्तुतः 30-3-74 को ही मिली थी । उन्होंने बताया कि इन सभी चार मामलों में गाड़ियों के स्थानान्तरण की अनुमति जिला परिवहन अधिकारी पटना द्वारा उपर्युक्त आदेश के उपबन्ध की जानकारी के पहले ही दी जा चुकी थी।

अन्य राज्यों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । फिर भी इस संबंध में किसी भी प्रकार की ढील को समाप्त करने की दृष्टि से सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को निवेदन किया गया है कि इन आदेशों के उपबन्धों को कठोरता से लागू करने का सुनिश्चय करें ।

(ख) 8 मई, 1973 से पूर्व वाणिज्यिक गाड़ियों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं था । 8 मई, 1973 को मूल्यों के स्थिरीकरण के पश्चात् निर्माताओं ने सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की । अभी तक निर्माताओं द्वारा नियत मूल्य से अधिक पर गाड़ियों के बिक्री के बारे में भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) इस स्थिति में सरकार कानूनी नियंत्रण को आवश्यक या लाभदायी नहीं समझती है ।

उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1249. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसका मैंगनीज अयस्क खान उद्योग पर कुप्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) मैंगनीज अयस्क के सीमित भंडारों तथा इस्पात कारखानों की घरेलू मांगों में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार ने 1972 में निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए थे । इस नीति की समय समय पर समीक्षा की जाती है और देश की आवश्यकताओं के अनुसार तथा खनन उद्योग को अपना स्टाक निकालने में सहायता देने के लिये इसमें संशोधन किये जाते हैं । 1972 के उत्पादन की तुलना में 1973 में कुछ मामूली कमी हुई है । फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि यह कमी पूर्णतया निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण हुई है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

1250. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री डी० के० पण्डा :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, पाँचवीं योजना के इस्पात-विकास-कार्यक्रम में राउरकेला इस्पात कारखाने में ठंडी बेलित ग्रेन ओरियेंटिड चादरों के उत्पादनार्थ सुविधाएँ तथा वहाँ के वर्तमान विशेष-इस्पात संयंत्र का विस्तार सम्मिलित है ।

इस्पात संयंत्र के लिये कोककर कोयले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

1251. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों की कोककर कोयले की जरूरत के मामले में सरकार ने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कर्नाटक स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिये उच्च ग्रेड तीस लाख टन कोककर कोयले का आयात करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उनके मंत्रालय के साथ परमार्श से कोककर कोयले का आयात करने का कार्यक्रम बनाया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पाँचवी पंचवर्षीय योजना के लिये बनाये गये कोककर कोयले के उत्पादन कार्यक्रम में इस्पात कारखानों की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) और (ग) कोक का आयात करने का कोई विचार नहीं है ।

देश में गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों को सहायता

1252. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों को सहायता देने का विचार कर रही हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दुर्गापूर इस्पात संयंत्र का विशेष अध्ययन

1253. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दुर्गापूर इस्पात संयंत्र का विशेष अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि इस संयंत्र के प्रबन्धकों के प्राधिकारों में निरन्तर कमी की जाती रही है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है । फिर भी, सभी इस्पात कारखानों को कच्चे माल की ढुलाई में सुधार करने की समस्या और कारखानों से तैयार उत्पादों की ढुलाई तथा उनसे संबंधित अन्य प्रासंगिक मामले पर विचार करने के लिये सितम्बर, 1973 में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के भतपूर्व अध्यक्ष श्री जी० डी० खण्डेलवाल है। दुर्गापुर के इस्पात कारखाने और मिश्र-इस्पात कारखाने के बारे में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया है कि निचले वर्ग के कर्मचारियों के असहयोग के कारण देश की अमूल्य संपत्ति और संसाधनों के उपयोग में जो गम्भीर गिरावट आई है उसका एक सबसे बड़ा कारण पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक उद्देश्यों से प्रबन्धकों के अधिकारों में निरन्तर कमी करना है और इस ह्रास नीति का अन्त होना चाहिए तथा यह जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है । समिति ने मिश्र-इस्पात कारखाने और रेलवे का एक-एक उदाहरण दिया है ।

समिति ने कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई के बारे में भी विशेष सिफारिशें की हैं । इनको यथासंभव सीमा तक क्रियान्वित करने के विचार में इन पर विचार किया जा रहा है । प्रबन्धकों के प्राधिकारों में ह्रास के बारे में समिति द्वारा की गई टिप्पणी एक सामान्य टिप्पणी है और इसे नोट कर लिया गया है ।

यह समिति केवल माल की ढुलाई सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिये नियुक्त की गई थी। इसे दुर्गापुर अथवा ऐसे किसी अन्य इस्पात कारखाने के कार्यकरण की जांच का काम करने को नहीं कहा गया था ।

दिल्ली, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मेडिकल अधीक्षकों की वित्तीय और अनुशासनात्मक शक्तियां

1254. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अस्पताल में मेडिकल अधीक्षकों द्वारा कौन कौन सी वित्तीय और अनुशासनात्मक शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में इन शक्तियों का कोई पुनरीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा जिन वित्तीय और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है उन के संबंध में सूचना संलग्न विवरणों के परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 8105/74]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में हड़तालो डाक्टरों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक संबंधी कार्यवाही

1255. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अस्पताल में डाक्टरों की हाल की हड़ताल के दौरान अनुशासनहीनता के लिये कितने डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ; और

(ख) कितने मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया तथा दिल्ली तथा नई दिल्ली के प्रत्यक अस्पताल में कितने मामले अभी अनिर्णित पड़े हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापूर की अधिष्ठापित क्षमता

1256. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता कितनी कितनी थी; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरशन की क्षमता जैसी की विस्तृत परियोजना रिपो में शुरू में अनुमान लगाया गया था, 45,000 मी० टन प्रति वर्ष थी । यह क्षमता एक विशिष्ट उत्पाद-मिश्र पर आधारित थी और इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के उत्पाद-मिश्र से कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने से संयंत्र की क्षमता पर तदनुरुपी प्रभाव पड़ेगा । भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्य-समिति ने 1972 में माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पाद-मिश्र की जांच की और सिफारिश की कि उस समय लागू विविधीकृत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 34,000 मी० टन समझी जाये ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वास्तविक रूप में तथा मूल्य दोनों में माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन का उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादन	
	वास्तविक रूप में (मी० टन)	मूल्य करोड़ रु० में
1971-72 .	11,991	10.2
1972-73 .	15,456	14.50
1973-74	17,732	17.75

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को हुई हानि

1257. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को वर्ष 1970-71 से वर्ष 1972-73 तक प्रतिवर्ष कितनी आय हुई;

(ख) क्या उक्त कारपोरेशन की हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की कुल बिक्री में हुई आय निम्न प्रकार थी :—

1970-71 . . . . 4.75 करोड़ रु०
1971-72 . 7.72 करोड़ रु०
1972-73 . . . 9.92 करोड़ रु०

(ख) और (ग) जी, हां । माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को वर्ष 1970-71 और 1971-72 में क्रमश: 6.45 करोड़ रु० और 3.85 करोड़ रु० की हानि हुई ।

टायरों के मूल्य में वृद्धि के लिये वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं को अलग बिल बनाने की अनुमति

1258. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं को टायरों के मूल्यों में वृद्धि के लिये अलग से बिल बनाने की भी अनुमति दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने टायर और ट्यूब (मूल्य नियंत्रण) आदेश, दिनांक 29 अप्रैल, 1974 से रद्द कर दिया है । इसके तुरन्त बाद ही मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब निर्माताओं ने टायर और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि कर दी । अतः सरकार वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं को अपनी गाड़ी के मूल्य में टायर ट्यूबों के मूल्यों में हुई वास्तविक वृद्धि की सीमा तक वृद्धि की अनुमति देना उचित समझती है, बशर्ते कि यह ग्राहकों को दिये गये बिलों में पृथक से दिखाया गया हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत में परिवार नियोजन परियोजनाओं के लिये धनराशि देना

1259. श्री बीरभद्र सिंह :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री भोला मांझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को परिवार नियोजन परियोजनाओं के लिये 40 लाख डालर की सहायता देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का उपयोग किन विशेष परियोजनाओं के लिये किया जाना है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में कितनी धनराशि का उपयोग किया जाना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) 18 जुलाई 1974 को भारत और संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कार्यकलाप निधि (यू० एन० एफ० पी० ए०) के बीच हस्ताक्षर हुए एक करार के अन्तर्गत भारत को पांच वर्ष के लिये संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कार्यकलाप निधि द्वारा 400 लाख डालर की सहायता की व्यवस्था की गई है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि की सहायता का निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों के लिए उपयोग किया जा सकेगा :—

1. परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करना ।
2. गर्भ निरोधकों की पूर्ति (सप्लाई) और उनका उत्पादन ।
3. प्रचालन संबंधी अनुसंधान, नवीन योजनाएं और सेवाएं ।
4. उपचारिका एवं धात्री शिक्षा को सुदृढ़ बनाना ।
5. स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा आरम्भ करना जिसमें पारिवारिक जीवन की शिक्षा देना भी शामिल है ।
6. प्रलेखन संबंधी सुविधाओं का विस्तार ।
7. अन्य कार्यकलाप जिन्हें सरकार प्रस्तावित करें और जो संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कार्यकलाप निधि की सहायता के प्रादेश और प्राथमिकता के अन्तर्गत आते हों

(ग) उपर्युक्त कार्यकलापों को पिछड़े इलाकों में भी चलाया जाएगा लेकिन किसी खास क्षेत्र के लिये कोई विशेष राशि निर्धारित करना संभव नहीं हो सकेगा ।

ईन्धन संबंधी नीति समिति का प्रतिवेदन

1260. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन संबंधी नीति समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विलम्ब हो जाने से पांचवी पंचवर्षीय योजना में पूंजी निवेश संबंधी नीति बनाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद पांचवों पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करने की कोई संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ईंधन नीति समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की आशा है । समिति की बदली हुई ऊर्जा-स्थिति में अपने पूर्व निष्कर्षों को संशोधित करने में समय लगा और इसीलिये देर हुई।

(ख) इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हुई देरी का पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि समिति ने मई, 1972 में प्रस्तुत अपनी पहली रिपोर्ट में ही पांचवी योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के बारे में अपनी अनुशंसाएं पेश कर दी थीं ।

(ग) पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः इसमें परिवर्तन का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी डिवीजन की कोयला खानों के उत्पादों की अबाध बिक्री के संबंध में कोयला खान प्राधिकरण की नई प्रणाली

1261. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी डिवीजन में 21 कोयला खानों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण ने सड़क परिवहन से 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर अबाध बिक्री प्रणाली आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली के आरम्भ किए जाने के क्या कारण हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) अच्छा उत्पादन के फलस्वरूप किन्तु रेल द्वारा पर्याप्त प्रेषण न होने के कारण कोयला खान प्राधिकरण को सड़क द्वारा ढुलाई हेतु कोयले की बिक्री पर लगी पाबंदी में ढील देना आवश्यक हो गया। किये गये उपायों में से एक उपाय यह है कि रानीजंग क्षेत्र की मध्यम और निम्न ग्रेड कोयले का उत्पादन करने वाली 21 कोयला खानों में एक समय पर एक ट्रक भार कोयले की खुली बिक्री की छूट दी गई है ।

इन उपायों के फलस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में स्टोम और स्लैक कोयले के मूल्य में काफी कमी हुई है ।

उड़ीसा में स्पंज लौह क्षमता संयंत्र और फैरो वनाडियम संयंत्र

1262. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले स्पंज लौह क्षमता संयंत्र और फैरोवनाडियम संयंत्र सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिये उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को बारबिल/जोड़ा के स्थान पर 3,00,000 टन स्पंज लोहे और 240,000 टन इस्पात के बिलेट की वार्षिक क्षमता का स्पैंज लोहे का कारखाना स्थापित करने के लिये 15 सितम्बर, 1972 को एक आशय पत्र दिया गया था । चूंकि ठोस उपचायक प्रक्रिया पर आधारित स्पंज लोहे के निर्माण की तकनीकी आर्थिक शक्यता का पता लगाने के लिए कुछ और अध्ययन करने होंगे, इसलिये वे इस योजना को तत्काल कार्यान्वित करना नहीं चाहते हैं । इसको बजाय उन्होंने अभी हाल में उड़ीसा में दो स्थानों पर स्क्रैप से बिलेट तैयार करने का कारखाना लगाने के लिये अनुमति मांगी है ।

उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम के पास प्रतिवर्ष 480 टन फैरो-वेनेडियम और 96,00 टन टिटेनियम के उत्पादों के लिये भी एक आशय पत्र है । इनके उत्पादन के लिये कारखाना रायरंगपुर में लगाया जाना है । इस प्रायोजना के महत्व तथा इस मामले के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

युद्ध में हुई विधवाओं, जो प्रशिक्षित है, को रोजगार

1263. **श्री इसहाक संभली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध में हुई उन विधवाओं को रोजगार प्रदान करने का निर्णय किया है जिन्होंने मई, 1974 में एक वर्ष प्रशिक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) युद्ध में हुई विधवाओं को उनकी अपनी रुचि और सुविधा के स्थानों पर स्वनियोजन के लिये साधन जुटाने के लिये प्रशिक्षण दिया गया है।

रानीगंज में कोयला गैसीकरण संयंत्र

1264. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने के क्या फायदे हैं;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी और काम कब तक शुरू होगा और उक्त संयंत्र कब तक चालू हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पांचवी योजना के कोयला लक्ष्य के पुनर्विचार के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित किसी भी कार्यकारी दल ने गैसीकरण संयंत्र के लिये संभावित स्थान हेतु रानीगंज कोयला क्षेत्र के बारे में विचार नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० एन० एस० खुकरी के डूबने के बारे में जांच समिति बनाने का प्रस्ताव

1265. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आई० एन० एस० खुकरी के डूबने के कारणों की जांच करने के लिये एक समिति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) आई० एन० एस० खुकरी के डूबने की घटना के शीघ्र बाद उसके कारणों का पता लगाने के लिये नौसेना ने एक जांच-बोर्ड आयोजित किया था । इस बात की पुष्टि की गई है कि जहाज शत्रु की पनडुब्बी द्वारा टारपीडो चलाए जाने से डूबा था । इस मूठभेड़ से जो सामरिक शिक्षा मिली है उसे सेवा के मार्गदर्शन के लिये लागू कर दिया गया है ।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में अधिकारियों और श्रमिकों की भर्ती

1266. श्री रोबिन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के सरकारीकरण के पश्चात् से उसमें कितने अधिकारी एवं श्रमिक भर्ती किए गए हैं;

(ख) क्या सरकारीकरण के पश्चात् से उत्पादन में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 14 जुलाई, 1972 को इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का प्रबन्ध, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के संबंध समय से लेकर कंपनी ने 136 अधिकारी तथा 3014 कर्मचारी नियुक्त किये हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध अधिग्रहण से पहले कम्पनी का काफी प्रशासनिक कार्य मार्टिनबर्न द्वारा किया जाता था जो काम अब 'इस्को' के अपने कर्मचारी करते हैं।

(ख) और (ग) प्रबन्ध अधिग्रहण से ठीक पहले की तिमाही तथा उसके बाद की अवधि का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

बर्नपुर का कारखाना	अप्रैल जून 72	जुलाई, 1972 जून, 1973	जुलाई, 1973 जून, 1974
पिण्ड	91	451	438
विक्रेय इस्पात	66	358	355
कुलटी का कारखाना	36	157	165
कोयले का उत्पादन	118	538	691
लोह अयस्क	241	945	897

प्रबन्ध अधिग्रहण से ठीक पहिले के उत्पादन की तुलना में उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन विभिन्न कारणों से वृद्धि की दर नहीं बनाए रखी जा सकी है। भूतकाल में वर्नपुर के इस्पात कारखाने में रख-रखाव तथा प्रतिस्थापन कार्य की उपेक्षा के कारण विभिन्न मशीनों और उपस्करों की हालत खराब हो चुकी है और जब तक कारखाने का प्रतिस्थापन कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता उत्पादन में काफी सुधार नहीं हो सकता है। यह प्रतिस्थापन कार्यक्रम इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

'टिस्को' के विस्तार में अन्तर्निहित सरकारी वित्त

1267. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टिस्को' के विस्तार में होने वाले व्यय का एक बड़ा भाग सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो 'टिस्को' इसके कितने भाग को वहन करेगी और सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसका कितना भाग वहन किया जायगा; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम के विस्तार के लिये इतना बड़ा धन खर्च करने के प्रश्न के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) 'टिस्को' के इस्पात कारखाने के सम्भाव्य विस्तार के लिये जापान के निप्पन स्टील कारपोरेशन द्वारा तैयार किया गया विस्तृत शक्यता प्रतिवेदन अभी सरकार द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति के विचाराधीन है।

विदेशी सहयोग के साथ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार

1268. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की विस्तार संबंधी योजना कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से बनायी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इन सहयोगियों के नाम क्या क्या हैं और सहयोग की शर्तें क्या हैं;

(ग) सहयोग इस संबंधी योजना में कितनी धनराशी खर्च होगी; और

(घ) क्या प्रत्येक अधिष्ठापित टन क्षमता की लागत भिलाई स्टील प्लांट की अपेक्षा अधिक होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चूंकि 'टिस्को' के इस्पात कारखाने के विस्तार योजना पर अभी निर्णय लिया जाना है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है।

एक विदेशी फर्म द्वारा 'टिस्को' के विस्तार का व्यवहार्यता अध्ययन

1269. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की एक फर्म ने 'टिस्को' के विस्तार के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया गया;

(ग) क्या हमारे अपने देश के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सक्षम एजेंसियां हैं जो यह अध्ययन कर सकती थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये 'टिस्को' ने किन कारणों से विदेशी फर्म से अध्ययन करवाया और सरकार ने उसे ऐसा करने की अनुमति क्यों दी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) 35 लाख रुपए ।

(ग) और (घ) सरकार को यह मालूम था कि हमारे देश में इस्पात कारखानों के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के काम का अनुभव रखने वाले सलाहकारों नामत: मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस (इंडिया) लि० और एम० एन० दस्तूर एंड कं० लि० के पास पहले ही काफी काम है । इसके अलावा यह भी विचार था कि जापान में विकसित की गई इस्पात की समुन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भी हितकर होगा । तकनीकी मामलों में निप्पन स्टील कारपोरेशन के टाटा के साथ बहुत समय से सम्बन्ध है । इसलिये सरकार ने विस्तार के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम निप्पन स्टील कारपोरेशन को सौंपने का 'टिस्को' के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था ।

'टिस्को' के विस्तार की अनुमति दिया जाना और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार की उपेक्षा किया जाना

1270. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'टिस्को' का विस्तार करने को अनुमति देने का है जबकि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रमों की उपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या 'टिस्को' के लिये प्रस्तावित नये मिश्रित उत्पाद सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों के उत्पाद एककों जैसे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में 28 मई, 1974 के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 'टिस्को' के इस्पात कारखाने का विस्तार करने के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है । यह कहना ठीक न होगा कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई है ।

(ख) प्रोडेक्ट मिक्स के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । प्रसंगवश यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रेस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है ।

हड़तालों की रोकथाम के लिए श्रम नियमों में परिवर्तन

1271. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों पर रेल हड़ताल के बहुत अधिक कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार श्रम नियमों में परिवर्तन करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है जिससे गत दो वर्षों में जितनी जल्दी-जल्दी हड़तालें हुई हैं, उस प्रकार हड़तालें न हों और औद्योगिक उत्पादन में श्रमिकों का सहयोग निश्चित हो; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सम्बद्ध श्रम-कानूनों में परिवर्तन करने का कार्य हाल की रेल हड़ताल शुरू होने से पहले आरंभ किया गया था। औद्योगिक संबंधों के बारे में प्रस्तावित व्यापक कानून का उद्देश्य विवादों के निपटान और काम बन्दियों को रोकने हेतु तंत्र में सुधार करना और प्रक्रियाओं को दोषरहित बनाना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों को उत्तम प्रकार के कोयले की सप्लाई

1272. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम प्रकार के कोयले के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों को 'कैप्टिव' तथा अन्य कोयला खानों का विकास करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन इस्पात कारखानों को उत्तम प्रकार के कोयले की सप्लाई करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने की कोककर कोयला की अपनी आवश्यकता भारत कोकिंग कोल लि० /कोल माइन्स अथारिटी से प्राप्त करते हैं ये दोनो उपक्रम भी सरकारी उपक्रम हैं। इन उपक्रमों और इस्पात कारखानों में अच्छा तालमेल है।

(ग) इस्पात कारखाने अपनी आवश्यकता का अधिकतर कोककर कोयला शोधन शालाओं से प्राप्त करते हैं। केवल कुछ प्रतिशत कोककर कोयला ही खानों से सीधी खपत के लिये सप्लाई किया जाता है। भारत कोकिंग कोल लि० तथा माइन्स अथारिटी लि० सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की कोयले की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इस प्रकार कोयले की क्वालिटी बनाए रखने में कोई कठिनाई नहीं है।

मजूरी आयोग

1273. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में सरकार के अपने विभागों में या उसके अधिकार के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करने और उसे

युक्तिसंगत बनाने हेतु सुझाव देने के लिये मजूरी आयोग गठित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक युक्तिसंगत मजदूरी ढांचा उद्भूत करने हेतु कार्यवाहियों सहित राष्ट्रीय मजदूरी नीति के विभिन्न पहलू सरकार के विचाराधीन हैं ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सुपेला मार्किट का वार्षिक ठेका देना

1274. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिलाई इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियो द्वारा 7 अप्रैल, 1974 को सुपेला मार्किट का अनाधिकृत रूप से वार्षिक ठेका देने के बारे मे कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) पत्र में लिखे आरोपों का सार क्या है;

(ग) क्या इस मामले की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने में सुपेला मार्किट के लिये तथाकथित अनियमित रूप से ठेका देने के बारे में सरकार को तारीख 7 अप्रैल, 1974 का एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) आरोप का सार यह था कि वर्ष 1974-75 के लिए भिलाई इस्पात कारखाने की सुपेला मार्किट से किराये की वसूली के लिये ठेका देने के बारे में भिलाई इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों ने सरकारी निलाम करने के बजाय, जैसा कि पहले होता आया है, टेण्डर मांगे थे और जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक टेण्डर भरा था उसको ठेका न देकर एक ऐसे व्यक्ति को ठका दे दिया गया जिसका टेण्डर न मंजूर किया जाना चाहिये था । और इस बात में संदेह की गुंजाइश है कि ठीक फैसला नहीं किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कारखाना प्राधिकारियों द्वारा सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखकर ठेका दिया गया था ।

इस्पात विस्तार योजनाएं

1275. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों की कमी के कारण इस्पात विस्तार योजनाएं खतरे में पड़ गई है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार पुनरीक्षण किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं । फिर भी मुख्यतः मूल्यों में वृद्धि की लागत को पूरा करने हेतु, वर्ष 1974–75 में इस्पात विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ख) इस कार्यक्रम में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खनन प्राधिकरण द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

1276. **श्री मधु लिमये :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन प्राधिकरण द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के बारे में दोनों के बीच कोई मतभेद है;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने इस विवाद की व्यक्तिगत रूप से जांच की है; यदि हां; तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) सप्लाई किए जा रहे कोयले की किस्म को सुधारने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम

1277. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड ने कई विस्तार कार्यक्रम एवं नई परियोजनाएं हाथ में ली है; और

(ख) यदि हां, तो जिन विस्तार कार्यक्रमों एवं नई परियोजनाओं का कार्य चालू वर्ष में प्रारम्भ किया जाना है, उनकी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विस्तार योजनाएं और नई परियोजनाएं हाथ में ली गयी हैं :—

1. विस्तार योजनाएं :

सुर्दा तांबा खान विस्तार योजना, भारतीय ताम्र कम्प्लैक्स, घटसिला, बिहार

इस योजना में खान उत्पादन को 400 टन प्रतिदिन से बढाकर 4,000 टन प्रतिदिन कर देने और समान क्षमता के सांद्रक संयंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा सुर्दा तांबा खान में एक शाफ्ट लगाने के लिए पोलैण्ड के मै० कोपैक्स के साथ एक करार किया गया है तथा शाफ्ट लगाने का प्रारंभिक कार्य हाथ में है। इस बीच कम्पनी द्वारा व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(2) नई परियोजनाएं

(i) मालंजखंड तांबा परियोजना, मध्य प्रदेश

कम्पनी ने अक्टूबर, 1973 में एक रूसी एजेंसी के साथ 60 लाख रुपये की लागत की व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समझोता किया है । रुसी एजेंसी के साथ अन्तिम समझोता फरवरी, 1974 में किया गया । कम्पनी द्वारा इस परियोजना के विकास के लिए 1974–75 के दौरान अग्रिम कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

(ii) राखा तांबा परियोजना (प्रावस्था-I) बिहार

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड पहले चरण में 1000 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन हेतु राखा तांबा का विकास कर रही है और इसके अनुरूप एक सांद्रक संयंत्र स्थापित कर रही है। इस संयंत्र के 1974 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(iii) राखा तांबा परियोजना (प्रावस्था-II) बिहार

इस परियोजना की साध्यता रिपोर्ट सितम्बर, 1974 में प्राप्त हो जाने की आशा है, जिसके आधार पर कम्पनी अपने प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगी ताकि पूंजी निवेश का निर्णय लिया जा सके ।

(iv) चांदमारी तांबा परियोजना, राजस्थान

चांदमारी में अतिभार हटाने का कार्य चालू वर्ष में शुरू किया जा चुका है ताकि इस परियोजना को 500 टन तांबा अयस्क का दैनिक उत्पादन करने हेतु विकसित किया जा सके।

हथियार व्यवस्था (वेपन सिस्टम) के लिए राडारों का निर्यात

1278. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियार व्यवस्था के लिये सरकार राडारों का निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस आशय के कोई आर्डर मिले है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) राडार किस दर पर सप्लाई किये जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) इस विषय पर कोई सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

अमरीका को जाने वाले भारतीय अप्रवासियों में वृद्धि होना

1279. श्री डी० डी० देसाई : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मई, 1974 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार अमरीका को अधिक भारतीय प्रवजन कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अमरीका संबंध के उतार चढाव के बावजूद वहां जाने वाले अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि होती रही है; और

(ग) क्या प्रतिवर्ष भारत से गैर अप्रवासियों की संख्या में भी वृद्धि होती रही है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

उपदान अधिनियम में संशोधन

1280. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

डा० रानेन सेन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपदान अधिनियम में शीघ्र ही संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और कब से इस पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस प्रस्तावित संशोधन से श्रमिकों को किस दिशा में लाभ पहुचेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1973 के दौरान उपदान अधिनियम 1972 में संशोधन करने सम्बन्धी कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ उसके सीमा क्षेत्र को विस्तृत करना, उपदान निधि की स्थापना करना और श्रमिकों को उपलब्ध बेहतर लाभों का संरक्षण करना था। इन पर विचार किया जा रहा है ।

देश के विभिन्न अस्पतालों में नकली दवाओं के उपयोग करने से मौतें

1281. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74 के दौरान नकली दवाओं के प्रयोग के कारण देश के विभिन्न अस्पतालो में कितनी मौतें हुईं;

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) अब तक किन किन नकली दवाओं का पता लगाया गया है; और

(घ) सरकार ने दोषियों को क्या सजा दी है और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अस्पतालों में पलंगों, डाक्टरों, सर्जनों और नर्सों की देश की जनसंख्या की तुलना में प्रतिशतता

1282. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम में कितने अस्पताल है ;

(ख) देश में गांवों एवं नगरों की जनसंख्या की तुलना में अस्पतालों में पलंगों की उपलब्धता की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) जनसंख्या की तुलना में कितने डाक्टर, नर्से और सर्जन उपलब्ध है और देश में उनकी प्रतिशतता क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, राज्य / संघ शासित क्षेत्रवार अस्पतालों और औषधालयों की संख्या तथा उनमें पलंगों की संख्या कितनी है इससे संबंधित उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8106/74]** इसके अलावा, देश में 31-12-1973 की स्थिति के अनुसार, 5268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 33,465 उप केन्द्र कार्य कर रहे थे ।

(ख) पलंग और जनसंख्या का अनुपात (प्रति 1000 आबादी के पीछे पलंग) क्रमशः 0.49 और 1000 है ।

(ग) डाक्टर और आबादी का अनुपात (सर्जनों को मिलाकर) क्रमशः 1 और 4370 है और नर्स तथा आबादी का अनुपात क्रमशः 1 और 6900 है ।

केरल में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये धनराशि

1283. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में जिलावार स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये वर्ष 1974–75 के लिये कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :1974–75 की वार्षिक योजना में केरल से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 250 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है । इसमें से 120 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित कार्यों के लिये रखी गई है :—

(क) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना;

(ख) प्रत्येक 10,000 की आबादी के पीछे एक उपकेन्द्र की स्थापना;

(ग) भवनों की कमी को पूरा करना जिनमें मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के आवासिक क्वार्टर शामिल हैं;

(घ) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से तथा प्रत्येक उपकेन्द्र के लिये 2,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से औषधियों की व्यवस्था करना; तथा

(ङ) प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक का दर्जा बढाकर उसे 30 पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाना जिसमें सर्जरी, चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान और संवेदना-हरण की विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जायेंगी। परिवार नियोजन के लिये केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं के लिये जिनमें परिवार नियोजन केन्द्र भी शामिल है, जिला या केन्द्र वार न देकर सम्पूर्ण राज्य के लिये दी जाती है। केन्द्रों और जिलों को धन का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एक अप्रैल से 30 सितम्बर, 1974 की अवधि के लिये परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये केरल सरकार को 84.79 लाख रुपये का नियतन पहले ही किया जा चुका है और 1974–75 वर्ष के बाद आधे भाग के लिये नियतन की सूचना राज्य सरकार को शीघ्र भेज दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 तथा 1972 में बिजली की कमी के कारण कर्मचारियों की जबरन छुट्टी

1284. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे की :

(क) वर्ष 1971 तथा 1972 में उत्तर प्रदेश में किस किस कारखाने में बिजली की कमी के कारण कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की गई;

(ख) कितने कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की गई और उक्त अवधि के दौरान कितने जन-दिवसों की हानि हुई ; और

(ग) राज्य में उक्त अवधि के दौरान कच्चे माल की कमी के कारण कितने कारखाने बन्द हुए और इन कारखानों में कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हुए और इसी प्रकार कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कृषि श्रमिकों का कल्याण

1285. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि श्रमिकों की राज्यवार संख्या क्या थी;

(ख) देश में राज्यवार, कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने अब तक किन बडी कल्याण योजनाओं पर अनुमति दी है और आज तक इन योजनाओं की इस अवधि में योजनावार कितनी क्रियान्विति हुई है ;

(ग) क्या राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए केरल से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है, और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि संबंधी मजदूरों की संख्या के बारे में राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। 1971 की भारत की जनगणना के अनुसार संलग्न विवरण में सूचना दी गई है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, कृषि संबंधी मजदूरों पर लागू होते हैं। कृषि संबंधी प्रतिष्ठानों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 से अलग नहीं किया गया है । वाणिज्यिक पद्धतियों पर चलाए गए कृषि संबंधी फार्म भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, विशिष्ट बागान में रत कृषि संबंधी श्रमिकों पर लागू होता है। ट्रैक्टरों या अन्य मशीनी शक्ति या विद्युत द्वारा की जाने वाली कृषि में नियोजित श्रमिक, पहले ही कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत आते हैं।

सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ कृषि संबंधी श्रमिकों के कल्याण के लिए वर्तमान वैधानिक और अन्य उपबन्धों के पुनरीक्षण और इस विषय पर व्यापक विधान का सुझाव देने के लिए कृषि संबंधी श्रमिकों हेतु एक स्थायी समिति गठित की है ।

(ग) और (घ) केरल कृषि संबंधी श्रमिक विधेयक, 1972, जो कि केरल राज्य में कृषि संबंधी श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था करती है और उनके कार्य की स्थितियों को विनियमित करता है, प्राप्त हुआ है । विधेयक की जांच की जा रही है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र (1)	खेतिहर मजदूर (2)
आंध्र प्रदेश	6,828,685
असम*	405,998
बिहार	6,806,103
गुजरात	1,887,660
हरियाणा	430,312
हिमाचल प्रदेश	53,344
जम्मू और कश्मीर	41,933
केरल	1,908,114
मध्य प्रदेश	4,062,338
महाराष्ट्र	5,393,138
मणिपुर	13,525
मेघालय	44,131
मैसूर	2,717,537
नागालैंड	3,797
उडीसा	1,937,574
पंजाब	786,705
राजस्थान	749,116
तमिलनाडु	4,490,065
त्रिपुरा	86,340

टायरों, चेसिसों तथा मोटरगाड़ियों की कालाबाजारी

उत्तर प्रदेश	5,453,829
पश्चिम बंगाल	3,272,198
अंडामान और निकोबार द्वीपसमूह	2,137
अरुणाचल प्रदेश**	5,292
चंडीगढ	1,266
दादरा और नगर हवेली	5,934
दिल्ली	15,269
गोवा, दमन और दीव	40,768
लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीव व द्वीप समूह	..
पांडिचरी	46,275
	47,489,383

केरल में कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना

1286. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कपडा मिलों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 31 अक्तूबर 1971 तक उनमें से कितने कर्मचारियों ने परिवार पेंशन योजना स्वीकार कर ली थी;

(ख) क्या कर्मचारियों ने उक्त योजना के प्रति कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) केरल में कपडा मिलों में काम कर रहे कुल 46,261 कर्मचारियों में से 31-10-1971 तक 1972 कर्मचारियों ने परिवार पेंशन योजना अपनाई।

(ख) प्रत्युतर उत्साह-जनक प्रतीत नहीं होता।

(ग) योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :—

(i) योजना की मुख्य मुख्य बातों को स्पष्ट करने वाली अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में पुस्तिकाएं जिनमें निदर्शी उदाहरण दिए गए हैं कर्मचारियों, नियोजकों और ट्रेड यूनियनों में परिचालित की गई थीं।

---

*संघशासित क्षेत्र मिजोराम के आंकडे सम्मिलित है।

**इसमें उत्तर पूर्व सीमान्त एजेंसी (अब अरुणाचल प्रदेश) के 297,853 व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिनके लिए सामान्य अखिल भारतीय व्यक्तिक पर्ची और गृह अनुसूची वही जगह संक्षिप्त परिवार-अनुसूची प्रचलित की गई थी।

(ii) योजना पर आकाशवाणी से वार्ता प्रसारित की गई थी।

(iii) भविष्य निधि निरीक्षकों को श्रमिकों में योजना स्पष्ट करने हेतु सभी प्रतिष्ठानों का दौरा करने और सामूहिक भाषण आयोजित करने के विशेष रूप से निर्देश दिये गये थे।

बंगला देश के प्रधान मंत्री के भारत दौरे के दौरान नये समझौतों पर हस्ताक्षर

1287. **श्री रानेन सेन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के प्रधान मंत्री के हाल ही के भारत के दौरे के दौरान भारत और बंगला देश के बीच नई दिल्ली में सांस्कृतिक, आर्थिक विकास और सहयोग सम्बन्धी नये समझौतें पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) इन मामलों से सम्बन्धित सूचना 16 मई, 1974 को भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों द्वारा हस्तांतरित संयुक्त भारत बंगला देश घोषणा के पैरा 14 से 16 में है। इसकी एक प्रति संलग्न है **[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 8107/74]**

वेतन ढ़ांचे पर केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ बैठक

1288. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन ढांचे पर नये दृष्टिकोण से विचार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या इस विषय पर बातचीत करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मजदूरों संघों की कोई बैठक बुलाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मजदूरी संबंधी आंकडों के एकत्रीकरण और उनके विश्लेशषण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए हाल में श्रम मंत्रालय में एक मज़दूरी सेल स्थापित की गई है जो सरकार को मजदूरी संबंधी ढांचों के प्रति नयी दृष्टि रखने के योग्य बनाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Issue of Medicines by C. G. H. S. Dispensary at Moti Nagar, Delhi

1289. **Dr. Laxminarayan Pandeya** :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether no medicine at any time is available in the C.G.H.S. Dispensary at Moti Nagar, Delhi and some times if at all any medicine is available and the doctor prescribes it the persons in-charge of the store do not issue it; and

(b) if so, the efforts being made by Government to make available the medicines to the patients ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) No complaint regarding non-availability of any medicines in the C.G.H.S. Dispensary, Moti Nagar, Delhi has been received from the patients during the period January to July, 1974. If, at any time, any medicine is not available in the dispensary , steps are taken to procure the same from the C.G.H.S. Medical Stores Depot or the authorised Chemist (Super Bazar) as may be necessary. In the meantime, however, suitable substitute of equivalent to theaurepetic value is immediately prescribed and supplied to the patient.

Realisation of Arrears of Provident Fund

1290. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the amount of Provident Fund arrears to be deposited by the various industries and industrialists ;

(b) the total amount of Provident Fund arrears got deposited by Government from industrialists during the last two years ; and

(c) the action being taken by Government to realise the remaining amount of Provident Fund arrears ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : The Provident Fund Authorities have intimated as under :—

(a) *Rs. 1763·54 lakhs as on 31st March, 1974.

(b) **Rs. 489·64 lakhs.

(c) The following steps are taken against the un-exempted establishments which default in payment of dues and/or submission of returns :—

(i) Prosecution is launched under Section 14 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952.

(ii) Revenue Recovery proceedings are initiated under section 8 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952.

(iii) Insuitable cases complaints are filed with the Police/Courts under Section 406/409 of the Indian Penal Code.

(iv) The default is brought to the notice of the Employers' and Workers' Organisations including the Trade Unions.

(v) Penal damages are levied under section 14-B of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952.

(vi) The Regional Commissioners utilise in suitable cases, methods of persuation and personal contacts with the defaulting establishments with a view to recovering the dues to the maximum extent possible.

(vii) In some cases the establishments are afforded a chance to pay the dues in suitable instalments subject to the production of adequate guarantee, surety etc.

(viii) The cases of Textile Mills which have gone into liquidation reconstruction Scheme drawn up by them are examined on merits.

*Figures regarding Uttar Pradesh are upto 31-12-1973 only.

Figures relating to Maharashtra have not been received and figures regarding Uttar Pradesh are upto 21-12-73 only.

Retrenchment of Employees of Indian High Commission in Britain

1291. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some employees of the Indian High Commission in Britain were retrenched last year ; and

(b) if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Nineteen.

"चायनीज प्लान टू डिप्लाय वारशिप्स टू अरेबियन सी" शीर्षक से समाचार

1292. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 मई, 1974 के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में "चायना प्लानज टू डिप्लाय वारशिप्स टू अरेबियन सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस प्रकार की प्रेस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक या उचित नहीं समझती ।

आयुध डिपुओं में गैर-कारीगर श्रमिकों के लिए पदोन्नति के अवसर और उन्हें जोखिम तथा खतरा भत्ता (रिस्की एंड हैजर्डस एलाउंस) दिया जाना

1293. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों और अन्य रक्षा एककों की तरह आयुधों डिपुओं में गैर-कारीगर श्रमिकों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है;

(ख) क्या ऐसे गैर-कारीगर श्रमिकों को आयुध कारखानों की तरह अतिरिक्त भत्ते के रूप में 10 रुपये अदा नहीं किये जा रहे हैं, जो जोखिम और खतरे का काम कर रहे हैं,; और

(ग) यदि हां, तो क्या आयुध डिपुओं के गैर-कारीगर श्रमिकों को भी भत्ता अदा करने का निर्णय इस बीच कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जें० बी० पटनायक) : (क) आयुध डिपुओं में गैर-कारीगर औद्योगिक कार्मिकों के लिए यद्यपि पदोन्नति के सीधे चैनल नहीं है फिर भी वे उच्चतर वेतनमानों वाले अर्ध-कारीगर व्यवसायों में पुनर्वर्गीकृत होने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लें । आयुध कारखानों तथा अन्य रक्षा एककों में भी ऐसी ही स्थिति है ।

(ख) तथा (ग) आयुध कारखानों में गैर कारीगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुछ वर्गों को विशेष वेतन ग्राह्य है, जिन्हें अपवाद रूप में भारी या विशेष जोखिम के कार्य करने होते हैं, जिनके स्वास्थ्य को खतरा है या जिन्हें कष्ट साध्य स्थानों पर नियोजित किया गया है या अननुकल कार्यों पर नियोजित किया गया है, उन्हें जनवरी 1974 तृतीय वेतन आयोग की सम्बन्धित सिफारिश को कार्यान्वित करते हुए 5 रुपए प्रति माह से बढ़ा कर 10 रुपए प्रति माह कर दिया गया है । आयुध डिपुओं तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं के कर्मचारियों को 3 रुपए प्रति माह ग्राह्य विशेष विशेष वेतन को इसी रूप में बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत

1294. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की यात्रा के पश्चात वापस जाते समय साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ प्रधान मंत्री की दिल्ली हवाई अड्डे पर 28 मई, 1974 को बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री 29 मई, 1974 को साइप्रस के राष्ट्रपति से मिली थी, जब वह चीन से साइप्रस जाते हुए मार्ग में दिल्ली से गुजरे थे । वह एक घंटे से कुछ कम समय के लिए पालम हवाई अड्डे पर रुके जिसमें दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचारों का सामान्य आदान-प्रदान किया था।

अनुसंधान और विकास खंड द्वारा आधुनिकतम 'बेटल टैंक' का डिजाइन बनाना

1295. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास खंड आधुनिकतम 'मेन बेटल टैंक' का डिजाइन बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसका कब तक इस्तेमाल होने लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी, हां श्रीमन । सेना प्राधिकारियों द्वारा दी गई गुणात्मक आवश्यकताओं के आधार पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन युद्ध टैंक के एक सुधरे हुए रूप के विकास पर काम कर रहा है । ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक पुनरुत्थान के लिए श्रम नियमों का पुनरीक्षण

1296. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रम नियमों का पुनः परीक्षण करने और विभिन्न उपबन्धों को कठोर बनाने का है ताकि उत्पादन बढ़ सके और आर्थिक पुनरुत्थान को बढ़ावा मिल सके;

(ख) क्या हड़तालों और तालाबन्दी पर पांच वर्षों के लिए रोक लगाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उन एककों को अपने हाथ में लेने की वांछनीयता पर विचार किया है, जहां तालाबन्दी और बार बार हड़तालें होतीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) एक व्यापक कानून पेश करने का प्रस्ताव है जो मालिक मजदूर संबंधों में सुधार करेगा और औद्योगिक विवादों के निपटान संबंधी कार्य पद्धतियों को दोषरहित बनायेगा । इससे देश में उत्पादन और उत्पादिता को बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी ।

(ख) कर्मचारियो और नियोजकों, दोनो की ओर से कामरोधों के बारे में स्वैच्छिक संयम का सरकार स्वागत करेगी ।

(ग) और (घ) प्रबन्ध संभालने के प्रश्न पर विचार करते समय सामान्यत: सांविधिक अपेक्षाओं तथा एककों की आर्थिक क्षमता निवेश किया जाने वाले अपेक्षित धन और अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखा जाता है । एककों में औद्योगिक संबंधों की दशा को भी जहां तक उसका इस मामले के उपर्युक्त पहलुओं से सम्बन्ध है, ध्यान में रखा जाता है ।

शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार

1297. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री गजाधर माझी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के अन्त में देश पर्यन्त सभी रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के अनुसार शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1972–73 की तुलना में यह संख्या कितनी बढ़ी है ; और

(ग) वर्ष 1973–74 के दौरान प्रति माह कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये तथा कितनी नियुक्तियां की गयीं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख)

(लाखों में)

वर्ष	वर्ष* के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या		
	शिक्षित£	अशिक्षित@	जोड़
1972	32.74	36.22	68.96
1973	39.02	43.16	82.18

*रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर, के अन्त में अर्ध वार्षिक अन्तराल पर एकत्र की जा रही है ।

£मैट्रिक और इससे अधिक ।

@मैट्रिक से कम (अनपढ़ों सहित)

(ग)

(हजारों में)

माह	माह के दौरान अधिसूचित रिक्तियां	माह के दौरान कराई गई नियुक्तियां
(1)	(2)	(3)
1973		
अप्रैल	78.7	43.5
मई	81.2	53.7
जून	83.9	44.6
जुलाई	86.8	42.0
अगस्त	69.7	47.5
सितम्बर	66.9	42.0
अक्तूबर	65.0	38.9
नवम्बर	57.6	44.5
दिसम्बर	61.9	40.3
1974		
जनवरी	62.9	37.9
फरवरी	56.5	34.7
मार्च	64.5	38.5
जोड़ (अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974)	845.6	508.1

नोट : उपर्युक्त विवरणों में दिल्ली में स्थित दो केन्द्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

निर्यात प्रधान उद्योगों की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताएं

1298. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निर्यात प्रधान उद्योगों की इस्पात सम्बन्धी समूची आवश्यकताएं पूरी करने तथा इस वर्ष फाउंडरियों को अधिक ढलवा लोहा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कुल कितना ढलवा लोहा उपलब्ध है और गत वर्ष क्या स्थिति थी;

(ग) क्या निर्यात प्रधान उद्योगों की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताएं देश के उत्पादन से पूरी की जायेंगी या निर्यात के माध्यम से; और

(घ) विभिन्न एककों को आबंटित इस्पात के समुचित उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) निर्यात हेतु वस्तुओं के संविरिचन के लिए लोहे और इस्पात की समूची आवश्यकताओं की पूर्ति निर्यात अथवा देशीय स्रोतों से करने का विचार है मूल्य की बशर्ते कि ऐसे निर्यात से 25% अधिक मूल्य की शर्त पूरी होती हो। वर्ष 1973–74 में कच्चे लोहे की उपलब्धि 9,30,000 टन थी। आशा है वर्ष 1974–75 में 12,50,000 टन कच्चा लोहा उपलब्ध हो सकेगा।

(घ) जिस काम के लिए लोहा और इस्पात मांगा गया हो अथवा इस का आबंटन किया गया हो उससे भिन्न काम के लिए उसका इस्तेमाल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध बना दिया गया है। आबंटित किये गये लोहे और इस्पात के ठीक उपयोग की जांच करने के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गये हैं।

बिहार-पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाएं

1299. श्री एम० एस० पुरती : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में बिहार पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं और उनके परिणामस्वरूप कितने कोयले को क्षति हुई ; और

(ख) इन कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाओं की संख्या तथा परिणामस्वरूप कोयले की अनुमानित हानि इस प्रकार है :—

पश्चिम बंगाल :		82 घटनाएं
कोयले की अनुमानित हानि	.	86,32,50 टन
बिहार :		77 घटनाएं
कोयले की अनुमानित हानि	.	80,60,00 टन

(ख) पिछले चार वर्षों में कोयला बोर्ड द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि 19,66,221.86 रुपये है। यह कुल व्यय की राशि नहीं है क्यों कि इसमें कोयला खानों के उन प्रबन्धकों द्वारा व्यय की गई राशि सम्मिलित नहीं है जिन्होंने आग की छोटी मोटी घटनाओं तथा कोयला खानों की अपनी असावधानी के कारण हुई आग की घटनाओं के लिए कोयला बोर्ड से कोई सहायता नहीं ली। इस राशि में केवल वही व्यय सम्मिलित है जो कोयला बोर्ड ने सीधे तथा खान में लगने वाली आग की रोकथाम के कार्यों में खर्च किया था।

India's Mediation to solve Disputes between Iran and Iraq

1300. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in local English Daily dated the 13th May, 1974 regarding India's mediation to solve disputes between Iran and Iraq; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) Yes, Sir. The Government have seen a report in the Times of India published from New Delhi, dated 13-5-74, to the effect that India is mediating between Iran and Iraq to settle various disputes between them. The report is entirely baseless; Government of India is not engaged in any such mediation.

सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स के शेयरों का खरीदा जाना

1301. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **भारी उद्योग** मंत्री सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स के शेयरों के खरीदे जाने के संबंध में 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9674 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मोटर्स के शेयर खरीद लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'टिस्को' के विस्तार के बारे में व्यवहार्यता प्रतिवेदन

1302. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'टिस्को' के विस्तार के बारे में 'निष्पोन स्टील्स' व्यवहार्यता प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के काम में मार्गदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति इस समय इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा पश्चिम बंगाल खानों के अधिकारियों का कथित निलम्बन

1303. **श्री बी० मायावन :**

श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने अपनी पश्चिम बंगाल की खानों में भ्रष्टाचार के आरोम में दो वरिष्ठ अधिकारियों सहित 20 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन के विरुद्ध कोई जांच की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सामान आदि के क्रय-विक्रय में भ्रष्टाचार के आरोप में, कोयला खान प्राधिकरण द्वारा छः अधिकारियों को निलंबित किया गया है ।

(ख) और (ग) निलम्बित अधिकारियों को आरोप पत्र दिए जा चुके हैं और उनके विरुद्ध जांच की जा रही है जो विभिन्न चरणों में है और उसके परिणामों की प्रतीक्षा है ।

मैसर्स चम्पारन सा मिल्स को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

1304. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स चम्पारन सा मिल्स, डाकघर बडाचकिया, जिला ईस्ट चम्पारन, को कर्मचारी भविष्य निधि अधि नियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और भविष्य निधि के अंशदानों, प्रशासनिक प्रभारों, परिवार पेंशन के अंशदानों और दण्ड विषयक हानियों की कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत कोई मुकद्दमा चलाया गया था, कितने मुकद्दमें दायर किए गए और प्रत्येक मुकद्दमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स चम्पारन सा मिल्स, डाकघर वाराचकिया, जिला पूर्व चम्पारण को 28-2-1966 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 और उसके अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाया गया था। मार्च, 1966 से दिसम्बर, 1968 और मई, 1972 से फरवरी, 1973 तक भविष्य निधि अंशदानों की बाबत 371 रुपये प्रशासकीय खर्चों की बाबत 11.55 और परिवार पेंशन अंशदान की

बाबत 25 रुपये की राशि एकत्र की गई है । यह मिल जनवरी, 1969 से अप्रैल, 1971 तक बन्द रही और उसके बाद अप्रैल, 1972 तक किसी भी कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं पाया गया। मार्च, 1973 के पश्चात किसी भी व्यक्ति को सदस्यता के लिए पात्र नहीं पाया गया और मिल तब से बन्द पड़ी है । इस प्रतिष्ठान से भविष्य निधि अंशदानों की बाबत 5 रु० परिवार पेंशन निधि की बाबत 1.25 रुपये और प्रशासकीय खर्चों की बाबत 0.40 रुपये की राशि अभी वसूल की जानी है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हर्जानों को निर्धारण करने के बाद उन्हें वसूल करने के लिए कार्यवाही कर रहा है ।

(ग) चूंकि इस प्रतिष्ठान को केवल 6.65 रुपये का ही भुगतान करना है, इसलिए कोई अभियोजना नहीं चलाया गया है । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि मार्च, 1966 से नवम्बर, 1966 तक के लिए देय राशियों के विलम्बित भुगतान के लिए उसने उप मण्डलीय अधिकारी, मोतीहारी को अभियोजन मामले भेजे थे और अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतीक्षा अभी की जा रही है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाये गये औद्योगिक श्रमिक

1305. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में राज्यवार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाए गए कुल औद्योगिक श्रमिकों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी नहीं लाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	30-6-74 की स्थिति के अनुसार ऐसे गैर-मौसमी कारखानों में, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं तथा जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन औद्योगिक श्रमिकों की व्याप्ति।	
		अन्तर्गत आए कर्मचारियों की कुल संख्या	ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या, जिन्हें अभी अन्तर्गत लाया जाना है ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश .	1,39,000	14,750
2.	असम . .	18,000	8,400
3.	बिहार . . .	75,500	1,16,250
4.	चण्डीगढ़ .	7,000	
5.	दिल्ली	1,20,000	..

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	गुजरात	3,82,500	80,500
7.	हरियाणा . .	1,16,250	1,450
8.	हिमाचल प्रदेश	..	1,800
9.	कर्नाटक .	2,25,100	19,850
10.	केरल और माहे	1,67,900	..
11.	मध्य प्रदेश .	1,26,500	61,300
12.	महाराष्ट्र .	9,91,000	65,500
13.	उडीसा	46,050	39,600
14.	पांडिचेरी . . .	10,000	..
15.	पंजाब . . .	1,01,500	2,250
16.	राजस्थान . . .	77,500	5,950
17.	तामिलनाडु . . .	3,80,500	36,350
18.	उत्तर प्रदेश . . .	3,64,150	23,850
19.	पश्चिम बंगाल . . .	8,15,000	1,14,700
	अखिल भारत	41,63,500	5,92,500

आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में 'औजार न उठाओं' हड़ताल

1306. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) के 7,000 से अधिक श्रमिकों ने जून, 1974 में "औजार न उठाओ" हडताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की क्या मांगें है; और

(ग) श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन । आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर के लगभग 6,000 श्रमिक 21 मई से 3 जून 1974 तक 'बैठे रहो' और 'औजार न उठाओ' हडताल पर थे।

(ख) उनकी दो मुख्य मांगें निम्नांकित है :—

(1) घेराव और "औजार न उठाओ" हडताल के कारण 14 मई से 16 मई तक कार्य न करने की अवधि के लिए अदायगी।

(2) जिस श्रमिक के विरुद्ध फैक्टरी के कुछ कर्मचारियों पर प्रहार करने के लिए कार्रवाई की गई है उसके मुअत्तली आदेश का निरसन।

(ग) श्रमिक को उसके द्वारा आरोप पत्र स्वीकृत कर लिए जाने और उसके विरुद्ध पहले ही की गई अनुशानात्मक कार्रवाई के पूर्वाग्रह बिना स्वीकृत कर लिए जाने पर मुक्त कर दिया गया है । घेराव और औजार न उठाओं हडताल की अवधि के लिए पैसे की अदायगी की मांग निर्णय के लिए सरकार के पास लम्बित पडी है ।

पांचवीं योजना के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

1307. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के संकट के संदर्भ में इस बीच पांचवीं योजना के लिए कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को वर्तमान 760 लाख टन से बढाकर 1350 लाख टन करने के बारे में पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या है, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला कार्यक्रम जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसोदे में निर्धारित कोयला कार्यक्रम में, 1973-74 में प्राप्त कोयला उत्पादन के लगभग 780 लाख टन स्तर को बढा कर 1978-79 तक 1350 लाख टन करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान ऊर्जा संकट को देखते हुए, इस कार्यक्रम पर फिर से विचार किया जा रहा है।

उत्पादन बढाने के लिए जो उपाय किए जा रहे है उनमें ये सम्मिलित है—राष्ट्रीयकरण के बाद खानों का पुनर्गठन 'ओपन कास्ट' खानों तथा यंत्रीकृत भूमिगत खानों से सधन खनन कार्य, आवश्यक उपकरणों की समय पर प्राप्ति, लदान के केन्द्रीयकरण सहित परिवहन सुविधाओं में सुधार तथा पुनर्गठन बिजली की लगतार पूर्ति का सुनिश्चय, लोहा और इस्पात विस्फोटक पदार्थों तथा अन्य सामग्री की पर्याप्त पूर्ति का प्रबंध।

श्रीलंका के विदेश और रक्षा सचिवों द्वारा भारत का दौरा

1308. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के विदेश और रक्षा सचिवों ने जून, 1974 में भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्री लंका के रक्षा एवं विदेश कार्य सचिव ने 10 से 12 जून 1974 तक और फिर 26 से 29 जून 1974 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) और (ग) बातचित मुख्य रुप से पाक खाड़ी में श्रीलंका और भारत के बीच जल सीमा निर्धारित करने तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में हुई थी, इस पर दोनों सरकारों के बीच एक करार हो गया है।

लघु इस्पात संयंत्रों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

1309. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये बहुत से आवेदन पत्र सरकार की अनुमति के लिये विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन राज्यों में स्थापित किये जाने हैं ; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र की क्षमता क्या होगी और इन आवेदन पत्रों पर निर्णय कब तक किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कुछ पार्टियों के "कैरी आन बिजनेस" के लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र विचारार्थ पड़े हैं । इन पार्टियों का कहना है कि उन्होंने 31 अक्तूबर, 1973 तक लागू औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अनुसार विभिन्न राज्यों में विद्युत चाप भट्टीयों की स्थापनहेतु प्रभावी कदम उठा रखे हैं ।

(ग) प्रत्येक कारखाने की क्षमता स्थापित की गई/को जा रही विद्युत चाप भट्टी/भट्टीयों के आकार और संख्या पर निर्भर करेगी । आवेदनों पर निश्चित समय के अन्दर अन्दर कार्रवाई की जाती है और इन पर सामान्यत: तीन महीनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाता है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ अपराध विंग को फिर से बनाने का अनुरोध

1310. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में खाद्य अपमिश्रण की बढतीं शिकायतों को देखते हुए केन्द्रीय जांच-ब्यरों से अनुरोध किया गया है कि उसका खाद्य अपराध विंग पुनर्जीवित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस स्थिति का सामना करने के लिए हाल ही में राज्यों की कोई सलाह/सुझाव दिये गये है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों इसके लिए सहमत है बशर्ते कि उसे कुछ सुविधायें दे दी जाये यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) राज्य और संघ शासित क्षेत्र की सराकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि व मिलावट को रोकने के लिए कारगर उपाय बरतें ।

स्कुटरों के साथ 'स्टेपनी' सप्लाई न किया जाना

1311. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कुटर निर्माता लगभग पिछले छह महीनों से नये स्कूटरों के साथ 'स्टेपनी' नहीं दे रहे है;

(ख) क्या टायरों/टयूबों के बाजार मूल्यों का वास्तविक लाभ भी उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) लम्ब्रेटा स्कूटरों के निर्माताओं ने अगस्त, 1973 से मई, 1974 तक नये स्कूटरों के साथ फालतू टायर नहीं दिए। किन्तु इस अवधि में ग्राहकों को कम सम्भरण की पूर्ति हेतु उन्होंने सम्भव सीमा तक अपने डीलरों को फालतू टायरों का सम्भरण किया/तत्पश्चात वे नये स्कूटरों के साथ केवल हवील रिमों को ही दे रहे हैं। बजाज स्कूटर के निर्माता मार्च, 1974 से अपने नये स्कूटरों के साथ केवल हवील रिम ही दे रहे हैं।

(ख) नये स्कूटरों के साथ केवल हबील रिम देते समय ग्राहकों को टायर की वास्तविक किमत, जैसा कि टायर तथा ट्यूब निर्माताओं द्वारा स्कूटर निर्माताओं को बीजक में दी गई होती हैं, की छुट दी जाती है।

(ग) तथा (घ) स्कूटरों के टायरों और ट्युबों का सम्भरण कम होने के कारण नये स्कूटरों के साथ फालतू टायर नहीं दिए जा रहे है। सरकार ने टायरों और ट्यूबों के निर्माताओं से कहा है कि वे उपयुक्त स्कूटर निर्माताओं को टायरों और ट्यूबों के सम्भरण में वृद्धि करें। मांग और पूर्ति के बोच अंतर पूरा करने के लिए सरकार स्कूटरों के टायरों और ट्यूबों के आयात की अनुमति देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

इस्पात की बार और रोड के निर्यात के लिये छोटे इस्पात संयंत्र

1312. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे इस्पात संयंत्रों को इस्पात की बार और रोड के निर्यात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संयंत्रों को विदेशों से कोई क्रयादेश प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) वष 1974-75 के दौरान माध्यम अभिकरण अर्थात सेल इन्टरनैशनल लि० की मार्फतों कुछ सीमा तक छड़ों और गोल छड़ों का निर्यात करने की अनुमति दे दी जाएगी। हाल ही में इस्पात निर्यातक संस्था ने छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात के लिए इच्छुक सदस्यों से आवेदन मांगे हैं।

सैनिक स्कूल खोलना

1313. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1974–75 और 1975–76 में, राज्य-वार, क्रमश: कितने सैनिक स्कूल खोलने का विचार है; और

(ख) क्या उन राज्यों में जिन में अभी तक एक भी स्कूल नहीं है, स्कूल खोलने को कोई प्राथमिकता दी जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) ओर (ख) भारत संघ के प्रत्येक राज्य में सैनिक स्कूलों को स्थापित करने को योजना है बशर्ते कि राज्य सरकार के द्वारा सैनिक स्कूल सोसायटी से सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में औपचारिक रूप में अनुरोध किया जाये, जो कि मूलत: भूमि तथा भवनों, उपस्करों के लिए अनुदान इत्यादि देने के लिए उत्तरदायी हैं।

2. भारत संघ के केवल हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा मेघालय तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों को छोड़कर शेष प्रत्येक राज्य में सैनिक स्कूलों को स्थापित कर दिया गया है। इन राज्यों के तथा संघ शासित क्षेत्रों के लड़के उनके राज्यों के निकट स्थित सैनिक स्कूलों में प्रदेश पाने के हकदार हैं। हिमाचल प्रदेश के लड़कों को सैनिक स्कूल, कपूरथला में प्रवेश दिया जाता है तथा मेघालय के लड़कों को सैनिक स्कूल गोआलापारा में प्रवेश दिया जाता है। नागालैंड, त्रिपुरा तथा संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के लड़कों को सैनिक स्कूल इम्फाल में प्रवेश दिया जाता है।

3. अभी तक केवल हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस राज्य के हमीरपुर जिला में सुजानपुर तीरा नामक स्थान पर सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित सैनिक स्कूल को खोलने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आवश्यकताओं को अन्तिम रूप देने के लिए एक उच्चशक्ति सम्पन्न तकनीकी समिति का गठन किया गया है। प्रस्तावित सैनिक स्कूल को स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारी

1314. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा विशेषतया भारत के मई, 1974 के परमाणु विस्फोट के पश्चात्, की जा रही सैनिक तैयारियों का पता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमा पार के किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) हमारी सीमा के पार हुई उन सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, हमारी रक्षा योजनाओं की समीक्षा करते समय ध्यान दिया जाता है।

पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन

1315. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के प्रथम छः महीनों के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन करने की कोई घटना हुई है,

(ख) यदि हां, तो कितनी बार तथा किस किस तिथि को और घटनायें किस किस स्थान पर घटित हुई, और

(ग) क्या इन उल्लंघनों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, श्रीमन्।

(ख) जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में नियन्त्रण रेखा का 118 बार और बाड़मार सेक्टर में अन्तरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ एक बार युद्धविराम हुआ है। घटनाओं की संख्या, तारीख और स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) युद्ध-विराम उल्लंघनों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

विवरण

क्र० सं०	सैक्टर	तारीख भूमि सीमा उल्लंघन	जोड़
	जम्मू व काश्मीर में नियंत्रण रेखा		
1	जोरियां	21 जनवरी, 74 ; 7, 10(2) फरवरी, 1974	4
2	मंधर	10(2), 20, 21(2), 22(2), 23(7), 24(4), 25,26(3), 28(4) मार्च 1974, 26(6), 27(5), 28(4), 29(4) अप्रैल 1974, 6(3) मई 1974, 5(2), 9(2), 14(2), 28(3), 29 और 30 जून 1974 ।	59
3	पूंछ	25(3) मार्च 74, 7 अप्रैल 1974,24 मई 1974	5
4	तिथवाल	10, 11 अप्रैल 1974	2
5	उरी	12, 14 अप्रैल 1974 और 30 मई 1974	3
6	राजौरी	18(5) अप्रैल 1974, 17, 20, 24(2), 31 मई 1974, पहली (2), 2, 9, 10, 11, 12(4), 13, 22/23(3), 23(4), 25, 26(2) और 27 जून 1974 ।	33
7	नौशेरा	18 अप्रैल 1974, 31 मई (2) 9, 13, 14, 15(2) और 21 जून 1974 ।	9
8	कपुवारा	7(2) और 21 जून 1974	3
	राजस्थान में अन्तराष्ट्रीय सीमा		
9	बाड़मेर	9 जनवरी 1974	1
		कुल उल्लंघन	119

देश में हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी

1316. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि परिवार नियोजन अभियान में निर्धन हरिजनों की जबरदस्ती नसबन्दी की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार 1973-74 और उसके पहले 1972-73 और 1971-72 में ऐसी कितनी शिकायतें मिली ;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ड़) क्या किसी राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओ के लिए जिम्मेदार किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) से(ङ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

चीन के अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र

1317. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का पता है कि चीन 1976 तक अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र बना लेगा,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इसका हमारी सुरक्षा-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के विकास से सभी एशियाई देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। सरकार चीन की अणु-अस्त्र क्षमता से सूरक्षी पर पड़ने वाले प्रभाव का लगातार मूल्यांकन कर रहीं है जिसका हमारी रक्षा उपायों की योजना बनाते समय ध्यान रखा जाता है।

मैसर्स क्रिस्टीन माइका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड हजारीबाग के मुख्य कार्यालय का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2ए के अन्तर्गत लाया जाना

1318. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स क्रिस्टीन माइका इन्डस्ट्रीज लिमिटेड हजारी बाग का मुख्य कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2 ए के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हाँ, तो भविष्य निधि अंशदान प्रशासनिक प्रभारों, परिवार पेंशन अंशदानों तथा दण्ड विषयक हानियों के रूप मे कितनी धनराशि कार्यालय के अधिनियम के अन्तर्गत आने की तिथि से अब तब वसूल की गई ; और

(ग) क्या दोषि व्यक्तियों के मामले में अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही की गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धि तथ्य क्या हैं?

श्रम मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रहीं है। यह यथासमय सदन को मेज पर रख दी जायेगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त, बिहार द्वारा कतिपय उपक्रमों को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अस्थायी रुप से लाने के लिए आदेश जारी करना

1319. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार कतिपय उपक्रमों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत अस्थायी रूप से लाने के लिए आदेश जारी कर रहे है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिष्ठानों/कारखानों को अब तक अस्थायी रुप से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है और उन्हें अन्तिम रूप से उसके अन्तर्गत लाने की तारीख निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है । :—

(क) जी हाँ ।

(ख) बिहार क्षेत्र में अब तक 277 कारखानों/प्रतिष्ठानों/खानों को अनन्तिम रूप से अन्तर्गत लाय गया है। संबंधित भविष्य निधि निरिक्षकों को अनन्तिम रूप से अन्तर्गत लाने की तारीखों को अन्तिम रुप देने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिये गये हैं। और इसके फलस्वरुप, 21 कारखानों/प्रतिष्ठानों/खानों के मामलों को अन्तिम रुप दे दिया गया है ।

प्रश्नगत श्रमिको द्वारा भविष्य निधी की सुविधाओं के लाभ प्राप्त करने में विलम्ब न हो, इस उद्देश्य से बिहार क्षेत्र में अनन्तिम रूप से अन्तर्गत लाने की कार्यवाही की गई ।

बिहार में भविष्य निधि तथा अन्य अंशदानों की बकाया राशि

1320. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 तथा बिहार राज्य में उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत आनेवाले संस्थानों /कारखानों तथा खानों द्वारा देने भविष्य निधि अंशदानों, प्रशासनिक प्रभारों, परिवार पेंशन अंशदानों तथा दण्ड विषयक हानियों की बकाया राशियो मे तथा इस प्रकार भुगतान न करने वाले एककों की संख्या में फरवरी, 1973 से बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) निम्न तालिका, जिसमें बिहार, राज्य में 31–3–73 और 30–6–1974 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशियों संबंधि स्थीति दी गई है, से यह देखा जायगा कि जहाँ भविष्य निधि और प्रशासकिय खर्चों की बाबत बकाया राशियों मे अपेक्षाकृत कमी आई है, वहां परिवार पेंशन और हर्जानों की बाबत बकाया राशियों मे वृद्धि हुई है । बकाया की राशियों को वसूल करने के लिए हर्जाने लगाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है और इसलिए बकाया देय राशियों में वृद्धि हुई है । परिवार पेंशन संबंधी बकायों में वृद्धि हुई है । परिवार पेंशन संबंधी बकायों में वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि 31 दिसम्बर, 1972 तक परिवार पेशन संबंधि विवरणियो भेजी नहीं गई थी और इसलिए कोई निर्धारण नहीं हो सका और दिखाई गई बकाया राशियाँ शून्य थीं । परिवार पेंशन संबंधि विवरणियो के भेजने में वृद्धि के साथ बकायों की राशि में वृद्धि हुई क्योंकि और अधिक प्रतिष्ठानों के बारे में बकायों का निर्धारण किया गया । अनुपालन न करने वाले एककों की संख्या जो 31–3–1973 को 537 थी, 30–6–1974 को बढ़कर 553 हो गई । क्षेत्रीय आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि जैसे ही चूक ध्यान में आए, अभियोजना और राजस्व वसूली कार्यवाहीयों के रूप मे तूरन्त कानूनी कार्यवाही की जाए । किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

तालिका

	भविष्य निधि अंशदानों की बाकीदारी राशि लाख रुपयों में	प्रशासकीय खर्च के बकाये की राशि लाख रुपयों में	दण्डात्मक हर्जानों के बकाये राशि लाख रुपयों में	परिवार पेंशन अंशदानों के बकाये की राशि लाख रुपयों में
31-3-73 को	79.30	2.73	12.14	1.03
30-6-74	68.08	2.66	थोडीसी वृद्धि हुई है।	6.01

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम और उसके लिए केन्द्रीय सहायता

1321. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों को गति देने के लिये कहा है ·

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के लिये कोई नई सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जन्म दर को 30 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1974-75 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न करने को कहा गया है।

नसबंदियां	20 लाख
गर्भाशयी गर्भरोधक प्रविष्टियां	6 लाख
प्रचलित गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता . . .	35 लाख

राज्य सरकारों को जिले वार वृद्धि दर और जन संख्या घनत्व नगरिकरण का विस्तार और स्त्री शिक्षा के स्तर जैसे तथ्यों पर आधारित गहन प्रयत्न करने के संबंध में एक कार्य-नीति की सूचना भेजी गई है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे संसद् सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, जिला परिषदों के सदस्यों, पंचायत के सदस्यों और श्रमिक संघों, शिक्षक /विद्यार्थी संघों और व्यावसायिक संघों का समर्थन प्राप्त कर के परिवार-नियोजन कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनायें।

(ग) चालू वित्तिय वर्ष के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी नयी मद पर सहायता प्रदान नही की गई है। तथापि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत सभी चालू स्वीकृत योजनाओं के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान कि जा रही है और यह सहायता 1983-84 तक जारी रखी जायगी।

यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ करार

1322. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेटस् के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त अरब अमीर-राज्य के उप राष्ट्रपति जून 1974 में भारत आय थे और इससे पहले मई 1974 में संयुक्त अरब अमीर-राज्य के पेट्रोलियम एवं खनिज संसाधन मंत्री। इन यात्राओं के दौरान कोई औपचारिक करार नहीं हुआ। एक संयुक्त आयोग गठित करने के लिए पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था । नीचे लिखी बातों पर भी समझौता हुआ था :

(1) दोनों देशों में परस्पर व्यापार-विनिमय की मात्रा में वृद्धि होगी ।

(2) भारत या संयुक्त अरब अमीर-राज्य में पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन, उर्वरक और स्पंज लौह/इस्पात संयंत्र के क्षेत्रों में संयूक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना पर विचार करने के लिए तकनीकी शिष्टमंडल एक-दूसरे के यहां आयें-जायेंगे ।

(3) पेट्रोलियम एवं पेट्रो-रसायन तथा इस्पात के क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीर-राज्य के प्रशिक्षुओं को सुविधाएं दी जाएंगी ।

गिरिनगर, नई दिल्ली के निवासियों से ज्ञापन

1323. **श्री सरजू पांडे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गिरिनगर (ओखला औद्योगिक बस्ती) नई दिल्ली के निवासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय लिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य शिकायतें मकानों के अधिक किराये, अस्वास्थ्यकर दशाओं और अपर्याप्त जल सम्भरण से संबंधित हैं ;

(ग) गिरि नगर, ओखला में निर्मित मकानों का सहाय्यित किराया उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, 37 रुपये निर्धारित किया गया है जो समय समय पर निर्माण की लागत के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है । तदनुसार श्रमिकों से 37 रूपये प्रति माह किराया, 5 रुपय जलखर्च और 1 रुपया सफाई खर्च, कुल मिलाकर 43 रुपये प्रति माह वसूल किये जा रहे हैं । ओखला में अब निर्मित मकानों के किराये को दिल्ली में और अन्य स्थानों पर पहले निर्मित किए गए मकानों के किराये के बराबर रखना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बस्ती की सफाई के लिए दैनिक दर पर 8 सफाई के कमचारी नियोजित किये जाते हैं । स्वाथ्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे बस्ती की सफाई संबंधी दशाओं के सुधारने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाए ।

इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम के बदरपुर स्थित नलकूप से प्रति दिन 2-1/2 लाख गैलन प्राप्त हुए जल का गिरि नगर बस्ती को सम्भरण कर रहा है । दिल्ली नगर निगम द्वारा एक अन्य नलकूप निर्मित किया जा रहा है और उसके शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है ।

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अधीन अधिकतम दण्ड दिया जाना

1324. **श्री सरजू पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम (1954) में अधिक से अधिक 6 वर्ष के कठोर कारावास और 11,000 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि अब तक किसी भी व्यक्ति को यह अधिकतम दण्ड नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां; तो क्या सरकार ने इस बात का कोई अध्ययन किया है कि अभियोजक अधिकतम दण्ड देने के लिये तर्क क्या नहीं देते हैं ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिससे अपमिश्रण करने वालों को अधिकतम दण्ड दिया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिक से अधिक छः साल की सजा दी जाती है और जुर्माना भी किया जाता है जिस की कोई सीमा नहीं है ।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड द्वारा मल्टी-लेयर हैवी वैसल्स का निर्माण

1325. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स फैक्टरी ने पहली बार मल्टी लेयर हैवी वैसल्स का निर्माण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वैसल 3400 मि० मी० लम्बा × 890 मि० मी० अन्दर का व्यास × 78 मि० मी० की मोटाई के आकार का था । वैसल कार्बन स्टील से बना हुआ था । यह वैसल मूल रूप से 250 ऐटमास्फियर तक सुरक्षित रूप से कार्यकरण के दाब के लिये बनाया गया था। विनाशकारी परीक्षण में यह 940 ऐटमास्फियर के पराभव दाब पर टूट गया जो डिजाइन दाब का लगभग चार गुना है । इस प्रकार इससे यह सिद्ध हो गया है कि वैसल का डिजाइन ठीक प्रकार से बनाया गया था और इसका सेफ्टी फैक्टर 3.75 है ।

अल्यूमिनियम उद्योग का लक्ष्य

1326. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमिनियम उद्योग का लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और तथ्य क्या है ; और

(ग) अल्यूमिनियम के मामले में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) 1973–74 के दौरान एल्यूमिनियम का उत्पादन लगभग 148,000 टन था, जबकि स्थापित क्षमता लगभग 200,000 टन थी । चालू वर्ष में पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन की संभावना नहीं है । स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन के बीच यह अन्तर बिजली की कमी के कारण है । यदि एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को पर्याप्त बिजली सुलभ हो जाए तो इस समय चालू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त धातु का उत्पादन किया जा सकता है ।

भारतीय छात्रों के अमरिका में दीर्घवधि तक रहते रहने को रोकने के लिए वीजा विनियमों में परिवर्तन

1327. श्री एम० ई० होरो : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय जो अमरीका में उच्च अध्ययन के लिये जाते हैं वहीं रहना तथा कार्य करना पसन्द करते हैं ;

(ख) क्या इस कारण भारत सरकार का वीजा विनियमों में परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अमरीका के लिए वीज़ा अमरीका सरकार द्वारा दिये जाते हैं । संबंधित वीज़ा विनियम सभी विदेशी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होते हैं और उन्हें नियमित करने का काम अमरीकी सरकार का है । लेकिन, भारत सरकार यह समझती है कि अमरीका की सरकार विदेशी विद्यार्थियों को वीज़ा देने के मामले में तथा उनके देश में अधिक समय तक रुकने के संबंध में दृढ़ कसौटी लागू कर रही है ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन औद्योगिक एककों में लगाये गये विदेशी विशेषज्ञ

1328. श्री एन० ई० होरो : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न औद्योगिक एककों में कुछ विदेशी विशेषज्ञ लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन देशों के हैं, उन्हें कितनी अवधि के लिये रखा गया है, उद्योगों में वे किस प्रकार का काम कर रहे है और उनके वेतन भत्ते आदि क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित देशों के विशेषज्ञ रखे गए हैं :–

1. यू० के०
2. पश्चिमी जर्मनी
3. सोवियत संघ
4. पोलैंड
5. कनाडा

अलग-अलग विदेशी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की अवधि भिन्न-भिन्न है जो प्रायोजना प्राधिकारियों की आवश्यकताओं तथा विशेषज्ञ की सेवा की उपलब्धि पर निर्भर है ।

इस्पात कारखानों में विदेशी विशेषज्ञ निर्माण, स्थापना, सामंजस्य और मशीनों को चालू करने में विशिष्ट तकनीकी सहायता तथा कारखानों और खानों के परिचालन और रख-रखाव के कामों के लिए लगाये गये हैं। भारत कोकिंग कोल लि० में पोलैंड के कुछ विशेषज्ञों को शक्यता प्रतिवेदन के विस्तरण, प्रायोजना प्रतिवेदनों और सामान्य संगठनात्मक कार्य तथा खान निर्माण संगठन के कार्य के क्षेत्र में रखा गया है। हिन्दुस्तान कापर लि० में विशेषज्ञों को तांबा खनन और तांबा धातु विज्ञान के सलाहकारों के रूप में तथा खान रुपांकन इंजीनियरिंग कक्ष को स्थापना में सहायता करने तथा सहमति देने के लिए नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय खान योजना और रुपांकन संस्थान (सी० एम० पी० डी० आई०) में उनकी सेवाओं का उपयोग दो ओपिन कास्ट खानों के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० में विशेषज्ञों को अन्वेषण, खान से माल निकालने के कार्य के लिए, उपस्करों के रख-रखाव आदि से संबंधित कार्य पर लगाया हुआ है।

अलग-अलग विशेषज्ञ का वेतन और परिलब्धियां अलग-अलग हैं जो उसकी विशेषज्ञता तथा विदेशी नियोक्ता के अधीन उनके पद पर निर्भर करती है। फिर भी, इस्पात कारखानों द्वारा इस समय उनके वेतन, तथा परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं पर किया गया वार्षिक खर्च नीचे दिया गया है :—

1. दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	लगभग 1.27 लाख रुपए (आयकर सहित)
2. राउरकेला इस्पात कारखाना .	लगभग 75,000 ड्यूस मार्क और 1.75 लाख रुपए (आयकर सहित)
3. भिलाई इस्पात कारखाना . .	लगभग 26.45 लाख रुपए
4. बोकारो इस्पात कारखाना . .	लगभग 270 लाख रूपए

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा विशेषज्ञों को नियुक्ति पोलैंड के कोपेक्स के साथ किए गए दो करारों की शर्तों के अनुसार की जाती है। पहले करार के अनुसार संगठन को विशेषज्ञता और सेवा के लिए 40,57,885 रूपए तथा पोलैंड में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए 1,66,716 रुपए दिए जाने हैं और दूसरे समझौते के अधीन विशेषज्ञता और सेवाओं के लिए 3,20,400 रुपए और भारतीय इंजीनियरों के पोलैंड में प्रशिक्षण के लिए 42,000 रुपए दिए जाने हैं।

हिन्दुस्तान कापर लि० में दो विशेषज्ञों को 8,700 रुपये प्रतिमास की दर से भुगतान किया जाता है। दो अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं यू० एन० डी० पी०/यू० एम० आई० डी० ओ० के अधीन प्राप्त की गई है जिनके लिए कुछ नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कार्य कर रहे विशेषज्ञों की परिलब्धियां प्रतिमास 3,355 रुपये से 5,510 रुपये तक तथा सी० एम० पी० डी० आई० में विशषज्ञों को 438 रुबल से 535 रुबल तक प्रतिमास मिलते हैं।

विदेशी मुद्रा की बचत

1329. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की और अधिक बचत करने के लिये तथा प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये सामग्री तथा स्टोरों में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के प्रयत्नों को तेज करने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की योजना की मुख्य बातें क्या हैं और देशी लोहे, अलौह और रासायनिक वस्तुओं के उपयोग द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार की यह घोषित नीति है कि रक्षा आवश्यकताओं के मामले में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए । हमारी अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं ने युद्ध जैसे कुछ मुख्य स्टोरों के डिजाइन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है और स्वदेश में डिजाइन किए गये उपस्कर के उत्पादन के लिए सुविधाएं भी स्थापित कर ली हैं ।

इसके अतिरिक्त उन मुख्य असम्बलिज और उपकरणों के उत्पादन के लिए जिनका पहले आयात किया जा रहा था स्वदेशी स्त्रोतों का पता लगाने और विकास करने के लिए कई एक तकनीकी समितियां स्थापित की गई हैं ।

आयात की गई कच्ची सामग्री के स्थान पर स्वदेशी कच्ची सामग्री का विकास करने के लिए रक्षा प्रयोगशालाओं और अन्य जगहों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में, आयातित कच्ची सामग्री के स्वदेशीकरण की समय-समय पर प्रगति देखने और नए स्त्रोत स्थापित करने के लिए ठोस कदमों का सुझाव देने के लिए सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई हैं ।

तथापि, उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्याशित विदेशी मुद्रा की बचत की मात्रा बताना कठिन होगा ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में परिवार नियोजन संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम

1330. श्री जी० वाई० कृष्णन् :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के उपायों सम्बन्धी अनुसन्धान को और अधिक बढ़ावा देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या को हल करने के तरीकों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसंधान संबंधी कोई विशिष्ट कार्यकलाप नहीं हैं । तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से भारत में जीव-प्रजनन के कतिपय पहलुओं पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं । ऐसे कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र ।
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, में क्लीनिकी अनुसंधान केन्द्र ।
3. एस० जी० एस० मेडीकल कालेज, बम्बई ।

इन केन्द्रों में जो अनुसंधान करवाया जा रहा है उसका उद्देश्य प्रजननशीलता नियंत्रण के ऐसे नए तरीके तैयार करना है जोकि विश्वसनीय, कारगर तथा व्यापक रूप से भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अन्तर्गत स्वीकार्य हों ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें निम्नलिखित सम्मिलित :—

1. प्रजननशीलता नियंत्रण के प्रति हार्मोनल दृष्टकोण जिसमें गर्भधारण के नियंत्रण के लिए वन-इ-प्लान्ट तरीके के क्लीनिकी परीक्षण और स्वीकार्यता तथा एक स्टेराईड निकालने वाला गर्भाशयी उपाय भी शामिल हैं ।

2. शुक्राणु-डिम्ब (स्पर्म ओवम) अन्योन्यक्रिया तथा प्रजननशक्ति को प्रभावित करने वाले शुक्र प्लाजा तत्वों पर अध्ययन ।

3. जैव अपरा (बोजरोपक) एन्टोजेनों पर अध्ययन तथा अपरा-निरोधक वैक्सीन का विकास ।

4. नसबन्दी और प्रोस्टेगलैंडिन और उनके सहधर्मियों को गर्भसत्तावक क्रिया सहित प्रजननशक्ति के नियंत्रण के लिए शल्यचिकित्सा (सर्जरी) तथा चिकित्सा (मेडीकल) के साधन ।

5. हाइपोथलमोपिट्यूटरी डिम्ब ग्रन्थि अक्ष से संबंधित जनन प्रक्रियाओं में तंत्रिका और हार्मोनल अन्योन्यक्रिया तथा पोषणिक और पर्यावरणिक तत्वों और स्टेराइडल तत्वों से होने वाले अवरोध द्वारा उनमें संशोधन करने संबंधी अध्ययन ।

बर्मा से भारतीयों का स्वदेश प्रत्यावर्तन

1331. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को भारत वापस भेजने का विचार है और वे मूलत : किस राज्य के हैं ?

(ख) अब तक कितने व्यक्ति भारत आ चुके हैं ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये सरकारी योजना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ऐसे भारत मूलक लोगों की सही अनुमानित संख्या सुलभ नहीं है जो भविष्य में भारत प्रत्यावर्तित होने का निर्णय करेंगे । प्रत्यावर्तन का प्रबंध साल दर साल किया जाता है । लेकिन अब तक 1-6-1963 से 20-7-1974 तक की अवधि में 3,06,781 भारत मूलक लोग बर्मा से आए हैं । वे तमिल नाडू, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के है ।

(ग) ब्यौरा साथ लगा है ।

विवरण

बर्मा से प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास के लिए अनुमोदित योजनाओं का विवरण

(1) व्यापार ऋण

व्यवसाय और व्यापार के लिए ऋण प्रति परिवार 5000 रु० तक स्वीकृत किया जाता है ।

(2) आवास ऋण

प्लाट खरीदने और मकान बनाने के लिए ऋण नीचे लिखे अनुसार दिया जाता है:—

	शहरी क्षेत्र	देहाती क्षेत्र
(क) प्लाट का मूल्य . . .	600 रु० (ऋण)	200 रु० (ऋण)
(ख) मकान के बनाने का खर्च . .	2000 रु० (ऋण)	1250 रु० (ऋण)
(ग) भूमि विकास	1500 रु० (ऋण)	600 रु० (ऋण)
(घ) व्यापारिक भवन .	500 रु० (ऋण)	200 रु० (ऋण)

प्रत्यावर्तितों को व्यापार और आवास ऋण संबद्ध राज्यों के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन द्वारा दिये जाते है ।

(3) प्रत्यावर्तितों का सहभारी वित्त एवं विकास बैंक

प्रत्यावर्तितों का सहभारी वित्त एवं विकास बैंक जिसका मुख्यालय मद्रास में है, उन प्रत्यावर्तितों को, जो दक्षिण राज्यों में बसे हैं, लघु उद्योग व्यापार और अन्य योजनाओं के लिए उधार की सुविधाएं भी देता है ।

(4) कृषि में पुनर्व्यवस्थापन

भूमि उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत प्रत्यावर्तितों को तमिलनाडु में कृषि के काम में पुनः स्थापित किया गया है (जो श्रीलंका और बर्मा के प्रत्यावर्तितों के लिए समान है), कर्नाटक के सिधानुर परियोजना (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासी और बर्मा एवं श्रीलंका के प्रत्यावर्तितों के लिए समान हैं), मध्य प्रदेश में बेतुल परियोजना (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासी और बर्मा के प्रत्यावर्तितों के लिए समान है) । उत्तर प्रदेश और बिहार को कुछ प्रमुख परियोजनाए केवल बर्मा के प्रत्यावर्तितों के लिए अनुमोदित की गई हैं ।

(5) उद्योगों में रोजगार

कुछ औद्योगिक योजनाओं में प्रत्यावर्तितों के लिए रोजगार सुरक्षित रखा जाता है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है । ये योजनाएं हैं नेलोर में रामगुडम टेक्सटाइल केन्द्र, आंध्र प्रदेश में राजमुन्द्री कताई मिल और तमिलनाडू में नज़ारत और श्री विलिपुथूर कताई मिल ।

(6) अन्य स्वीकृत योजनाएं

बर्मा से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के बच्चों के लिए मातुर (तमिलनाडू) में एक विशेष रिहायशी स्कूल, विवाहित स्त्रियों के लिए मातुर (तमिलनाडू) में एक विशेष घर ; प्रत्यावर्तितों के लिए कांचरापलम (आंध्र प्रदेश) में एक स्थायी जिम्मेवार घर की स्थापना की गई है । विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण योजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है ।

(7) शिक्षा संबंधी रियायतें

(क) दिवा छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान, जो 5 रु० से 100 रु० प्रति वर्ष है ।

(ख) माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और कालिजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 40 रु० से 60 रु० तक की शिक्षावृत्तियां जिनमें अंक संबंधी कुछ शर्तें हैं, लेकिन यह तभी दी जाती है जबकि विद्यार्थी अपने परिवार से दूर होस्टल में रहते हों ।

(ग) उपरोक्त रियायतें केवल उस स्थिति में ही देय हैं जब कि माता-पिता की आमदनी 250 रु० प्रति माह से अधिक नहीं है ।

कर्नाटक के बेल्लारी होस्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों का समेकित विकास

1332. श्री के० मालन्ना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के बेल्लारी होस्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों का समेकित विकास करने सम्बन्धी अध्ययन करने तथा सुझाव देने के लिए लौह अयस्क बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन है और उसके कृत्य क्या है और इसके प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन और उसके कार्य अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :--

(1) श्री एस० के० गुह, संयुक्त सचिव, इस्पात विभाग--अध्यक्ष ।

(2) श्री आर० पी० कपूर० निदेशक (योजना)--राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद ।

(3) श्री एस० रंगाचारी, महा-प्रबन्धक (लौह खनिज),--खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली ।

(4) श्री के० गवी गेटी, निदेशक, खनिज और भू-विज्ञान, कर्नाटक सरकार ।

(5) श्री के० के० गुप्ता वरिष्ठ प्रबन्धक (कच्चा माल) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली ।

(6) श्री प्रताप नारायण, संयुक्त निदेशक (योजना), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।

(7) डा० टी० रामेश्वर राव, अर्थ शास्त्री, लोह खनिज बोर्ड, नई दिल्ली ।

(8) श्री के० एस० महापात्र तकनीकी सलाहकार लोह खनिज बोर्ड, नई दिल्ली--संयोजक ।

2. अध्यक्ष अन्य ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकता है जिनका ज्ञान और अनुभव समिति के काम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :--

(1) बेलाडीला हास्पेट क्षेत्र में लोह खनिज के भण्डारों का पता लगाना जिनका पांचवी पंच-वर्षीय योजना तथा छटी योजना-विधि के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए इस्पात के उत्पादन लक्ष्य तथा लौह खनिज के निर्यात की आवश्यकताओं के अनुसार विकास किया जाए ।

(2) इस क्षेत्र के विभिन्न ग्रेडों के लौह अयस्क के निक्षेपों के वितरण, दशीय खपत के लिए अपेक्षित किस्म के लौह अयस्क की क्वालिटी तथा संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से इष्टतम ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात के बारे में सिफारिश करना ।

(3) उत्पादन के लिए कार्यक्रम तैयार करना । ऐसा करते समय खनन के विभिन्न तरीकों के लिए आवश्यक पूंजी निवेश तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए यह सुझाव देना कि खनन के लिए यंत्रीकृत अर्द्ध यंत्रीकृत तथा मजदूरों द्वारा माल निकालने में से कौन सा तरीका उपयुक्त तम होगा । यह कार्यक्रम तैयार करते समय लौह अयस्क के चुरे के उपयोग की समस्या तथा खनिज के निक्षेपों को इस्पात कारखानों तथा बन्दरगाहों से मिलाने के औचित्य को ध्यान में रखा जाएगा जिससे उनका इष्टतम उपयोग किया जा सके ।

(4) जहां कहीं आवश्यक हो खनन के पट्टेय देने के काम को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देना ताकि सुसंहत उत्पादन इकाइयों का सोमांकन किया जा सके ।

(5) उपलब्ध लौह अयस्क के इष्टतम उपयोग के लिए क्षेत्रीय तथा विस्तृत अन्वेषण हेतु दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सझाना ।

(6) धुलाई की सुविधाओं सहित अथवा उनके बिना एक अथवा अधिक उनके केन्द्रीय क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग संयंत्रों की स्थापना की आवश्यकता पर विचार करना तथा ऐसे कारखानों के लिए मसलों तथा क्षमताओं के बारे में सुझाव देना ।

(7) इस क्षेत्र से लौह अयस्क की ढुलाई के लिए अतिरिक्त रेल मार्गों तथा इससे सम्बन्धित सुविधाओं, यदि कोई हो सड़क मार्गों के विकास तथा अन्य उपयुक्त तरीकों पर विचार करना और उसके लिए आवश्यक पूंजीनिवेश के बारे में सिफारिश करना ।

3. आशा है कि यह समिति 30 सितम्बर, 1974 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

ताम्बा कांस्ट्रेटों का अभाव

1333. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पैलटरों के लिये तांबा कांस्ट्रेंटों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तांबे के मुख्य निक्षेप हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) घटसिला और खेतड़ी के प्रद्रावकों की धातु प्रद्रावण क्षमता क्रमश: 26,000 और 31,000 टन है । परन्तु उपलब्ध प्रद्रावण क्षमता के अनुरूप अयस्कों के उत्पाद न हेतु खानों का अभी तक विकास नहीं हो पाया है । उपलब्ध फालतु प्रद्रावण क्षमता के कुछ भाग के उपयोग के लिए सांद्रकों के आयात के बारे में विचार हो रहा है ।

(ग) मुख्य तांबा निक्षेप निम्नलिखित स्थानों में है :

1. सिंहभूम तांबा पट्टी, बिहार ।
2. खेतड़ी तांबा पट्टी, राजस्थान ।
3. मालंजखण्ड तांबा निक्षेप, मध्य प्रदेश ।

कानपुर अस्पताल में उपर्युक्त ग्लूकोस सेलाइन के नमूनों के रासायनिक परीक्षण के निष्कर्ष

1334. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कानपुर के एक अस्पताल में इस्तेमाल किये गये ग्लूकोस सेलाइन, जिससे अनेक व्यक्तियों की कथित मृत्यु हुई, के नमूनों के रासायनिक परीक्षण सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने कलकत्ता ड्रग लेबोरेटरी के निष्कर्षों की उपेक्षा की है और दूसरी जांच करवाई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य तथा कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) राज्य सरकार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सूचना यथा समय भेज दी जायेगी ।

देश में नकली और घटियां प्रकार की औषधियों में वृद्धि

1335. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नकली और घटिया प्रकार की औषधियों में बहुत वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) नकली और मिलावटी दवाइयों का प्रचलन काफी बढ़ गया है ।

(ख) इस समस्या को गम्भीर बनाने के लिए जो कुछेक बातें उत्तरदायी लगती हैं वे इस प्रकार हैं:—

1. पिछले कुछ वर्षों में देश में दवाइयों के कुल उत्पादन और उनके कारखानों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है किन्तु औषधि नियंत्रण को लागू कराने वाली मशीनरी को उस हद तक विस्तार नही हो पाया है ।

2. कुछेक राज्यों ने अभी तक अपनी औषधि नियंत्रण मशीनरी को अच्छी तरह से तेज नही किया है ।

3. देश में जांच की सुविधाएं सीमित होने से काफी संख्या में नमूनों की जांच करने के कार्यक्रम में बाधा पड़ गई है ।

Corvette Warship Scandal

1336. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in a Hindi Weekly dated the 27th April, 1974, regarding Corvette Warship Scandal involving wastage of crores of rupees; and

(b) if so, what are the facts?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The various allegations made in the report referred to by the hon'ble Member are baseless.

Purchase of French Corvette Warship by India

1337. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether negotiations for the purchase of the French Corvette Warships are still going on between his Ministry and the Constructions Mechanics de Normardy;

(b) if so, since when and the progress achieved in this regard; and

(c) whether the Central Intelligence Bureau has conducted any enquiry in this regard or kept a watch over it and the results thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) Discussions have been held with French and British shipyards to finalise the technical and other details of their proposal for the construction of Corvettes in India and these discussions are continuing. It will not be in Public interest to disclose further details.

(c) No enquiry has been conducted into this matter.

नकली/घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी योजना

1338. **श्री दरबारा सिंह :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली और घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार ने बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) नकली और घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी ऐसी कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। फिर भी, नकली दवाइयों के आतंक को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं। इससे संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. बिना लाइसेंस से औषधि निर्माताओं को समाप्त करने के लिए जो आम तौर पर नकली दवाइयां बनाते और बेचते हैं, लाइसेंसशुदा औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची तैयार कर ली गई है और उसे अद्यतन बना दिया गया है। इस सूची को राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों तथा औषधि निर्माताओं और व्यापारियों के संघों को भेज दिया गया है।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी दवाइयां बनाने तथा बेचने तथा बिना लाइसेंस के दवाइयां बनाने और बेचने की सजा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष तक कर दी गई है। उसमें ऐसा भी उपबन्ध कर दिया गया है जिसके अधीन ऐसी औषधियों के बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान तथा उन्हें लाने ले जाने के साधनों को जप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने तथा दण्ड व्यवस्था को और अधिक कठोर करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने संबंधी एक प्रस्ताव पर भी इस समय विचार किया जा रहा है।

3. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने अपने यहां मिलावटी दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेजी से चलाने के लिये पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखें।

4. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों की सूचना मिलती है और जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तरराज्य गिरोह काम कर रहा है, उस समय संबंधित राज्यों को सचेत करते तथा राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिये विशेष सावधानियां बरती जाती है।

5. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने औषध निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि करें और दवाइयों की जांच करने की सुविधाएं भी बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सकें और जांच रिपोर्ट जल्दी मिल सके ।

6. केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मण्डल कार्यालय खोल दिये गये हैं । मण्डल अधिकारियों का एक काम यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने, खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जाई जा रही हों, की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर-राज्य बाजार में बिकने वाली औषधियां हर हालत में मानकों के अनुसार हों । उनके इस काम में केन्द्रीय औषध निरीक्षक जो राज्य औषध निरीक्षकों के निकट सम्पर्क में काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं ।

7. औषध निर्माताओं और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशनों की सहायता और उनका सहयोग लिया गया है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों । नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान में उनका सहयोग लिया जा रहा है ।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों के लिये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियंत्रण उपायों को कठोरता से लागू करने में मदद देंगे ।

9. राज्यों को अपने यहां एक ऐसा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है जिसमें औषधि निर्माताओं, व्यापारियों, चिकित्सा व्यवसाय और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों, जो राज्य सरकारों को यह सलाह देंगे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए क्या उपाय किए जाएं ।

10. स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखें हैं जिसमें उनका ध्यान प्रचलित नकली दवाइयों की ओर आकृष्ट कर इस बुराई को खत्म करने में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका भी उल्लेख है । औषधि निरीक्षकों और विश्लेषकों के प्रशिक्षण में केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा क्या सहायता दी जा सकती है, इस पर भी बल दिया गया है ।

स्कूटरों के आबंटन के लिये बनाई गई प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों को स्कूटरों का आबंटन

1339. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूटरों के आबंटन हेतु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूचियों में से श्रेणीवार किस तिथि तथा पंजीकरण की किस संख्या तक आबंटन किया जा चुका है और श्रेणीवार तथा वर्षवार कितने आवेदनपत्र अभी लम्बित पड़े हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : एक विवरण संलग्न है ।

12—23 L.S.S. (ND)/74

विवरण							
	आबंटन की अंतिम सं०	अंतिम दिनांक तक आबंटन	वर्ष-वार आवेदन पत्रों की अनिर्णित संख्या				
			1969	1970	1971	1972	1973
बजाज स्कूटर							
श्रेणी							
1 (900 रु० और उससे अधिक) . .	686/71	28-2-71 (पार्ट)			348	1487	1511
2 (500 रु० से 899—एक्जीक्यूटिव) . .	370/71	19-2-71 (,,)	..	..	673	1320	1279
3 (500 रु० से 899) .	2584/70	10-3-70 (,,)		70	4305	4619	4476
4 (300 रु० से 499—एक्जीक्यूटिव) . .	311/70	16-2-70 (,,)		1883	3693	3990	3605
5 (300 रु० से 499—संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के वैयक्तिक सहायक)	117/72	25-2-72 (,,)				75	216
6 (चिकित्सक) . .	200/72	22-2-72 (,,)	..	..	..	198	357
7 (350 से 499) . . .	8399/69	26-4-69 (,,)	4076	9112	11225	10134	10301
लम्ब्रेटा स्कूटर							
1 (900 रु० और उससे अधिक) .	420/72	28-2-72					510
2 (500 रु० से 899—एक्जीक्यूटिव)	343/72	वही					440
3 (500 रु० से 899) . .	1862/72	वही				..	2423
4 (300 रु० से 499—एक्जीक्यूटिव) . .	847/72	26-2-72				433	1592
5 (300 रु० से 499—संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के वैयक्तिक सहायक)	23/72	28-2-72					36
6 (चिकित्सक) . . .	77/72	वही			..	..	71
7 (350 रु० से 499)	1390/71	27-2-71		..	..	1381	3747	4581

टिप्पण :—उपर्युक्त वेतन-श्रेणी पुराने वेतनमान में है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूटरों का आवंटन

1340. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं की वैस्पा (बजाज) और लम्ब्रेटा स्कूटरों का आबंटन करने के बारे में क्या प्रक्रिया है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के स्कूटरों का आबंटन किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवेदन-पत्र भारी उद्योग मंत्रालय के नाम भेजे जाते हैं, और उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) अभी तक 26 सामाजिक कार्यकर्ताओं को दोनों प्रकार के स्कूटर दिए गए हैं।

माना कैम्प के शरणार्थियों द्वारा भूख हड़ताल

1341. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना कैम्प के शरणार्थियों ने शीघ्र पुनर्वास और पर्याप्त राहत उपायों सम्बन्धी अपनी मांगों के समर्थन में भूख-हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या शरणार्थियों के आन्दोलन के विरुद्ध पुलिस ने दमनकारी कार्यवाही की; और

(घ) उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के माना समूह में 23 जनवरी, 1974 से उद्बास्तू उन्नयनशील समिति द्वारा रिले भूख हड़ताल आरंभ की गई थी। मुख्य मांग नकद अनुदान में 10/- रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति मास की दर से वृद्धि करने के सम्बन्ध में थी। जबकि यह मांग पुनर्वास विभाग के विचाराधीन थी, आन्दोलनकारियों ने उन परिवारों के संचलन को रोक दिया जिनको दण्डकारण्य तथा अन्य पुनर्वास स्थलों और बंगला देश से वापस आए परिवारों को काम देने के लिए तावा परियोजना में स्थापित किए गए कार्यस्थलों में भेजा जाना था। संघ के 6 सदस्यों ने 3-5-74 से आमरण व्रत शुरू किया जो 10-5-74 को समाप्त कर दिया गया था।

(ग) संघ प्रवासियों को कार्यस्थलों और पुनर्वास स्थलों को भेजने में बाधा डाल रहा था तथा संघ के नेताओं द्वारा शुरू किए गए आमरण व्रत के फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने शिबिरों के कर्मचारियों को भी कार्यालयों में जाने से रोका। छात्रों के प्रतिद्वंदी समूहों में भी झगड़े हुए थे। अतः पुलिस दल को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया।

(घ) 10-5-1974 से शिबिरों में रह रहे सभी प्रवासियों को 5 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास की दर से वृद्धि मंजूर कर दी गई थी। उन परिवारों को जिन्होंने पुनर्वास स्थलों/कार्य-स्थलों (कर्मी-शिबिरों) में जाने की सहमति दे दी है, उन प्रवासी परिवारों को जो पहले ही कार्य-स्थल शिबिरों में हैं, उन परिवारों को जो पहले ही पुनर्वास स्थलों में हैं और जो वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत भरण-पोषण सहायता पाने के पात्र हैं तथा शिबिरों और गृहों में रह रहे स्थायी दायित्व परिवारों को 5 प्रति व्यक्ति प्रति मास की दर से अतिरिक्त वृद्धि की भी मंजूरी दे दी गई थी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का पुनर्वास करने सम्बन्धी योजना

1342. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय विभिन्न शिविरों में रह रहे भुतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के आर्थिक पुनर्वास के लिए उन्हें अंडमान द्वीप समूह भेजने के लिए योजना बनाई है ;

(ख) क्या देओली, माना तथा अन्य शिबिरों के विस्थापितों ने अंडमान द्वीप समूह में पुनर्वास हेतु उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किये है ; यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या दस वर्ष से अधिक समय से विभिन्न शिबिरों में रह रहे इन विस्थापितों का अंडमान में पुनर्वास करना सरकार अपना नैतिक कर्तव्य समझती है;

(घ) क्या अंडमान द्वीप समूह में जाने की इच्छा रखने वाले सभी विस्थापितों को उधर भेजा जायगा;

(ङ) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापिदों के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास संबंधी दावों को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(च) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का वहां पुनर्वास करने के लिये निर्धारित समय क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी०वेंकटस्वामी) : (क) से (च) अंडमान निकोबार द्वीपों में पुनर्वास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों के विकास, कृषि और बागान के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के अतिरिक्त, भूमि उद्धार के कार्यक्रम को लकड़ी के उपयोग की व्यवस्था के साथ समन्वित करने की आवश्यकता तथा वन साफ करने के परिस्थिति सम्बन्धी पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा । अंडमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास के लिए निर्धारित कार्य क्षेत्र के उपयोग के सम्बन्ध में न केवल भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या के संदर्भ में ही विचार करना होगा बल्कि स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, अन्य श्रेणियों अर्थात् बर्मा और श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों की समस्या के संदर्भ में भी विचार करना होगा । भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुख्य भूमि पर दी गई भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीपों में उपलब्ध भूमि तथा विभिन्न क्षेत्रों में गैर-कृषक व्यवसायों की गुंजाईश को दृष्टि में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं । भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए देवली शिबिर में रह रहे बहुत से प्रवासियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । अंडमान और निकोबार द्वीपों में बसाए जाने वाले परिवारों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए, ऐसे ज्ञापनों के आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में परिवारों को भेजने का कार्यक्रम तैयार करना या किसी विशिष्ट श्रेणी को प्राथमिकता देना संभव नहीं है । अंडमान और निकोबार द्वीपों के लिए संचलन का कार्यक्रम समूची आवश्यकताओं के संदर्भ में तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं अर्थात्, दण्डकारण्य, चांदा, बेतुल, ईसागाव आदि के पुनर्वास कार्यक्रमों में संदर्भ में निश्चित किया जाना है ।

इस समय बनाए गए प्रस्तावों के अनुसार, पांचवीं योजनावधि के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के 1100 परिवारों को बसाना दृष्टि में रखा गया है।

भारत द्वारा हथियारों का निर्यात

1343. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अब रक्षा उपकरणों, हथियारों तथा गोला-बारुद का निर्यात कर रहा है;

(ख) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में कितने रुपए के मूल्य के ऐसे हथियार तथा गोला-बारुद निर्यात किए गए और वर्ष 1974-75 में कितने मूल्य के निर्यात का अनुमान है ; और

(ग) क्या भारतीय रक्षा उपकरणों, हथियारों तथा गोला-बारुद के निर्यात की क्षमता में वृद्धि की जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां श्रीमन्। कतिपय मित्र देशों को वाणिज्यक आधार पर निर्यात किया जा रहा है।

(ख) इन आंकड़ों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) हथियारों और गोला-बारुद का निर्यात तभी किया जाता है जब तीनों सेनाओं और पेरा सेना की आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती हैं और आर्डनेंस कारखानों में अभी फालतू क्षमता रहती है।

Deaths in Bihar due to Cholera and Brain Swelling

1344. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained from Bihar Government the number of deaths occurred there from Cholera and brain intumescence (swelling);

(b) if so, the number of deaths occurred and the section of the society to which the dead persons belonged as also the areas where those deaths occurred; and

(c) the steps taken by Government to check these diseases?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) to (c) According to the available information, 37 deaths due to cholera are reported to have occurred in Bihar from January to May 1974. These deaths have been reported from Hazaribagh, Muzaffarpur and Purnea districts. Information regarding the affected section of the society is not available.

The Bihar Government have been provided adequate stock of anticholera vaccine for carrying out inoculation in the affected areas. They have also been provided with necessary disinfectants like bleaching powder etc.

No information is available regarding cases of brain intumescence.

नर्सों का विदेशों को जाना

1345. डा० कर्णी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 में, क्रमश: कितनी नर्सें भारत से विदेशों में चली गईं ;

(ख) भारत से प्रशिक्षित नर्सों के विदेश जाने में अचानक इतनी वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नर्स के प्रशिक्षिण पर औसतन कितनी धनराशि खर्च की जाती है और इस देशान्तरण के कारण हर वर्ष कितनी हानि होती है; और

(घ) देश में प्रशिक्षित नर्सों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस देशान्तरण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नर्स के प्रशिक्षण पर औसतन लगभग 2,300 रुपये अथवा साढ़े तीन वर्ष के पाठ्यक्रम पर 8,000 रुपये खर्च किये जाते हैं।

कारों तथा स्कूटरों का उत्पादन

1346. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्य जनता तथा सरकारी कोटे की मांगों को पूरा करने के लिए एम्बेसेडर, फिएट तथा अन्य प्रकार की कारों तथा बजाज और लम्ब्रेटा स्कूटरों का उत्पादन किस स्थिति में है ; और

(ख) एक सरकारी कर्मचारी को स्कूटर/कार प्रदान करने के लिए लगभग कितना समय लगता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विक्रेताओं के पास दिनांक 31-12-1973 तक कारों की सप्लाई के लिए 97,999 और स्कूटरों सप्लाई के लिए 6,15,762 क्रयादेश अनिर्णित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के पास प्राथमिकता के आधार पर आबंटन हेतु कारों के लिए 6,000 के अधिक और स्कूटरों के लिए 95,000 आवेदन पत्र अनिर्णित हैं।

इस समय कारों का उत्पादन स्तर प्रतिवर्ष 45,000 और स्कूटरों का उत्पादन प्रतिवर्ष 90,000 है ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक मेक की कार और स्कूटरों के लिए प्रतीक्षा की अधिकतम अवधि निम्नलिखित है :—

कारें

प्रिमियर प्रेसिडेन्ट	3 वर्ष
एम्बासेडर	कुछ नहीं
स्टैन्डर्ड गज़ल	कुछ नहीं

स्कूटर

बजाज . .	5 वर्ष
लम्ब्रेटा . .	3 वर्ष

औषध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

1347. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया औषधियां बनाने तथा बेचने की बुराई को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय औषध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण और बिक्री के आतंक को रोकने के लिए औषधि और प्रसाधन सामिग्री अधिनियम में संशोधन करने के बारे म राज्य से कोई विशष प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी, अप्रैल 1974 में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की संयुक्त बैठक में घटिय

किस्म और नकली दवाइयों के बढ़ते हुए प्रकोप पर विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि कमियों को दूर करने और इस अधिनियम में निर्धारित दण्डों को और अधिक कठोर बनाने के लिए औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन किया जाना चाहिए।

(ग) इस प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद तथा केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की संयुक्त बैठक में सुझाए गए संशोधनों को इसमें बाकायदा शामिल किया गया है।

भारत द्वारा मिश्र को परिवार नियोजन सम्बन्धी सहायता की पेशकश

1348. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मिस्र की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए उस देश को परिवार नियोजन सम्बन्धी सहायता देने की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार सहायता की पेशकश की गई है ; और

(ग) सहायता कब तक दी जाती रहेगी और सहायता देने की पद्धति क्या होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) से (ग) मिश्र के जनसंख्या एवं परिवार नियोजन कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री मुस्तफा अलसम्भा ने 9 जुलाई, 1974 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री से भेंट की और परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने और जनसंख्या नियंत्रण के प्रबन्ध को कार्यपद्धति के सम्बन्ध में दोनों देशों के अनुभवों को आपस में बांटने की सम्भावनाओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्री ने उल्लेख किया था कि मित्र देश मिश्र को इस क्षेत्र में सहायता देने में भारत को हमेशा प्रसन्नता होगी।

भारत अमरीकी संयुक्त आयोग का प्रस्ताव

1349. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार अमरीकी सरकार ने दोनों देशों के लिये संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विचारार्थ क्या क्या विषय रखे जायेंगे; और

(ग) इस प्रकार के आयोग की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हमने पूर्वी यूरोप, रशिया और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ जिस तरह संयुक्त कमिशन स्थापित किये है, उसी तरह अगर भारत और अमरीका के बीच संयुक्त कमीशन स्थापित होगा, तो वह आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के मामलों से सम्बद्ध रहगा।

(ग) इस प्रस्ताव पर दोनों सरकारें अभी विचार कर रही है। इस कमीशन के स्थापित हो सकने की कोई निश्चित तारीख नहीं है।

केरल में पासपोर्ट जारी करने के लिये पृथक कार्यालय का स्थापित किया जाना

1351. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पासपोर्ट जारी करने के लिए पृथक कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कार्यालय के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) केरल के लिए प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय 30 मार्च, 1974 से प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास की वर्तमान इमारत में अलग यूनिट के रूप में काम कर रहा है। अरनाकुलम में कार्यालय भवन लेने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं और नई इमारत तयार हो जाने पर केरल का प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय वहां चला जाएगा। कार्यालय चले जाने का काम सितम्बर, 1974 तक हो जाने की आशा है।

चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिये केरल द्वारा भेजी गई योजना

1352. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने हेतु केरल राज्य ने कौनसी महत्वपूर्ण योजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत अनेक योजनाएं स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही भेज दी जाएगी।

आल इण्डिया स्पाइसिस एण्ड फूडग्रेन ट्रेडर्स एसोसिएशन का मसाला उत्पादन केन्द्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना

1353. **श्री वसंत साठे** :

श्री धामनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया स्पाइसिस एण्ड फूडग्रेन एसोसिएशन ने मुख्य मसाला उत्पादन केन्द्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि बाजार में आने से पहले वस्तुओं की जांच की जा सके और उनकी किस्म निर्धारित की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मसालों तथा खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मसाला और किराना के कई व्यापारी संघों से ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) खाद्य वस्तुओं की जांच और किस्म निर्धारण का कार्य कृषि मंत्रालय के एगमार्क निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसलिए उन संघों को यह सलाह दी गई थी कि वे उस निदेशालय के अधिकारियों से ही सम्पर्क करें।

सजाओं को और अधिक कड़ा बनाने के लिए और जहां कहीं भी कमियां पायी जाएं उन को दूर करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है। खाद्य प्रयोगशालाओं का विकास करने तथा रसायनज्ञों और विश्लेषकों को प्रशिक्षण देने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा स्थानीय निकायों की मदद करने की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय मजूरी परिषद्

1354. **श्री वसंत साठे :**

श्री धामनकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी के आधार, उत्पादकता और मुद्रास्फीति के साथ उनके सम्बन्धों पर लगातार विचार करते रहने के लिए और राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मजूरी परिषद बनाने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, उस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो वह किस अवस्था में है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अनुमानतः उत्पादिता और ट्रेड यूनियन आंदोलन सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के कर्णधार दल द्वारा अप्रैल, 1974 में हुई अपनी बैठक में दिये गए सुझाव की ओर संकेत है।

(ख) और (ग) सुझाव को नोट कर दिया गया है।

कामगारों को मुआवजे के लिए केन्द्रीय निधि

1355. **श्री वसंत साठे :**

श्री धामनकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगारों को मुआवजे के लिए एक केन्द्रीय निधि बनाने और औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण अशक्तता के लिए श्रमिकों को अधिक मुआवजे का अधिकारी बनाने और नियोजकों की देयता सम्बन्धी अनिवार्य बीमा योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर विचार किस अवस्था में है और उसकी मुख्य बातें क्या है ?

श्रम मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी (i) कि कर्मकारों के प्रतिकर के लिए एक केन्द्रीय निधि का गठन किया जाए और (ii) कि औद्योगिक दुर्घटनाओं से परिणामी विकलांगता के लिए श्रमिक, उच्चतर प्रतिकर का हकदार होना चाहिए। ये दोनों सिफारिशें, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 से सम्बन्ध रखती

हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण सम्बन्धी प्रताव पर विचार करने तक उपयुक्त (i) पर की गई सिफारिश पर विचार करना अस्थगित कर दिया गया है। उपर्युक्त (ii) पर किए गए प्रस्ताव, जिसमें अधिनियम की सूची 2 में निर्दिष्ट प्रतिकर की दरों का पुनरीक्षण अन्तर्ग्रस्त होगा, पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन नियोजकों के दायित्व का अनिवार्य बीमा शुरू करने सम्बन्धी प्रस्ताव, केन्द्रीय निधि के गठन और विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावों के साथ जुड़ा है, जिन पर विचार किया जाना है।

भूतपूर्व पालिकों द्वारा कोयला खानों का विकास

1356. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ कोयला खानों के प्रबन्ध और विकास को उनके भुतपूर्व मालिकों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी, नहीं।

मूल्य वृद्धि का कृषि श्रमिकों पर प्रभाव

1357. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों की स्थिति पर, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, मूल्य वृद्धि के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है या करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा 1974-75 में की जा रही द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच जिसके लिए क्षेत्रीय कार्य पहली जुलाई, 1974 से प्रारम्भ किया गया है, के दौरान खेतिहर श्रमिकों की औसत दैनिक आयों से सम्बन्धित सूचना उनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं सम्बन्धी अन्य सूचना के साथ-साथ एकत्र की जानी है। खेतिहर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से मुद्रा आयों को अलग करके खेतिहर श्रमिकों की दशाओं पर पड़ने वाला मूल्य वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना संभव होगा।

तथापि बिहार की सरकार ने सूचित किया है कि खेतिहर श्रमिकों की दशाओं की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करन का उनका विचार है, जो यदि और जब बनेगी इस पहलू की भी जांच करेगी।

मेघालय में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर खर्च

1358. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में मेघालय में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर उनके मंत्रालय ने कितनी धनराशि खर्च की ;

(ख) यह धन राशि किस सरकारी एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई ; और

(ग) क्या स्थानीय ठेकेदारों को और उन लोगों को, जिनकी भूमि और फसलों को क्षति पहुंची थी, देय राशि अभी बकाया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खर्च की गई राशि 13,98,70,352.78 रुपये थी।

(ख) धन-राशि गारो हिल्स तथा खासी हिल्स के उपायुक्तों, अपर मुख्य लोक-स्वास्थ्य अभियंता और निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, के माध्यम से खर्च की गई थी।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि (i) न्यायालयों में बकाया देय राशि के अनिर्णित पड़े मामलों के अतिरिक्त 4,57,456.60 रुपये के बकाया दावे हैं और यह कि (ii) भूमि और फसलों आदि की हानि के लिए स्थानीय लोगों को मुआवजा देने के लिए 77,73,689.65 रुपये की आवश्यकता होगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यवाही

1359. **श्री अम्बेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली के बारे में 16 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 7179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी दिल्ली प्रशासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ख) उनके मंत्रालय ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) प्रबन्धक के 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के लेखे में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा सकती थी उससे सम्बन्धित मामले की जांच दिल्ली प्रशासन के विधि और न्याय विभाग द्वारा कराई गई। जिनका यह कहना था कि उनकी कार्यवाही उन शर्तों के उल्लंघन तक ही सीमित रखी जाय जिनके अधीन इस संस्थान को सहायता अनुदान दिया गया था और वे इस संस्थान को दिए गए सहायता अनुदान की ही वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है। किन्तु, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, दिल्ली प्रशासन ने जिन्हों ने इस संस्थान के लेखे का निरीक्षण किया था और जिन्हों ने अपनी रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रबन्धक से प्राप्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इस लेखे का पुनरीक्षण भी किया था, इस संस्थान को दिये गए सहायता अनुदान की किसी प्रकार की वसूली करने की सिफारिश नहीं की थी। वैसे, इन्क्वायरी के परिणामस्वरूप 1969 के बाद इस संस्थान को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनरल मोटर्स आफ अमरीका और हिन्दुस्तान मोटर्स के बीच सहयोग

1360. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल मोटर्स आफ अमरीका और हिन्दुस्तान मोटर्स के बीच सहयोग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और किस परियोजना के लिए सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है और इस परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित सहयोग के माध्यम से भारतीय कम्पनी द्वारा बनाए गए ट्रकों के उत्पादन डिजाइन और किस्म में सुधार करने में जनरल मोटर्स की तकनीकी जानकारी का लाभ उठाने का विचार था । मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स की इक्विटी पूंजी में जनरल मोटर्स की सहभागिता 33-1/3% तक होने की परिकल्पना की गई थी ।

(ग) सरकार ने जनरल मोटर्स, यू० एस० ए० की इक्विटी में भाग लेने की अनुमति न देने का निर्णय किया है । पहले से स्वीकृत क्षमता के बाहर प्रस्ताव में अलग लक्ष्य नहीं रखा गया था ।

बोकारो इस्पात कारखाने का 100 टन कन्वर्टर

1361. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने में स्थापित 100 टन कन्वर्टर से इस्पात का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस्पात का कुल उत्पादन कितना हुआ है : और

(ग) इस कन्वर्टर में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां । बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण में स्थापित किए जाने वाले चार कन्वर्टरों में से, दो कन्वर्टरों ने क्रमश: 31 जनवरी, 1974 और 4 अप्रैल, 1974 से काम करना आरम्भ कर दिया है । प्रत्येक कन्वर्टर की क्षमता 100 टन है ।

(ख) 23 जुलाई, 1974 तक कुल 60,361 टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन हुआ था ।

(ग) बेलन मिलों के चालू हो जाने के पश्चात ही इन कन्वर्टरों द्वारा पूरी क्षमता पर उत्पादन होने लग सकेगा ।

बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी कोक भट्टी बैटरी

1362. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी कोक भट्टी बैटरी, जिसे 18 अक्तूबर 1973 को चालू किया गया, पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जून, 1974 के अन्त तक कोक का कुल मासिक उत्पादन कितना हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी कोक ओवन बैटरी निर्धारित क्षमता के 79.1% पर कार्य कर रही है जिससे न केवल इस समय चालू प्रथम श्रमन भट्टी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है बल्कि दूसरे इस्पात कारखानों के लिए अतिरिक्त कोक भी बच जाती है ।

(ख) दूसरी बैटरी का कोक का मासिक उत्पादन निम्नलिखित है :—

	टन
अक्तूबर, 1973 (18-10-73 से 31-10-73 तक)	18,790
नवम्बर, 1973	30,498

	टन
दिसम्बर, 1973	33,933
जनवरी, 1974	42,502
फरवरी, 1974	36,831
मार्च, 1974	39,682
अप्रल, 1974	38,180
मई, 1974	37,136
जून, 1974	38,823

बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी धमन भट्टी

1363. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण की दूसरी धमन भट्टी को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ढलवें लोहे (पिग आयरन) का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अब तक बोकारो इस्पात कारखानें की दूसरी धमन भट्टी का 93% कंक्रीट डालने का कार्य, 94% ऊष्मसह लगाने का कार्य, 89% संरचनात्मक के इस्पात कार्य, 85% यांत्रिक उपकरणों की स्थापना और 77% वैद्युतिक उपस्करों की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है ।

(ख) आशा है यह भट्टी 1975 की प्रथम तिमाही में उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी ।

बोकारो इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी से उत्पादन

1364. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी से, जिसको 3 अक्तूबर, 1972 को चालू कर दिया गया था, 1 जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974 तक कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उपरोक्त भट्टी का उत्पादन ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित लक्ष्य के अनुसार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जनवरी, 1974 से जून, 1974 की अवधि में बोकारो इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी का गर्म धातु का कुल उत्पादन 347,530 टन था ।

(ख) और (ग) इस भट्टी की निर्धारित क्षमता 885,000 टन प्रति वर्ष है । इस अवधि में रेल यातायात की कठिनाइयों के कारण कोकर कोयले की उपलब्धि को देखते हुए उत्पादन को विनियमित करना पड़ा ।

इस्पात का निर्यात

1365. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करने के लिए इस्पात के उत्पादन के कुछ भाग का निर्यात करने की योजना का विचार छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय देश में इस्पात की भारी कमी को देखते हुए किया गया है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) देश में मांग और उपलब्धि की स्थिति को देखते हुए कुछ हद तक इस्पात का निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में सोना पाया जाना

1366. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में टेकोई में लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गढ़ों और खाइयों में से एकत्रित नमूनों में एक टन अयस्क में से 10 और 16 ग्राम के बीच सोना मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इस धातु के लाभप्रद विदोहन की सम्भावना बढ़ गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) क्योंझर जिले के टालकोई नामक स्थान में तथा उसके आस-पास राज्य खान निदेशालय द्वारा की गई आरम्भिक जांच पड़ताल के दौरान 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कई पुराने खनि क्षत्रों का पता चला था तथा इन पुरानो खनि क्षेत्रों में और उनके आस-पास परीक्षण परतों से मुक्त रूप में सोना होने का पता चला जो सूक्ष्म और बड़े दोनों के रूप में था। इस सूचना के आधार पर 1971-72 तथा 1972–73 के क्षेत्रगत सत्र के दौरान विस्तृत भू-वैज्ञानिक मानचित्रण और व्यवस्थित परतपरीक्षणों के रूप में भू-वैज्ञानिक खोज कार्य को समीपवर्ती क्षेत्रों तक बढ़ाया गया। वर्ष 1973–74 में ग्राम सलाईकेना तथा सोरीबहल के आस-पास 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यवस्थित भू-वैज्ञानिक अन्वेषण किया गया। नमूनों के विश्लेषण से कुछ स्वर्णमय स्फटिक धारियों में प्रति टन 20 ग्राम तक सोना होने का पता चला है। इस क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण कार्य जारी है।

आगरा में स्काई ड्राइविंग एण्ड फ्री फाल पैरा-शूटिंग इन्स्टीट्यूट

1367. **श्री वरके जार्ज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जुलाई, 1974 के अंग्रेजी के एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार एशियाई देशों में, जहां स्काई ड्राइविंग की खेल कूद के रूप में व्यवस्था है, चीन, ईरान, इराक, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोरिया और जापान है;

(ख) क्या 'स्काई ड्राइविंग' और 'फ्री पाल पैरा-शूटिंग' के लिए एक इन्स्टीट्यूट, जो देश में इस किस्म का पहला इन्स्टीट्यूट होगा, लगभग एक वर्ष में आगरा में स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन एशियाई देशों ने स्काई ड्राइविंग प्रारम्भ कर दिया है वे ईरान, ईराक, कम्बोडिया, वियतनाम, इण्डोनेशिया, कोरिया और जापान हैं।

(ख) आगरा में एक स्काई ड्राइविंग संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन में कितना धन लगेगा तथा अन्य संबंधित बातों पर विचार किया जा रहा है।

देश में महामारी पर नियंत्रण

1368. **श्री वरके जार्ज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 जुलाई, 1974 के अंग्रेजी में प्रकाशित एक दैनिक समाचारपत्र के अनुसार मलेरिया, हैजा और कुष्ठ जैसी कुछ ऊष्ण कटिबन्धीय महामारियों से लड़ाई में भारत के वैज्ञानिकों को भारी धक्का पहुंचा है तथा इन बीमारियों से पुनः भारी खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के अनुसार आगामी पांच वर्षों में ये महामारियां स्वास्थ्य-अधिकारियों के लिए गम्भीर चुनौती होंगी ;

(ग) क्या उनके अनुसार मलरिया की बीमारी आश्चर्यजनक ढंग से पनप उठी थी तथा 1972–73 में 10 लाख व्यक्ति मलेरियाग्रस्त हुए थे; और

(घ) हमारे देश से ऐसी बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा दिया गया वक्तव्य जो इण्डियन एक्सप्रैस (दिल्ली संस्करण) में 12 जुलाई, 1974 को प्रकाशित हुआ था, वह ध्यान में आया है।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में केन्द्र पोषित योजनाओं के रूप में जारी रखा जा रहा है। इन कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और इनको ठीक ढंग से चलाने के लिए यथावश्यक कार्यवाही की जाती है।

पुनर्वास संगठन (सेटलमेंट आरगेनाईजेशन) में फील्ड इन्स्पैक्टरों के वेतन-मान

1370. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास संगठन के फील्ड इन्स्पेक्टरों के लिये समेकित वेतनमान सम्बन्धी मामले को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं। मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sale of adulterated edible oils in Delhi

1371. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of cases of the sale of adulterated edible oil detected in Delhi during the last four months;

(b) the brief accounts thereof; and

(c) the action taken against the adulterators?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No case was detected during the period April to June, 1974.

(b) and (c) Do not arise.

Adulteration cases of powdered foodstuffs in Delhi

1372. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of cases of adulteration of powdered foodstuffs detected in Delhi during the last three or four months ;

(b) the facts thereof; and

(c) the action taken against the adulterators?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) 13 cases of adulteration of powdered foodstuffs were detected in Delhi from March, 1974 to June, 1974.

(b) The details of the cases are as follows :—

(a) Besan	1
(b) Bura	3
(c) Spices	5
(d) Suji	2
(e) Maida	1
(f) Arrowroot	1

(c) The adulterators have been prosecuted.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जायें। श्री सुब्रह्मण्यम।

श्री ज्योतीर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री स्वर्ण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री ज्योतिमय बसु : यह मामला पुनः उठाने योग्य है क्योंकि श्री स्वर्ण सिंह ने ऐसी बातें कही हैं जो बजट का भेद खुलने की हद को पहुंचती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार कर चुका हूं। मैं इस मामले को पुनः नहीं उठा सकता।

श्रीमती माया राय (राजगंज) : मैं सभा के सदस्यों का ध्यान उत्तर बंगाल के तीन जिले जलपाईगुड़ी, कूच-बिहार और दार्जीलिंग-में व्याप्त गंभीर आपात स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इन मामलों को उठाने के लिये कुछ निश्चित प्रक्रिया है। कार्य-सूची पहले ही बन चुकी है।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैंने केरल में आ रही बाढ़ो के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में भयंकर सूखे की स्थिति के बारे में विचार विमर्ष किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने बाढ़ के बारे में आज प्रातः कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को देखा है। मैं महसूस करता हूं कि इस बारे में तुरंत चर्चा की जानी चाहिए। सूखा या बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने में मुझे जरा भी आपत्ति नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय को सलाह दूंगा कि वह शीघ्रातिशीघ्र समय निकालें क्योंकि एक ही विषय पर मैं इतने सारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर अनुमति नहीं दे सकता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have given notice of a Privilege motion. Also, have submitted proof in connection with the order to shoot at sight at Gaya. Kindly, listen to me for two and a half minutes.

Shri Uma Shankar Dixit made a statement in this House on the 17th April stating that no order was issued in Gaya to shoot at sight. After that, Shri Jayaprakash Narain constituted a Citizens' Committee.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाईये। आपने इसे मेरे पास 11 बज कर 45 मिन्ट म० पु० पर भेजा था।

Shri Madhu Limaye : I gave my notice seven or eight days ago. It is a reminder.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका कैसे पता चलता। माननीय सदस्य को इसके लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये थी।

Shri Madhu Limaye : I gave notice long back. Now I am supplementing this by giving an explanation.

Shri Dixit has made his statement on the basis of the information given to him by the State Government had his statement been based on his own information, I would have kept silence.

In such circumstances, kindly, do not disallow this issue. Kindly ask Shri Dixit to give explenation. Then refer this matter to the Privilege Committee and you will find all the facts.

श्री ज्योतीर्मय बसु : गत सत्र में श्री दीक्षित ने गुजरात में दिये गए अ देश के बारमें ऐसी ही बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय : हर बार मत खडे होइये। मैं आपकी बात सुनुंगा।

[अध्यक्ष महोदय]

श्री लिमये, मैं गृह मंत्री के उत्तर की जांच करूंगा। मैं आपकी वर्तमान टिप्पणी की जांच करूंगा और आपको अवगत कराऊंगा।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Sir, I rise on a point of order. My point of order is under Rules, 349, 350, 351 and 352.

I am sorry to say that the hon. Members who violate your orders, you listen to them and those who obey your orders, you ignore them.

You provided an opportunity to Shri Limaye just now. On the first day of the session of Parliament, I gave a notice to the effect that there should be discussion on three subjects under rule 193. I have given a notice to raise some matter about Bihar under Rule 377 to-day.

The matters raised by the hon. Members who do not obey your orders should not go on record. I want your ruling on this.

Mr. Speaker : When the hon. Member's turn comes, he may speak.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बुगुसराय) : चुंकि आपने यह कह कर बहुत अच्छा किया है कि मैं इस मामले की जांच करूंगा इसलिये क्या इस मामले के एक पहलू को मैं आपके ध्यान में ला सकता हूं? गृह मंत्री ने यह रवैया अपनाया है कि उन्होंने राज्य सरकार प्राप्त जानकारी के आधार पर वक्तव्य दिया है। क्या आप इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या उस मामलेमें राज्य सरकार के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, जिसने गृह मंत्री को जानकारी दी है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी?

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : क्या राज्य सरकार को छूट है कि वह गृह मंत्री को गलत जानकारी दे?

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

श्री पीलु मोदी : मैं एक मामला उठाना चाहता था, उसके बारे में मैंने आपको लिखा था। एक वर्ष पूर्व कर्मचारियों के वेतनमान के बारे मे एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने पूरा वर्ष बीत जाने पर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है...

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

Mr. Speaker : I shall request you...

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अध्यक्ष के सचिवालय के बारे में है और अध्यक्ष ने एक समिति नियुक्त की है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे सचिवालय के बारे में यहां कोई बात न उठायें।

श्री पीलु मोदी : मेरा यही अनुरोध है कि समिति का कार्य शीघ्र निपटाया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : We sent reminders to the Committee but did not get any reply.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। अध्यक्ष मंत्री की तरह तो है नहीं।

श्री ज्योतीर्मय बसु : मैं समिति का सदस्य हूं। कुछ कहने से पूर्व यदि म आपकी अनुमति लूं तो बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं।

श्री ज्योतीर्मय बसु : अन्यथा माननीय सदस्यों के समक्ष सही चित्र नहीं आयेगा कि हमने इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय : इस सचिवालय को कार्य करने दीजिए। हमने समिति नियुक्त कर रखी है। यदि माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो वह मेरे चेम्बर में आकर मुझसे कहें।

श्री ज्योतीर्मय बसु : क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह समिति के सदस्य हैं अथवा लोक लेखा समिति के चेयरमेन हैं तो वह उस हैसियत का प्रयोग सभा में न करें।

श्री ज्योतीर्मय बसु : आपने वह बात कही है, जो उचित नहीं है। मैंने केवल यही कहा है कि म...

अध्यक्ष महोदय : मैंने काफी धीरज रखने के बाद यह कहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मेरे विनिर्णय का कोई प्रश्न नहीं है। यह कोई ऐसा मामला तो है नहीं जो सभा के समक्ष चर्चा क लिये विचाराधीन हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत सरल है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस्पात संयंत्र अथवा अन्य संगठन के मामले के समान मेरे सचिवालय का मामला उठाना आरंभ कर दिया है। जब मैंने समिति नियुक्त कर दी है, तो सदन को इससे संतुष्ट होना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने हमारे अनुरोध पर समिति नियुक्त कर बड़ा आभार किया है। समिति को दिये गये निर्धारित समय का सभा में हमेशा उल्लेख किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति को मनमाना समय देने की किसने अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दे सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : नियमों के अन्तर्गत इस मामले में सभा की अनुमति लेना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस समिति के कार्य का सम्बन्ध है, कृपया इस मामले को न उठायें।

श्री एस० एम० बनर्जी : कब तक?

अध्यक्ष महोदय : यह सदन की सामान्य समिति है। इस मामले को सदन में नहीं उठाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः इसको बढाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चार दिन पूर्व मैंने सीमा सडक कृतिक दल द्वारा मेघालय की जनता पर की जाने वाली ज्यादतियों के बारे में मामला उठाया था और उस समय पीठासीन अधिकारी ने सरकार को यह स्पष्ट निदेश दिया था कि वह इस मामले पर विस्तार से वक्तव्य दे। इस बात को चार दिन गुजर गये हैं लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक न तो रक्षा मंत्री और न ही गृह मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश की अवहेलना करने का प्रश्न नहीं उठता। मैंने इस मामले को रक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया है। हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग (दूसरा संशोधन) नियम, 1974

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 274 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8089/74]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 301 (ड़) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 302 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 303 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 304 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छ) अखिल भारतीय सेवाए (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 755 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8090/74]

देश में बाढ़ की स्थिति तथा विकिरण संरक्षण अधिनियम, 1974 के बारे में वक्तव्य

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हु :

(एक) देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8091/74]

(दो) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विकिरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 762 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8092/74]**

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8093।74]**

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8094/74]

जिला गुड़गांव में बस्सी मेव पत्थर खान में हुई घातक दुर्घटना सम्बधी प्रतिवेदन

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविद वर्मा) : मैं तहसील फिरोजपुर झिरका (जिला गुड़गांव) में ग्राम घट्टा बस्सी मेव में बस्सी मेव पत्थर खान में 26 जनवरी, 1974 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी० 8095/74]**

केन्द्रीय उपादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधी सूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 345 (इ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त 1974 में प्रकाशित हुई थी, पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या ल० टी० 8096/74]**

अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भूमिगत नागाओं द्वारा पुलिस कर्मचारिओं पर कथित आक्रमण

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अबिलम्बनीय महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"सेना क्षेत्र के निचले भाग में चिसीलिम के निकट पांचवी बटालियन के शिवर पर स्वचालित हथियारों से लैस भूमिगत नागाओं कों कथित आक्रमण"

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : महोदय, अब तक प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार कोहिमा के उत्तर पूर्व में लगभग 23 मील चिशीलिमी के निकट 27 जुलाई, 1974 को लगभग 09.00 बजे सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस के गश्ती दल पर घात लगाकर आक्रमण किया। नागा विद्रोहियों नें हल्की मशीन गनों और राइफलों से गोलाबारी की जिसके परिणामस्वरूप नागालैंड सशस्त्र पुलिस के ग्यारह कांस्टेबल मारे गये। विद्रोही एक हल्की मशीन-गन, 11 राइफलें और कुछ गोलाबारुद लेकर भाग गये। लगभग 10.50 बजे असम राइफल्स के एक दूसरी गश्ती दल ने जो विभिन्न दिशा से उसी क्षेत्र में पहुंचा था, विद्रोहियों को रोका और उन पर गोलियां चला दी। मुठभेड़ में विद्रोही बचकर भाग गये किन्तु एक राइफल और कुछ गोलाबारूद उस क्षेत्र से बरामद हुआ। घात लगा कर किए गए आक्रमण के पूर्ण विवरण की प्रतीक्षा है।

यह बड़े खेद की बात है कि सुरक्षा बलों के इतने कर्मचारियों की मूल्यवान जाने अपने कर्तव्य पालन में गई हैं। शीघ्र तथा आन्तरिक राहत के उपाय के रुप में नागालैण्ड सरकार ने प्रत्यक शोक संतप्त परिवार को 1000 रु० का अनुग्रहीत भुगतान स्वीकृत किया है।

छिपे नागाओं की हिंसात्मक गतिविधियां हाल में बढ़ती जा रही है। तदनुसार सुरक्षात्मक कार्यवाही तेज कर दी गई है। नागालैण्ड के मुख्य मंत्री के साथ हुए हमारे विचार-विमर्श के

दौरान उस राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति पर हमने उनको अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी। नागालैण्ड की हाल की घटनाओं की समीक्षा रक्षा मंत्रालय के परामर्श में की गई हैं तथा छिपे नागाओं की गतिविधियों को कुचल देने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

श्री डी० के० पंडा : यह वक्तव्य आम वक्तव्य जैसा प्रतीत होता है। संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में गत कुछ महीनो से कुछ गम्भीर घटनाएं घट रही हैं और वक्तव्य के अनुसार इसके उपचार में सुरक्षा कार्यवाही में वृद्धि कर दिया गया है। नागाओं को भड़काने वाली उक्त कार्यवाही किये जाने के बार में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। शायद उन्हें जानबुझकर दबाया जा रहा है और सरकार इस तथ्य को बताने से डरती है। केन्द्रीय सरकार का भूमिगत नागाओं से एक समझौता भी हुआ था। इन परिस्थितियो में ऐसी घटनाएं घटने की बात समझ में नहीं आती ? क्या भूमिगत नागाओं के मुख्यालयो पर छापे मारे गये थे और उनके ऊपर गम्भीर जुल्म किये गये थे ? चुनावो से कुछ समय पूर्व नागालैंड में कोहोवी सीमा की, जो भूमिगत नागाओं का नेता था, हत्या सुरक्षा बल द्वारा कर दी गई थी। निर्वाचन फरवरी, 74 में हुए थे और भूमिगत विधान सभा के अध्यक्ष पर जुलाई, 1974 में सुरक्षा बल द्वारा हमला किया गया था। उक्त हामला भूमिगत शिविर पर किया गया था। 21 मई, 1974 को एक अन्य भूमिगत नेता बालाहोर की हत्या उसी सुरक्षा बल द्वारा की गई थी। इससे नागाओं में भय उत्पन्न हो गया है। और इन घटनाओं ने वहां की जनता को भूमिगत नागाओं से मिलने पर मजबूर कर दिया है। अब भूमिगत नागा बल में भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या सुरक्षा बल ने नागालैंड की सरकार से सलाह किये बिना राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह के निदेश पर उक्त कार्यवाही सीधे की थी ? ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि वे युनाइटिड फ्रन्ट सरकार को बदनाम करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय नागा संगठन के प्रतिनिधि प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रीय नागा संगठन का कांग्रेस में विलय करने के सम्बन्ध में वार्ता करने के उद्देश्य मे हाल ही में दिल्ली आये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि ओ० एल० पी० सिंह पर बहुत समय से इस देश में अमरीकी नागरिकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने का संदेह रहा है जिसका विदेशी एजेन्टों ने नाम उठाया है।

नागालैंड अभी अर्धविकसित क्षेत्र हैं और यहां के लोग कर्ज के मार से दबे हैं। वहां संचार व्यवस्था का भी आभाव है और शिक्षीत लोग बेरोजगार हैं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ने एक लम्बा वक्तव्य दिया है। इन्होने वहां की घटनाओं की जिक्र इस प्रकार किया है जैसे कि य विद्रोही नागाओं के प्रतिनीधी हों ....

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : यह बहुत ही अनुचित है. (**व्यवधान**) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आप अपनी बात यह कह सकते हैं लेकिन दूसरे की बात नही सुन सकते।

श्री उमाशंकर दिक्षित : मैं इन्हें एजेन्ट नही कह रहा... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल के विरूद्ध कई प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मंत्री उनका बचाव क्यो नही करते (**व्यवधान**)

श्री उमाशंकर दिक्षित : श्री बनर्जी को उसी बात के बारे में बोलना चाहिये जिससे उनका सम्बन्ध है (**व्यवधान**)

इन्होंने सुरक्षा कर्मचारियो द्वारा की गयी कार्यवाही को अत्याचार कहा है। सुरक्षा बल को 11 मृत निष्ठावान कान्सटेबलों के शोकसंतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिय एक शब्द भी ये नहीं बोले।

[श्री उमाशंकर दिक्षित]

माननीय सदस्य को इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिय । मैं सदन को संक्षेप में बताऊंगा कि तथ्य क्या हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ये जो कुछ भी चाहे बोल लेते हैं, लेकिन ये दूसरों की बात सुनना नही चाहते।

श्री उमाशंकर दिक्षित : वर्ष 1973 में इस प्रकार की लगभग 73 हिंसात्मक घटनायें हुई है जिससे सुरक्षा बल के कर्मचारी भी सम्बध हैं। फरवरी महीने में चुनावों के दौरान हिंसात्मक घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई। वहां के मुख्यमंत्री एक सच्चे व्यक्ति हैं और वे इस विकल स्थिति का सामना करने के लिये सदैव प्रयत्न करते आये हैं लेकिन उनके प्रयत्नों को विफल कर दिया गया।

नागालैंड की मंत्रिपरिषद ने 28 जुलाई को अपनी एक बैठक में हाल में घटी हिंसात्मक घटनाओं की समीक्षा की।

हमने भूमिगत नागाओं के खुले रुप से आने का हर सम्भव अवसर दिया है, चाहे उन्होंने हथियार डाले हों या उन्हें पकड़ा गया हो। उन्हें सभी सुरक्षा बल की बटालियनों में रख लिया गया है और उन्हें देश का नागरिक मान लिया गया है। हमारा सत्व अभी भी वैसाही है परन्तु शत्रुता और विरोध, जो अब कुछ नागा दिखा रहे हैं। के साथ सख्ती का व्यवहार किया जायगा। हमें नागा ग्रामिणों और उनके जीवन और सम्पत्ती की सुरक्षा करनी होगी।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है की नागालैंड में असंतोष है। मंत्री महोदय का यह कहना तर्क-संगत नहीं है कि वहाँ के 95 प्रतिशत लोग शांति चाहते हैं लेकिन 5 प्रतिशत ही उपद्रवकारी हैं लेकिन इतने कम लोग अन्य लोगों के समर्थन बिना लम्बे समय तक किस प्रकार हिंसात्मक कार्य कर सकते हैं।

मंत्री महोदय ने नागालैंड के मुख्य मंत्री द्वारा शांति स्थापित करने के प्रयासों की प्रशंसा की है। मेरे विचार में मुख्य मंत्री शांति स्थापित करने के बारे में चिंतित नहीं थे। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि नागालैंड के प्रश्न की समीक्षा रक्षा मंत्रालय के परामर्श से की गयी। क्या इस समीक्षा के दौरान मुख्य मंत्री से बात की गयी? मैं जानना चाहता हूं कि सुरक्षा बल राज्यपाल के अधीन कार्य कर रहा है अथवा मुख्य मंत्री के अधीन? मुख्य मंत्री बहुमत द्वारा निर्धाचित हैं तो वे अल्प संख्या वाले पाच प्रतिशत लोगों को भी विश्वास में ले सकते थे लेकिन समीक्षा के दौरान उनसे परामर्श तक नहीं लिया गया

श्री उमाशंकर दीक्षित : जो भी घटनायें हुई वे सुरक्षा बल के भड़काने से नहीं, बल्कि भूमिगत नागाओं की कार्यवाहियों से हुई हैं।

हमें भूमिगत नागाओं के बारे में सूचना मिली है कि उनका विचार है कि यदि वे अपना सहयोग दे तो नागालैंड को कुछ उंचा दर्जा मिल सकता है। यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि हर कार्य संविधान के दायरे के अंदर ही होगा। वे नागालैंड के लिये स्वतंत्र दर्जा चाहते थे, जिसके लिये हमने स्पष्ट इन्कार कर दिया।

मैं कह चूका हूं कि नागालैंड के मुख्यमंत्री वहां शांति स्थापित करना चाहते हैं लेकिन उनके समर्थकों के इस बारे में अपने ही विचार थे। उनके पृथकीकरण सम्बन्धी इरादों की जानकारी उन्हें बाद में हुई।

नागालैंड में तीन एजेंसियां काम कर रही हैं; मुख्यमंत्री, इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस तथा सशस्त्र सेना जो वहां की शांति व्यवस्था के लिये जिम्मेवार हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की भी विशेष जिम्मेवारी है।

मुख्यमंत्री परामर्श के लिये दो अथवा तीन बार दिल्ली भी आये थे। अब वे अनुभव करते हैं कि भूमिगत नागाओं के प्रति सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 27 वर्ष पश्चात भी, नागालैंड को राज्य का पूरा दर्जा दिये जाने तथा मिजोरम को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिये जाने के बाद भी ऊत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। गलतलक्ष्य के पीछे पड़े कुछ लोग वहां शान्ति व प्रगति में बाधक बन हुए हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मिजोरम का उल्लेख नहीं हुआ है तो भी सम्पूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र की स्थिति का विस्तृत सिंहावलोकन किये बिना यथोचित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती नागालैंड और मिजोरम में ऐसी घटनायें होती हैं। उदाहरणार्थ, नागालैंड के मुख्य मंत्री एवं मिजोरम के उप-राज्यपाल पर हमले किये गये। एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि मिजोरम के उप-राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में कहा था कि नागालैंड की यू० डी० एफ० सरकारने, जिसमें छिपे हुए नागाओं के साथ राजनीतिक फैसला करने का वचन लिया है, छिप हुए मिज़ो लोगों पर भी कुछ मानसोक प्रभाव डाला है। अंतर केवल यही है कि वहां की स्थिति अत्यन्त असामान्य है। दूसरी महत्वपुर्ण बात यह है कि सम्पुर्ण उत्तर पुर्वी क्षेत्र में विदेशी तत्व अत्यंत क्रियाशील है नागा नेशनल कौंसिल के महासचिव ने 20 अगस्त 1973 को युवकों को आव्हान करते हुए कहा कि वे छिपे नागाओं को सहयोग दे और कहा कि चोन ने उन्हें भारत के विरुद्ध पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है।

इस समस्या के प्रति मिजोरम के मुख्य मंत्री का दृष्टि कोन भी वैसा ही है। उनका कहना है कि यह एक राजनीतिक समस्या है और इसका राजनीतिक समाधान ही होना चाहिए। उन्होंने छिपे मिजो लोगों और भारत सरकार के बीच समझौता करने का वचन दिया है। हां गृह मंत्री का यह कहना बड़ा संतोषजनक है कि मिजोरम के मुख्य मंत्री इस बात को काफी सीमातक समझ गये है। उन्होंने कोहिमा में एक प्रेस सम्मेलन में स्पष्ट रूप मे कहा है कि नागा समस्या का हल भारतीय संविधान के भीतर रहकर ही ढूंडा जा सकता है।

गृह सचिव श्री गोविन्द नारायण ने 17 मार्च, 1973 को मत व्यक्त किया था कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनेक बार गम्भीर स्थिति पैदा होने का मूल कारण यह था कि वहां के लोगों को विदेशों की प्रेरणा, सहायता, साठगांठ और समर्थन प्राप्त था।

कुछ मिशनरी तथा कुछ अन्य संगठनों का कार्य भी सन्देहास्पद है। इस पृष्ठभूमि में पहली बात तो मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि नागालैंड और मिजोरम से विरोधी नागाओं आदि का ऐसे देशों में आना जाना, जो हमारे मित्र नहीं है, रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है? गृह मंत्री या उनके मंत्रालय ने उन मिशनरियों के संगठनों का कार्य कलाप निश्चित रुप से जानने के लिये क्या कार्यवाही की है जिनके बारे में अनेक लोगों ने सन्देह प्रकट किया है।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

पता चला है कि यू० डी० एफ० और सरकार ने नागालैंड बपटिस्ट चर्च कौंसिल से कहा है कि छिपे नेताओं एवं अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाये और भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कोई आधार तय किया जाय। आज के समाचार में कहा गया है कि मिजोरम के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से बात चीत की है। इस दृष्टि से क्या भारत सरकार और राज्य सरकारों व छिपे लोगों के बीच कोई द्विपक्षीय या त्रिक्षीत्रिय समझोता होने की कोई संभवना है!

केवल सैनकी कार्यवाही द्वारा हम इन क्षेत्र की समस्याओं को हल नहीं कर सकते है। इन क्षत्रों का देश के अत्य भागों से सम्पर्क नही हैं। धीमापूर की एक छोटी रेल्वे लानइ छोडकर नागालइ, और मिजोर मेघालय मे कोई रेलवे लाइन नहीं है। वहां पर कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसलिये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से तथा संचार व्यवस्था की दृष्टि से क्या वहां के विकास के लिए सरकार को कोई व्यापक विकास योजना है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि इस क्षेत्र के सभी राज्यों की समान दशा है। जहां तक इस बात का संबंध है कि इस से वहां शत्रुता व विद्रोह उत्पन्न हो गया है, तो उससे निपटने का ढंग भी एकसा है। मैं उनसे सहमत हूं कि यह मामला विद्रोह को बलपूर्वक कुचलने का नहीं है। वह भाग हमारे देश का अंग है और वहां के लोग हमारे अपने हैं। हम उनके स्वभाव से परिचित हैं। परन्तु यह बात भी सत्य है कि वहां कुछ विदेशी प्रभाव कार्य कर रहे है।

हाल में लगभग कुछ विद्रोही नागा पकड़े गये थे उन्होंने स्वीकार किया है कि बहुत से नागा चीन के (यूनन) प्रदेश से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। उनके वापस आने के बाद से हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कुछ बंगलादेश के विद्रोहियों को वहां से निकाला गया है। दोनों तरफ के विद्रोहियों ने आपस में सम्पर्क बनाने की चेष्टा की हैं। यह निरन्तर स्थिति है और इसी लिए इसे हल करने में समय लग रहा है। परन्तु हम उनकी मनोभावना को समझने के अपने रवैये को नहीं छोड़ सकते और उनकी इच्छापूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वस्तुतः हाल में हमें कुछ सफलता भी मिली है।

उनमें कुछ ऐसी धारणा बन गई हैं कि यदि वे बल का अधिक प्रयोग करते हैं तो वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह भी विचार है कि वस्तुओं की कमी होने और बढ़ते हुये मूल्यों का लाभ उठाया जाये। इस विचार से उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज़ कर दी हैं परन्तु इस कारण हम उनके साथ अपना सहृदयता का व्यवहार नहीं छोड़ सकते। हमारे अधिकारियोंका में है कि अधिकांश नागा जनता विद्रोह के विरुद्ध हैं।

हमारी नीति पंडित जी के समय से तथा बाद के सभी संबंधीत तथ्यों का ध्यान में रखकर बनाइ गई है। नीति यह है कि हम इन क्षेत्रों के जनजातियों के दिल व दिमाग को जीतने के अपने उपक्रम को जारी रखेंगे। परन्तु जहांतक विद्रोह का संबंध है हम उस बारे मे। कड़ी कार्यवाही करेंगे।

मिजोरम में हमने मुख्य मंत्री, उप-राज्यपाल तथा अन्य व्यक्तियों के परामर्श पर कुछ छिपे व्यक्तियों को ग्रामाणों से मिलने दिया है। उनका मत है कि इस प्रकार के सम्पर्क से वे एक दूसरे को समझ सकेंगे, अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, तथा व्याप्त भ्रम व विरोध मानना समाप्त हो जायेगा।

एम० कोलने नाम का एक प्रसिद्ध भूमिगत विद्रोही मिजोराम मे 10-11 दिन रहा था और वह सभी जगह घूमता रहा इससे भूमिगत विद्रोहियों को काफी प्रोत्साहन मिला भूमिगत विद्रोहियों के प्रति नरम रवैया अपनाने से कोइ लाभ नहीं मिला है। हमें कठोर कार्रवाई करने का मार्ग अपनाना पड़ेगा। त्रिपक्षीय वार्ता का कोई प्रश्न नही उठता है। पांचवीं योजना में वहां संचार सुविधाओं के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इस वर्ष लगभग 14 करोड रुपये आवटित किये गएहै।

श्री तरुन गोगोई (जोरहाट) : विद्रोही भूमिगत नागाओं की गैर कानूनी कार्यवाहियाँ गम्भीर चिन्ता का विषय बन गई हैं। पहले सरकार का विचार था कि नागालैंड में विद्रोही नागाओं का ओर ठंडा पड़ना आ रहा है परन्तु बाद की घटनाओं ने इसका खंडन किया है। विद्रोही नागाओं द्वारा की गई गोलाबारी में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। नागालैंड को राज्य का दर्जा देकर वहाँ लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की गई है परन्तु अचानक इस प्रकार की कार्यवाहियां होने लग गई है। क्या देश में अव्यवस्था फैलाने की यह किसी बड़ी योजना का एक भाग है ?

नागालैंड की सरकार चाहती है कि बातचीत के द्वारा नागा समस्या का राजनीतिक दल खोजा जाये वह भारत सरकार और नागा विद्रोहियों के बीच बादचीत कराने को उत्सुक है। इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लगभग 90 प्रतिशत नागा शान्तिप्रिय हैं। रोज विद्रोही नागा लोगों का अपहरण करने, भारी कर लगाने, नए भूमिगत नागाओं की भरती करने आदि जैसे कामों में लगे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नागालैंड में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति है तथा क्या सरकार नागालैंड की सरकार द्वारा इन कार्यवाहियों को रोकने हेतु किए गए उपायों से संतुष्ट है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : हमारि नीति हमेशा विद्रोह का मुकाबला करने की रही है परन्तु साथ ही साथ हम जनता की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनके विकास में उन्हें मदद देते हैं। हम अवसर पड़ने पर उनके साथ मैत्री सम्बन्ध बनाते हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्यवाही करने में भी नहीं हिचकते हैं। नागालैंड में स्थिति नियंत्रण में है। हम संविधान की चारदीवारी के अन्दर उनके साथ बातचीत करने को तयार है। वहां मुख्य मंत्री और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य अधिकारी है। यदि वहां स्थिति बिगड़ती है तो भारत सरकार इससे निबटने में ढिलाई नहीं बरतेगी।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : We have not taken any action on the problems of people having faith in separat'sm. The christian missionaries, the C.I.A. agent s are instigating the hostile nagas against India. That is why they have not been able to put themselves with the main stream of nationality of India. They are taking arms training in China and have been resorted to violence.

The pace of dev elopment work in Nagaland, Mizoram, Meghalaya and other small hilly states should be intensified and their problems should be removed. I want to know what powers have been delegated to the B.S.F. or Army to deal with insurgents? What are the reasons that the onslangt on the camp could nor be countered effectively. Is there any plan going on to dislodge the U.D.F. Government?

Shri Uma Shankar Dikshit : The arms attack will be encountered with arms. This is no complicated problem. They can develop their state only by remaining with the whole India. Regarding the work of instigation by C.I.A. of America, there are some intelligence agencies of other countries working here . We apprehend them when we come to know about them. The missionaries are doing commendable work. We check them on their undersirable works. It is very improper to charge that we are trying to dislodge the U.D.F. Government. We have no intention as such. We want that people of small tates run their Governments themselves and do away with the violent atmosphere.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BLLS AND RESOLUTIONS
43 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशसी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 43 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में 14 मई, 1973 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO 332 DATED 14-5-73 RE. SETTING UP OF INDUSTRIES IN BIHAR IN PUBLIC SECTOR

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौदयोगिकी मंत्री और कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में श्री ईश्वर चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के 14 मार्च 1973 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं सीमेंट उद्योग के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में एक वक्तव्य भी सभा पटल पर रखता हूं।

बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 332 के 14 मार्च 1973 को दिया गया उत्तर उस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया था। तदुपरन्त 22 मई 1974 को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना और संबंध स्पष्टीकरण से पता लगा है कि बिहार में और नए उद्योग स्थापित हुए हैं अतएव निम्नलिखित सही उत्तर पढ़ा जाए :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान बिहार राज्य के चम्पारिया और पूर्णिया में दो नए चावल मिल स्थापित करने का प्रस्ताव था।

(ख) चम्पारिया में मार्डन राइस मिल बिहार के चम्पारिन जिले में स्थापित होगा जिसकी क्षमता प्रति घंटे 4 टन धान की होगी। यह मील चावल कुटाई की आधुनिक तकनीकी पर आधारीत है। पूर्णिया की मिल की भी सही क्षमता होगी और यह चावल कुटाई की आधुनिक तकनीकी पर आधारित है।

सीमेंट उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग की शिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DECISION OF THE GOVERNMENT ON THE RECOMMENDATIONS OF THE TARIFF COMMISSION ON THE CEMENT INDUSTRY

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): सीमेंट उद्योग के मुख्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क आयोग ने पिछली जांच 1961 में की थी। पिछली जांच के उपरान्त उद्योग की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अप्रैल, 1972 में सीमेंट उद्योग के विकास के सुनिश्चय की दृष्टी से एक अभ्युपाय के रुप में तथा कम से कम लाभप्रद लागत पर निर्यात सहित आवश्यकताओं की पर्याप्त रुप से पूर्ति के तरीके के रुप में प्रशुल्क आयोग से उद्योग की व्यापक समीक्षा करने का निवेदन किया गया था। आयोग से अपनी अन्तिम रिपोर्ट देने से पूर्व अन्तरिम सिफारिश देने का निवेदन भी किया गया था।

मार्च, 1973 में आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी जो उद्योग को तात्कालित राहत देने की दृष्टी से भी और लागत की बढ़ौतरी के आंकने तक सीमित थी। आयोग ने उत्पादनकारी सभी एककों सामान्य रुप से 10 रु0 प्रति मी0 टन की कीमत में बढ़ोतरी की सिफारिश की ये सिफारिशें सरकार ने 15 सितम्बर, 1973 से स्वीकार की।

अप्रैल, 1974 में आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी। सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है। प्रशुल्क आयोग अधिनियम की धारा 16 (2) के अधीन वांछित प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट 1974 तथा आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय सम्बन्धी संकल्प की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार के विनिर्णयों सहित प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन का उसकी प्राप्ति की तिथि के 3 महीनों अथवा सत्र प्रारंभ होने के 7 दिन के अंदर सदन के पटल पर रखा जाना अपेक्षित है जिसकी तारीख इस प्रकरण में 28 जुलाई, 1974 के पूर्व पड़ती है। कुछ दिनों की यह देर प्रशुल्क आयोग की कुछ प्रमुख बातों पर दी गई शिफारिशों की आवश्यक विस्तृत जांच करने एवं परामर्श में लगी है।

रिपोर्ट का हिन्दी रूपांतर अभी तैयार नहीं है। इसे यथाशीघ्र सभापटल पर रख दिया जायगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : यह आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय 14, मार्च 1973 को दिए गए उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण एक वर्ष बाद अगस्त 1974 को दे रहे हैं। उत्तर की शुद्धि देने वाला विवरण शीघ्र दिया जाना चाहिए। यदि आप स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं तब तो ठीक है अन्यथा आप इस संबंध में अपना निदेश दे सकते हैं।

श्री सी०सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको मैं समझ नहीं सका हूं, मार्च 1973 में अंतरिम प्रतिवेदन दिया गया था, अंतिम प्रतिवेदन अप्रेल, 1974 में दिया गया और कुछ दिन-बाद यह शुद्धि करने वाला विवरण दिया गया है।

कार्य यंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

45 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से, जो 30 जुलाई, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 45 वें प्रतिवेदन से, जो 30 जुलाई, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was Adopted.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

राष्ट्रपतीय चुनाव के बारे में संवैधानिक उपबन्धों का उल्लघन

प्रो० मधु दण्डवते (राजापूर) : मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की गोपनीयता के उलघन के बारे में मामला उठाना चाहता हूं। मैं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 1968-69 के मध्यावधि चुनावों के संबंध में प्रतिवेदन के पृष्ठ 34 के एक अंश का उल्लेख करना चाहता हूं,

[प्रो० मधु दण्डवते]

इसमें कहा गया है कि "मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। मतपत्रों के पीछे क्रमिक संख्या को रंगदार कागज से चारों कोनों तक चिपकाकर ढका गया था। यह उत्तर प्रदेश विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों के मामले में नहीं किया जा सका क्योंकि निर्वाचन आयोग के निदेशों वाला तार बहुत देर से भेजा गया था और समय पर प्राप्त न हो सका"। 14 अगस्त, 1969 को सभी निर्वाचन अधिकारियों को एक आदेश दिया गया था जिसके एक अंश में कहा गया है कि "संविधान के अनुच्छेद 55 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन के मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए कृपया मतदाताओं को मत पत्र देने से पूर्व इसके पीछे दिए गए क्रमिक संख्या को चारों कोनों तक और किसी अन्य स्थान में नहीं, काले कागज के टुकड़े से गम द्वारा चिपका कर दिया देना चाहिए"। यह आदेश उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनाव के समय वक्त पर नहीं पहुंचा, इसलिए जहां तक उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का संबंध है संविधान के इस उपबंध का उल्लंघन किया गया यह सच है कि चुनाव रद्द घोषित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अगर सर्वोच्च न्यायालय की यह राय है कि संविधान के उपबन्धों या इस अधिनियम के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेशों का पालन न करने के कारण चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है, तो चुनाव रद्द किया जा सकता है। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय अधिनियम के अधीन चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये आदेश का अभी मैंने उल्लेख किया था। इसलिए इस विशिष्ट उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है। इसलिए अगर कोई इस आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, तो राष्ट्रपति के मध्यावधि चुनाव को रद्द घोषित कराया जा सकता है।

मैं इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रहा कि अतीत में क्या हुआ, बल्कि भविष्य में क्या होने की सम्भावना है।

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए।
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair.*]

अगर राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव में जो गलती हुई और अगर चुनाव आयोग और अधिकारी उसी प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं और अगर उसके परिणामस्वरूप चुनाव की गोपनीयता का उल्लंघन होता है, तो चुनाव के रद्द घोषित होने की सम्भावना है। इसलिए हमें उचित सावधानी बरतनी चाहिए। चुनाव आयोग को सभी निर्वाचन-अधिकारियों को काफी पहले निर्देश भेज देने चाहिए, जिससे राष्ट्रपति-चुनाव की गोपनीयता भंग न होने पाये।

आप मंत्री महोदय से अनुरोध करें कि वह इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य दें और सदन को आश्वस्त करे कि राष्ट्रपतीय चुनाव की गोपनीयता भंग न होने पाये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी): म विवरण पत्र की एक प्रति प्राप्त करुंगा और उसे चुनाव आयोग को भेज दिया जायेगा। उन्हें निश्चित रूप से इस बारे में बताया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : चुनाव आयोग मध्यावधि चुनाव की रिपोर्ट में यह बात स्वीकार कर चुका है कि चुनाव अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। क्या यह गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इस बारे में चुनाव आयोग को सूचित किया जायेगा ताकि आवश्यक सावधानी बरती जा सके?

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह माननीय सदस्य के कथन के अनुसार चुनाव आयोग को सूचित करना आवश्यक समझते हैं?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नकली ग्लूकोज के बारे में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में चर्चा हुई और जब इस सदन में भी चर्चा हुई, तब माननीय मंत्री डा० कर्ण सिंह ने यह वक्तव्य दिया था कि इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जायेगी।

विधान परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र स्वरूप 'जहरीले' ग्लूकोज की निर्माता कम्पनी बी० जे० फार्मा से सम्बन्धित है। उन्होंने एक पत्र अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक डा० चक्रवर्ती को लिखा है, जिसमें उन्होंने डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के जिसके प्रबन्ध-बोर्ड के वे स्वयं प्रधान हैं, वरिष्ठ प्राध्यापक श्री बी० के० सेठ की सहायता करने का अनुरोध किया है।

आप स्वास्थ्य मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहें। वह जनता की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्हें तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए।

सभापति महोदय : इसे सदन के किसी भी नियम के अनुसार ग्रहीत नहीं किया जा सकता।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा तीन बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Reassembled after Lunch at Fifteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

दिल्ली विक्रय कर विधेयक

DELHI SALE TAX BILL

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधी का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : यह एक महत्वपूर्ण और लम्बा विधेयक है, जिस पर विभिन्न पहलुओं से सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। विक्रय कर को बडे पैमाने पर चोरी की जाती है। विक्रय कर की वसूली के उपबन्धों को, जो वर्तमान विधेयक में दिए गए है, वे और अधिक सुदृढ तथा शक्ति सम्पन्न होने चाहिए। इसके अलावा इस विधेयक के द्वारा उन वस्तुओं पर भी विक्रय कर लगाया गया है, जिन पर पहले विक्रय कर नही था। अन्य बहुत सी बातों पर भी विचार किया जाना है। अतः हम चाहते है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय विधेयक को चर्चा के लिए पेश कर चुके है । माननीय सदस्य और अन्य सदस्य यह चाहते थे है कि इस विधेयक पर सावधानी से विचार किया जाय और इसलिए इस प्रवर समिति को सोंप दिया जाय । प्रवर समिति को सोपे जाने के कुछ संशोधन कुछ माननीय सदस्यों ने पेश किये है । अगर माननीय सदस्य चाहें, तो हम अभी उस स्थिति पर जा सकते है ।

श्री के० आर० गणेश : अगर माननीय सदस्य, विशेषकर दिल्ली के सदस्य यह चाहते है कि दिल्ली की जनता को प्रभावित करने वाले इस विधेयक को प्रवर समिति को सौपा जाय, तो इस विधेयक पर चर्चा की स्थगित करने का प्रस्ताव पेश कर सकता हूं और इसे प्रवर समिति को सौंपने वाला दूसरा प्रस्ताव पेश कर सकता हूं ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There has been a tax evasion on a very large scale in collusion with various officers. From this point of view also, this Bill must be referred to the select committee.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर आगे चर्चा स्थगित की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL'

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि आयकर अधिनियम, 1961 धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 रऔ कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय सम्बन्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 इस सदन में 3 सितम्बर, 1973 को पेश किया गया था और 23 नवम्बर, 1973 को प्रवर समिति को सोंपा गया था । प्रवर समिति के सभापति ने 29 अप्रैल, 1974 को समिति की रिपोर्ट इस सदन में पेश की प्रवर समिति ने जिस बारीकी से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार किया है, उसके लिए मैं प्रवर समिति को बधाई देना चाहता हूं ।

विधेयक में प्रवर समिति ने कई दिशाओं में सुधार किये है ।

कुछ क्षेत्रों में उद्योगों को लगातार प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 31 मई, 1974 के पश्चात कुछ उद्योगों में लगी मशीनरी को लागत का 20 प्रतिशत प्रारम्भिक मूल्य ह्रास छूट प्रदान करन का विधेयक में उपबन्ध किया गया है । उद्योगों का चुनाव निर्यात, मध्यवर्ती और पुंजी निवेश वस्तुओं आम उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की प्राथमिकता देने की दृष्टि से किया गया है । प्रवर समिति ने यह सिफारिश भी की है कि किसी भी वस्तु का निर्धारण करने वाले लघु उद्योग उपक्रम को यह सुविधा दी जाय और लघु उद्योग उपक्रम उसे माना जाय, जिसमें लगी मशीनरी और संयत्र की लागत 7,50,000 रु० से अधिक न हो ।

विधेयक के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार कर दाता एक ही जलयान, विमान, मशीनरी अथवा संयंत्र के बारे में विकास छूट और प्रारंभिक मूल्य ह्रास छूट दोनों का ही लाभ उठा सकता था, परन्तु प्रवर समिति ने जिन जलयानों, विमानों, मशीनरी या संयंत्र को विकास छूट नहीं दी जाती, मूल्य ह्रास छूट सम्बन्धी उपबन्ध में समुचित परिवर्तन करने का सुझावट दिया है ।

प्रारंभिक ह्रास छूट देने सम्बन्धी कर रियायत का उद्देश्य औद्योगिक उपक्रमों को सहायता करना है, न कि गैर-समायोजित विकास छूट को आगे ले जा सकने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित करना इस लिए प्रवर समिति ने यह सिफारिश की है कि कर दाता इस सुविधा को प्राप्त न करने का विकल्प दे सकता है । इस विकल्प के अपनाने पर तब तक प्रारम्भिक मूल्य ह्रास छूट के लिए कटौतो को अनुमति नहीं दी जायगी जब तक विकल्प समाप्त न किया जाय ।

समिति ने प्रस्तावित नवी अनुसूचो में वस्तुओं को सूचो में कुछ परिवर्तन करने को भी सिफारिश की है ताकि इन प्रविष्टियों को आयकर अधिनियम की पांचवी अनुसूचो में प्रयुक्त को गई मात्रा के समान किया जा सके । इससे अधिक निश्चितता उत्पन्न होगी और कर दाता तथा आयकर विभाग के बीच विवाद की गुंजाईश कम होगी ।

घोषित पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों और होटलों को स्थापना के बारे में विधेयक में आंशिक कर अवकाश देने का प्रस्ताव है । 31 मार्च, 1973 के बाद विनिर्दिष्ट पिछडे क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक उपक्रमों और होटलों को दस साल के लिए अपने लाभ के 20% के बराबर कटौतो कर दी जायगी । पिछडे क्षेत्रों में सात संघ राज्य क्षेत्र और 21 राज्य के 234 जिले शामिल है । प्रवर समिति ने पिछडे क्षेत्रों को सूचो में भो कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है । 3 सितम्बर, 1973 को विधेयक पेश होने के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों का विभाजन किया गया है और कुछ नये जिले जोड़े गये है ।

पिछडे क्षेत्रों की सूची में उल्लिखित विभिन्न जिलों का पुनर्गठन किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिये काफी रियायत घट या बढ सकती है । इस सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश को है कि पिछडे क्षेत्रों को अनुसूचो में जिन जिलों को सम्मिलित किया गया है उनमें उतना ही क्षेत्र माना जाएगा जितना कि 3 सितम्बर 1973 को उनमें था क्योंकि विधेयक लोक सभा में इसी तिथि को पुरःस्थापित किया गया था ।

प्रवर समिति ने यह भो सिफारिश को है कि पिछडे क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के कर को रियायत उदारता से दी जाए । समिति ने प्रस्ताव किया है कि गैर-पिछडे क्षेत्रों से पिछड़े क्षेत्रों में अन्तरित उद्योगों के लिये भो कर को रियायत दी जाए तथा जहाज निर्माण में लगे उद्योगों को इस रियायत से वंचित न किया जाय ।

विधेयक के उपबन्धों के अनार्गत साहित्य में, विज्ञान और कला सम्बन्धी कृतियों तथा खेल कूद में विशेषता प्राप्त करने के लिये दिये जाने वाले पारितोषिकों पर जिन्हे केंद्रीय सरकार ने चालू किया है अथवा स्वीकृति दी है कर को पूरी छूट दी गई है । समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले पारितोषिकों को भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गये पारितोषिकों के बराबर माना जाये ।

[श्री० के० आर० गणेश]

श्री डी० डी० देसाई ने अपने विमत टिप्पण में सुझाव दिया है कि मशीनों और संयंत्रों के लिये प्रारंभिक मूल्य ह्रास की प्रतिशतता 20 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत किया जाये। श्री सेझियान ने कहा है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं को सूची में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति ने इन सभी बातों पर विस्तृत विचार किया था किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया। इन शब्दों के साथ में विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह सच है कि प्रवर समिति ने इस सीमित क्षेत्र के विधेयक में कुछ सुधार किया है किन्तु फिर भी यह विधेयक नितांत अनावश्यक है तथा अर्थहीन है। सरकार जब दिन प्रतिदिन कर में वृद्धि करती जा रही है तब एकाधिकार व्यापार गृहों को कर सम्बन्धी रियायत देने में क्या औचित्य है ?

विधेयक का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष उद्योगों को 20 प्रतिशत आरम्भिक मूल्य ह्रास भत्ता देना है। उद्योगपतियों को विकास छूट के रूप में मिलने वाली रियायत को समाप्त किये जाने से उनका असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। अतः यह रियायत उन्हीं लोगों को संतुष्ट करने के लिये आरम्भ की जा रही है। विभिन्न उद्योगों को प्रतिनिधित्व करते हुए जिन व्यक्तियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया है उन्होंने 20 प्रतिशत मूल्य ह्रास भत्ते को बहुत कम रियायत माना है तथा उन्होंने यह भी कहा है कि इससे देश में उद्योगों की प्रगति में कोई योगदान नहीं मिलेगा।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि समिति ने सभी लघु उद्योगों को कर की रियायत का लाभ प्रदान किये जाने की सिफारिश की है। मूल विधेयक में उनके लिये इस लाभ की कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि 9 वीं अनुसूची को ध्यान से पढ़ा जाये तो ज्ञात होगा कि उसमें जिस प्रकार के उद्योगों का उल्लेख किया गया है उनकी स्थापना बड़े औद्योगिक गृह ही कर सकते हैं। इससे सरकार की इस मनोवृत्ति का पता लगता है कि वह केवल बड़े औद्योगिक गृहों तथा एकाधिकार गृहों को ही लाभान्वित करना चाहती है। यद्यपि प्रवर समिति ने सभी लघु उद्योगों के लिये मद रियायत प्रतिवेदित की है तथापि मशीनरी तथा संयंत्रों के बारे में 7,50,000 रुपयों के मूल्य के संयंत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस महंगाई के समय में कोई भी उपयोगी संयंत्र इतने मूल्य में नहीं आता। अतः यह लाभ भी उनको प्राप्त नहीं हो पायेगा।

लगभग सभी उद्योगपतियों तथा वाणिज्य मण्डलों ने साक्ष्य देते समय प्रवर समिति से यह अनुरोध किया है कि विकास छूट को जारी रखा जाये तथा उन्हें मूल्य ह्रास भत्ते की आवश्यकता नहीं है क्यों कि इससे औद्योगिक प्रगति में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस स्थिति में सरकार इस प्रस्तावित व्यवस्था को किस के लिये बना रही है तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार समझती है कि औद्योगिकीकरण प्रोत्साहन देकर ही किया जा सकता है ?

जहां तक मुझे ज्ञात है औद्योगिक विकास छूट दिये जाने पर भी देश में उद्योगों का कोई विस्तार नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी प्रगति दर में भारी कमी हुई। अतः सरकार की यह धारणा नितांत भ्रामक है कि प्रोत्साहन के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास किया जा सकता है तथा उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। मेरे विचार से यह मूल्य ह्रास भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये।

योजना आयोग ने जिलों के आधार पर पिछडे क्षेत्रों की सूची बनाई है । मेरा मत है कि पिछडे क्षेत्रों का निर्धारण जिलों के आधार पर नहीं होना चाहिये । एकही जिले में विशेषकर बडे जिलों में कुछ क्षेत्र ऐसा हो सकता है जिसमे थोडा बहुत विकास कार्य हो चुका है तथा अन्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है जो पूर्णत: पिछडा हुआ हों तथा उसमें कोई उद्योग नही। इस विचार से पिछडे क्षेत्र की परिभाषा फिर से बनाई जानी चाहिये ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह 9 वीं अनुसूची के बारे में पुन: विचार करें तथा लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करें।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढाना) : मैं प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। समिति ने इस विधेयक में महत्वपूर्ण सुझाव किये हैं।

इस विधेयक के चार मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों तथा लघु उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन देने हेतु कर की रियायत देने का है । दुसरा उद्देश्य पिछडे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना है । तीसरा उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिये करों में रियायत देना है और चौथा उद्देश्य निर्यात सम्वर्धन के लिये पूंजी विशेष को प्रोत्साहन देना है ।

तीन वर्ष पहले वित्त मंत्री ने अप्रैल, 1974 से विकास छूट बन्द किये जाने की घोषणा की थी तथा यह वचन दिया था की इस छूट के स्थान पर भत्ता दिया जाएगा। यह विधेयक उसी सम्बन्ध में है तथा दूसरे अन्तर्गत आयकर अधिनियम की नौवी अनुसूची में उल्लिखित कुछ उद्योगो को 20 प्रतिशत आरम्भिक मूल्य ह्रास भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। प्रवर समिति मे सिफारिश की है कि यह लाभ देश के सभी लघु उद्योगों को भी दिया जाना चाहिये। लघु उद्योगों को इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि देश में लघु उद्योगों के माध्यम से ही औद्योगिकीकरण किया जा सकता है । लघु उद्योगों से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है तथा इस से देश के कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक प्रगति होगी।

इस उद्देश्य के लिये उद्योगों की सूची बनाते समय कई मानदण्ड ध्यान में रखे गये होगें जैसे कि उत्पाद का अभाव अथवा उद्योग की लाभप्रदता आदि आदि। इस सन्दर्भ में मुझे आश्चर्य है कि कांच उत्पादन उद्योग को इस सूची में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। आशा है इस उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय इसे भी उक्त सूची में सम्मिलित करेंगे ।

इस विधेयक के अन्तर्गत दूसरी मुख्य व्यवस्था 31 दिसम्बर, 1970 से पिछडे क्षेत्रों में आरम्भ किये गये नये उद्योगों को उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन मिलने वाली रियायतों के अतिरिक्त 20 प्रतिशत आरम्भिक मूल्य ह्रास भत्ता दिये जाने के बारे में की गई है। सरकार पिछडे क्षेत्रों की ओर दूसरी पंचवार्षिक योजना के पश्चात काफी ध्यान दे रही है जिससे देश के प्रत्येक भाग को आर्थिक प्रगति का समान लाभ प्राप्त हो सके। किन्तु विभिन्न प्रयत्नों के बाद भी पिछडे क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है ।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन प्रोत्साहनों के साथ साथ सरकार को पिछडे क्षेत्रों में सडके, रेलवे लाइने, संचार, जल और बिजली आदि की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वहां पर उद्योगों की स्थापना में उद्योग पतियों को कोई कठिनाई न हो।

[श्री वाई० एस० महाजन]

इस विधेयक में वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी तीसरी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है । यद्यपि अनुसंधान और विकास कार्यों पर सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में लगाई गई कुल पूंजी में वृद्धि हुई है तथापि यह वृद्धि पर्याप्त नहीं रखी जा सकती। भारतीय उद्योग अब भी इस सम्बन्ध में विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर करता है । इस क्षेत्र आत्म निर्भरता पर बहुत अधिक बल दिया जाना चाहिये। भारतीय उद्योग को देश की परिस्थितियों के अनुकुल तकनीकी जानकारी विकसित करने के लिये पूरे प्रयत्न करने चाहिये तथा उसे इस दिशा में निष्ठापूर्वक कदम बढाने चाहिये ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछडे क्षेत्रों की सूची की सन्दर्भ में मै प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 पर मद संख्या 45 की ओर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें समस्त गोआ संघ राज्य को सम्मिलित किया गया है । मेरे विचार से औद्योगिक दृष्टि से गोआ सारे देश का अत्यंत विकसित भाग है । आश्चर्य है उसे इस सूची में सम्मिलित किये जाने के क्या कारण हैं ?

यह भी आश्चर्य की बात है कि पिछडे क्षेत्रों की सूची में महाराष्ट्र राज्य के 6 जिले भी सम्मिलित नहीं किये गये जब कि मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिले सम्मिलित किये गये है जब कि यहां की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या के बराबर नहीं है । (व्यवधान) अतः वित्त मंत्रालय अथवा औद्योगिक विकास मंत्रालय ने पिछडे जिलों का निर्धारण करने समय किसी उपयक्त और न्याय संगत कसोटी का अनुसरण नहीं किया। कर्नाटक राज्य में रायचूर, धारवाड और मैसूर जिलों को पिछड़े हुए जिले माना गया है । क्या कोई व्यक्ति इन जिलों के बारे में यह बात मान सकता है कि ये औद्योगिक दृष्टि से पिछडे हुए है? अतः मेरा सुझाव यह है कि इन सूचियों को न्यायसंगत बनाया जाये तथा ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके अन्तर्गत वास्तविक रूप से पिछडे क्षेत्रों को इसमे सम्मिलित किया जा सके। मेरा यह भी सुझाव है कि होटल जैसे उद्योग को इस सूची में सम्मिलित किया जाना असंगत है । पिछडे क्षेत्रों में विशाल होटलों का क्या महत्व है जब वहां की जनता उनका कोई उपयोग ही नहीं कर सकती। अतः मेरे सुझाव है कि विधेयक में निहित ऐसे दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए।

कुछ बडे औद्योगिक गृहों ने राज्य सरकारों से हर प्रकार की रियायतें प्राप्त की है । मेरे राज्य में कागज मिल ने कुछ सामान 15 रुपये के मूल्य पर प्राप्त किया जब कि दुसरा बाजार भाव 120 रुपया है । उन्हें कच्चे माल, बिजली आदि से सम्बन्धित अनेक प्रकार की रियायते दी जाती हैं।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं आरम्भिक मूल्य ह्रास के सिद्धांत का विरोध करता हूं। प्रतीत होता है कि सरकार एकाधिकार गृहों का सबसे अधिक पक्ष लेती है।

प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय मंत्रिमंडल सचिव ने कहा था कि जैसे जैसे उद्योग बढा उसके पूंजी निवेश अधिक हुआ किन्तु उससे प्राप्त राजस्व में कमी हुई । गत 17 वर्षों से बडे औद्योगिक गृहों को विकास छूट प्राप्त होती रही किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई योगदान नहीं दिया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1973 में औद्योगिक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई । श्री पालखीवाला के अनुसार भी औद्योगिक गृहों को दिये गये सभी प्रोत्साहन व्यर्थ रह हैं।

चीनी उद्योग को विकास छूट भी दी जाती रही है तथा 10 प्रतिशत मूल्य ह्रास का लाभ दिया जाता रहा। किंतु क्या उसने कभी इस धनराशि से उद्योग को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया? वास्तव में इन एकाधिकार गृहों ने देश का शोषण किया है।

वित्त सचिव के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति तथा उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा कमाये जा रहे भारी लाभ को देखते हुए इस प्रकार के प्रोत्साहन को न्याय संगत नहीं किया जा सकता। अतः मेरा सुझाव है कि प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि का पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये वहां आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर उपयोग किया जाना चाहिये। एकाधिकार गृहों की मनोवृत्ति को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनको जितना अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा वे उतना ही अधिक लाभ अर्जित करेंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि मूल्य ह्रास सम्बन्धी लाभ केवल देश में बने संयंत्रों तथा मशीनों के लिये ही दिया जाये तथा शेष राशि से पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाये।

लघु उद्योग तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के बारे में मेरा सुझाव है कि संयंत्रों के मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था को 7,50,000 रुपयों से बढ़ाकर 15,00,000 रुपया किया जाये जिससे छोटे और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके तथा पिछड़े क्षेत्रों में इन उद्योगों का विकास हो सके। मैंने गंजम जिले के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इस जिले में एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की है। इस प्रकार के जिलों को सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

मेरा एक संशोधन इस सम्बन्ध में भी है कि एकाधिकार गृहों के उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को कोई प्रोत्साहन न दिया जाये क्यों कि एकाधिकार गृह इस प्रकार जनता का अधिक शोषण करेंगे तथा उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव उत्पन्न करके समस्याओं को और जटिल करेंगे।

दो बिड़ला गृहों का सम्पत्ति कर तथा आय कर कम हुआ है जब कि उनके लाभ में वृद्धि हुई है। कर तथा जुर्माने की बकाया राशि 830 करोड़ रुपया हो गई है। इस राशि को वसूल किये जाने की बजाय सरकार उनको आर्थिक प्रोत्साहन दे रही है। इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : भारत सरकार तथा योजना आयोग ने देश के पिछड़े क्षेत्रों का चयन किया है। आंध्र प्रदेश के सभी पिछड़े क्षेत्रों को उक्त सूची में सम्मिलित किया गया है। आंध्र प्रदेश ने पिछड़े जिलों में कुछ उद्योग स्थापित करने का हाल में प्रस्ताव किया था किन्तु खेद है केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उस बारे में अनुमति नहीं दी। केन्द्रीय सरकार तथा लाइसेंस समिति कदम-कदम पर इस सम्बन्ध में बाधा डालते है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का लाइसेंस आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह कहा जाता है कि बड़े औद्योगिक गृहों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। यदि वहां सामान्य उद्योग-पति उद्योग स्थापित नहीं कर सकते और बड़े उद्योगपतियों को वहां उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये तो इन क्षेत्रों में कौन उद्योग स्थापित करेगा?

हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा कृषि के क्षेत्र में अब बहुत अधिक विकास नहीं किया जा सकता। अतः देश में अब औद्योगिक विकास की आवश्यकता बहुत अधिक है।

[श्री एम० राम० गोपाल रेडडी]

जहां तक आरम्भिक मूल्य ह्रास का सम्बन्ध है इस विधेयक में केवल 20 प्रतिशत का सुझाव दिया गया है । मेरा सुझाव यह है कि इसको बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया जाये और मूल्य ह्रास के लिये 125 प्रतिशत की अनुमति होनी चाहिये । यदि इतने मूल्य ह्रास की अनुमति नहीं दी जाती तो कारखानों के मालिक पुराने पुर्जों को नहीं बदलेंगे और अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण नही करेंगे । अत: श्री डी० डी० देसाई द्वारा प्रस्तुत किमत टिप्पण स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी अधिनियम में 800 संशोधन किये जा चुके है जिससे कराधान संबंधी कानून अधिक जटिल और दुरुह बन गया है यह विधेयक भी कोई अपवाद नहीं है और इस से उलझन और बढ़ेगी । सरकार इस संशोधन की त्रूटियों को दूर करने के लिये और संशोधन प्रस्तुत करेगी । मुझे इस बात की हैरानगी है कि कीटनाशक औषधियां बनाने वाले उद्योगों को 9 वी अनुसूची में शामिल करने के बारे में कृषि मंत्रालय द्वारा दिये गये सुझाव को वित्त मंत्रालय ने कैसे अस्वीकार कर दिया । इस संकट की घड़ी में देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । फिर वित्त मंत्रालय द्वारा कृषि मंत्रालय के सुझाव को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस विधेयक से यह बात सिद्ध होती है कि यह सरकार देश में एकाधिकार उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देना बन्द नहीं करेगी । केन्द्रीय सरकार देश में औद्योगिक विकास की अपेक्षा गलत ढंग से कमाये गये धन की चुनाव के लिये प्राप्त करने में अधिक रुचि रखती है ।

इस विधेयक में औद्योगिक दृष्टि से पिछडे हुए कुछ जिलों को शामिल किया गया है । सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय योजना बोर्ड के सुझावों को स्वीकार कर लिया है, मै सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध मे राज्य योजना बोर्डों के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है प्रवर समिति ने खण्ड 13 की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । इससे हिसाब में हेरफेरी करने और कर अपवंचन हो सकता है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरता पूर्वक पुन:विचार किया जाये ।

उद्योगपतियों से लगभग 833 करोड रुपये की करों की बकाया राशि वसूल करने के लिये धन कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम में संशोधन करना होगा और उनको सख्ती से लागू करना होगा ।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur): I would like to point out that the limit of small scale Industries of Rs. 7·5 lakhs seems to be less keeping in view the present circumstances owing to rise in prices. I would therefore, appeal to the honble. Minister to reconsider this aspect and increase this limit.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on English transiation of the speech delivered in Tamil.

It is a matter of concern that industries are not being set up in backward areas despite concessional rates of interest and some other facilities regarding payment of tax. Government should look into the way in which selection of backward areas has been made. I would suggest that State Government should be made responsible for industrialisation in backward areas because they have to provide infrastructure. Moreover Central Government formula to select the backward districts should also be looked into. I think that length of railway line an Roads should not form the basis of determining the backwardness of the regions. I would suggest that per-capita industrial and agricultural production of the region should form the basis instead.

In order to achieve the target of industrialization of backward regions Government has to ensure the supply of raw material in time and proper arrangement should be made for marketing and also remove the delay in getting a licence for the purpose otherwise capital subsidy will not achieve the desired resultes. I would suggest that an enquiry should be made to know the reasons for slow progress of industrialisation in backward districts and other parts of the country.

With these words I support the Bill.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : There cannot be two opinions about the fact that industries should be set up in backward regions. But the point is whether big bussiness houses would like to set up industries in these areas? Government give incentives to the capital lists to set-up industries and they expand their industries in metropolitan cities. In view of this Government should themselves set up small industries in remote villages. The public sector should take the lead and in case it is not possible they should be set in Cooperative sector which will provide employment to the people and production will increase.

It has been observed that only a few districts of Bihar have been accepted as backward districts. There are some districts which are rich in minerals but they are backward keeping in view the per capita increase income of the people. In view of this it would not be proper to include only a few districs in the list of backward districts. I therefore, suggest that this matter should be re-examined.

Government should pay special attention towards tax-evasion by big business houses. They have not provided any penalty clause for those who try to evade direct taxes.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पिछड़े जिलों की सूची राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाई गई है। इसमें कुछ ऐसे जिल शामिल है जो हमारे देश के कुछ कर्णधारों के निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि विभिन्न उद्योगों के लिये धन देने के बजाय उन जिलों में आधार भूत ढांचे के विकास पर धन खर्च किया करना अधिक लाभप्रद होगा। मरा कहने का अभिप्राय यह है कि पिछड़े जिलों को कुछ रियायतें दी गई है और कुछ अन्य देने का विचार है । परन्तु तथ्य यह है कि इन रियायतों से इन जिलों का कोई सुधार नहीं होने वाला है । अनेक वर्षों से इस प्रकार के लाभ दिये जा रहे है परन्तु इसके बावजूद वहां पर उद्योग स्थापित नहीं हुए । इन जिलों के पिछड़े हुए रहने का कारण यह है कि वहां पर आधार भूत ढांचा उपलब्ध नहो किया गया। अत: इन जिलों में आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिये धनराशि खर्च को जानी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि बनीं अनुसूची मनमाने ढंग से बनाई गई है। कांच उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हो नहीं बल्कि यह एक ऐसा उद्योग है जो समुचे औद्योगिक विकास से सम्बन्धित है जिसमें कुटीर उद्योग और आधुनिकतम उद्योग भी आते है । इस प्रकार के

[श्री पीलु मोदी]

उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिये। इसी प्रकार चमडा उद्योग है। यदि इस उद्योग का ठीक ढग से विकास किया जाये तो इसका निर्यात बढ़ सकता है। मेरा सुझाव यह है कि कांच उद्योग को 9 वी सूची में अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। मंत्री महोदयको इस सूची को अधिक युक्तिसंगत बनाना चाहिये।

श्री वसंत साठे (अकोला) : किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा औद्योगिक प्रगति के लिए कर सम्बधी रियायतों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे है कि जिन स्थानों आधार-भूत ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध है परन्तु फिर भी वहां पर औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि जैसे पहले से ही विकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की प्रवृत्ति है। अतः यदि सरकार 20 प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन देना चाहती है तो उद्योग स्वभावतः वहां स्थापित किये जायेंगे जहां आधार-भूत ढांचा उपलब्ध होगा जैसे सड़के, संचार, बिजली पानी आदि **(व्यवधान)** रत्नागिरी में आधार-भूत ढांचा उपलब्ध है। वहां पर केवल रेल की आवश्यकता है।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति पिछड़े क्षेत्रों की जो परिभाषा की है वह युक्तिसंगत नही है। पिछड़ेपन और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन में अन्तर है। अतः सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिये। पिछडे जिलों की सूची में यवतमाल जिला शामिल किया गया है परन्तु अकोला अथवा अमरावती को नहीं किया गया है। जबकि ये जिले पास-पास है और उनकी परिस्थितियां एक जैसी है। इस सूची में उन जिलों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिये जहां आधार-भूत ढांचा उपलब्ध है।

दूसरी बात यह है कि ऐसे उद्योगों को भी अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये जो छोटे पैमाने पर लगाये जा सकते है और जिनसे पिछड़े क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है। बड़े उद्योगों की बनाये कांच, चमडे आदि जैसे छोटे उद्योग इस सूची में सम्मिलित किये जाने चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka): I would like to point out that the limit of Rs. 7·5 lakhs, which might have been alright two years before, but it will be less now in view of the increasing prices of machinery. Therefore, I suggest that this limit should be increased to 12-15 lakhs.

I would also like the honble. Minister to clarify as to why most of the Tribal areas of Bihar have not been included in the schedule? As a result of this legislation more industries will be set-up at places where infra-structure is already available and this provision will be nothing but a mockery. I have gone through the list of backward districts and found that Bulandshahr has been included in this list. Ceremics is the only industry which can easily be developed in Bulandshahr. But industry has not been included in the ninth schedule. It seems that there is no coordination between eight and ninth schedule.

It has been observed that most of the backward districts included in the list are paddy producing or cotton producing. It is suggested that corresponding industries should be included in the schedule.

I would also suggest that the question of backward areas should be reconsidered. There should be some critera to determine the backwardness of an area. Agro-industry should also be included in it. Similarly glass and ceremics industries should be included in the ninth schedule, and eigth schedule should be modified. Before concluding I may suggest that sub-division and not the district should form the basis to determine backwardness of an area. It will be more rational.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक के उद्देश्य सराहनीय हैं परन्तु इसके परिणाम संदेहास्पद है। मैं प्रवर समिति द्वारा इस विधयक में किये गये मत्वपूर्ण परिवर्तनों और सुधारों की सराहना करता हुं। हमारा उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापना करना है। देश के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो रहा है परन्तु कुछ क्षेत्र दीर्घावधि से उपेक्षित है।

यह एक ऐसी समस्या है जिस पर केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया जा सकता। यदि हम देश के उद्योगों का प्रगति चाहते है तो हमें उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने हो होंगे। परन्तु कर प्रोत्साहन ही एक कसौटी नहीं हो सकती। फिर भी करों में राहत के पीछे कुछ युक्ति होनी चाहिये और वह युक्ति न्यायोचित और उचित हो। परन्तु जो राहत दी गई है वह उद्योग को स्वीकार नहीं। मैं यह अनुभव करता हूं कि विकास छूटकों एकदम समाप्त करना गलत था। उद्योगों को यह कहना कि तुम्हें इस समय कोई कर नहीं देना पड़ेगा परंतु कुछ वर्षों—पांच अथवा सात—के पश्चात कर देना होगा, कोई राहत नही है। केवल विकास-शील देशों में ही नही अपितु विकसित देशों में भी किसी न किसी रूप में विकास राहत दी जाती है। सरकार को इस बात पर स्पष्ट रूप से विचार करना होगा की पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापना के लिये उद्योग-पतियों को प्रोत्साहन देना है अथवा नहीं। पिछड़ेपन के निर्धारण की कसौटी क्या है, यह निर्धारण तकनीकी और आर्थिक आधार पर होना चाहिये न कि राजनैतिक आधार पर, जैसा कि आज प्रायः हो रहा है।

यह भी मांग की गई है कि अन्य उद्योगों को भी 9 वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये। वित्त सचिव ने प्रवर समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में इस संदर्भ में 'उद्योग की पूंजी प्रधानता, निर्यात की दृष्टि से उत्पाद की उच्च प्राथमिकता, सार्वजनिक खपत की आवश्यकताएं आदि को मूल आधार बताया था। मेरी दृष्टि से कांच तथा कुछ अन्य उद्योग इसी वर्गीकरण के अन्तर्गत आते है। परन्तु उन्हें अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मैं यह भी कहना चाहता हुं कि यद्यपि यह विधेयक एक प्रशंसनीय प्रयास है तथापि सरकार के प्रयासों में पर्याप्त बल न होने के कारण इसके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

Shri Shrikishan Modi (Sikar): There are pla ces like Khurja, Firozabad, Ghaziabad Jullunder but a number of units have been set up at these places. Rawmaterial for these units come from other places. When some units have been set up at those places than other people also become interested for setting up units there. A stage comes when irrespective of the fact that Government gives any incentive or not, units are set up there.

I therefore want to say that Government should set up item-wise blocks. For example it should work out the requirements of Refractary bricks of different types and then all the units for the manufacture of Refractory bricks should be permitted to be set up in a area which is a backward or which needs development. Then any incentive or a facility to be given to that industry should be given collectively. In this manner it would be easy to ensure quality and quantity.

There are iron-bearing areas in the country. Irrespective of any incentive factories are bound to come up in those areas. I, therefore, request that no incentives need be given for setting up industries in those areas.

उपाध्यक्ष महोदय : औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास किया जाये यह इस विधेयक के सीमा से बाहर है। इस विधेयक को सीमा में ही केवल इतनी बात आती है कि किसी विशेष स्थान से विकास के लिये किन किन उद्योगों को किस प्रकार के कर प्रोत्साहन दिये जायें।

श्री पी० वेंकटासुब्बय्या (नन्दयाल) : प्रादेशिक विषमताएं हटाने का सरकार का यह एक प्रयास है । सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापना के लिये कुछ प्रोत्साहन दिये जा रहे है। परन्तु मुझे सन्देह है कि बड़े उद्योगपति इन कर रियायतों का लाभ उठायेंगे और उससे स्थानीय छोटे उद्यमियों की उपेक्षा होगी ।

पिछड़े क्षेत्रों को सूची में भी संशोधन की अपेक्षा है । यदि 'जिला' को एकक माना जाये तो कई क्षेत्रों की इससे उपेक्षा हो जाती है क्योंकि कई ऐसे जिले है जो पिछड़े नहीं परन्तु उनमें कुछ ऐसे क्षेत्र है जो पिछड़े कह जा सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी आदि इसी प्रकार के जिले है। अतः मेरा सुझाव है कि समिती अथवा खण्ड को एकक माना जाना चाहिये। इसके साथ ही जो भी रियायतें दी जायें उससे स्थानीय उद्यमी तब तक आकर्षित अथवा प्रोत्साहित नही होंगे जब तक उस क्षेत्र में आवश्यक आधार ढांचे की स्थापना न हो जाये।

यह दलील कि जिस क्षेत्र में चूना पत्थर उपलब्ध है वहां पर सीमेन्ट कारखानों की स्थापना को अनुमति दी जानी चाहिये, भ्रान्तिपूर्ण है । यदि प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर सीमेंट कारखाने की स्थापना का लाइसेंस दिया गया तो उसका लाभ बड़े उद्योगपतियोंको ही मिलेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि आधार ढांचे की स्थापना की जाये और स्थानिय उद्यमियों को प्रोत्साहन दिये जायें। औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थानीय उद्यमियों को रियायती दरों पर उदारतापूर्वक ऋण देने चाहिये। 7,50,000 रु० की सीमा को भी बढाया जाना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री माननीय वित्त मंत्री ने 1973–74 के बजट भाषण में जिन प्रस्तावों के संकेत किये थे इस विधेयक के द्वारा उन्हें लागू किया जाने का प्रस्ताव है । उन्होनें कहा था कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, अनुसन्धान एवं विकास के संवर्धन तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय किये जायेंगे। आज की चर्चा का मुख्य विषय अनुसूचित एवं पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण की कसोटी है। मैंने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का वर्णन किया है ।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के इस मत से सहमत नहीं हूं कि विधेयक का प्रयोजन बडे औद्योगिक गृहों को रियायतें देना है। वास्तविकता यह है कि प्रारंभिक अवस्था में ये रियायतें आवश्यक है और अन्य अनेक विकसित देशों में भी इस प्रकार की रियायतें दी जा रही है। इससे पूर्व उद्योगों को विकास छूट दी जा रही थी उसे बन्द करने के पश्चात इस प्रकार के प्रोत्साहन आवश्यक है । हां, सरकार इस बात पर नजर रखेगी कि इनका दुरुपयोग न किया जाये।

उद्योगों क चुनाव की कसौटी प्रवर समिति के सन्मुख बताई गई थी और उस पर चर्चा भी हुई थी । उसी कसोटी के आधार पर नवीं अनुसूची तैयार की गई है । सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों का चुनाव करने के लिए श्री पांडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इस प्रश्न पर विचार किया, उसके पश्चात रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि में भी विचार विमर्श के पश्चात पिछड़े जिलों का चुनाव किया गया है । इसके लिये दो बातों पर ध्यान दिया गया। पहली यह कि जिला प्रगति न कर चुका हो और दूसरे यह इतना पिछड़ा हुआ न हो कि कितनी भी रियायतें दी जायें वहां उद्योग स्थापित हो न हो अर्थात वहां पर आधार ढांचे जिसमें श्रमिक उचित

वातावरण व पर्यावरण आदि है, को कमी हो। इस आधार पर योजना आयोग ने इन जिलों का चुनाव किया। इन जिलों को रियायती दरों पर वित्त दिया गया है । यह एक अलग बात है कि कुछ और जिले इस में सम्मिलित किए जाएं। कुछ सदस्यों ने कांच उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों, तेल उत्पादों आदि की बात की है। वास्तव में प्रवर समिति ने इन सब पर विचार करके विधेयक में सुधार किये थे। अतः इन सुझावों को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957 दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिरिक्त अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों को उपलब्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हु।

विधेयक के उद्देश्यों की प्रगति की दृष्टि से मेरा संशोधन संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। संशोधन संख्या 3 के द्वारा और लघु उद्योग को सम्मिलित करने की मांग है ।

[**श्री वसंत साठे पीठासीन हुए ।**
SHRI VASANT SATHE *in the Chair.*]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 2 and 3 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक को जोड दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 4 से 8 विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adotped

खंड 4 से 8 को विधेयक में जोड दिया गया ।

Clauses 4 to 8 were added to the Bill.

खंड 9

श्री डी० के० पंडा : मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं। यह बहुत ही साधारण संशोधन है और ये लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है ।

श्री के० आर० गणेश : मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 4 and 5 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

खंड 15

श्री० डी० के० पंडा : मैं अपना संशोधन 6 प्रस्तुत करता हूं। यह गंजम जिले को नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये है। पुराने समय में यह जिला मद्रास प्रेसीडेन्सी में आता था। यह जिला अभी भी आर्थिकरूप से विकसित नहीं हुआ। संचार के साधन इसमें उपलब्ध है। अतः इसे नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 6 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15 was added to the Bill.

खंड 16

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री डी० के० पंडा : मैं अपने संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पीलू मोदी : मेरे संशोधन के बारे में मंत्री महोदय को अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए है। मैंने इस संबंध में मंत्री महोदय को एक पत्र भी लिखा था।

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, the four criterians fixed, apply to this industry. The Glass Industry needs development. May I know the criteria under which this Industry is not being included in the nineth schedule?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं ने अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए नियम 79 के अधीन आपकी अनुमति मांगी थी।

सभापति महोदय : इसके लिए एक दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है अतः आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I support this amendment relating to glass Industry. This Industry has great export potential. Hence it shold be given protection and incentives. There are a number of such Indstries included in the Bill which need no protection and incentives. Similarly Ceramics Industry needs protection and incentives.

श्री के० आर० गणेश : जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है वे इस के उपबन्धों के अन्तर्गत आते है। शेष के लिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri S. M. Banerjee : Will the Glass Industry at Firozabad be covered under it ?

Mr. Chairman : If it is under Rs. 7,50,00 it would be covered.

Shri Madhu Limaye (Banka): I had requested for increasing this limit but has not been accepted.

श्री के० आर० गणेश : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मूलचन्द डागा : किन कारणों से आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते ?

Shri Madhu Limaye : I have a point of orders. Most of the Members of this House want this amendment to be accepted but the hon. Minister is not accepting it. The hon. Finance Minister is not present. He shold be directed to come to the House and till there the discussion and this clause shold be suspended.

श्री पीलु मोदी : मंत्री यदि पूर्व निर्णय के साथ सदन में आए और कोई भी सुझाव वे संशोधन स्वीकार ही नहीं किया जाता है तो फिर इस सारी चर्चा का लाभ ही क्या है। पांचवी लोक सभा में इस प्रकार की बातें लगातार हो रही है। उससे पूर्व ऐसा नहीं होता था ।

Shri M.C. Daga : When this Bill was moved at that the value of the Glass Industry was Rs. 7,50,000. But now its lvalue of Rs. 15 lakhs. What are your reasons for not including it in the ninth schedu e?

Shri Shankar Dev (Bihar) : I request that leather Industry shold also be included in it, because most of the persons employed in it belong to scheduled Castes and other backward classes.

Mr. Chairman : You should confine yourself to increase the limit from Rs. 7,50,000 to the 15 lakhs and should not bring other points.

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा अनुरोध है कि कुछ वर्ष तक 7,50,000 लाख रु० के कुछ अर्थ था परन्तु आज की स्थिति को देखते हुए इस सीमा को 14–15 लाख तक किया ही जाना चाहिये। इसके दो ही विकल्प है । वित्त मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करे अन्यथा वे इस सीमा को 14–15 लाख तक बढ़ाने के संबंध में स्वयं अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

सभापति महोदय : क्या इस सीमा को 15 लाख तक बढाने के बारे में किसी अन्य सदस्य का भी संशोधन है । मै खंड 16 पर विचार कर रहे हैं। उस से पीछे नहीं जा सकते। केवल मंत्री महोदय ही संशोधन प्रस्तुत कर सकते है । मैं इस बारे में मंत्री महोदय के विचार जानना चाहूंगा ।

श्री पिलू मोदी : कांच उद्योग के लिये मशीनरी का आयात अमरीका के अन्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋण के आधार पर किया जाता था। यह ऋण 1971 से बन्द है । इस कारण गत तीन वर्षों से इस उद्योग को कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ। पिछले दिसम्बर से ऋण फिर से खोले गये पर फिर विकास छूट देना बन्द कर दिया गया। अन्य कारणों से भी इस उद्योग का अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा है।

प्रो० मधू दंडवते (राजापुर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि पीछे जाने की जिस बात का उल्लेख किया गया उसमें कोई तर्क नहीं है। भूतकाल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार सदन द्वारा स्वीकृत कर लिये गये मामले फिर से खोले गये। दंड प्रक्रिया संहिता के मामले में और अलीगढ विशवविद्यालय के मामले में यही हुआ परिस्थितियों से बाध्य होकर सरकारी पक्ष को उन के बारे में कुछ संशोधन पेश करने पडे। अंत में वे संशोधन स्वीकार हुए। इस मामले में भी इसी प्रकार किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : सरकार का कोई संशोधन नही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करने को तत्पर है ।

श्री बी० जी० मावलंकर : अब सभा का बहुमत यह चाहता है तो सरकार को इस से बहुमत हो जाना चाहिये। इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनाया जाना चाहिये। वास्तव में सरकार द्वारा सभा के बहुमत के विचारों को मानने से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होगी।

सभापति महोदय : मैं इस बारे में मंत्री महोदय के विचार सुनना चाहता हूं।

श्री के० आर० गणेश : यह अधिकतम सीमा औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम से ली गई है। उसमें बताया गया है कि लघु उद्योग

सभापति महोदय : यह सीमा कुछ वर्ष पूर्व नियत की गई थी, आज उन 7.5 लाख रुपयों के मूल्य में वृद्धि हो चुकी है । अतः क्या आप इस पर विचार करने को तैयार है ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि आपको पता है प्रवर समिति ने इस बारे में विचार किया था। लघु उद्योगों को इस में सम्मिलित किया गया है। मैं इस सुझाव को मानने में असमर्थ हूं ।

सभापति महोदय : मैं यह मामला सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने मेरे संशोधन का कोई उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : क्या आप श्री मोदी का संशोधन स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री के० आर० गणेश : यदि वह संशोधन कांच उद्योग के बारे में है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इस उद्योग को प्राथमिकता उद्योगो की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः इस अवस्था पर इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में 18	**विपक्ष में 57**
Ayes 18	**Noes 57**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा श्री डी० के० पंडा के संशोधन संख्या 9 और 10 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 76 विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खंड 17 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 17 to 24 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सुत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, The Enacting formula and the Title of the Bill were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये।"

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Bill is not going to help the development of the backward areas. We want that provisions should be made in the Bill for the development of Small Industries. But this has not been done.

A number of new districts have been included in the 8th Schedule but Sitamarhi has again been left. This is a backward district. The Industries selected for Champaran would not contribute towards its development. Rice, Sugarcane and Jute grows in this District hence these Industries should be set up there. It appears that Select Committee did not take this aspect in view. Had it been so these Industries would have been included in the ninth Schedule for the development of this District.

This Bill would benefit large Industrial houses and it would not contribute towards developmen tof backward areas. It is not going to fulfill the objects for which it is being brought for ward.

श्री के० आर० गणेश : नवी अनुसूची एक कसोटी के आधार पर तैयार की गई है। वह कसोटी है पूंजी प्रधानता क्षमता, जन उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन, प्राथमिकता उद्योग आदि आदि।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कम्पनी (संशोधन विधेयक)

COMPANY (AMENDMENT) BILL

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है कि प्रतिवेदन 15 नवम्बर 1973 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने उसके समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर, विधेयक में कुछ परिवर्तन किये। इन परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचार सिफारिशों में बताए गए हैं।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 2 अगस्त, 1974/11 श्रावण, 1896(शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday August 2, 1974/Sravana 11 1896 (*Saka*).

GIPN—SIV 23 LSS/74—17-10-74—490.